



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245092
CG-DL-E-11042023-245092

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2023/चैत्र 16, 1945

No. 85]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2023/CHAITRA 16, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023

अंतिम जांच परिणाम

(मामला सं. सीवीडी – एसएसआर - 1/2021)

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय हॉट रोलड और कोल्ड रोलड स्टेनलेस स्टील फ्लेट उत्पादों के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच में अंतिम जांच परिणाम।

फा. सं. 7/21/2021-डीजीटीआर. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में भी कहा गया है) और तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे नियमावली के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

- दिनांक 12 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं. 14/18/2015-डीजीएडी के तहत चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में एक सब्सिडीरोधी जांच शुरू की गई थी। विस्तृत जांच करने के बाद, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि चीन की सरकार द्वारा संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों को प्रदान की गई सब्सिडी प्रतिसंतुलनकारी प्रकृति की थी और चीन जन. गण. से सब्सिडी प्राप्त कीमतों पर संबद्ध वस्तुएं चीन जन. गण. से घरेलू उद्योग

को क्षति पहुंचाते हुए निर्यात की गई थी। इस प्रकार, प्राधिकारी ने दिनांक 4 जुलाई, 2017 की अधिसूचना सं. 14/18/2015-डीजीएडी के तहत चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों को लगाने की सिफारिश की, जिसकी वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 07 सितंबर, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017 के तहत आगे पुष्टि की गई थी।

2. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(6) 24 के अनुसार, लगाए गए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के, जब तक कि पहले द्वारा न लिया जाए, उसे लगाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी अपेक्षित है कि क्या प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समाप्ति होने से सब्सिडी प्राप्त आयातों के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अलावा, सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 24 में प्रावधान इस प्रकार हैं:-

“निर्दिष्ट प्राधिकारी समय-समय पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को लगाया जाना जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने और उन्हें प्राप्त सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसे शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क को लगाया जाना जारी रखने के लिए कोई औचित्य नहीं है, तो केंद्र सरकार को उसे वापस लेने की सिफारिश करेंगे।”

3. उपरोक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए एक विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करनी अपेक्षित है कि क्या प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समाप्ति होने से क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
4. और जबकि मै० जिंदल स्टेनलेस लि० (इसके बाद इसे जेएसएल कहा गया है); और मै० जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लि० (इसके बाद इसे जेएसएचएल कहा गया है), (इसके बाद से इन्हें “आवेदकों” अथवा “आवेदक कंपनियों” अथवा “घरेलू उद्योग” के रूप में भी कहा गया है) ने संयुक्त रूप से, अधिनियम और नियमावली के अनुसार चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टेनलेस स्टील प्लेट उत्पादों के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने का अनुरोध करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत प्रमाणित आवेदन दायर किया है।
5. आवेदकों ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के खिलाफ प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जारी रखने की मांग की है। यह अनुरोध इस आधार पर किया गया था कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समाप्ति होने से संबद्ध वस्तुओं के सब्सिडी प्राप्त आयातों के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग के उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना थी।
6. और जबकि, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना सं. 7/12/2021-डीजीटीआर के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके तहत कथित सब्सिडी की मौजूदगी, मात्रा और उसके प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा सब्सिडीरोधी / प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की ऐसी मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाया गया, तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, नियमावली के अनुसार संबद्ध जांच शुरू की।
7. वर्तन जांच के दायरे में दिनांक 4 जुलाई, 2017 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/18/2015-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

8. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध समीक्षा के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है:-

- i. प्राधिकारी को उपरोक्त नियमावली के तहत घरेलू उद्योग के रूप में आवेदकों से एक लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ, जिसमें सब्सिडी प्राप्त आयातों के जारी रहने की संभावना तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना का तर्क दिया गया।
- ii. प्राधिकारी ने नियम 6(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पूर्व समीक्षा आवेदन की प्राप्ति के बाद में भारत में चीन के दूतावास को अधिसूचित किया।
- iii. प्राधिकारी ने डब्ल्यूटीओ के सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी करार (एएससीएम) के अनुच्छेद 13 के अनुसार चीन की सरकार को जांच शुरू करने से पूर्व परामर्श के लिए अवसर प्रदान किए, जो दिनांक 10.09.2021 को डिजिटल विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उसके प्रतिनिधियों के साझा की गई थी। संबद्ध देश की सरकार के प्रतिनिधियों की टिप्पणियां रिकार्ड में ली गई थी। चीन की सरकार ने

आवेदकों द्वारा बताई गई अनेक कार्यक्रमों/योजनाओं की मौजूदगी को स्वीकार किया। चीन की सरकार ने यह तर्क किया कि कथित कार्यक्रम/लाभ प्रतिसंतुलनकारी नहीं है।

- iv. जबकि जीओसी ने तर्क दिया कि साक्ष्य की कमी है या दावा किया गया है कि कथित नीतियां एएससीएम के अर्थ में प्रतिसंतुलनीय नहीं हैं क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं और प्रकृति में अच्छी तरह से स्वीकृत हैं, जिससे कोई वित्तीय योगदान नहीं है, न ही वे विशिष्ट क्षेत्र को लाभ प्रदान करते हैं। उद्योग का। जीओसी ने कहा कि कथित सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए उद्धृत कुछ चीनी कानून और विनियमों को या तो संशोधित किया गया है या निरस्त कर दिया गया है लेकिन जीओसी ने उनके दावों की पुष्टि नहीं की है।
- v. प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके तहत संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा शुरू की गई।
- vi. प्राधिकारी ने भारत में चीन के दूतावास, चीन से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों/भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और उपलब्ध सूचना के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 की जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित ढंग से संगत सूचना प्रदान करने और लिखित में अपने अनुरोध प्रदान करने का परामर्श दिया गया था।
- vii. प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 7(3) के अनुसार, ज्ञात चीन के उत्पादकों/निर्यातकों तथा चीन के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई।
- viii. प्राधिकारी ने चीन की सरकार को ऐसी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में विहित प्रारूप में और विहित ढंग से संगत सूचना के लिए नियमित प्रश्नावली भेजी, जहां विचाराधीन उत्पाद के लिए चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को प्रतिसंतुलनकारी लाभ प्रदान किए गए हो सकते हैं।
- ix. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार, चीन में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना प्रकट करने के लिए निर्यातक प्रश्नावली भेजी। चीन में इन ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों की एक सूची इस अंतिम जांच परिणाम के अंत में अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।
- x. चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातक से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।
- xi. भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं एसोसिएशनों को नियमावली के अनुसार आवश्यक सूचना भेजने के लिए प्रश्नावली भेजी गई थी।
- xii. वर्तमान जांच शुरू होने के बाद, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 1 फरवरी, 2022 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 1/2022 के तहत संबद्ध वस्तुओं पर लगाए गए प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों को निरस्त कर दिया। तथापि, उनमें से एक हितबद्ध पक्षकार ने रद्द किए जाने पर विवाद उठाते हुए माननीय गुजरात उच्च न्यायालय से अनुरोध किया। तदोपरान्त, माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने *मै० रियलस्ट्रिप्स लि० बनाम भारत संघ* मामले में अपने दिनांक 2 सितंबर, 2022 के आदेश के तहत उपरोक्त सीमा शुल्क अधिसूचना को रद्द कर दिया और प्राधिकारी को उक्त जांच की निर्णायक समीक्षा करने और उसे पूरा करने के लिए आगे कार्यवाही करने का निदेश दिया।
- xiii. आवेदकों ने दिनांक 9 सितंबर, 2022 के ईमेल के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात के प्राधिकारी के निदेश देने के संबंध में उपरोक्त फैसले का उल्लेख करते हुए जांच को पुनः शुरू करने के लिए डीजीटीआर को अनुरोध किया।
- xiv. केंद्र सरकार ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 2 सितंबर, 2022 के फैसले को चुनौती देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी (सी) सं. 020020 - / 2022 के तहत अनुरोध किया। केंद्र सरकार ने आदेश की कार्रवाई पर स्थगन की मांग की, तथापि स्थगन प्रदान नहीं किया गया है और मामला न्यायाधीन है।

- xv. वित्त मंत्रालय ने वर्तमान जांच को पूरा करने के लिए समय आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उसे दिनांक 7 अक्टूबर, 2022 की फा. सं. सीबीआईसी-190354/63/2022-टीओ (टीआरयू-1)-सीबीआईसी के तहत दिनांक 6 अप्रैल, 2023 तक आगे 6 माह के लिए बढ़ा दिया।
- xvi. प्राधिकारी ने दिनांक 1 दिसंबर, 2022 के पत्र के तहत दिनांक 22 दिसंबर, 2022 तक प्रश्नावली उत्तर/टिप्पणियां दायर करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को पुनः अवसर प्रदान किया।
- xvii. सभी इच्छुक पार्टियों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि वे अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को अपने सबमिशन के गैर-गोपनीय संस्करण को ईमेल करें क्योंकि चल रहे COVID19 वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फ़ाइल भौतिक रूप से सुलभ नहीं थी।
- xviii. प्राधिकारी ने दिनांक 21 दिसंबर, 2022 के पत्र के तहत कतिपय हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त अनुरोध पर, दिनांक 29 दिसंबर, 2022 तक प्रश्नावली उत्तर/टिप्पणियां दाखिल करने के लिए समय विस्तार दिया।
- xix. अधिसूचना के उत्तर में और प्रश्नावली उत्तर के लिए अनुरोध पर निम्नलिखित आयातकों अथवा उपभोक्ताओं के प्रश्नावली उत्तर और/अथवा अनुरोध दाखिल किए:-
- क. ऑल इंडिया स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन
- ख. सनसिटी शीट्स प्राइवेट लिमिटेड
- ग. ओनेस्ट एंटरप्राइज लिमिटेड
- घ. शाह फ़ॉइल्स लिमिटेड
- xx. अधिसूचना और पत्र के उत्तर में, अनेक आयातकों/उपभोक्ताओं/एसोसिएशनों ने अनुरोध दाखिल किए। हितबद्ध पक्षकारों ने इस जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में भाग लिया है, उन सभी पक्षकारों की एक सूची इस अंतिम जांच परिणाम के अंत में **अनुलग्नक-3** पर संलग्न है।
- xxi. जिन निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को न तो उत्तर दिया है और न ही इस जांच के लिए संगत सूचना प्रदान की है, उन्हें असहयोगी माना गया है।
- xxii. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से तीन वित्त वर्षों और जांच की अवधि (पीओआई) तथा जांच की अवधि के बाद के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के सौदा-वार ब्यौरे प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया था, जो प्राधिकारी को प्राप्त हुए। प्राधिकारी ने सौदों की विधिवत जांच के बाद अपेक्षित विश्लेषण करने के लिए डीजीसीआई एंड एस के सौदा-वार डेटा पर अनुरोध किया है।
- xxiii. उत्पादन की अनुकूलतम लागत और भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्माण और बिक्री की लागत, जो सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर आधारित थी, परिकलित की गई थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या सब्सिडी मार्जिन से कमतर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xxiv. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 01 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2021 (15 महीने) है और क्षति की अवधि अप्रैल 2017-मार्च 2018, अप्रैल 2018-मार्च 2019, अप्रैल की अवधि को कवर करेगी। 2019- मार्च 2020 और पीओआई।
- आवेदक ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक प्रस्तावित की (12 महीने)। तथापि, अवधि के संबंध में संशोधित नियम 22(3) का स्पष्टीकरण जांच का कहना है कि:
- "इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, जांच की अवधि, - (i) अधिक नहीं होगी जांच शुरू करने की तारीख को छह महीने से अधिक पुराना है।"*

चूंकि मामला 08.10.2021 को शुरू किया गया था और डेटा छह महीने से अधिक पुराना था, इसलिए, प्राधिकरण ने एक और तिमाही जोड़ी और सबसे हालिया अवधि यानी पीओआई के लिए 15 महीने के डेटा पर विचार करने का फैसला किया।

- xxv. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना का स्थल और डेस्क अध्ययन के जरिए आवश्यकता के अनुसार सत्यापन किया गया था। जहां कहीं भी लागू थी, आवश्यक सुधार के साथ केवल ऐसी पुष्टि की गई सूचना पर इस अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए भरोसा किया गया है।
- xxvi. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को नियम 7(6) के अनुसार मौखिक सूचना प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करने के लिए दिनांक 3 फरवरी, 2023 को मौखिक सुनवाई का आयोजन किया। मौखिक सुनवाई हाइब्रिड मोड में की गई थी। ऐसे सभी पक्षकारों को जिन्होंने मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत किए थे। दिनांक 14 फरवरी, 2023 तक लिखित में अपने अनुरोध दाखिल करने का परामर्श दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 21 फरवरी, 2023 तक अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के लिए रिज्वाइंडर प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई थी।
- xxvii. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर, उनके संगत पाए गए अनुसार, प्राधिकारी द्वारा आवश्यक विचाराधीन तथ्यों को प्रमाणित करने में विचार किया गया है।
- xxviii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की, गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। इससे संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय के रूप में विचार किया गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना के लिए पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निदेश दिया गया था।
- xxix. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने आवश्यक सूचना वर्तमान जांच के दौरान समयबद्ध ढंग से प्रदान करने से इंकार किया है अथवा अन्यथा प्रदान नहीं की है, अथवा जांच को काफी प्रमाणित किया है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर परिणाम दर्ज किए हैं।
- xxx. *** किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना को दर्शाता है और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया गया है।
- xxxi. प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम में निम्नलिखित संक्षिप्तियों का प्रयोग किया है:-

संक्षिप्तियां	पूरा विवरण
आवेदक/आवेदकों/याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं/ घरेलू उद्योग	जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड
एएससीएम	सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों पर करार
सीआर	कोल्ड रोलड
सीवीडी	प्रतिसंतुलनकारी शुल्क
डीजीसीआई एंड एस	वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय
डीआई	घरेलू उद्योग
एफआरपी	फ्लेट-रोल्ड उत्पाद
जीएएपी	सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत
जीओसी	चीन की सरकार
एचआर	होट रोलड
आईएफएमए	इंडस्ट्री फर्नेस मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
क्षति अवधि	2017-18, 2018-19, 2019-20 और जांच की अवधि

आईएसएसडीए	इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एनआईपी	क्षतिरहित कीमत
पीसीएन	उत्पाद नियंत्रण संख्या
पीओआई	जांच की अवधि, अर्थात् अप्रैल 2020 से जून 2021
पीओआई-क	जांच की अवधि के लिए वार्षिक आंकड़े
प्रा. लि.	प्राइवेट लिमिटेड
एसएलपी	विशेष अनुमति याचिका
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन

ग. चीन की सरकार द्वारा सहयोग का स्तर

9. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन की सरकार को लिखित पत्राचार और परामर्श के माध्यम से पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था ताकि वे आवेदकों द्वारा कथित विभिन्न सब्सिडी योजनाओं, डब्ल्यूटीओ, एएससीएम और भारतीय नियमों के अनुसार उसके प्रतिसंतुलनकारी होने तथा इन योजनाओं के तहत चीन के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्राप्त लाभों की मौजूदगी, प्रचालनों और प्रशासन संबंधी संगत सूचना प्रदान करें। चीन की सरकार ने प्रश्नावली के लिए उत्तर दाखिल नहीं किए हैं और न ही उन्होंने विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के संबंध में कोई सूचना प्रदान की है। इस प्रकार चीन की सरकार ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को सहयोग नहीं किया है। यदि चीन की सरकार ने प्रश्नावली उत्तर के साथ संगत सूचना/दस्तावेज/साक्ष्य प्रदान करके प्राधिकारी के साथ सहयोग किया होता, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना/साक्ष्यों के आधार पर कोई निर्धारण करने की स्थिति में होते। चूंकि चीन की सरकार ने अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया है, प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम में, उपलब्ध सूचना के अनुसार आगे कार्यवाही के लिए विवश थे।

घ. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

1. घरेलू उद्योग के विचार

10. आवेदकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किए गए अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:-
- जांच की शुरुआत में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है, जो शुल्क लगाने के समय था।
 - विचाराधीन उत्पाद हॉट रोलड अथवा कोल्ड रोलड हो सकता है। यह कॉइल, शीट, प्लेट, स्ट्रिप या अन्यथा किसी रूप में हो सकता है। उत्पाद के सभी रूप विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर हैं।
 - चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा, जो मूल जांच में विचार किया गया था।
 - घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई अंतर नहीं है।
 - घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा निर्यात की जा रही वस्तुओं के समान वस्तु है जैसा कि प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में भी पाया गया है।
 - घरेलू उद्योग विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन कर रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद भी नाभिकीय ऊर्जा विभाग में प्रयोग में लाए जाते हैं।

- vii. चीन द्वारा निर्मित कोई भी उत्तम (निश) उत्पाद नहीं है। चीन अधिकांशतः बुनियादी ग्रेड का निर्यात कर रहा है, जिसे संपूर्ण उद्योग उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार, कोई भी मांग और आपूर्ति का अंतर नहीं है और चीन से आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी, चीन ने हमेशा ही घरेलू बाजार में एक बड़ा हिस्सा बरकरार रखा है।
- viii. चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया है। अतः एक पीसीएन वार विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं है।
- ix. चीन जन. गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के असहयोग के कारण, आयात डेटा में पीसीएन की पहचान से संबंधित सभी सूचना का अभाव है। प्राधिकारी के पास सूचना और साक्ष्य की मात्रा तथा गुणवत्ता नहीं होती, जैसी की पीसीएन की पहचान और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए आवश्यक है।
- x. चीन, ताईवान और वियतनाम से लक्षरी विनाइल टाइल की हाल की पाटनरोधी जांच में, प्राधिकारी ने यह पाया कि जब विदेशी उत्पादकों ने जांच में सहयोग नहीं किया तो पीसीएन वार पाटन मार्जिन के निर्धारण की आवश्यकता नहीं है।
- xi. इस तर्क के लिए कोई औचित्य नहीं है कि चीन से आयात किए गए उत्पाद गुणवत्ता के चलते हैं।
- xii. आवेदक ऐसे सभी उत्पादों की आपूर्ति करते हैं, जो चीन से आयात किए जा रहे हैं। आवेदकों द्वारा बेचे गए इन उत्पादों की मात्रा भी काफी है।
- xiii. चीन द्वारा आपूर्ति किए जा रहे उत्पाद अधिकांशतः 200 सिरीज उत्पाद में है, जहां पर आवेदकों द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा ही 30 प्रतिशत है।
- xiv. इन 200 सिरीज उत्पाद के उत्पादों में से ग्रेड जे3 और 201 की मात्रा क्रमशः 59 प्रतिशत और 37 प्रतिशत है। इस प्रकार यह दर्शाता है कि चीन से आयात अधिकांशतः इन्हीं उत्पादों के लिए है।
- xv. वर्ष 2019-20 के दौरान चीन से आयात भारतीय मांग का केवल 3.21 प्रतिशत था। यदि चीन से आयात गुणवत्ता के कारण से थे तो आयातों की मात्रा विगत में इतनी कम नहीं रही होती।
- xvi. चीन से आयात अधिकांशतः सीवीडी हटाने से उत्पन्न कीमत संबंधी अंतर के कारण हैं न कि किसी अन्य कारक के कारण है।
- xvii. चीन के उत्पाद की कीमत आवेदकों द्वारा बेची गई कीमत से काफी कमतर है।

II. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

11. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

III. प्राधिकारी द्वारा जांच

12. वर्तमान जांच चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "होट रोलड और कोल्ड रोलड फ्लेट स्टेनलेस स्टील के उत्पाद" के आयातों पर पहले लगाए गए प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों के संबंध में एक निर्णायक समीक्षा जांच है। मूल जांच में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद इस प्रकार हैं:-

"फ्लेट रोलड स्टेनलेस स्टील के उत्पाद, चाहे वे सभी ग्रेडों/सिरीज के होट रोलड हैं या कोल्ड रोलड, चाहे वे प्लेट, शीट में हैं अथवा नहीं अथवा कॉइल रूप में हैं या किसी अन्य आकार में, उसकी कोई भी चौड़ाई हो, होट रोलड कॉइल के मामले में 1.2 मि.मी. से 10.5 मि.मी. तक की मोटाई हो, होट रोलड प्लेट और शीट के मामले में 3 मि.मी. से 10.5 मि.मी. तक और कोल्ड रोलड फ्लेट उत्पादों के मामले में 6.75 मि.मी. तक हो। उत्पाद के दायरे में विशेष से रेजर ब्लैड ग्रेड स्टील को अलग किया है।"

केवल यह तथ्य कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे में होट रोलड और कोल्ड रोलड उत्पाद शामिल हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि दोनों को वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता और विचार नहीं किया जा सकता। यह नोट किया गया है कि भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण में अध्याय 72 के तहत स्टेनलेस स्टील को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें होट रोलड अथवा कोल्ड रोलड उत्पादों के संदर्भ में इसे अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण 7219 स्टेनलेस स्टील के 600 मि.मी. अथवा अधिक की चौड़ाई वाले फ्लेट रोलड उत्पादों के लिए है। इसके अलावा, 7219 और 7220, दोनों में शामिल है (क) होट और

कोल्ड रोल्ड उत्पाद, (ख) काँइल में उत्पाद और काँइल में नहीं उत्पाद। यह नोट किया जाता है कि विभिन्न प्रकार के उत्पाद के सीमा शुल्क वर्गीकरण में मात्र अंतर होने से वर्तमान प्रयोजनों के लिए उन्हें असमान वस्तु नहीं माना जा सकता।

घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए लागत विवरणों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल अधिकांश लागत कच्ची सामग्रियां होती हैं और स्टील को पिघलाने की अवस्था तक इसका उपयोग किया जाता है। कच्ची सामग्रियों की अवस्था में विभिन्न प्रकार के उत्पाद की लागत स्टील के संघटन के संबंध में अलग-अलग है जो तकनीकी मानकों में स्पष्ट की जाने वाली विशेषताएं हैं और इनका निर्णय पिघलाने के समय ही लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के स्टील का उत्पादन विभिन्न धातुकीय संघटन के साथ किया जाता है, जो कि कच्ची सामग्रियों के उचित मिश्रण का उपयोग करके हासिल किया जाता है। रोलिंग की अवस्था में शामिल व्यय, चाहे हॉट रोल्ड हो अथवा कोल्ड रोल्ड इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में लागत का महत्वपूर्ण भाग हॉट रोल्ड स्टील के निर्माण की अवस्था तक खर्च हो जाता है। अतः सब्सिडी का प्रभाव हॉट रोल्ड स्टील की बुनियादी अवस्था पर पड़ता है।

विभिन्न प्रकार के विचाराधीन उत्पाद आवश्यक रूप से बनावट, आकार, धातुकीय संघटन, रोलिंग की स्थितियों (हॉट रोल्ड/कोल्ड रोल्ड) के संदर्भ में भिन्न होते हैं। तथापि, ये अंतर उत्पादन प्रक्रिया को नियंत्रित करके हासिल किए जा सकते हैं और इन्हें वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए भिन्न वस्तुओं के रूप में नहीं जाना जाता।

13. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद के दायरे के लिए किसी संशोधन के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया। वर्तमान जांच प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए और केंद्र सरकार द्वारा हटाए गए विगत सीवीडी उपायों की एक निर्णायक समीक्षा जांच है। अतः वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है, जो सीवीडी उपायों के अध्याधीन उत्पाद का दायरा था। अतः वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड फ्लेट स्टेनलेस स्टील उत्पाद" है।
14. संबद्ध वस्तुएं उप शीर्ष 7219 और 7220 के अंतर्गत, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं हैं।
15. आवेदकों ने यह दावा किया था कि संबद्ध वस्तुएं विभिन्न ग्रेड, चौड़ाई, मोटाई और फिनिश के रूप में आयात की जा रही हैं। याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध वस्तुओं के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का सुझाव दिया था। प्राधिकारी ने पीसीएन प्रणाली पर टिप्पणियां मांगी थी। तथापि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पीसीएन प्रणाली पर टिप्पणियां दाखिल नहीं की। इसके अलावा, आवेदकों ने अपने लिखित अनुरोध के माध्यम से पीसीएन वार विश्लेषण को समाप्त करने का अनुरोध किया था और उन पर किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी। उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने क्षति के प्रयोजन के लिए पीसीएन पर विचार नहीं किया है।
16. प्राधिकारी रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना से यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, चीन से आयात की गई वस्तुओं के 'समान वस्तु' है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए गए उत्पाद और चीन से आयात किए गए उत्पाद तकनीकी विनिर्देशनों, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने यह पाया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित की जा रही संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के 'समान वस्तु' है।

ड. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

1. घरेलू उद्योग के विचार

17. आवेदकों द्वारा जांच के दौरान घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:-

- i. यह आवेदन जिंदल स्टेनलेस लि० और जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लि० द्वारा तथा 11 अन्य उत्पादकों की सहायता से दाखिल किया गया था।

- ii. जांच की शुरुआत होने के बाद, 63 उत्पादकों और ने पत्राचार किया और शुल्कों को लगाया जाना रखा गया।
- iii. एमएसएमई क्षेत्र से 19 उत्पादकों और संगठित क्षेत्र से एक उत्पादक ने संगत जांच सूचना प्रदान की है और शुल्कों का विस्तार करने का अनुरोध किया। इन 19 से अधिक उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाना चाहिए।
- iv. दो याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा किए गए उत्पादन में कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है।
- v. दोनों याचिकाकर्ता कंपनियों ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुएं आयात नहीं की हैं। याचिकाकर्ता कंपनियां चीन में संबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध नहीं है।
- vi. भारत में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है – संगठित और असंगठित क्षेत्र।
- vii. असंगठित क्षेत्र को आगे दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है – इंडक्शन फर्नेस रूट के माध्यम से होट रोल्ड स्लेब का उत्पादन करने वाले उत्पादक और होट रोल्ड उत्पादों (फ्लेट) में प्रक्रिया करने वाले उत्पादक।
- viii. होट रोल्ड फ्लेट का उपयोग यूटेंसिल जैसे अनेक उत्पादकों का निर्माण करने में किया जाता है। ये उत्पादक व्यापक रूप से 200 सिरीज के उत्पादों का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा, उनके पास कॉइल के निर्माण के लिए सुविधा नहीं है और वे व्यापक रूप से प्लेटों के निर्माण तक सीमित है।
- ix. भारत में इस उत्पाद के लिए बाजार 10 लाख मी. टन से अधिक का है।
- x. एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादक, जो इंडक्शन फर्नेस प्रक्रिया के जरिए उत्पादन कर रहे हैं, सीवीडी को बंद करने और इसकी वापसी होने से अत्यधिक प्रभावित है।
- xi. अनेक इंडक्शन फर्नेस उत्पादकों ने उत्तर दिया है और अपने प्रचालनों के संबंध में सभी संगत क्षति सूचना प्रदान की है। चूंकि इन उत्पादकों ने जांच शुरू होने के बाद और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा से पहले संगत सूचना प्रदान की है। अतः इन उत्पादकों को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में विचार किया जाए।
- xii. यह जांच दिनांक 08.10.2021 को शुरू की गई थी, तथापि, प्राधिकारी ने वित्त मंत्रालय द्वारा शुल्क की वापसी के बाद जांच को जारी नहीं रखा।
- xiii. जांच पुनः शुरू होने के बाद, जब प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान किया था, उसे अन्य घरेलू उत्पादकों के लिए भी एक अवसर पर विचार किया जाना चाहिए।
- xiv. जांच शुरू होने के लिए उत्तर देने का अवसर प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों तक ही सीमित नहीं है। इसे समर्थन करने वाले हितबद्ध पक्षकारों के लिए प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें अन्य घरेलू उत्पादक भी शामिल हैं।
- xv. इंडक्शन फर्नेस उत्पादकों में समर्थन करने वाले हितबद्ध पक्षकार शामिल हैं और इसलिए उन पर घरेलू उद्योग के भाग के रूप में विचार किया जाना चाहिए।
- xvi. विकल्प के रूप में, प्राधिकारी को कम से कम अलग से उनकी सूचना पर विचार करना चाहिए और ऐसे अन्य घरेलू उत्पादकों को हुई क्षति की जांच करनी चाहिए।
- xvii. शाह अलॉय ने निर्धारित फर्नेस में क्षति की सूचना प्रदान की है। चूंकि कंपनी ने सभी संगत सूचना प्रदान की है, अतः प्राधिकारी को उस पर विचार करना चाहिए।
- xviii. मै० रियलस्ट्रिप्स लि०, हिसार मेटल इंडस्ट्रीज लि०, क्वालिटी फॉयल्स (इंडिया) प्रा० लि० और वीर मेटल इंडस्ट्रीज प्रा० लि० कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पादों के उत्पादक (री-रोलर) हैं और इस जांच के लिए एक हितबद्ध पक्षकार होने के कारण, उन्होंने क्षति संबंधी सूचना प्रस्तुत की है तथा वर्तमान समीक्षा जांच के लिए एक हितबद्ध पक्षकार भी है।

- xix. याचिका को बड़ी संख्या में इंडक्शन फर्नेस उत्पादकों का समर्थन प्राप्त है, यहां तक कि उन्होंने निर्धारित प्रारूप में जांच संबंधी सूचना भी प्रदान नहीं की है।
- xx. वर्तमान याचिका का दो उत्पादन कंपनियों, संगठित क्षेत्र में एक अन्य घरेलू उत्पादक, असंगठित क्षेत्र (इंडक्शन फर्नेस) में 19 उत्पादकों, जिन्होंने अपनी क्षति संबंधी सूचना प्रदान की है, इंडक्शन फर्नेस क्षेत्र में 4 उत्पादकों, जिन्होंने अपने उत्पादन और बिक्री के आंकड़े प्रदान किए हैं, इंडक्शन फर्नेस क्षेत्र में 34 उत्पादक जिन्होंने उत्पादन और बिक्रियों के डेटा प्रदान किए बिना समर्थन किया है, 60 री-रोलर, जिन्होंने उत्पादन और बिक्रियों के संबंध में अपने आंकड़े प्रदान किए हैं, अनेक री-रोलर, जिन्होंने केवल समर्थन किया है, लेकिन अपने उत्पादन और बिक्रियों के संबंध में डेटा प्रदान नहीं किए हैं, द्वारा आवेदकों के रूप में समर्थन किया है।
- xxi. सीवीडी के विस्तार के लिए अनुरोध के देश में उत्पाद के अनेक उत्पादकों द्वारा दाखिल/समर्थन किया माना जाना चाहिए। याचिका के लिए एमएसएमई क्षेत्र में अनेक उत्पादकों द्वारा समर्थन किया गया है, चाहे वे हॉट रोल्ल पट्टा में, अथवा उनकी प्लेटों के रूप में री-रोलिंग में लगे हैं। उनका साझा उत्पादन मिलाकर एक बड़ा सकल भारतीय उत्पादन होता है।
- xxii. प्राधिकारी ने 1 दिसंबर, 2022 को जांच को पुनः शुरू किया है और सभी हितबद्ध पक्षकारों को 29 दिसंबर, 2022 तक संगत सूचना प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। प्रयोक्ताओं, आयातकों ने इस निर्धारित समय-सीमा के भीतर उत्तर दाखिल किए हैं। यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि घरेलू उत्पादक बढ़ाई गई अवधि के भीतर संगत सूचना प्रदान करने और/अथवा अनुरोध करने के लिए पात्र नहीं थे।

II. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

18. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- आवेदकों ने विभिन्न संस्थानों से वर्तमान याचिका के लिए अपना समर्थन प्रदान करने के लिए पत्र प्रस्तुत किए हैं। तथापि, व्यापार सूचना सं. 13/2018 में यह कहा गया है कि सभी समर्थन करने वाली कंपनियों को "जांच शुरूआत अवस्था से पूर्व" याचिका के साथ अपने डेटा दाखिल करने आवश्यक होते हैं।
- समर्थकों की ओर से दाखिल किए गए डेटा में कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई दी। एमएसएमई द्वारा दाखिल किए गए डेटा पर गहन जांच से पूर्व भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।
- इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या केवल खराब प्रदर्शन करने वाले एमएसएमई के डेटा को ही शामिल किया गया है, क्योंकि इससे केवल नकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे।
- घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में कतिपय समर्थन करने वाले उत्पादकों को शामिल करने के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। जिंदल स्टेनलेस स्टीलवे लि० के अलावा, शेष ऐसी एसोसिएशन है, जो घरेलू उद्योग नहीं हो सकती।
- जिंदल स्टेनलेस स्टीलवे लि० ने क्षति, मापदंड उत्पादन आदि के बारे में अपने डेटा प्रस्तुत नहीं किए हैं, अतः उसे वर्तमान जांच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
- याचिका का समर्थन करने वाली किसी भी संस्था ने क्षति मापदंड, उत्पादन आदि के बारे में अपने डेटा प्रस्तुत नहीं किए हैं, अतः उन्हें वर्तमान जांच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
- प्रमुख घरेलू उत्पादक जैसे सेल वर्तमान जांच में भाग लेने के लिए आगे नहीं आए हैं, अतः प्राधिकारी सेल के आर्थिक निष्पादन का पता लगाए और उनके भाग न लेने के कारणों का पता लगाए।

III. प्राधिकारी द्वारा जांच

19. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: -

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या

आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

20. यह आवेदन जिंदल स्टेनलेस लि० और जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लि० द्वारा दायर किया गया था। आवेदक संबद्ध देश में किसी उत्पादक/निर्यातक अथवा भारत में उत्पाद के आयातक से संबद्ध (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) नहीं है। आवेदकों ने जांच की अवधि के दौरान चीन से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है।
21. स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में निम्नलिखित एसोसिएशनों ने दाखिल किए गए आवेदन के लिए अपना समर्थन देने का पत्र दिया है:-
- क. इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन
 - ख. जगाधरी स्टेनलेस स्टील री-रोलर्स एसोसिएशन
 - ग. राजस्थान स्टेनलेस स्टील री-रोलर्स एसोसिएशन
 - घ. वजीरपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट वेलफेयर सोसाइटी
 - ड. स्टेनलेस स्टील रे रोलिंग एसोसिएशन
 - च. दिल्ली स्टेनलेस स्टील ट्रेड एसोसिएशन
 - छ. स्टेनलेस स्टील रोलर्स एसोसिएशन
 - ज. ऑल इंडिया स्टेनलेस स्टील कोल्ड रोलर्स एसोसिएशन
 - झ. स्टेनलेस स्टील इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन (एसआईएफए) गुजरात
 - ञ. काला एएमबी स्टेनलेस स्टील फर्नेस एसोसिएशन
22. मै० शाह अलॉय ने प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई समय-सीमा के भीतर अपनी क्षति संबंधी सूचना दाखिल की है और शुल्कों के विस्तार के लिए अनुरोध किया है।
23. निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों ने, जो इंडक्शन फर्नेस रूट के माध्यम से एमएसएमई उत्पादक होने का अपना दावा कर रहे हैं, अपनी क्षति संबंधी सूचना प्रस्तुत की है और शुल्कों के विस्तार के लिए अनुरोध किया है।
- क. अम्बा औद्योगिक कारपोरेशन
 - ख. अंबिका अलॉय
 - ग. अवधेश स्टील वर्क्स प्रा. लिमिटेड
 - घ. बजरंग स्टील सेंटर
 - ड. चंदन पानी प्रा. लिमिटेड
 - च. हाय गणेश स्टील
 - छ. जायसवाल मेटल्स प्रा. लिमिटेड
 - ज. जानकी मेटल स्ट्रिप्स प्रा. लिमिटेड
 - झ. मारुति आईनॉक्स (इंडिया) प्रा० लिमिटेड
 - ञ. एमआई अलॉय प्रा० लिमिटेड
 - ट. एन स्टील
 - ठ. सावित्री अलॉय
 - ड. शिवप्रिया इस्पात (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
 - ढ. श्री युग इस्पात
 - ण. श्री श्याम सुंदर अलॉय प्रा. लिमिटेड
 - त. एसएनबी मेटल एंड अलॉय

थ. वास्को इस्पात प्राइवेट लिमिटेड

द. वशिष्ठ अलॉय

ध. वेस्टर्न स्टेनलेस स्टील एलएलपी

24. यह देखा गया है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में संगठित और असंगठित क्षेत्र घटक में उत्पादक शामिल हैं। इसके अलावा, असंगठित एमएसएमई घटक में उत्पादन के दो श्रेणियों में बांटा गया है – स्टेनलेस स्टील स्क्रैप स्टेज में इंडक्शन फर्नेस रूट के माध्यम से होट रोलड फ्लेट उत्पादों का उत्पादन करने वाले उत्पादक, और कोल्ड रोलड उत्पाद (फ्लेट) में प्रक्रिया अथवा री-रोलर करने वाले उत्पादक। भाग लेने वाले इंडक्शन फर्नेस उत्पादकों में एमएसएमई उत्पादक हैं, और ये सीवीडी को समाप्त करने और उसके बाद सीवीडी की वापसी करने से बुरी तरह से प्रभावित हैं। री-रोलर होट रोलड स्टेनलेस स्टील की सोर्सिंग कर रहे हैं और उसे कोल्ड रोलड फ्लेट स्टेनलेस स्टील में परिवर्तित कर रहे हैं। घरेलू बाजार से अपना इनपुट (होट रोलड फ्लेट स्टेनलेस स्टील उत्पाद अथवा “एचआर उत्पादक”) प्राप्त कर रहे उत्पादकों द्वारा अपने एचआर उत्पादकों की मात्रा पहले ही भारतीय उत्पादन के आकलन में शामिल की गई है। इसके अलावा, एचआर उत्पादों का आयात कर रही कंपनियों को पात्र घरेलू उत्पादकों के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि वे विचाराधीन उत्पाद के एक रूप का आयात कर रही हैं।
25. शाह अलॉय और 19 अन्य एमएसएमई, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक हैं। अतः शाह अलॉय और 19 एमएसएमई उत्पादकों की क्षति संबंधी सूचना पर, जहां तक ये संगत पाए गए हैं, विचार किया गया है ताकि भारतीय उद्योग पर आयातों के प्रभाव का आकलन हो सके।
26. प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि वर्तमान आवेदकों जिंदल स्टेनलेस लि० और जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लि० द्वारा दाखिल किया गया था। 19 एमएसएमई घरेलू उत्पादक और शाह अलॉय ने जांच शुरू होने के बाद और प्राधिकारी द्वारा भागीदारी के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त अवसर के बाद क्षति संबंधी सूचना दाखिल की है। घरेलू उत्पादक इंडक्शन फर्नेस रूट के माध्यम से होट रोलड उत्पाद का उत्पादन करते हैं और उसे आगे री-रोलर द्वारा आवश्यक अंतिम उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए प्रसंस्कृत करते हैं। इंडक्शन फर्नेस यूनिट और पट्टा सेक्टर री रोलर्स दोनों ही विशेष रूप से 200 सीरीज के सामान का उत्पादन कर रहे हैं इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन ने प्रस्तुत किया है कि उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित एचआर फ्लैट उत्पाद आयातित चीनी उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, क्योंकि अंतिम उपभोक्ता के पास या तो चीन से आयातित या री-रोलर्स द्वारा संसाधित तैयार स्टील खरीदने का विकल्प होता है। आवेदक मानव संसाधन उत्पादों को री-रोलर्स या तैयार स्टील को अंतिम उपभोक्ताओं को भी बेचते हैं। एचआर पट्टा से तैयार स्टील बनाने में महत्वपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया शामिल है। चूंकि, वर्तमान समीक्षा लागू सीवीडी की एक समाप्ति समीक्षा है, और इसलिए प्राधिकरण को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या सीवीडी की समाप्ति से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इसलिए, आवेदकों के अलावा प्राधिकरण ने समग्र रूप से घरेलू उद्योग पर आयात के प्रभाव का आकलन करने के लिए 19 एमएसएमई उद्योगों के आंकड़ों पर विचार किया है।
27. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादन में आवेदकों के हिस्से का निर्धारण किया है। यह नोट किया जाता है कि आवेदकों के उत्पादन में, भारत में समान वस्तु के सकल घरेलू उत्पादन का 62 प्रतिशत हिस्सा शामिल है।
28. प्राधिकारी ने रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना और आवेदकों और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच करने के बाद, यह निर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता कंपनियां नियमावली के नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग हैं और यह आवेदन ऐसे घरेलू उत्पादकों द्वारा दाखिल किया गया था, जिनके साझा आउटपुट में भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा शामिल है।

च. गोपनीयता

1. घरेलू उद्योग के विचार

29. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के मामले के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- i. आवेदकों ने ऐसी सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है, जिनकी गोपनीयता की, नियमावली के तहत अनुमति है और प्राधिकारी की सतत प्रक्रिया के अनुसार है।

- ii. आवेदकों ने आवेदन का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान किया है। कोई भी हितबद्ध पक्षकार ऐसी कोई विशिष्ट सूचना का उदाहरण दर्शाने में समर्थ नहीं रहे, जिसका गोपनीय होने का दावा किया गया है और जिसकी गोपनीयता नियमों के तहत न्यायोचित नहीं है।

II. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

30. किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीयता के मामलों के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं:-

III. प्राधिकारी द्वारा जांच

31. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 8 के तहत प्रावधान इस प्रकार हैं:-

“गोपनीय सूचना (1) नियम 7 के, उपनियम (1), (2), (3) और (7), नियम 14 का उप नियम (2), नियम 17 का उपनियम (4) और नियम 19 का उपनियम (3) में निहित किन्हीं तथ्यों के बावजूद, नियम 6 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों अथवा जांच की प्रक्रिया में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सूचना की प्रतियों को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट होने पर इसके द्वारा ऐसा माना जायेगा और इस प्रकार की किसी सूचना को ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं किया जायेगा।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को यह कह सकते हैं कि वे गोपनीय सूचना के तथ्य को उचित तरीके से समझने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विवरण में उसका अगोपनीय सार प्रस्तुत करें और यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की राय में, इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है तब ऐसे पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि क्यों संश्लेषण संभव नहीं है।

(3) उपनियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा इस सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं है अथवा सामान्य या सारांश रूप में इसके प्रकटन का अधिकार देने के लिए इच्छुक नहीं है, तब यह इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकता है।”

32. गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकरण ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है, जहाँ भी आवश्यक था और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य इच्छुक पार्टियों को प्रकट नहीं किया गया है। जहाँ भी संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दर्ज की गई जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय संस्करण प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

छ. विविध मामले

I. घरेलू उद्योग के विचार

33. घरेलू उद्योग द्वारा अन्य मामलों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- i. निर्णायक समीक्षाओं और इस मामले में एक विशेष तथ्य पाया गया, वह भारतीय सीमा शुल्क में सूचित आयातों और निर्यातक देश के सीमा शुल्क में सूचित आयातों और निर्यातक देश के सीमा शुल्क में सूचित निर्यातों में भारी अंतर होने के संबंध में है। चीन सीमा शुल्क और डीजीसीआई एंड एस के बीच आयात की मात्रा और मूल्य में वास्तविक अंतर है - मात्र और मूल्य, दोनों में।
- ii. डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों में हांगकांग, यूएई और मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की सूचना है। तथापि, कोई ज्ञात उत्पादन सुविधाएं नहीं हैं। बाजार की सूचना यह दर्शाती है कि वे वस्तुएं वास्तव में चीन की बंदरगाहों से भेजी गई थी और इसीलिए डीजीसीआई एंड एस में सूचित इन निर्यातों पर चीन से निर्यातों के रूप में विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी बंदरगाह की लोडिंग को दर्शाने वाले सीमा शुल्क डेटा से इसकी पुष्टि कर सकते हैं।

II. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

34. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अन्य मामलों के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

III. प्राधिकारी द्वारा जांच

35. जहां तक दो सीमा शुल्क प्राधिकरणों अर्थात् भारत और चीन द्वारा सूचित डेटा के अंतर के संबंध में घरेलू उद्योग के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसने डीजीसीआई एंड एस के आयात संबंधी आंकड़ों पर भरोसा किया है क्योंकि इस भारतीय प्राधिकरणों द्वारा जुटाया गया है।

ज. सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण

36. घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल किए गए आवेदन में संबद्ध वस्तुओं के संबंध में संबद्ध देश में प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी की मौजूदगी का प्रथमदृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किया गया है। चीन जन. गण. की सरकार ("जीओसी") को परामर्श के लिए बुलाया गया था, जो कि दिनांक 10 सितंबर, 2021 को किया गया था। वर्तमान जांच प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर शुरू की गई थी। उत्पादकों और निर्यातकों तथा चीन की सरकार को प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करने के लिए परामर्श दिया गया था और ऐसी सब्सिडी की मौजूदगी तथा मात्रा का एक उचित निर्धारण करने के लिए कथित सब्सिडी कार्यक्रम की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के संबंध में सत्यापन योग्य सूचना/साक्ष्य प्रदान करने का उचित अवसर प्रदान किया गया था।

37. न तो चीन की सरकार ने और न ही चीन जन. गण. से किसी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच के लिए उत्तर दिया और न ही वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए कोई सार्थक सूचना दाखिल की। चीन की सरकार तथा चीन के उत्पादकों/निर्यातकों से प्रश्नावली उत्तर न मिलने के कारण, प्राधिकारी चीन की सरकार के पास सूचना/दस्तावेजों के आधार पर इन योजनाओं की संभावित प्रतिसंतुलनकारी की जांच करने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए उपलब्ध सूचना पर ही भरोसा करने तक सीमित है। प्राधिकारी रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों, घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में प्रदान की गई सूचना, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना, प्राधिकारी द्वारा पहले किए गए निर्धारण और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल की गई सूचना/साक्ष्य के आधार पर विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के संबंध में निर्धारण के साथ आगे कार्यवाही करने के लिए विवश है।

38. याचिका के अनुसार संबद्ध वस्तुओं के लिए चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को सरकारों के विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी प्राप्त हुई है और उन्हें 6 व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत विभिन्न कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं:-

अनुदान

क्र. सं.	कार्यक्रम सं.	नाम
1.	1	ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी सुधार के लिए विशेष निधि/ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन निधि/ऊर्जा बचत, संरक्षण और उत्सर्जन अनुदान
2.	2	विदेश व्यापार विकास और आर्थिक सहयोग के लिए विशेष निधि/अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध और व्यापार के विकास के लिए निधि
3.	3	प्रौद्योगिकीय उन्नयन; नवीकरण अथवा परिवर्तन के संबंध में अनुदान/औद्योगिक परिवर्तन और उन्नयन के लिए निधि
4.	4	अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) सहायता अनुदान/"उद्यान नवोन्मेष और आर एंड डी के लिए प्रोत्साहन"
5.	5	उच्च और नवीन प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए निधि
6.	6	औद्योगिक उद्यमों के पुनर्गठन के लिए पुरस्कार और सहायता निधि

7.	7	उत्पादन क्षमता में कमी के लिए क्षतिपूर्ति/अथवा कमी के लिए प्रोत्साहन
8.	8	एसएसएचआर उद्योग में "गोइंग आउट" नीति के लिए सहायता/"गो ग्लोबल" के लिए सहायता
9.	9	चीन जन. गण. के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्राप्त विभिन्न सरकारी अनुदान/नगरपालिका/क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए तदर्थ अनुदान

निर्यात वित्तपोषण

क्र. सं.	कार्यक्रम सं.	नाम
10.	23	एक्सपोर्ट – इम्पोर्ट बैंक ऑफ चाइना से अधिमान्य निर्यात वित्तपोषण
11.	24	निर्यात विक्रेता ऋण
12.	25	निर्यात क्रेता ऋण
13.	26	निर्यात ऋण बीमा सब्सिडी

कर एवं वैट प्रोत्साहन

क्र. सं.	कार्यक्रम सं.	नाम
14.	10	ऐसी कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां, जिन्हें उच्च और नवीन प्रौद्योगिकी की कंपनियों के रूप में मान्य किया गया है/उद्यम आय कर कानून के अनुच्छेद 28 के तहत आय कर कटौती/उद्यम कर कानून के अनुच्छेद 4 के तहत अनिवासी उद्यम (एनआरई) के लिए अधिमान्य आय कर
15.	11	पर्यावरणीय संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और जल संरक्षण परियोजनाओं, जो अपेक्षाओं को पूरा करती हैं, में लगे उद्यमों के लिए कारपोरेट आय कर से छूट अथवा कटौती।
16.	12	अतिरिक्त गणना के लिए अधिमान्य कर नीतियां और अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) व्ययों में कटौती/अनुसंधान और विकास निवेदनों के लिए अधिमान्य आय कर लाभ
17.	13	स्वच्छ विकास व्यवस्था के लिए अधिमान्य कर नीतियां
18.	14	उपकरणों के आयात के लिए अधिमान्य कर व्यवहार
19.	15	अचल संपत्तियों पर त्वरित मूल्यहास
20.	16	कम लाभ पर संचालित कंपनियों के लिए उपलब्ध कर अधिमान्यता
21.	17	पुनर्गठन किए जाने वाले उद्यम का उद्यम आय कर व्यवहार
22.	18	न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रचालनों करने हेतु निर्धारित उत्पादक एफआईई के लिए कम कर की दर
23.	19	आयातित प्रौद्योगिकियों और उपकरण के लिए टैरिफ और आयात वैट की छूट
24.	20	संसाधनों के एकीकृत उपयोग पर अधिमान्य वैट एफआईई के लिए वैट रिफंड

पर्याप्त पारिश्रामिक से कम पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान

क्र. सं.	कार्यक्रम सं.	नाम
25.	29	पर्याप्त पारिश्रामिक से कम पर कच्ची सामग्री का प्रावधान
26.	30	पर्याप्त पारिश्रामिक से कम पर प्रदान किए गए कोयले और कोकिंग कोयले का प्रावधान
27.	31	पर्याप्त पारिश्रामिक से कम (एलटीएआर) के लिए प्रदान किए गए भूमि / भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान
28.	32	पर्याप्त पारिश्रामिक से कम (एलटीएआर) के लिए प्रदान की गई विद्युत का प्रावधान

अधिमान्य ऋण और उत्पाद

क्र. सं.	कार्यक्रम सं.	नाम
29.	21	अधिमान्य उधार
30.	22	चीन की सरकार द्वारा ऋण गारंटी/क्रेडिट ऋण गारंटी/निर्यात क्रेडिट गारंटियां

इक्विटी निवेश

क्र. सं.	कार्यक्रम सं.	नाम
31.	27	इक्विटी निवेश
32.	28	इक्विटी स्वेप के लिए कर्ज

39. जांच शुरू होने के बाद, आवेदकों ने अनुरोधों को दाखिल करने के लिए निर्धारित विस्तारित समय-सीमा के भीतर संबद्ध वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित प्रतिसंतुलनकारी कार्यक्रमों की मौजूदगी का तर्क दिया। प्राधिकारी ने 6 व्यापक श्रेणियों के तहत विभिन्न कार्यक्रम वर्गीकृत किए, जो नीचे दिए गए हैं:-

अनुदान

क्र. सं.	कार्यक्रम सं.	नाम
33.	33	राज्य प्रमुख प्रौद्योगिकी नवोन्मेषी परियोजनाएं निधि
34.	34	प्रसिद्ध ब्रांड कार्यक्रम
35.	35	निर्यात सहायता अनुदान
36.	36	बायोशान स्टील के लिए अनुदान
37.	37	जियांगसू प्रांत के द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान
38.	38	हेबेई प्रांत द्वारा प्रदान किया गया अनुदान

39.	39	अनुदान – विदेश व्यापार के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष निधियां
40.	40	प्रांतीय सरकार – उपकरण अनुदान
41.	41	ट्रेजरी बांड ऋण अथवा अनुदान
42.	42	लघु एवं मध्यम आकार के उद्यम सहायता निधियां
43.	43	तियानजिन बिन्हाई न्यू एरिया और तियानजिन आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास क्षेत्र में प्रदान की गई सब्सिडी
44.	69	ऊर्जा संरक्षण और उत्सर्जन कटौती के लिए अनुदान
45.	70	क्षमता की समाप्ति के लिए अनुदान
46.	66	लाभांश के वितरण से एसओई के लिए छूट
47.	83	उत्पादन सुविधाओं की पुनर्स्थापना करने के लिए अनुदान

निर्यात वित्तपोषण

क्र. सं.	कार्यक्रम सं.	नाम
48.	73	निर्यात ऋण
49.	74	निर्यात ऋण गारंटी

कर एवं वैट प्रोत्साहन

क्र. सं.	कार्यक्रम सं.	नाम
50.	44	उन्नत प्रौद्योगिकी एफआईई के लिए आय कर कटौती
51.	45	ऐसी कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां, जो उच्च और नवी प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के रूप में मान्य की गई हैं
52.	47	केंद्रीय और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए कर रियायतें
53.	48	व्यापक संसाधन उपयोग ("विशेष कच्ची सामग्री") में लगे उद्यमों के लिए आय कर छूट
54.	49	विशेष उपकरणों की खरीद के संबंध में कर क्रेडिट
55.	50	तियानजिन पोर्ट फ्री ट्रेड जोन में उद्यम आय कर दर छूट
56.	51	उद्यम आय कर कानून के अनुच्छेद 28 के तहत आय कर कटौतियां
57.	51	पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमों के लिए अधिमान्य आय कर नीति
58.	53	कम लाभ पर प्रचालित कंपनियों के लिए उपलब्ध कर अधिमानता

59.	54	विभिन्न स्थानीय कर छूट (शानडोंग प्रांत चोंगकिंग शहर, गुआंगसी क्षेत्र झुआंग, केंद्रीय और पश्चिमी क्षेत्रों के विकास के लिए कर विशेषाधिकार)
60.	55	शंघाई के पुडोंग क्षेत्र में स्थापित एफआईई के लिए अधिमान्य कर नीतियां
61.	64	अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम उद्यम कर कानून/उद्यम आय कर कानून, आर एंड डी कार्यक्रम
62.	78	एचएनटीई के लिए आय कर कटौतियां
63.	79	निर्दिष्ट जोनों में एचएनटीई के लिए आय कर कटौतियां और छूट
64.	80	अचल संपत्ति निवेश उन्मुखी विनियम कर से छूट अथवा कटौती
65.	81	आर एंड डी में लगे घरेलू स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए आय कर लाभ
66.	46	घरेलू रूप से उत्पादित उपकरणों की खरीद करने वाले एफआईई के लिए वैट रिफंड
67.	82	विदेश व्यापार विकास निधि के तहत अचल संपत्तियों की खरीद करने के लिए वैट और टैरिफ छूट

पर्याप्त पारिश्रामिक से कम पर वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रावधान

क्र. सं.	कार्यक्रम सं.	नाम
68.	56	पर्याप्त एवं उचित बाजार मूल्य से कम परिणाम के लिए विद्युत का प्रावधान
69.	57	एसओई के लिए भू-उपयोग अधिकार
70.	58	पर्याप्त पारिश्रामिक से कम के लिए कोकिंग कोयले के लिए प्रावधान
71.	59	भू-उपयोग शुल्कों में कटौती, भूमि किराया दरों और भूमि खरीद कीमतें
72.	65	एलटीएआर के लिए लौह अयस्क का प्रावधान
73.	66	एलटीएआर के लिए स्टीम कोल का प्रावधान
74.	67	एलटीएआर के लिए निकल/निकल पिग आयरन का प्रावधान
75.	68	एलटीएआर के लिए फेरोक्रोम/क्रोमियम का प्रावधान

अधिमान्य ऋण एवं उधार

क्र. सं.	कार्यक्रम सं.	नाम
76.	60	एसओई (राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम) के लिए अधिमान्य ऋण

77.	63	स्टेनलेस शीट और स्ट्रिप उद्योग के लिए नीति ऋण
78.	71	प्रमुख परियोजनाओं और प्रौद्योगिकियों के लिए अधिमान्य ऋण
79.	72	"प्रतिष्ठित उद्यमों" के रूप में वर्गीकृत स्टेनलेस शीट और स्ट्रिप उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए अधिमान्य उधार
80.	75	पूर्वोत्तर पुनरुद्धार कार्यक्रम के अनुसार प्रदान की गई ऋण एवं ब्याज सब्सिडी
81.	77	एसओई के लिए ऋण और/अथवा ब्याज माफी

इक्विटी निवेश

क्र. सं.	कार्यक्रम सं.	नाम
82.	61	इक्विटी स्वेप के लिए कर्ज
83.	62	इक्विटी निवेश

40. प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि आवेदकों ने अनेक प्रतिसंतुलनकारी कार्यक्रमों की पहचान की है, जिनमें कि संबद्ध वस्तुओं के लिए चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को इसी प्रकार के लाभ प्रदान किए गए हैं। चीन के उत्पादकों/निर्यातकों ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है और इसीलिए प्राधिकारी किसी भी मामले में चीन के व्यक्तिगत उत्पादकों के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित नहीं कर सकते। इसके अलावा, आवेदकों ने यह स्वीकार किया है कि प्राधिकारी को इन कार्यक्रमों में लाभ की मात्रा देने की जरूरत नहीं है, जो इसी प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं, एक बार प्राधिकारी ने ऐसे कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम में लाभ को स्वीकार किया है और मात्रा प्रदान की है।

41. न्याय संबंधी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत प्राधिकारी को ऐसे कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जांच करने से रोकता है, जिनमें कि प्राधिकारी को चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी जारी रहने का पता लगाना आवश्यक है। अथवा चीन की सरकार द्वारा नई प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शुरू करना अथवा अंतिम जांच के बाद उसके समापन की जरूरत का पता लगाना आवश्यक है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या सब्सिडी के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को प्रतिसंतुलनकारी उपायों की समाप्ति की स्थिति में क्षति हो रही है। अतः इन कारकों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने यह पता लगाने के लिए जांच समिति की है कि (क) क्या मूल जांच में प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी स्टेनलेस स्टील उद्योग को लाभ प्रदान करना जारी रहा है। (ख) क्या नए प्रतिसंतुलनकारी कार्यक्रम हैं जो लाभ प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी के विभिन्न सब्सिडी योजनाओं को निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों में समूहबद्ध किया है:

- क. अनुदान
- ख. निर्यात वित्तपोषण
- ग. कर एवं वेट प्रोत्साहन
- घ. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रावधान
- ड. अधिमान्य ऋण एवं उपकार
- च. इक्विटी निवेश

42. प्राधिकारी ने इस प्रकार यह जांच की है कि क्या ये प्रतिसंतुलनकारी योजनाएं अभी भी जारी हैं और क्या इन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त किए जा रहे लाभ जारी रहने के साक्ष्य हैं। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या चीन के उत्पादकों को प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी से लाभ मिलने

जारी हैं और यह भी कि चूंकि चीन की सरकार या चीन के उत्पादकों/निर्यातकों ने असहयोग करने को तरजीह दी है और संगत सूचना प्रदान नहीं की है तथा किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी जारी रहने के संबंध में किए गए प्रमाणित दावे का खंडन करने के लिए कोई सूचना और साक्ष्य प्रदान नहीं किया है, अतः प्राधिकारी ने इसे अनावश्यक समझा है कि विगत में जांच की गई विभिन्न योजनाओं के तहत लाभों की मात्रा प्रदान की जाए, जो प्रतिसंतुलनकारी पाई गई लेकिन मात्रा प्रदान नहीं की गई थी। तथापि, उन योजनाओं के लिए, जहां कहीं भी याचिकाकर्ता द्वारा सब्सिडी योजनाओं की मात्रा के लिए आवश्यक सूचना प्रस्तुत की गई है, प्राधिकारी ने तदनुसार उन योजनाओं की जांच की है।

गणना की प्रणाली

43. एएससीएम के अनुच्छेद 14 के तहत अनुच्छेद 1 के पैरा 1 के अनुसार प्राप्तकर्ता को प्रदान किए गए लाभ की गणना करने के लिए दिशानिर्देशों और गणना की प्रणाली का प्रावधान है और यह भी प्रावधान किया गया है कि प्राप्तकर्ता के लिए लाभ की गणना करने के लिए जांच प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त कोई भी पद्धति पारदर्शी होनी चाहिए और पर्याप्त रूप से स्पष्ट की जानी चाहिए। इसके अलावा, प्राप्तकर्ता के लाभ के लिए गणना करने के लिए जांच प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त कोई पद्धति संबंधित सदस्य के राष्ट्रीय विधान में अथवा कार्यान्वयन विनियमों में प्रदान की जाएगी और प्रत्येक मामला विशेष के लिए इसका अनुप्रयोग पारदर्शी होना चाहिए और पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली 1995 में सब्सिडी की मात्रा के निर्धारण की पद्धति दी गई है इस जांच में निर्धारण इन दिशानिर्देशों के अनुसार है।
44. विशिष्ट सब्सिडी अथवा सब्सिडी कार्यक्रमों के रूप में कथित सब्सिडीकरण का विश्लेषण करने से पूर्व, प्राधिकारी ने पहले सरकारी योजनाओं, नितियों, आदेशों, परियोजनाओं तथा दस्तावेजों का आकलन किया है, जोकि आवेदकों द्वारा बताई गई सब्सिडी या सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए संगत है। यह देखा गया है कि चीन की सरकार के दस्तावेजों जैसे 13वीं पंचवर्षीय योजना; राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग का आदेश सं. 35 लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास के लिए नीतियां; एक राज्य परिषद आदेश सं. 10 के लिए निर्णय सं. 40 से जांचाधीन अनेक सब्सिडी अथवा सब्सिडी कार्यक्रम, जो विभिन्न श्रेणियों में औद्योगिक क्षेत्रों के निवेश संबंधी प्रयोजन के लिए वर्गीकृत है, नामतः 'प्रोत्साहित प्रतिबंधित और उपशमन परियोजनाएं' तथा समायोजन के लिए ब्लूप्रिंट और इस्पात उद्योग का पुनरुद्धार (2009) इस्पात उद्योग के लिए कार्य योजना है।
45. आवेदकों ने यह तर्क दिया कि चीन में इस्पात उद्योग के प्रोत्साहित क्षेत्र के रूप में जारी किया गया और चीन की सरकार के कई तरीकों से उद्योग को समर्थन दिया, जैसे विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए अपेक्षित प्रमुख इनपुट पर निर्यात प्रतिबंधों के साथ। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस्पात क्षेत्र के लिए 13वीं पंचवर्षीय योजना में, इस्पात उद्योग समायोजन और उन्नयन योजना में वर्ष 2016 से 2020 तक की अवधि शामिल है, सामान्यतः इस्पात एक तरजीह क्षेत्र बन रहा। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मूल जांच के समय चीन में संगत योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। 13वीं पंचवर्षीय योजना में इस बात पर बल दिया गया है कि इस्पात क्षेत्र 'राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए मूलभूत और चीन की एक आधारशिला' है। योजना में वर्ष 2016-2020 के लिए समग्र उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जो कि 'चीन को एक निर्माण शक्ति बनाने' के लिए है। 13वीं पंचवर्षीय योजना में चीन जन.गण. के आर्थिक विकास तथा साथ ही 'हरित विकास सिद्धांतों' के निरंतर महत्व में प्रौद्योगिकी नवोन्मेष की भूमिका पर बल दिया गया है। इसके अध्याय 5 के अनुसार, एक प्रमुख विकास लाइन परंपरागत औद्योगिक संरचना के उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए है, जैसाकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के मामले में भी था। इसे आगे 13वीं पंचवर्षीय योजना के अध्याय 22 में भी स्पष्ट किया गया है, जो इसके प्रौद्योगिकीय बदलाव को बढ़ावा देकर चीन में परंपरागत उद्योग का आधुनिकीकरण करने की नीति को स्पष्ट करता है। इस संबंध में, 13वीं पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया है कि कंपनियों के 'व्यापक रूप से उत्पाद प्रौद्योगिकी, औद्योगिक उपकरण, पर्यावरणीय संरक्षण और ऊर्जा दक्षता जैसे क्षेत्रों में सुधार' के लिए समर्थन दिया जाएगा।
46. आवेदक ने वर्ष 2016-2020 (13वीं पंचवर्षीय इस्पात योजना) के लिए इस्पात उद्योग समायोजन और उन्नयन योजना और अन्य जांच प्राधिकरणों के अंतिम जांच परिणामों के आधार पर यह भी तर्क दिया कि चीन का इस्पात उद्योग 'एक महत्वपूर्ण, मूलभूत चीन अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, एक राष्ट्रीय आधारशिला' है। योजना में प्रौद्योगिकीय

नवोन्मेष संरचनात्मक समायोजन और हरित विकास, जैसा कि 13वीं पंचवर्षीय योजना में उल्लेख किया गया है। इस्पात उद्योग के अंदर अधिक विशिष्ट प्राथमिकताओं से उन्हें लिंक किया गया है और विभिन्न राजकोषीय एवं वित्तीय सहायता उपायों के साथ उन्हें लिंक किया गया है। इस्पात क्षेत्र का समेकन और अग्रणी/प्रमुख उत्पादकों पर निर्भरता योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। चीन में इस्पात उत्पादकों को उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और अथवा उत्पादन विदेश में ले जाने के लिए उन्हें बढ़ावा दिया जाता है। 13वीं पंचवर्षीय योजना के अध्याय 17, खंड 1 में यह उल्लेख है कि 'राष्ट्रीय विकास रणनीति और योजना एक अग्रणी और दवाबकारी भूमिका निभाएगी'। अन्ततः 13 वीं पंचवर्षीय इस्पात योजना में यह कहा गया है कि 'इस्पात उद्योग के सभी प्रभारी स्थानीय प्राधिकरण.....वर्तमान योजना में निर्धारित किए गए कार्यों और नीति संबंधी उपायों को कार्यान्वित करेंगे।' व्यक्तिगत कंपनियों के स्तर पर 'संगत उद्यम वर्तमान योजना के मुख्य उद्देश्यों और प्राथमिक कार्यों के साथ मिलकर काम करना सुनिश्चित किया जाएगा।' परिणामस्वरूप, प्रोत्साहन का केवल सामान्य ब्यौरा देने की बजाय, 13वीं पंचवर्षीय योजना में घरेलू इस्पात उद्योग के लिए एक बाध्यकारी व्यवस्था प्रदान की गई है। वह व्यवस्था अतिरिक्त योजनाओं को अपनाकर स्थानीय/प्रांतीय स्तर पर पुनः तैयार की गई है, जिसमें आगे कार्यान्वयन करने के ब्यौरे प्रदान किए गए हैं।

47. इसके अलावा, चीन की सरकार की निम्नलिखित विशिष्ट नीतियां, जो विगत जांच के समय मौजूद पाई गई थी, वर्तमान अवधि में भी जारी रही:

क. राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग का आदेश सं. 35 लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास के लिए नीतियां (2005)।ख. निर्णय सं. 40 एक राज्य परिषद का आदेश है, जिसके तहत निवेश के प्रयोजन को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे प्रोत्साहित, प्रतिसंबंधित और अपेक्षित परियोजनाएं।ग. "इस्पात उद्योग के समायोजन और पुनरूद्धार के लिए ब्लू प्रिंट" (2009) इस्पात उद्योग के लिए एक कार्रवाई योजना है।

48. आदेश सं. 35- राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास के लिए नीतियां: चीन का आदेश सं. 35 लौह एवं इस्पात उद्योग के उच्च स्तरीय विकास को बढ़ावा देने के संबंध में चीन के प्राधिकरणों द्वारा जारी एक दिशानिर्देश है। इसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि चीन के लौह एवं इस्पात उद्योग का लक्ष्य वर्ष 2025 तक मूल रूप से एक ऐसा उच्च स्तरीय विकास पैटर्न तैयार करना, जिसमें उचित लेआउट और स्ट्रक्चर हो, संसाधनों की स्थायी आपूर्ति, उन्नत तकनीकी उपकरण, उच्च स्तरीय उत्पाद और उत्कृष्ट ब्रांड, सशक्त वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ हरित, कम कार्बन और सतत विकास हो। दिशानिर्देशों में विलय करने और अधिग्रहण करने, उद्योग संकेद्रण को बढ़ावा देने और स्वदेशी विद्युत विकसित करने के लिए प्रमुख स्थानीय इस्पात उद्यमों को भी प्रोत्साहित किया गया है।

49. स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए 'औद्योगिक संरचना समायोजन को बढ़ावा देने के संबंध में अस्थायी प्रावधान' का प्रस्तापन और कार्यान्वयन करने संबंधी राज्य परिषद चीन का निर्णय सं. 40 वर्ष 2025 में जारी कई गई एक नीति है, जो उन्नत उत्पादन क्षमताओं को प्रोत्साहित करने और सहायता करने, पुरानी उत्पादन क्षमताओं को सीमित करने और हटाने, बिना समझे निवेश को रोकने और निम्न स्तर के व्यापक निर्माण को रोकने तथा औद्योगिक संरचना समायोजन पर नीति प्रणाली में सुधार लाने के संबंध में हैं।

50. चीन की सरकार एसओई के माध्यम से कतिपय दुर्लभ खनिज सामग्रियों के उत्पादन और आपूर्ति पर नियंत्रण रखती है और उसमें प्रमुख उत्पादक स्टेनलेस स्टील के घरेलू उत्पादकों के लिए इन सामग्रियों की कीमतें कम रखने का प्रयास करती हैं। चीन की सरकार विभिन्न तरीकों से एसओई पर नियंत्रण और प्रबंध करती है। राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग ('एनडीआरसी') एक ऐसा नियामक निकाय है, जो एसओई को नियंत्रित करता है। एनडीआरसी मैक्रोइकोनोमिक और औद्योगिक विकास रणनीतियों की व्याख्या करता है और यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय भागीदार चीन की सरकार की नीति का उचित कार्यान्वयन करे। एनडीआरसी जारी योजनाओं के आधार पर दिशानिर्देश और अनुदेश तैयार करता है। चीन में इस्पात के उत्पादकों द्वारा समस्त निवेश एनडीआरसी द्वारा अनिवार्य रूप से अनुमोदित किए जाते हैं।

51. जैसा कि विभिन्न दस्तावेजों से स्पष्ट है, चीन की सरकार कानून द्वारा इस्पात उद्योग पर सख्ती से नियंत्रण रखती है। इस्पात क्षेत्र के बुनियादी और प्रमुख उद्योगों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और यह "प्रोत्साहित" उद्योगों का भी

भाग है। इसके परिणामस्वरूप, उद्योग को विभिन्न सब्सिडी योजनाओं से लाभ मिलता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि राज्य परिषद के राज्य के स्वामित्व में परिसम्पत्ति पर्यवेक्षण और प्रशासन आयोग ('एसएसएससी') चीन में सभी एसओई का असली मालिक है। एसएसएससी निदेशकों और प्रबंधकों, सभी की नियुक्ति चीन की कम्युनिष्ट पार्टी द्वारा की जाती है। एसएसएससी की एसओई के साथ ही अनुशासनिक निगरानी के प्रबंधन में अग्रणी भूमिका होती है और वह यह सुनिश्चित करता है कि एसओई में चीन की सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों का अनुसरण किया जाए। यह निवेश संबंधी निर्णयों और स्टॉक व शेयर लेनदेन में भी शामिल है। अतः एसएसएससी को एसओई का राज्य नियामक माना जा सकता है। विभिन्न साक्ष्यों से यह देखा जा सकता है कि चीन की सरकार के एसओई के लिए वास्तविक अनुदेश, प्रबंधन और नियंत्रण उसी दस्तावेज कानून और विनियम पर आधारित होते हैं जैसा कि मूल जांच में पाया गया था। ये अभी भी वर्तमान जांच के दौरान लागू हैं। मूल जांच से लेकर अब तक का केवल प्रमुख संशोधन इस्पात क्षेत्र के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 13वीं पंचवर्षीय योजना आना है। तथापि, इस बदलाव से चीन की सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका और इस्पात क्षेत्र में हस्तक्षेप तथा उसे दिए गए महत्व में कोई बदलाव नहीं है।

52. उपरोक्त सूचीबद्ध दस्तावेजों और उनके प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि चीन का इस्पात उद्योग एक प्रमुख/रणनीतिक उद्योग के रूप में जारी है। चीन की सरकार द्वारा इस प्रकार का समग्र रूप से नियंत्रण और हस्तक्षेप रहने के कारण इस्पात क्षेत्र में एक नियंत्रित बाजार तैयार हुआ है। इसके अलावा, प्राधिकारी द्वारा अन्य जांच प्राधिकरणों द्वारा की गई जांच से वैश्विक रूप से प्राधिकारी के निष्कर्ष की पुष्टि हुई है कि चीन में इस्पात क्षेत्र काफी हद तक खराब और सब्सिडी प्राप्त है।

सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच

I. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

53. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. 21 नए सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच करना अनुप्रयुक्त है, जो जांच शुरूआत अधिसूचना में शामिल नहीं थे।
- ii. एससीएम करार के अनुच्छेद 13.1 और 13.2 के तहत, सीवीडी जांच शुरू किए जाने से पूर्व, जांचकर्ता देश की सरकार पर निर्भर करता है कि वह कथित सब्सिडी कार्यक्रमों के निर्यातक देश की सरकार को जांच शुरू करने आशय की सूचना दे।
- iii. जब तक निर्यातक देश की सरकार को इन कार्यक्रमों की सूचना नहीं दी जाती, उसके पास वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने का अवसर नहीं होगा और जांचकर्ता देश की सरकार के साथ एक परस्पर सहमति की स्थिति तक नहीं पहुंचा जा सकेगा, जैसा कि एससीएम करार के अनुच्छेद 13 में दिया गया है।
- iv. एससीएम करार के अनुच्छेद 11.1 के तहत, सब्सिडी कार्यक्रमों के आरोपों के आवेदन का ही भाग बनाए जाने की जरूरत है। नए कार्यक्रमों को समीक्षा के दायरे के भीतर लाना अनुचित है।
- v. आवेदकों ने उनके द्वारा कथित सभी सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन की मात्रा नहीं दी है। आवेदकों ने यह कहा है कि उन्होंने केवल 6 कार्यक्रमों के लिए ही सब्सिडी मार्जिन की मात्रा दी है।
- vi. मूल जांच में जारी किए गए अंतिम जांच परिणामों के पैरा 504 में यह नोट किया गया था कि चूंकि सब्सिडी कार्यक्रमों के तहत प्राप्त लाभ की मात्रा के बारे में कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं रखा गया था, अतः प्राधिकारी ने ऐसे कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी को मार्जिन की मात्रा नहीं दी।
- vii. कथित सब्सिडी कार्यक्रमों के तहत कथित लाभ विशिष्ट नहीं है, क्योंकि वे ऐसे सभी उद्यमों के लिए उपलब्ध हैं, जो उद्यम, संबंधित क्षेत्र अथवा भौगोलिक स्थिति को ध्यान में न रखते हुए लागू कानूनों के अंतर्गत लागू मानदंडों को पूरा करते हैं।
- viii. यूएस- कार्बन स्टील (भारत) (डीएस 436) में डब्ल्यूटीओ अपील निकाय रिपोर्ट के अनुसार, यह पाया गया था कि एनडीएमसी को सरकार के केवल स्वामित्व और नियंत्रण के आधार पर ही एक सार्वजनिक निकाय के रूप में नहीं माना जा सकता।

- ix. ऐसे किसी परिणाम के अभाव में कि जिन संस्थाओं से चीन के उत्पादकों/निर्यातकों ने ऋण, गारंटी और बीमा लिया है, उन्होंने सरकार के अनुदेशों के अनुसार कार्य किया है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि ये संस्थाएं सार्वजनिक निकाय हैं।
- x. आवेदकों ने यह स्थापित नहीं किया है कि अब किसी भी कथित सब्सिडी कार्यक्रम के लिए चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को लाभ प्रदान नहीं किया गया है।

क. अनुदान

I. घरेलू उद्योग के विचार

54. घरेलू उद्योग द्वारा अनुदानों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

अनुक्रम सं. 9 और 36

- i. चीन की सरकार चुने गए उद्यमों, जो संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक हैं, को अनुदान अथवा विशेष निधियां प्रदान करती हैं। ये अनुदान राष्ट्रीय, प्रांतीय, शहर, देश अथवा अनुदेश सरकारी प्राधिकारियों, द्वारा कंपनियों को दिए जाते हैं तथा ये सभी स्टेनलेस स्टील कंपनियों अथवा उद्योग के स्थान या प्रकार के संदर्भ में उनसे संबद्ध हैं।
- ii. याचिकाकर्ता ने यह चिन्हित किया है कि वर्ष 2020 में और साथ ही पिछले वर्षों में भी, चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के विभिन्न सरकारी अनुदान प्रदान किए गए थे। वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, उदाहरण के रूप में बाओ स्टील, चीन मेटालार्जिकल कॉरपोरेशन, सांक्षी स्टेनलेस स्टील कं. लि. टीएसएल और मिनीमेटल कं. लि. जिनमें कि अनुदान प्रदान किए गए थे ताकि विशेष परियोजनाओं अथवा परिसंपत्तियों को वित्तपोषण, ऊर्जा संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण, पुनर्स्थापन, अपशिष्ट जल संरक्षण प्रदान किया जा सके, जो कंपनियों को विशेष निधियों और स्वच्छ उत्पादन निधियां प्रदान की जा सके। प्राधिकारी को सं. 36 की जांच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह उसी लाभ से संबंधित है।

II. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

55. न तो चीन की सरकार ने और न ही किसी उत्पादक/निर्यातक और किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कथित कार्यक्रम के संबंध में कोई विशिष्ट टिप्पणियां प्रदान की हैं।

III. प्राधिकारी द्वारा जांच

कार्यक्रम सं. 36 बाओस्टील को अनुदान

56. प्राधिकारी ने मूल जांच में कार्यक्रम सं. 8 के रूप में इस कार्यक्रम की जांच की थी।

57. चीन सरकार और चीन से उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग और सूचना न मिलने पर, तथा यह विचार करते हुए कि वर्तमान जांच विगत में संस्तुत सीवीडी की एक निर्णायक समीक्षा है, अतः प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में विगत जांच, याचिका में निहित सूचना, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना और वर्तमान व विगत जांच के रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना पर भरोसा किया है।

58. प्राधिकारी ने पहले ही इस कार्यक्रम को मूल जांच में प्रतिसंतुलनकारी पाया है और अंतिम जांच परिणामों का संगत भाग नीचे उद्धृत किया गया है:

पैरा 103. चीन की सरकार और चीन के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग और सूचना प्राप्त न होने पर प्राधिकारी ने याचिका में निहित सूचना और उसके पास सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर भरोसा किया है। यह नोट किया जाता है कि 2013 में चीन राज्य परिषद के "राज्य के स्वामित्व वाले परिसंपत्ति पर्यवेक्षण और प्रशासन आयोग" ने "समायोजन की संरचना, संवर्धनकारी परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास में सहायता" नामक एक योजना तैयार की थी। यह कार्यक्रम सामान्यतः स्टील उद्योगों और विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को उद्योग के स्थिरीकरण के लिए अनुदानों, ऋणों और ऋण गारंटी तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में विभिन्न निधियां प्रदान करने पर केंद्रित है। ये सहायता, सहायता प्राप्त करने वालों को लाभ प्रदान करके सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान के रूप में है।

104. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार शंघाई बाओशन स्टील ग्रुप कारपोरेशन, जो चीन में

इस्पात को सबसे बड़े उद्योगों में से है, ने इस कार्यक्रम के तहत पर्याप्त लाभ प्राप्त किए हैं। इसके लिए न तो चीन सरकार ने अथवा किसी संबंधित उत्पादक/निर्यातक ने, पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद खंडन किया है।

105. कार्यक्रम में चीन सरकार द्वारा प्राप्तकर्ताओं को लाभ प्रदान करते हुए अनुदानों, ऋणों और ऋण गारंटियों के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत लाभ कतिपय कारोबारी उद्यमों तक सीमित है और इसीलिए नियमों के तात्पर्य से विशिष्ट है।

106. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की पहले अन्य प्राधिकारियों द्वारा जांच की गई है और इस कार्यक्रम की मौजूदगी तथा प्रतिसंतुलनकारिता संयुक्त राज्य प्राधिकारियों द्वारा चीन के खिलाफ नॉन-ऑरियंटेड स्टील जांच में प्रमाणित की जा चुकी है। इसके अलावा, चीन सरकार ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है, जो यह दर्शा सके कि इस कार्यक्रम में किसी भी रूप में प्रतिसंतुलनकारिता मौजूद नहीं है अथवा प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी प्रदान नहीं करता। उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी ने यह पाया है कि यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी कार्यक्रम है।

107. याचिकाकर्ताओं के शंघाई बाओ स्टील ग्रुप कारपोरेशन की वर्ष 2015 की वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान किए गए व्यौरों के आधार पर सब्सिडी मार्जिन का दावा किया है। कंपनी द्वारा प्राप्त की गई अनुदान राशि की मात्रा के संबंध में साक्ष्य और याचिकाकर्ताओं द्वारा परिकल्पित मार्जिन प्राधिकारी द्वारा एक सार्वजनिक फाइल में हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए रखे गए हैं।

108. चूंकि चीन सरकार के प्रभावली उत्तर दाखिल नहीं किया है, इसलिए प्रतिसंतुलनकारिता शुल्क (सीवीडी) मार्जिन चीन सरकार और प्रतिवादी निर्यातकों के प्रभावली उत्तर के आधार पर निर्धारित नहीं किया है। चीन सरकार और चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को सहयोग न मिलने पर प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सब्सिडी मार्जिन की मात्रा निर्धारित की है। प्राधिकारी ने सब्सिडी मार्जिन की मात्रा 0.55 प्रतिशत मानी है।

59. मूल जांच में घरेलू उद्योग ने वर्ष 2015 के लिए शंघाई बाओस्टील ग्रुप कॉरपोरेशन की वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान किए गए व्यौरों के आधार पर सब्सिडी मार्जिन की मात्रा निर्धारित की थी और तदनुसार, मार्जिन का मात्रा 0.55% रखी गई थी। चूंकि जिस कार्यक्रम की समीक्षा की जा रही है, वह गैर-आवृत्ति है और ऐसे मामलों में लाभ एयूएल को प्रदान किए जाते हैं, अतः प्राप्त अनुदान और वर्ष 2015 में बाओशन द्वारा सूचित अनुदान से वर्तमान जांच की अवधि में लाभ जारी रहा। इसके अलावा, आवेदकों ने उपलब्ध वर्तमान के साक्ष्य अर्थात् बुसी कंपनी के लिए वर्ष 2020 की वार्षिक रिपोर्ट प्रदान की है, जिसमें चीन के उत्पादकों द्वारा प्राप्त किया जा रहा अनुदान दर्शाया गया है। आवेदकों ने शांक्सी स्टेनलेस स्टील कं. लि. द्वारा प्राप्त अनुदान के लिए मार्जिन की मात्रा बताई है। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्यातक समीक्षा जांच है और चीन के उत्पादकों द्वारा निरंतर सब्सिडीकरण का पता लगाने के लिए कोई सहयोग नहीं किया जा रहा और इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है कि सब्सिडी के स्तर में, मूल जांच की तुलना में कमी आई है अथवा समाप्त हुई है, अतः प्राधिकारी सब्सिडी मार्जिन के पुनः निर्धारण की कोई जरूरत नहीं समझते।

60. प्राधिकारी उपरोक्त जांच के आधार पर यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम वर्तमान में लागू रहा और मूल जांच की तरह उसी ढंग से प्रतिसंतुलनकारी लाभ प्रदान करना जारी रहा।

61. कार्यक्रम सं. 9 अर्थात् "चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्राप्त/ विभिन्न सरकारी अनुदान नगरपालिका/ क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए तदर्थ अनुदान" जिन्हें आवेदकों द्वारा चिन्हित किया गया है, ऐसे कार्यक्रम से संबंधित है, जो कार्यक्रम सं. 36 के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा जांचे गए लाभ के समान ही लाभ प्रदान करते हैं, जैसा कि आवेदकों द्वारा स्वीकार किया गया है कि उनकी जांच नहीं की जानी चाहिए। अतः न्यायिक व्यवस्था के हित में, इसकी अलग से जांच नहीं की गई है।

ख. कर और वेट प्रोत्साहन

1. घरेलू उद्योग द्वारा विचार

62. घरेलू उद्योग द्वारा कर और वेट प्रोत्साहनों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

कार्यक्रम सं. 10

i. विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और वाणिज्यक मंत्रालय (एमओएफसीओएम) ने ऐसी

कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां प्रदान की है, जो उच्च और नवीन प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में जानी जाती हैं, जिनकी विदेश आर्थिक सहयोग विकास और प्रौद्योगिकीय विनिमय के लिए कानून द्वारा निर्धारित विशिष्ट क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों के भीतर सहायता प्रदान करने की जरूरत है, जहां पर राज्य परिषद ने उपरोक्त क्षेत्रों में विशेष नीतियों के कार्यान्वयन को विनिर्दिष्ट किया है, वे परिवर्तन संबंधी कर लाभों का लाभ ले सकते हैं।

- ii. उद्यम आय कर कानून के अनुच्छेद 28 के तहत यह प्रावधान है कि राज्य को ऐसे हाई-टेक उद्यमों को सहायता देने के लिए प्राथमिकता देने की जरूरत है, जिन पर 15% की कम दर कॉर्पोरेट आयकर लगाया जाएगा।
- iii. प्राधिकारी के कार्यक्रम संख्या 11, 13, 16, 17, 18, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 78, और 79 की जांच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उन्हीं लाभों से संबंधित हैं।

कार्यक्रम सं. 12

- i. निर्णायक समीक्षा आवेदन में यह कार्यक्रम जांच के मूल घटक के कार्यक्रम सं. 33, 34 और 46 की तरह है।
- ii. वित्त मंत्रालय (एमओएफ), राज्य कराधान प्रशासन (एसएटी), वाणिज्य मंत्रालय (एमओएफसीओएम) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ब्यूरो प्रशासन अनेक कार्यक्रम हैं, जो घरेलू और चीन में विदेशी निवेशित उद्यमों को कतिपय कर लाभ प्रदान करते हैं, ताकि आरएंडडी क्रियाकलापों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।
- iii. चीन जन.गण. के उद्यम आयकर कानून के अनुच्छेद 30.1 के तहत उद्यम कर योग्य आय की गणना से नई प्रौद्योगिकियों, नए उत्पादकों और नई तकनीकी खोज और विकास करने के लिए व्यय” कटौती कर सकते हैं। इस परियोजना का अनुमोदन होने पर उद्यम कॉर्पोरेट आय कर की गणना के प्रयोजन के लिए कर योग्य आय से उन व्ययों की 50% कटौती करने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, चीन जन.गण. के उद्यम आयकर कानून के कार्यान्वयन विनियमन -2019 के अनुच्छेद 95 के अंतर्गत, नई प्रौद्योगिकियों, नए उत्पादों और नई प्रक्रियाओं के विकास के लिए उद्यम द्वारा किए गए पात्र अनुसंधान एवं विकास व्यय “एक अमूर्त परिसंपत्ति न बनना” में कर योग्य आय से 50% कटौती वास्तविक उत्पन्न राशि के सबसे ऊपर रखी जा सकती है। यदि यह व्यय कतिपय अमूर्त परिसंपत्तियों के मूल्य के रूप में है, तो उसे अमूर्त परिसंपत्ति की लागत के 150% के आधार पर परिशोधित किया जा सकता है।
- iv. यह कार्यक्रम निम्नलिखित के अंतर्गत चलाया जा रहा है:
 - चीन जन.गण. का उद्यम आयकर कानून- 2018 में कर कानूनों में संशोधन किया गया।
 - चीन जन.गण. के उद्यम आयकर कानून के कार्यान्वयन विनियमन- 2019
 - अनुसंधान एवं विकास व्ययों की अतिरिक्त कर पूर्व कटौती के संबंध में नीति में सुधार के संबंध में परिपत्र- कार्ई शुई [2015] सं. 119
 - अतिरिक्त कर-पूर्व कटौती के प्रयोजन के लिए आरएंडडी व्ययों को जुटाने की संभावना संबंधित मामलों पर कराधान राज्य प्रशासन की घोषणा -कराधान राज्य प्रशासन की घोषणा (2017) सं. 40
- v. अधिमान्य कर लाभ प्राप्तकर्ता पर वित्तीय योगदान प्रदान करते हैं और इसलिए सब्सिडी दी जाती है। इस कार्यक्रम की भी सीमित संभावना है और सीमित संख्या में उद्यमों द्वारा लाभ प्राप्त किया जाता है तथा इसीलिए यह सब्सिडी से संबद्ध है।
- vi. कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ केवल विचाराधीन उत्पाद तक ही सीमित नहीं है। कार्यक्रम के तहत लाभ कंपनी के कुल लाभों पर उपलब्ध हैं, एक बार कंपनी दावा करने में समर्थ हो जाए, तो यह कार्यक्रम के तहत लाभ पाने की हकदार है।

कार्यक्रम संख्या 19

- i. निर्णायक समीक्षा सूची में कार्यक्रम सं. 14, इस निर्णायक समीक्षा घटक के अंतर्गत कार्यक्रम सं. 19 के

- समान है। ये कार्यक्रम समान लाभ प्रदान करते हैं, अर्थात् आयातित उपकरण पर टैरिफ/वैट की छूट।
- ii. वित्त मंत्रालय, एसएटी, एमओएफसीओएम, जीएसीसी और एनडीआरसी द्वारा प्रशासित।
 - iii. स्वदेशी और विदेशी निवेश वाली परियोजनाओं द्वारा स्व-उपयोग के लिए आयात किए गए उपकरणों पर वैट और टैरिफ की छूट।
 - iv. इस कार्यक्रम के तहत प्रदान किया गया वित्तीय योगदान राजस्व छूट है, जो अन्यथा देय होता।
 - v. इस कार्यक्रम के तहत प्रदान किए गए लाभ आयातित उपकरणों पर टैरिफ की छूट के रूप में है।
 - vi. यह कार्यक्रम उद्यम विशिष्ट है, क्योंकि यह केवल स्व-उपयोग के लिए उपकरण के आयात में लगे उद्यमों की सीमित संख्या के लिए ही उपलब्ध है।

कार्यक्रम सं. 46

- i. ओआई के कार्यक्रम सं. 36 और 51 की पहले प्रस्तुत अनुरोधों में गलती से कार्यक्रम सं. 20 के साथ तुलना की गई है। कार्यक्रम सं. 36 (ओआई) वास्तव में कार्यक्रम सं. 46 के समान है जो अब वर्तमान निर्णायक समीक्षा में चिन्हित किया गया है। तथापि, ओआई का कार्यक्रम संख्या 36 वर्तमान निर्णायक समीक्षा में चिन्हित कार्यक्रम सं. 46 के समान है। आवेदक ने अपने दिनांक 29 दिसंबर, 2022 के अनुरोध में यह कहा है कि कार्यक्रम सं. 46 को ओआई की जांच की अवधि से कार्यक्रम के जारी रहने के रूप में देखने की जरूरत है। (ओआई में कार्यक्रम सं. 36 के रूप में चिन्हित)।
- i. इसके अलावा, चूंकि मूल जांच कार्यक्रम सं. 36 और 51 को एक समान ही माना गया था, क्योंकि उनके समवर्ती लाभ हैं। तदनुसार, कार्यक्रम सं. 20 और 82 के समान लाभ हैं। अतः प्राधिकारी को कार्यक्रम सं. 20 और 82 को अलग से जांच करने और मात्रा तय करने की जरूरत नहीं है।
- ii. प्रश्रगत कार्यक्रम घरेलू उत्पादित अचल संपत्तियों की खरीद के लिए वैट रिफंड के साथ जुड़ा है, अतः इसके अंतर्गत लाभ उपकरण की अवधि (अर्थात् एयूएल अवधि के लिए परिशोधित किए जाने चाहिए (जैसाकि मूल जांच में किया गया था)
- iii. चूंकि कार्यक्रम के तहत गैर-आवर्ती प्रकृति के लाभ प्रदान किए गए हैं और ऐसे लाभ परिसंपत्ति की अवधि के दौरान आबंटित किए जाते हैं। अतः पहले के मात्रात्मक लाभ वर्तमान जांच की अवधि में भी चीन के उत्पादकों के लिए जारी हैं।
- iv. यह कार्यक्रम उद्यम विशिष्ट है और स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए उपलब्ध है।

कार्यक्रम सं. 49

- i. “उद्यम आयकर पर पीआरसी कानून” के अनुच्छेद 34, “राज्य परिषद द्वारा उद्यम कर के संबंध में पीआरसी कानून के कार्यान्वयन के संबंध में विनियम” के अनुच्छेद 100 के तहत, जो फर्म पर्यावरणीय संरक्षण, ऊर्जा और जल बचत तथा उत्पादन सुरक्षा के लिए प्रयुक्त विशेष उपकरण की खरीद करती है। वे उद्यम कुल आय से 10% ऑफसेट की कटौती के लिए पात्र हैं। यह कार्यक्रम मूल जांच के कार्यक्रम सं. 39 के समान है।

II प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

63. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कर और वैट प्रोत्साहनों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. कर लाभों के संबंध में कथित कार्यक्रमों में प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल नहीं है, क्योंकि यह सभी कंपनियों के लिए समान रूप से उपलब्ध है और इसलिए विशिष्ट प्रकृति की नहीं है।

III. प्राधिकारी द्वारा जांच

64. प्राधिकारी ने कर और वैट प्रोत्साहनों के संबंध में योजनाओं की नीचे दिए अनुसार जांच की है। तथापि, जहां तक योजना सं. 14 का संबंध है, प्राधिकारी ने इस योजना की जांच नहीं की है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने पूरी सूचना प्रस्तुत नहीं की है, जिससे कि प्राधिकारी को उक्त योजनाओं की मात्रात्मकता के उचित और सही निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।

कार्यक्रम सं. 10- उच्च और नवीन प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में मान्य कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां उद्यम आयकर कानून के अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आयकर कटौती/उद्यम कर कानून के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अनिवासी उद्यमों (एनआरई) के लिए अधिमान्य आयकर

65. प्राधिकारी ने चीन के कर कानून के अंतर्गत अधिमान्य कर नीतियों में जांच शुरू की थी और जांच शुरुआत की सूचना में कार्यक्रम सं. 10 के रूप में कार्यक्रम को चिन्हित किया था। प्राधिकारी ने मूल जांच में इस कार्यक्रम की कार्यक्रम सं. 35 और 42 के रूप में जांच की थी।
66. चीन की सरकार तथा चीन से उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग और सूचना के अभाव में तथा इस बात पर विचार करते हुए कि वर्तमान जांच की पहले सिफारिश की गई। सीबीडी की तक निर्णायक समीक्षा है, अतः प्राधिकारी के विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पहले की जांच, याचिका में निहित सूचना, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना और वर्तमान व विगत जांच के रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना पर भरोसा किया है।
67. प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम को मूल जांच में पहले ही प्रतिसंतुलनकारी पाया है और अंतिम जांच परिणामों का संगत भाग नीचे उद्धृत किया गया है:

पैरा 309. चीन की सरकार और चीन के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग और सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने इस याचिका में निहित सूचना और इसके पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना पर विश्वास किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न राज्य एजेंसियों जैसे चीन जन गण की सरकार, राज्य परिषद, वित्त मंत्रालय (एमओएफ), वाणिज्य मंत्रालय (एमओसी) और राज्य प्रशासनिक कर (एसएटी) द्वारा निम्नलिखित कानूनों एवं विनियमनों के अंतर्गत प्रशासित चीन का उपक्रम कर कानून विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत इन उपक्रमों को कुछ लाभ प्रदान करता है।

- उपक्रम आय कर कानून का अनुच्छेद 28.2 में, वे उपक्रम, जो उच्च नई प्रौद्योगिकी उपक्रम ("एचएनटीई") के रूप में योग्य पाए जाते हैं, को 25 प्रतिशत के बजाए 15 प्रतिशत की कम की हुई कर दर के हकादर होते हैं।
- "चीन जन गण का कारपोरेट आय कर" का अनुच्छेद 28, अग्रिम एवं नया प्रौद्योगिकी उपक्रम, जो राज्य से महत्वपूर्ण सहायता के लिए पात्र होते हैं, के लिए आय कर 15 प्रतिशत तक घटाया जाता है। उक्त कार्यक्रम की मौजूदगी "कारपोरेट आय कर हुक्मनामा संख्या 63-2007" के अनुसार है।
- आदेश 63 – उपक्रम आय कर – 2007 और "कारपोरेट आय कर हुक्मनामा संख्या 63-2007" है। वास्तव में इस्पात उत्पादन सहित "प्रमुख" क्षेत्रों में विनिर्माता लाभ के लिए पात्र होते हैं।
- "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी उच्च एवं नए प्रौद्योगिकी उपक्रम की मान्यता को शासित करने वाले प्रशासनिक उपायों के संबंध में परिपत्र"
- "उच्च एवं नए प्रौद्योगिकी उपक्रमों की मान्यता को शासित करने वाले वित्त मंत्रालय और राज्य कराधान प्रशासन, प्रशासनिक उपाय, गुओ के फा हुआ (2008) संख्या 172, कुछ उत्पादों को इस आय कर की कटौती के माध्यम से सहयोग दिया जाना है।"
- उच्च एवं नए प्रौद्योगिकी उपक्रमों के निर्धारण के लिए प्रशासनिक उपाय और उच्च एवं नए प्रौद्योगिकी उपक्रम का उपक्रम आय कर भुगतान से संबंधित मुद्दों के संबंध में राज्य कराधान प्रशासन की सूचना [गुओशुई हान (2008) संख्या 985]
- गुओ शुई फा संख्या 2003 का 135 का परिपत्र और काई शुई (2014) संख्या 59 और 65 का परिपत्र
- "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का संयुक्त रूप से जारी उच्च एवं नए प्रौद्योगिकी उपक्रम की मान्यता को शासित करने वाले प्रशासनिक उपायों के संबंध में परिपत्र" और
- "उच्च एवं नए प्रौद्योगिकी उपक्रमों की मान्यता को शासित करने वाले राज्य कराधान प्रशासन, प्रशासनिक उपाय, गुओ के फा हुआ (2008) संख्या 172, परिपत्र 115 – अक्तूबर, 2009"
- राज्य कराधान प्रशासन का परिपत्र गुओ शुई फा संख्या 1995 का 139/2003 का 135

- चीन की विशाल पश्चिमी क्षेत्रों का विभाग का अनेक नीतियों को लागू करने के संबंध में राज्य परिसर का परिपत्र (वित्त मंत्रालय, सामान्य कर ब्यूरो और सामान्य सीमा शुल्क द्वारा जारी) 2011
- पश्चिमी क्षेत्र – 2012 के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना
- राज्य कराधान प्रशासन – 2015
- विदेशी निवेश वाले उपक्रम और विदेशी उपक्रम के लिए चीन जन गण का आय कर कानून [कर कानून, हुक्मनामा (1991) संख्या 85] राज्य परिषद का (30 जून, 1991)
- चीन जन गण के राष्ट्रपति का आदेश (1991) संख्या 45 (9 अप्रैल, 1991)
- उपक्रम आय कर के संबंध में मध्यवर्ती लाभकारी नीतियों को लागू करने संबंधी राज्य परिषद की अधिसूचना (गुओ फा 2007 संख्या 39)
- स्वाभाविक व्यक्ति से ऋण लेने वाले उपक्रम के लिए ब्याज खर्च पर उपक्रम आय कर से कर पूर्व कटौती से संबंधित मुद्दों पर राज्य कराधान प्रशासन की सूचना (पत्र संख्या 777 - 2009)
- विदेशी निवेश उपक्रम की चीन की जन गण का आय कर कानून की कार्यान्वयन नियमावली का अनुच्छेद 73
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमओएसटी) द्वारा प्रकाशित चीन की उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी का कैटलॉग
- राज्य परिषद परिपत्र गुओ फा संख्या 2000 का 37
- उपक्रम आय कर के संबंध में मध्यवर्ती लाभकारी नीतियों को कार्यान्वित करने के संबंध में राज्य परिषद की अधिसूचना, गुओ फा संख्या 2007 का 39
- विदेशी निवेश उपक्रम की चीन की जन गण का आय कर कानून की कार्यान्वयन नियमावली (01 जुलाई, 1991) ("हुक्मनामा 85")
- राज्य परिषद की उपक्रम आय कर संख्या 39 (2007) के संबंध में मध्यवर्ती लाभकारी नीतियों को कार्यान्वित करने के संबंध में राज्य परिषद की सूचना: उपक्रम आय कर कानून 2008
- विदेशी निवेश वाले उपक्रम कर कानून का अनुच्छेद 7 हुक्मनामा 85 का अनुच्छेद 71
- राज्य परिषद का हुक्मनामा (1991) संख्या 85 (30 जून, 1991)
- चीन जन गण के राष्ट्रपति का आदेश (1991) संख्या 45 (09 अप्रैल, 1991)
- राज्य परिषद का परिपत्र गुओ फा संख्या 2000 का 37
- उपक्रम आय कर के संबंध में मध्यवर्ती लाभकारी नीतियों को कार्यान्वित करने के संबंध में राज्य परिषद की अधिसूचना: गुओ फा संख्या 2007 का 39
- औद्योगिक विकास योजना – 2006 की रूपरेखा का अनुमोदन करने वाली जन गण की सरकार का वुक्सी नगर पालिका के संबंध में सूचना
- विकास कर रही हेनान द्वीप में निवेश को प्रोत्साहन देने के संबंध में राज्य परिषद का प्रावधान
- यह नोट किया जाता है कि इस योजना के मौजूद होने के संबंध में सूचना चीन सिंड्रोम – 2006 में दी गई है।

310. इन विनियमनों के अंतर्गत, वे उपक्रम, जो "उच्च और नई प्रौद्योगिकी उपक्रम प्रमाण पत्र" रखते हों और जो निर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा अंचलों में स्थित हों, 25 प्रतिशत की सामान्य दर से कटौती कर 15 प्रतिशत की लाभकारी दर प्राप्त करने के हकदार होंगे।

311. "पश्चिमी क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल कर नीतियों के संबंध में सूचना" के अनुसार, यह लाभकारी कर बर्तव पश्चिमी क्षेत्र में प्रोत्साहित प्रकार के उपक्रमों के लिए उपलब्ध हैं (वे उपक्रम, जिनका प्रमुख व्यापार राज्य

द्वारा प्रोत्साहित उद्योग, उत्पाद एवं प्रौद्योगिकी के कैटालॉग में यथा उल्लिखित कुल आय का 70 प्रतिशत अथवा उससे अधिक का हो।

312. आदेश 45 के अनुच्छेद 7 के अनुसार, "तियानजिन नया तटीय क्षेत्र में निवेश के लिए विदेशी निवेश वाले उपक्रमों और विदेशी निवेश तथा लाभकारी नीतियों वाले उपक्रमों का आय कर के संबंध में चीन जन गण का कानून" उन विदेशी निवेश वाले उपक्रमों, जो तियानजिन पोर्ट फ्री ट्रेड जोन में स्थित हैं, को 15 प्रतिशत की दर से कटौती किए गए आय कर का भुगतान करने की अनुमति है।

313. विदेशी निवेश वाले उपक्रम कर कानून के अनुच्छेद 7 और हुक्मनामा 85 के अनुच्छेद 71 के अनुसार, "उत्पादक" विदेशी निवेश वाले उपक्रम, जो निर्दिष्ट आर्थिक क्षेत्र में स्थित हैं, क्षेत्र के आधार पर या तो 15 प्रतिशत अथवा 24 प्रतिशत कम की हुई दर पर उपक्रम आय कर का भुगतान करते हैं। जन गण के आय कर कानून के अनुच्छेद 73 के पैरा 1(2) के अनुसार, विदेशी निवेश वाले उपक्रम, जिनकी स्थापना तटीय आर्थिक खुले क्षेत्र में उन शहरों के पुराने शहरी जिलों में की गई थी, जहां विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित हैं, 15 प्रतिशत की कारपोरेट आय कर की कम की हुई दर के लिए पात्र हैं। विदेशी निवेशक, जो हेनाना विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित उपक्रमों से प्राप्त किए गए लाभ को अवसंरचना निर्माण परियोजनाओं अथवा कृषि गत विकास उपक्रमों में हेनाना विशेष आर्थिक क्षेत्र में निवेश करते हैं, उन्हें उपक्रम आय कर का संपूर्ण भाग वापस किया जा सकता है जिसका भुगतान फिर पुनः निवेशित राशि पर किया गया है।

314. चीन जन गण के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं और परिपत्रों, उपक्रम आय कर कानून, 2007 और राज्य कराधान प्रशासन की घोषणा संख्या 17 (2015) के अनुसार: आधा किए गए उपक्रम आय कर के अध्यक्षीन लघु निम्न लागत वाले उपक्रमों के कार्यक्षेत्र के विस्तार को कार्यान्वित करने संबंधी मुद्दों के संबंध में घोषणा और लघु कम लाभ वाले उपक्रमों के लिए लाभकारी आय कर नीतियों को कार्यान्वित करने के संबंध में संगत मुद्दों पर राज्य कराधान प्रशासन का गुआंगडोंग प्रान्तीय कार्यालय की घोषणा, गुआंगडोंग की घोषणा संख्या 6 (2014) के अनुसार: रोजगार के अवसरों को बनाए रखने के उद्देश्य से कम लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों पर भार को कम करने के लिए प्रावधान है।

315. इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जहां एक उपक्रम, जिसकी आय कर उनके लेखाओं की जांच करने के माध्यम से वसूली जाती है, यदि इसकी कर योग्य आय पूर्व वर्ष में 1,00,000 युआन अथवा उससे कम हो, कम आय वाले उपक्रम की वरीयता प्राप्त करने के पात्र हैं। इस प्रकार के मामलों में, कर योग्य आय की गणना इसकी आय का 50 प्रतिशत तक कम की हुई दर पर की जाती है और उपक्रम आय की गणना और उसका पूर्व में भुगतान 20 प्रतिशत के दर से किया जाएगा।

316. इसके अलावा, विशेष आर्थिक एवं अन्य विशेष रूप से निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्यातोन्मुख उपक्रम लाभकारी कर दरों के लिए पात्र हैं। चीन के जन गण का उपक्रम आय कर कानून 2008 का अनुच्छेद 57 के अंतर्गत, वे उपक्रम जिनका अनुमोदन और जिनकी स्थापना इस कानून के प्रकाशित किए जाने के पूर्व की गई है और जिन्हें उस समय कर कानूनों और लागू प्रशासनिक विनियमनों के अनुसार, लाभकारी बर्ताव प्राप्त होता था, को इस कानून के लागू होने की तिथि से शुरू होने वाले वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के भीतर 2008 के कानून में दी गई कर की दरों तक क्रमिक संक्रमण की अनुमति दी गई है। हालांकि, उन उपक्रमों के लिए जिनको लाभ अर्जित करने के लिए उनकी असफलता के कारण लाभकारी बर्ताव प्राप्त होना है, लाभकारी बर्ताव अवधि इस कानून के लागू होने वाले वर्ष से शुरू होगी।

317. विदेशी आर्थिक सहयोग और प्रौद्योगिकीय आदान प्रदान के लिए इस कानून के अनुसार विकसित किए गए विशेष क्षेत्रों तथा इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों, जिसे उपर्युक्त विशेष नीतियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य परिषद द्वारा प्रशासित किया जाए, के भीतर स्थापित राज्य द्वारा प्रोत्साहित उच्च एवं नए प्रौद्योगिकी उपक्रमों को राज्य परिषद द्वारा निर्धारित किए जाने वाले विशिष्ट उपायों के साथ मध्यवर्ती लाभकारी कर बर्ताव मिलना जारी रह सकता है। राज्य द्वारा पहले से ही यथा निर्धारित प्रोत्साहित श्रेणी के अंतर्गत अन्य उपक्रमों को राज्य परिषद के विनियमनों के अनुसार कर छूट और कर कटौती मिल सकती है।

318. विदेशी निवेश उपक्रम की चीन के जन गण के आय कर कानून की कार्यान्वयन नियमावली के अनुच्छेद 73 तटीय आर्थिक क्षेत्रों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों अथवा आर्थिक और तकनीकी विकास क्षेत्रों में स्थित "उत्पादक"

विदेशी निवेश वाले उपक्रमों, यदि वे अन्य बातों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं, तब उनके लिए 15 प्रतिशत कम की हुई आय कर की दर का अधिकार प्राप्त होता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विदेशी निवेश वाले वे उपक्रम, जो प्रौद्योगिकी गहन अथवा ज्ञान गहन के रूप में योग्य पाए जाते हैं और जिनका चीन के उच्च एवं नए प्रौद्योगिकी उत्पादों के कैटालॉग में सूचीबद्ध प्रमुख उत्पाद है, उक्त कार्यक्रम के लिए पात्र हैं।

319. राज्य परिषद के परिपत्र गुओ फा संख्या 2000 का 37 के अनुसार, उपक्रम आय कर के संबंध में मध्यवर्ती लाभकारी नीतियों को कार्यान्वित करने के संबंध में राज्य परिषद की सूचना, गुओ फा संख्या 2007 का 39 के अनुसार, पुडोंग क्षेत्र (शंघाई) में स्थापित विदेश में निवेश वाले उत्पादक उपक्रमों और विदेश में निवेश वाले अन्य उपक्रम 15 प्रतिशत की कम की हुई दर पर आय कर के अध्याधीन हैं।

320. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की जांच पूर्व में कुछ अन्य जांच करने वाले प्राधिकारियों द्वारा की गई है और इस कार्यक्रम के मौजूद होने तथा प्रतिसंतुलनकारिता को (क) पवन से चालित विद्युत उत्पादकों के लिए कास्टिंग के संबंध में प्रतिकार शुल्क जांचों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा, (ख) यूरोपीय यूनियन द्वारा कोटेड फाइन पेपर और कुछ ऑर्गेनिक इस्पात उत्पादों और (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नॉन-ऑरियंटेड स्टील, कुछ स्टील व्हील्स, जियो ग्रिड्स, स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप्स (घ) कनाडा द्वारा कनाडा की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट में जी/एससीएम/एन/267/सीएएन में सिद्ध किया गया है। यह भी नोट किया गया है कि इस कार्यक्रम के मौजूद होने की अधिसूचना चीन द्वारा विश्व व्यापार संगठन को 2006-2016 से विभिन्न अधिसूचनाओं में किया गया है और ये विश्व व्यापार संगठन के दस्तावेज डब्ल्यूटी/टीपीआर/एस/300, जी/एससीएम/क्यू-2/सीएचएन/29, जी/एससीएम/क्यू-2/सीएचएन/49 – अक्टूबर, 2013 – विश्व व्यापार संगठन की पूरक अधिसूचना 29 जुलाई, 2016 में की गई है। इसके अलावा, चीन की सरकार ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि यह कार्यक्रम इसके किसी रूप में मौजूद नहीं है और प्रतिकार योग्य सब्सिडी प्रदान नहीं करता है।

321. इन सभी कार्यक्रमों की जांच यह दर्शाती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी कार्यक्रम अवस्थिति अथवा क्षेत्र विशिष्ट बाध्यताओं के आधार पर कुछ प्रकार के उपक्रमों को समान लाभ प्रदान करता है। ये कार्यक्रम निर्दिष्ट ऑर्गेनिक पार्कों में स्थित उपक्रमों को करों में छूट/कटौती के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जो सार्वजनिक निकाय द्वारा प्राप्त करने वाले को लाभ देकर वित्तीय अंशदान की प्रकृति का है और इस कारण से सब्सिडी बनाता है। इस कार्यक्रम की प्रकृति और सीमा यह दर्शाती है कि यह कार्यक्रम अवस्थिति विशिष्ट अथवा क्षेत्र विशिष्ट वर्गीकरण के रूप में कुछ उपक्रमों तक सीमित है और इस कारण से यह विशिष्ट है। तदनुसार, प्राधिकारी का यह मानना है कि उपर्युक्त कार्यक्रम संख्या 35, 37, 41, 42, 43, 47, 49, 54 और 56 प्रतिसंतुलनकारी शुल्क योग्य सब्सिडी के रूप में हैं।

322. याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2015 के लिए शांक्सी ताइगांग स्टील कं. लि. की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए व्यौरों के आधार पर सब्सिडी मार्जिन का दावा किया है। चूंकि, चीन की सरकार ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, सीवीडी के मार्जिन का निर्धारण चीन की सरकार और उत्तर देने वाले निर्यातकों की प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर नहीं किया जा सका। चीन की सरकार और चीन के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर सब्सिडी के मार्जिन की मात्रा निर्धारित की है। प्राधिकारी ने सब्सिडी के मार्जिन की गणना 0.17 प्रतिशत के रूप में की है।

68. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना से यह देखा गया है कि इस कार्यक्रम को शासित करने वाला कानून मूल जांच से बदला नहीं गया है। आवेदकों ने यह भी तर्क दिया है कि चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को उद्यम कर में छूट/कटौती के रूप में वित्तीय सहायता से लाभ मिलना जारी रहा है। आवेदकों ने भी प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों पर भरोसा किया है। न तो चीन की सरकार ने और न ही चीन के उत्पादकों/निर्यातकों ने यह सुझाव देते हुए साक्ष्य प्रदान किया कि स्टेनलेस स्टील उद्योग को इस कार्यक्रम से लाभ मिलना बंद हो गया है।
69. यह भी नोट किया गया है कि इस कार्यक्रम की मौजूदगी दिनांक 27 अगस्त, 2021 की अधिसूचना सं. जी/एससीएम/एन/372/सीएचएन में चीन द्वारा डब्ल्यूटीओ को अधिसूचित किया गया है, जिसमें वर्ष 2019 से 2020 तक की अवधि के दौरान केंद्रीय और उपकेंद्रीय सरकार के स्तर पर कार्यक्रमों के संबंध में प्रदान की गई अथवा रखी गई सूचना की चीन की नई और पूरी अधिसूचना प्रकट की गई है। आवेदकों ने यह तर्क दिया कि इस कार्यक्रम की चीन से कतिपय ऑर्गेनिक कोटेड स्टील की समीक्षा (2019) की समाप्ति में यूरोपीय आयोग द्वारा जांच की गई थी।

चीन की सरकार द्वारा डब्ल्यूटीओ के समक्ष प्रकटीकरण पर विचार करते हुए, हाल की अधिकोश अवधियों में जो कि वर्तमान जांच से संबद्ध है। घरेलू उद्योग द्वारा कार्यक्रम की उपलब्धता जारी रहने और संबद्ध वस्तुओं के चीन के उत्पादों/निर्यातकों को प्रदान किए जाने के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य वर्तमान जांच के लिए संगत है।

70. चीन की सरकार और चीन के निर्यातकों/उत्पादकों से सहयोग न मिलने पर, प्राधिकारी के पास जांच की अवधि के दौरान प्रदान की गई सब्सिडी की मात्रा की गणना करने के लिए कोई कंपनी विशिष्ट सूचना नहीं है। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है, जहां प्राधिकारी को यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति होने से सब्सिडी के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और चीन की सरकार और उत्पादकों द्वारा न तो कोई सहयोग दिया गया है और न ही कोई साक्ष्य है कि सब्सिडी के स्तर पर कमी आई है या समाप्त हुई है। यदि मूल जांच के साथ तुलना की जाए, अतः प्राधिकारी सब्सिडी मार्जिन की पुनः मात्रा निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझते।
71. प्राधिकारी उपरोक्त जांच के आधार पर यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम वर्तमान में लागू रहा है और मूल जांच में जिस तरह से लागू था उसी तरह से प्रतिसंतुलनयी लाभ प्रदान करना जारी रहा है।
72. चूंकि आवेदकों द्वारा चिन्हित कार्यक्रम सं. 11, 13, 16, 17, 18, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 78 और 79 ऐसे कार्यक्रम से संबद्ध हैं, जो उसी प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं, जैसा प्राधिकारी द्वारा कार्यक्रम सं. 10 में जांच में पाया गया है, अतः प्राधिकारी ने न्यायिक व्यवस्था के हित में अलग से इन कार्यक्रमों की जांच नहीं की है।
73. प्राधिकारी उपरोक्त जांच के आधार पर यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम जांच की अवधि के दौरान लागू रहा है और विचाराधीन उत्पाद के लिए चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रतिसंतुलनकारी लाभ प्रदान करना जारी रहा है।

कार्यक्रम सं. 12- अतिरिक्त गणना के लिए अधिमान्य कर नीतियां और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) व्ययों की कटौती/अनुसंधान एवं विकास निवेशों के लिए अधिमान्य आयकर लाभ

74. प्राधिकारी ने कार्यक्रम को जांच शुरुआत की सूचना में कार्यक्रम में कार्यक्रम सं. 12 के रूप में कार्यक्रम की पहचान की है। प्राधिकारी ने मूल जांच में इस कार्यक्रम की कार्यक्रम सं. 33 के रूप में जांच की थी।
75. चीन की सरकार और चीन से उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग और सूचना के अभाव में, और यह विचार करते हुए कि वर्तमान जांच पहले सिफारिश की गई सीवीडी की एक निर्णायक समीक्षा है, अतः प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में विगत जांच, याचिका में निहित सूचना, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना तथा वर्तमान व विगत जांच के रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना पर भरोसा किया है।
76. प्राधिकारी ने पहले ही मूल जांच में इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारी पाया है और अंतिम जांच परिणामों का संगत भाग नीचे उद्धृत किया गया है:

पैरा 289. चीन की सरकार और चीन के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग और सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने इस याचिका में निहित सूचना और इसके पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना पर विश्वास किया है।

290. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वित्त मंत्रालय (एमओएफ), राज्य कराधान प्रशासन (एसएटी), वाणिज्य मंत्रालय (एमओएफसीओएम) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ब्यूरो अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं जो अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए चीन में स्वदेशी एवं विदेश में निवेशित उपक्रमों को कुछ कर लाभ प्रदान करते हैं।

291. चीन जन गण के उपक्रम आय कर कानून के अनुच्छेद 30.1 के अनुसार, उपक्रम कर योग्य आय की गणना से "नई प्रौद्योगिकियों, नए उत्पादों और नई तकनीकों के अनुसंधान एवं विकास के लिए खर्चों" से कटौती कर सकते हैं। उक्त परियोजना के अनुमोदन के बाद, उपक्रम कारपोरेट आय कर की गणना के प्रयोजन से कर योग्य आय से उन खर्चों की 50 प्रतिशत कटौती करने के पात्र हैं। इसके अलावा, उपक्रम आय कर कानून कार्यान्वयन विनियमन (राज्य काउंसिल का हुक्मनामा 512, 2007) के अनुच्छेद 95 के अंतर्गत, पात्र अनुसंधान खर्च "जो अमूर्त परिसंपत्ति नहीं बनता हो" कर योग्य आय से एक अतिरिक्त 50 प्रतिशत की कर कटौती वार्षिक वृद्धि राशि की शीर्ष राशि से की जा सकती है। यदि ये व्यय कुछ अमूर्त परिसंपत्ति का मूल्य बनते हैं तब उनका भुगतान अमूर्त परिसंपत्ति की लागतों के 150 प्रतिशत के आधार पर किया जा सकता है।

292. इन कार्यक्रमों को निम्नलिखित के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने का उल्लेख किया गया है:

- कर मुक्त – अनुसंधान एवं विकास खर्च की अधिकतम कटौती के संबंध में नीति संबंधी वित्त मंत्रालय और राज्य कराधान प्रशासन की सूचनाएं – राज्य कराधान प्रशासन का परिपत्र 70, 2013, अनुच्छेद 3
- उपक्रम अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) खर्च, 2008 की कर पूर्व कटौती के लिए प्रशासनिक उपायों को जारी करने संबंधी राज्य कराधान प्रशासन की सूचना का अनुच्छेद 3
- चीन जन गण का कारपोरेट आय कर कानून (अनुच्छेद 30.1) और
- चीन जन गण के उपक्रम आय कर कानून का कार्यान्वयन के संबंध में विनियमन का अनुच्छेद 95 (चीन जन गण की राज्य परिषद का हुक्मनामा संख्या 512) और प्रमुख क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शन (अधिसूचना 6, 2007)
- गुओ शुई हान (2001) संख्या 405
- राज्य कराधान प्रशासन परिपत्र, गुओ शुई फा संख्या 1999 का 173

293. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की जांच पूर्व में कुछ अन्य जांच करने वाले प्राधिकारियों द्वारा की गई है और इस कार्यक्रम के मौजूद होने तथा प्रतिसंतुलनकारिता को (क) पवन से चालित विद्युत उत्पादकों के लिए कास्टिंग के संबंध में प्रतिकार शुल्क जांचों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा और (ख) यूरोपीय यूनियन द्वारा चीन जन गण से कुछ ऑर्गेनिक कोटेड स्टील के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी मामलों में सिद्ध किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम की मौजूदगी को चीन द्वारा विश्व व्यापार संगठन को 29 जुलाई, 2016 के दस्तावेज संख्या जी/एससीएम/एन/220/सीएचएन, जी/एससीएम/एन/253/सीएचएन, जी/एससीएम/एन/284/सीएचएन तथा जी/एससीएम/क्यू-2/सीएचएन/49-अक्तूबर, 2013 की विश्व व्यापार संगठन की पूरक अधिसूचना के अंतर्गत 2006-2016 से विभिन्न अधिसूचनाओं में अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, चीन की सरकार ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि यह कार्यक्रम इसके किसी रूप में मौजूद नहीं है और प्रतिकार योग्य सब्सिडी प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार से इन कार्यक्रमों को प्रतिकार योग्य सब्सिडी माना गया है।

294. लाभकारी कर लाभ ऋण प्राप्त करने वालों को एक वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इस कारण से यह सब्सिडी बन जाता है। यह कार्यक्रम कार्यक्षेत्र में भी सीमित है और इसका लाभ सीमित संख्या में उपक्रमों द्वारा उठाया जाता है और इस कारण से यह विशिष्ट सब्सिडी है। तदनुसार, प्राधिकारी का यह मानना है कि यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य सब्सिडी बनाते हैं।

295. याचिकाकर्ता ने वर्ष 2015 के लिए शांक्सी ताइगांग स्टेनलेस स्टील कं. लि. की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए ब्यौरों के आधार पर सब्सिडी के मार्जिन का दावा किया है।

296. इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ केवल विचाराधीन उत्पाद तक सीमित नहीं है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ कंपनी द्वारा यह दावा करने के लिए सक्षम होने कि यह इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए हकादर है, के बाद कंपनी के कुल लाभ पर उपलब्ध है। चीन की सरकार और चीन के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सब्सिडी के मार्जिन की मात्रा का निर्धारण किया है। प्राधिकारी ने इस योजना के लिए सब्सिडी का मार्जिन 0.28 के रूप में परिकलित किया है।

77. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, मूल जांच में कानून अर्थात् उद्यम आयकर कानून वही रहा है। इसमें केवल वर्ष 2018 में संशोधित किया गया है, तथापि, इस लाभ को शासित करने वाले प्रावधान अर्थात् अनुच्छेद 30.1 और 95 वही रहें हैं। यह देखा गया है कि इस कार्यक्रम की मौजूदगी दिनांक 27 अगस्त, 2021 की अधिसूचना सं. जी/एससीएम/एन/372/सीएचएन में चीन द्वारा डब्ल्यूटीओ को अधिसूचित की गई है, जिसमें वर्ष 2019 से 2020 तक की अवधि के दौरान केंद्रीय और उपकेंद्रीय सरकार के स्तर पर कार्यक्रमों के संबंध में प्रदान की गई सूचना और रखी गई सूचना के लिए चीन की नई और पूरी अधिसूचना प्रकट की गई है। चीन की सरकार द्वारा नवीनतम उपलब्ध सूचना में डब्ल्यूटीओ के समक्ष प्रकटन किए जाने को देखते हुए, और रिकार्ड पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य को देखते हुए, प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारिता का पूनर्मूल्यांकन नहीं किया है और मूल जांच में जांच और जांच परिणामों तथा अन्य सूचना और रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य पर भरोसा किया है। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक

समीक्षा जांच है, जहां प्राधिकारी को यह निर्धारित करना है कि क्या शुल्क की समाप्ति होने से सब्सिडी के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और चीन की सरकार तथा उत्पादकों द्वारा न तो सहयोग दिया है और न ही कोई साध्य प्रस्तुत किया है कि मूल जांच की तुलना करने पर सब्सिडी के स्तर में कमी अथवा समाप्ति हुई है। अतः प्राधिकारी सब्सिडी मार्जिन की पुनः मात्रा तय करना आवश्यक नहीं समझते।

78. प्राधिकारी उपरोक्त जांच के आधार पर यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम वर्तमान में लागू रहा है और मूल जांच में प्रदान किए गए ढंग से प्रतिसंतुलनकारी लाभ प्रदान करना जारी रहा है।
79. कार्यक्रम सं. 64 अर्थात् अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम उद्यम कर कानून/उद्यम आयकर कानून, आरएंडडी, जो आवेदकों द्वारा चिन्हित किए गए हैं, ऐसे कार्यक्रम से संबद्ध हैं, जो वहीं लाभ प्रदान करते हैं, जिनकी कार्यक्रम सं. 12 के तहत प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है, जैसा कि आवेदकों द्वारा स्वीकार किया गया है कि उनकी जांच न की जाए। अतः न्यायिक व्यवस्था के हित में उसकी अलग से जांच नहीं की गई है।
80. प्राधिकारी उपरोक्त जांच के आधार पर नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम जांच की अवधि के दौरान लागू होना जारी रहा और विचाराधीन उत्पाद के लिए चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को प्रतिसंतुलनकारी लाभ प्रदान करना जारी रहा।

कार्यक्रम सं. 46: घरेलू रूप से उत्पादित उपकरण की खरीद करने वाले एफआईई के लिए बेट रिफंड

81. प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम के संबंध में जांच शुरू की है और कार्यक्रम को कार्यक्रम सं. 46 के रूप में चिन्हित किया है। प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम की मूल जांच में भी कार्यक्रम सं. 36 के रूप में जांच की थी। इसके अलावा, प्राधिकारी ने कार्यक्रम सं. 36 के अंतर्गत मार्जिन की मात्रा तय की थी और चूंकि कार्यक्रम सं. 36 और 51 में वही लाभ प्रदान किए गए हैं, अतः इन दो कार्यक्रमों में कोई अलग लाभ की मात्रा तय नहीं की गई थी।
82. चीन की सरकार और चीन से उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग और सूचना के अभाव में, तथा इस पर विचार करते हुए कि वर्तमान जांच पहले सिफारिश की गई सीवीडी की एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में विगत जांच, याचिका में निहित सूचना, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना तथा वर्तमान और विगत जांच के रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना पर भरोसा किया है।
83. प्राधिकारी ने पहले ही इस कार्यक्रम को मूल जांच में प्रतिसंतुलनकारी पाया है और अंतिम जांच परिणाम का संगत भाग नीचे उद्धृत किया गया है:

पैरा 327. चीन की सरकार और चीन के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग और सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने इस याचिका में निहित सूचना और इसके पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना पर विश्वास किया है।

328. जहां तक कार्यक्रम संख्या 36 का प्रश्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि "मूल्य वृद्धि कर के संबंध में चीन की जन गण के अंतरिम विनियमन" के अनुच्छेद 27 के अनुसार मूल्य वृद्धि कर का संग्रहण राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति के प्रस्तावों के अनुसार विदेश में निवेश वाले उपक्रमों से की जाती है। इसके अलावा, "इस परिपत्र के अनुच्छेद 3 के अनुसार यह लाभ विदेश में निवेश वाले उपक्रमों और विदेशी उपक्रमों तक सीमित है।" इस परिपत्र के अनुच्छेद 4 के अनुसार छूट उन कंपनियों को उपलब्ध है जो "चीन में विकास के लिए प्रोत्साहित प्रमुख उद्योगों, उत्पादों, प्रौद्योगिकियों का कैटालॉग" में सूचीबद्ध निवेश परियोजनाओं के लिए घरेलू बाजार से खरीद किए गए उपकरण पर और "प्रोत्साहित" अथवा कुछ "प्रतिबंधित" श्रेणियों अथवा "विदेश द्वारा वित्तपोषित उद्योगों की निवेशक श्रेणी" के अंतर्गत आते हैं।

329. इस कार्यक्रम को निम्नलिखित द्वारा शासित किया जाता है:

- विदेश में निवेश वाले उपक्रमों के साथ इन उपक्रमों को कर वापसी के प्रशासन के लिए अंतरिम उपाय को हस्तांतरित करने संबंधी राज्य कराधान प्रशासन का परिपत्र
- गुओ शुई फा संख्या 171, 199, 20.09.(1999) संख्या 171, 20 सितंबर, 1999
- "मूल्य वृद्धि कर के संबंध में चीन जन गण का अंतरिम विनियमन राज्य परिषद की (हुकमनामा) (1993) संख्या 134; और वित्त मंत्रालय का स्वदेश में निर्मित उपकरण की खरीद के लिए विदेशी वित्तपोषित उपक्रमों को कर वापस करने की नीति के कार्यान्वयन को रोकने के संबंध में वित्त मंत्रालय और राज्य कराधान प्रशासन की सूचना संख्या 176 (2008)" का अनुच्छेद 3, 4 और 28

330. यह कार्यक्रम आयात किए गए उपकरण की तुलना में स्वदेश में निर्मित उपकरण की खरीद पर मूल्य वृद्धि कर में कटौती के रूप में विशिष्ट उद्योगों को त्याग किए गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इस कारण से यह एक विशिष्ट सब्सिडी है।

331. जहां तक कार्यक्रम संख्या 51 का प्रश्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि केंद्रीय क्षेत्र के पुराने औद्योगिक आधारों के 26 शहरों में स्थित उद्योग, जो कुछ निर्धारित परिसंपत्ति में निवेश करते हों, अपने कुल देय मूल्य वृद्धि कर से निर्धारित परिसंपत्ति पर भुगतान की गई मूल्य वृद्धि कर की राशि की कटौती कर सकते हैं।

332. इस कार्यक्रम को निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा शासित किया जाता है:

- चीन जन गण से कर पूर्व कटौती के लिए राज्य कराधान प्रशासन उपाय – गुओ शुई फा (2000) आदेश संख्या 84
- केंद्रीय क्षेत्र में मूल्य वृद्धि कर को प्रतिसंतुलित करने के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए अंतरिम उपाय – संख्या 75 (2007)
- वित्त मंत्रालय के मूल्य वृद्धि कर सुधार संख्या 170 (2008) के राष्ट्रीय कार्यान्वयन के संबंध में अनेक मुद्दों पर वित्त मंत्रालय और राज्य कराधान प्रशासन की सूचना
- मूल्य वृद्धि कर (वैट) का सरलीकरण और एकीकरण, संग्रहण दरों (राज्य कराधान प्रशासन की सूचना) (2014) संख्या 36 से संबंधित मुद्दों के संबंध में सूचना
- केंद्रीय क्षेत्र में मूल्य वृद्धि कर को प्रतिसंतुलित करने के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के अंतरिम उपायों का मुद्रण और वितरण करने से संबंधित वित्त मंत्रालय और राज्य कराधान प्रशासन का परिपत्र कार्डी शुई (2007) संख्या 75

333. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की जांच पूर्व में कुछ अन्य जांच करने वाले प्राधिकारियों द्वारा की गई है और इस कार्यक्रम के मौजूद होने तथा प्रतिसंतुलनकारिता को (क) चीन जन गण विरुद्ध कोटेड फाइन पेपर और ऑर्गेनिक कोटेड स्टील के रूप में विभिन्न प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के मामलों में और (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकारियों द्वारा कार्बन और कुछ अलाय स्टील वायर रॉड, नॉन-ओरियंटेड स्टील और ग्रेन ओरियंटेड इलैक्ट्रिकल स्टील में सिद्ध किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम की मौजूदगी को 2006-2016 से विभिन्न विश्व व्यापार संगठन की अधिसूचनाओं के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, चीन की सरकार ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि यह कार्यक्रम इसके किसी रूप में मौजूद नहीं है और प्रतिकार योग्य सब्सिडी प्रदान नहीं करता है।

334. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दो कार्यक्रम कुछ क्षेत्रों अथवा स्थानों में उपक्रमों को निर्धारित परिसंपत्ति के लिए ढुलाई संबंधी खर्च और निर्धारित परिसंपत्ति की खरीद एवं लीज के लिए मूल्य वृद्धि कर में छूट और/अथवा कटौती के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और इस कारण से त्याग किए गए राजस्व के रूप में प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान करते हैं। यह कार्यक्रम सीमित संख्या में उपक्रमों तक विशिष्ट होने के कारण ये कार्यक्रम विशिष्ट हैं और इस कारण से यह प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने योग्य है।

335. याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2015 के लिए शांक्सी ताइगांग स्टील कं. लि. की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए ब्यौरों के आधार पर सब्सिडी मार्जिन का दावा किया है। चीन की सरकार और चीन के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर सब्सिडी के मार्जिन की मात्रा निर्धारित की है। प्राधिकारी ने इस योजना के लिए सब्सिडी के मार्जिन की गणना 0.20 प्रतिशत के रूप में की है।

84. यह नोट किया गया है कि आवेदकों ने अपने लिखित अनुरोधों में मूल जांच के कार्यक्रम सं. 36 और 51 की, निर्णायक समीक्षा जांच के कार्यक्रम सं. 20 के साथ गलत तुलना की थी। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और सब्सिडी जारी रहने के लिए जांच परिणाम के लिए चीन के उत्पादकों द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया है, अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चूंकि इस कार्यक्रम में जुड़े लाभ अचल संपत्तियों के लिए जुड़े हैं, इसलिए प्राधिकारी पुनः इसकी जांच करना आवश्यक नहीं समझते कि क्या इस कार्यक्रम को शासित करने वाला कानून मूल जांच के बाद बदल गया है। वास्तव में, अन्य प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम (चीन जन.गण. से कतिपय आर्गेनिक कोटेड स्टील के आयातों के संबंध में लगाए गए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समीक्षा की समाप्ति के मामले में

यूरोपीय आयोग द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों के मामले में (2019) और चीन जन.गण. से स्टेनलेस स्टील शीट और स्ट्रिप पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क आदेश के मामले में यूएस प्राधिकारी के अंतिम निर्धारण (2022) में वही तरीका अपनाया गया है और इस कार्यक्रम को जारी पाया गया है। न तो चीन की सरकार और न ही चीन के निर्यात करने वाले उत्पादकों ने यह सुझाव देते हुए साक्ष्य प्रदान किए हैं कि स्टेनलेस स्टील उद्योग को इस कार्यक्रम से लाभ देना बंद कर दिया गया है।

85. मूल जांच में, घरेलू उद्योग ने वर्ष 2015 के लिए शांक्सी तियागांग स्टेनलेस स्टील कं. लि. की वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान किए गए व्यौरों के आधार पर सब्सिडी मार्जिन की मात्रा तय की थी और तदनुसार, मार्जिन की मात्रा 0.20% तय की गई थी। चूंकि कार्यक्रम में गैर-आवर्ती प्रकृति के लाभ प्रदान किए जाते हैं और ऐसे लाभ परिसंपत्ति की पूरी अवधि के दौरान प्रदान किए जाते हैं, अतः पहले तय किए गए लाभ वर्तमान जांच की अवधि में भी चीन के उत्पादकों को लाभान्वित करते रहे हैं। प्रश्नगत कार्यक्रम अचल संपत्तियों की खरीद से जुड़ा है। अतः इसके अंतर्गत लाभ, उपकरण की पूरी अवधि के दौरान परिशोधित रहने चाहिए (जैसाकि मूल जांच में किया गया था) इस प्रकार प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि चीन के उत्पादक/निर्यातक अभी भी वर्मान समीक्षा अवधि में इस सब्सिडी से लाभ ले रहे हैं। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, जहां प्राधिकारी को यह निर्धारित करना अपेक्षित होता है कि क्या शुल्क की समाप्ति होने से सब्सिडी जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी और चीन की सरकार तथा उत्पादकों द्वारा न तो सहयोग किया है और न ही कोई साक्ष्य दिया है कि सब्सिडी का स्तर मूल जांच की तुलना में कम अथवा समाप्त हुआ है, अतः प्राधिकारी सब्सिडी मार्जिन की मात्रा पुनः तय करने की जरूरत नहीं समझते।
86. चूंकि कार्यक्रम सं. 20 और 82 के तहत उसी तरह के लाभ प्रदान किए गए हैं, जैसे कि कार्यक्रम सं. 46 के तहत जांच में प्रदान किए गए थे, अतः प्राधिकारी ने न्यायिक व्यवस्था के हित में इन कार्यक्रमों की अलग से जांच नहीं की है।
87. प्राधिकारी उपरोक्त जांच के आधार पर नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम जांच की अवधि के दौरान जारी रहा और विचाराधीन उत्पाद के लिए चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रतिसंतुलनकारी लाभ प्रदान करना जारी रहा।

कार्यक्रम संख्या 49: विशेष उपस्करों की खरीद के संबंध में टैक्स क्रेडिट

88. प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम को शुरू करने के बाद माना और इसकी पहचान कार्यक्रम संख्या 49 के रूप में की गई है। प्राधिकारी ने मूल जांच में इस कार्यक्रम की जांच कार्यक्रम संख्या 39 के रूप में की थी।
89. चीनी सरकार तथा चीन के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग और सूचना के अभाव में, और यह मानते हुए कि वर्तमान जांच पहले सिफारिश की गई सीवीडी की निर्णायक समीक्षा जांच है, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित पिछली जांच, याचिका में निहित सूचना, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना, और वर्तमान तथा पिछली जांच के रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विश्वास किया है।
90. प्राधिकारी ने पहले ही इस कार्यक्रम को मूल जांच में प्रतिकारयोग्य पाया है और अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग को यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

पैरा 345. चीनी सरकार और चीन के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग और सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने याचिका में निहित सूचना और उनके पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना पर विश्वास किया है।

346. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. सरकार उद्यम आय कर पर पीआरसी कानून के कार्यान्वयन संबंधी विनियमावली के अनुच्छेद 100 के अधीन एक कार्यक्रम बनाए रखती है, जो खरीद के वर्ष में देय कॉर्पोरेट आयकर के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा और पानी की बचत तथा उत्पादन सुरक्षा के लिए प्रयुक्त विशेष उपस्करों की खरीद लागत के 10% की उद्यमों को ऑफसेट करने की अनुमति देता है। निवेश की गई राशि के 10% के शेष भाग को अगले 5 वर्षों तक अग्रणीत किया जा सकता है।

347. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की विगत में कुछ अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा जांच की गई है तथा इस कार्यक्रम की मौजूदगी और प्रतिकारयोग्यता यूरोपीय संघ, ऑर्गेनिक कोटेड स्टील द्वारा सिद्ध की गई है। यह भी नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम की मौजूदगी को विभिन्न डब्ल्यूटीओ अधिसूचनाओं के तहत अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, चीन सरकार ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि यह कार्यक्रम अपने किसी भी रूप में मौजूद नहीं है अथवा प्रतिकारयोग्य सब्सिडी प्रदान नहीं करता है।

348. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त कार्यक्रम में आयकर कटौती के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान है और लाभ प्रदान करता है तथा कुछ उद्यमों तक सीमित है, और इसीलिए, एएससीएम और नियमावली के अभिप्राय के अंतर्गत विशिष्ट है। अतः, प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह कार्यक्रम प्रतिकारयोग्य सब्सिडी है।

349. आवेदकों ने वर्ष 2015 के लिए शांक्सी ताइगैंग स्टेनलेस स्टील कंपनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए विवरण के आधार पर सब्सिडी मार्जिन का दावा किया है। चूंकि चीन सरकार ने प्रशावली का उत्तर दायर नहीं किया है, अतः सीवीडी मार्जिन चीन सरकार और उत्तरदाता निर्यातकों के प्रशावली के उत्तर के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। चीन सरकार और चीनी उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्य के आधार पर सब्सिडी मार्जिन की मात्रा निर्धारित की है। प्राधिकारी ने इस योजना के लिए सब्सिडी मार्जिन की गणना 0.25% के रूप में की है।

91. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, मूल जांच में कानून अर्थात् उद्यम आयकर कानून वही रहता है। यह केवल वर्ष 2018 में एक संशोधन के रूप में चला गया है, तथापि, इस लाभ को नियंत्रित करने वाला प्रावधान अर्थात् अनुच्छेद 100 वही बना हुआ है। यह पाया गया है कि इस कार्यक्रम की मौजूदगी को चीन द्वारा डब्ल्यूटीओ की अधिसूचना संख्या जी/एससीएम/एन/372/सीएचएन दिनांक 27 अगस्त, 2021 में अधिसूचित किया गया है, जिसमें 2019 से 2020 की अवधि के दौरान केंद्रीय और उप-केंद्रीय सरकारी स्तर पर प्रदान किए गए अथवा बनाए रखे गए कार्यक्रमों से संबंधित सूचना के संबंध में चीन की नई और पूर्ण अधिसूचना प्रकट की गई है। चीन सरकार द्वारा नवीनतम उपलब्ध अधिसूचना में डब्ल्यूटीओ के समक्ष प्रकटन और रिकॉर्ड में अन्य साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम की प्रतिकारयोग्यता का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है, और मूल जांच की जांच और जांच परिणामों तथा रिकॉर्ड में उपलब्ध अन्य सूचना और साक्ष्यों पर विश्वास किया है। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, जहां प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से सब्सिडी के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना होगी, और जब मूल जांच से तुलना की गई जाए, तो चीनी सरकार तथा उत्पादकों द्वारा न तो कोई सहयोग है, न ही कोई साक्ष्य है कि सब्सिडी के स्तर में कमी आई है अथवा समाप्त हो गई है, तो प्राधिकारी सब्सिडी मार्जिन को फिर से निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझते हैं।
92. उपर्युक्त जांच के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम जांच की अवधि के दौरान लागू रहा और विचाराधीन उत्पाद के चीनी उत्पादकों/निर्यातकों को प्रतिकारयोग्य लाभ प्रदान करना जारी रखा।

कार्यक्रम संख्या 52 पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमों के लिए अधिमाम्य आयकर नीति

93. प्राधिकारी ने जांच शुरू की और जांच की शुरुआत की सूचना में कार्यक्रम संख्या 52 के रूप में इस कार्यक्रम की पहचान की। प्राधिकारी ने मूल जांच में कार्यक्रम संख्या 44 के रूप में इस कार्यक्रम की जांच की थी। मूल जांच का कार्यक्रम सं. 44 पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित उद्यमों के लिए अचल परिसंपत्तियों पर त्वरित मूल्यहास और व्यय के परिशोधन से भी संबंधित है।
94. चीनी सरकार तथा चीन के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग और सूचना के अभाव में, और यह मानते हुए कि वर्तमान जांच पहले सिफारिश की गई सीवीडी की निर्णायक समीक्षा जांच है, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित पिछली जांच, याचिका में निहित सूचना, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना, और वर्तमान तथा पिछली जांच के रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विश्वास किया है।
95. प्राधिकारी ने पहले ही इस कार्यक्रम को मूल जांच में प्रतिकारयोग्य पाया है और अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग को यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

कार्यक्रम संख्या 44 के तहत, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं के अनुसार, उत्तरी क्षेत्र में स्थित उद्यम अचल परिसंपत्तियों की खरीद के लिए 40% तक के त्वरित मूल्यहास और परिशोधन के लिए पात्र हैं। 40%: प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की पूर्व में कुछ अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा जांच की गई है और इस कार्यक्रम की मौजूदगी तथा प्रतिकारयोग्यता क्षमता यूरोपीय संघ, ऑर्गेनिक कोटेड स्टील, सोलर ग्लास उत्पादों और स्टील ग्लास तथा चीन जन. गण. से नॉन-ऑरियंटेड स्टील और सर्टेन कार्बन एंड स्टील अलाय तथा स्टेनलेस स्टील (बी) यू.एस. - शीट्स एंड स्ट्रिप्स द्वारा सिद्ध की गई है। यह भी नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम की मौजूदगी को डब्ल्यूटीओ अधिसूचना जी/एससीएम/क्यू2/सीएचएन/42 के

तहत अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, चीन सरकार ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि यह कार्यक्रम अपने किसी भी रूप में मौजूद नहीं है अथवा प्रतिकारयोग्य सब्सिडी प्रदान नहीं करता है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में कर बचतों के रूप में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमों को लाभ का प्रावधान है जिससे इसे एक विशिष्ट सब्सिडी बनती है और इसीलिए प्रतिकारयोग्य है। अतः, प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह कार्यक्रम प्रतिकारयोग्य सब्सिडी है।

आवेदकों ने वर्ष 2015 के लिए शांक्सी ताइगैंग स्टेनलेस स्टील कंपनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए विवरण के आधार पर सब्सिडी मार्जिन का दावा किया है। कंपनी द्वारा प्राप्त कर छूट की राशि और याचिकाकर्ताओं द्वारा परिकल्पित मार्जिन के संबंध में साक्ष्य प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाइल में रखे गये हैं।

चूंकि चीन सरकार ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, अतः सीवीडी मार्जिन चीन सरकार और उत्तरदाता निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। चीन सरकार और चीनी उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्य के आधार पर सब्सिडी मार्जिन की मात्रा निर्धारित की है। प्राधिकारी ने सब्सिडी मार्जिन की गणना 1.41% के रूप में की है।

96. यह पाया गया है कि इस कार्यक्रम की मौजूदगी को चीन द्वारा डब्ल्यूटीओ की अधिसूचना संख्या जी/एससीएम/एन/372/सीएचएन दिनांक 27 अगस्त, 2021 में अधिसूचित किया गया है, जिसमें 2019 से 2020 (कैलेंडर वर्ष में चीनी रिपोर्ट) की अवधि के दौरान केंद्रीय और उप-केंद्रीय सरकारी स्तर पर प्रदान किए गए अथवा बनाए रखे गए कार्यक्रमों से संबंधित सूचना के संबंध में चीन की नई और पूर्ण अधिसूचना प्रकट की गई है। सबसे हाल की अवधि, जो वर्तमान जांच के लिए संगत है, में चीन सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन के समक्ष प्रकटन और चीनी सरकार तथा चीनी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा असहयोग पर विचार करते हुए, प्राधिकारी इसकी प्रतिकारयोग्यता की जांच करना अनावश्यक मानते हैं।

97. चीन सरकार और चीनी निर्यातक उत्पादकों से सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी के पास जांच की अवधि के दौरान दी गई सब्सिडी की राशि की गणना करने के लिए कोई कंपनी-विशिष्ट सूचना नहीं है। आवेदक ने स्टेनलेस स्टील उत्पादक की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर मात्रा प्रस्तुत की है। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, जहां प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से सब्सिडी के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना होगी, और जब मूल जांच से तुलना की गई जाए, तो चीनी सरकार तथा उत्पादकों द्वारा न तो कोई सहयोग है, न ही कोई साक्ष्य है कि सब्सिडी के स्तर में कमी आई है अथवा समाप्त हो गई है, तो प्राधिकारी सब्सिडी मार्जिन को फिर से निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

ग. तरजीही ऋण और उधार

I. घरेलू उद्योग के विचार

98. तरजीही ऋण और उधार देने के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

कार्यक्रम सं. 21

- घरेलू उद्योग वर्तमान समीक्षा जांच में सब्सिडी कार्यक्रम संख्या 21 का उल्लेख करता है जो मूल जांच के कार्यक्रम संख्या 73 के साथ-साथ वर्तमान जांच के कार्यक्रम संख्या 63, 72 और 75 के समान है। अतः प्राधिकारी को कार्यक्रम संख्या 63, 72 और 75 की जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह समान लाभ से संबंधित है।
- चीन सरकार द्वारा संचालित उक्त कार्यक्रम, सरकारी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से एसओई को सब्सिडीयुक्त अधिमान्य ऋण प्रदान किए जाते हैं। इस्पात उत्पादकों को सरकारी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों और सरकारी बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दरों पर सब्सिडीयुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं।
- सरकार की नीति के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में कुछ उद्योगों और आर्थिक विकास की वृद्धि को बढ़ावा देने की दृष्टि से, संबंधित विभाग ऋण पर ब्याज सब्सिडी दे सकते हैं। बैंकों और उनके द्वारा निर्धारित ऋण दरों के निहितार्थ चीन में अनिश्चितताएं हैं क्योंकि वे अभी भी बैंक-प्रभुत्व वाली वित्तीय प्रणाली हैं, जिसमें सरकार (केंद्र और स्थानीय सरकार के स्तर पर) बैंकिंग क्षेत्र की परिसंपत्तियों का पूर्णरूपेण प्रभावी नियंत्रण करते हैं।

- iv. इस्पात क्षेत्र के लिए योजना का अध्याय 5 वित्तीय संस्थानों और निजी पूंजी को योजना के प्राथमिक कार्यों का समर्थन करने के लिए मार्गदर्शन जारी करता है, और इसमें यह प्रावधान है कि जहां तक बाजार वाले उद्यमों और लाभप्रद होने का संबंध है, बैंक ऋण की मांग को उपयुक्त रखेंगे।

कार्यक्रम संख्या 22

- i. एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ चाइना (ईआईबीसी) और चाइना एक्सपोर्ट एंड क्रेडिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ("सिनोस्योर") निर्यात क्रेडिट गारंटी प्रदान करते हैं, जो बैंकों को निर्यात वित्तपोषण के लिए लगाई गई दरों को कम करने की अनुमति देते हैं। ईआईबीसी के अनुसार, वर्ष 2014 में जारी किए गए गारंटी पत्रों में \$16.055 बिलियन ने "चीनी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर जाने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई" और "नए और उच्च-तकनीकी उत्पादों के निर्यात" को बढ़ावा दिया है। सिनोस्योर की वेबसाइट के अनुसार, गारंटी के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु निर्यात व्यवसाय को सरकारी नीतियों की सहायता होना चाहिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऐसी कई सरकारी नीतियां हैं जो चीन में एसएस उद्योग का समर्थन करती हैं और उच्च तकनीकी उत्पादों के उत्पादकों के रूप में, एसएस के चीनी उत्पादक निर्यात ऋण गारंटी के पात्र हैं। प्राधिकारी ने पहले मूल जांच में चीनी उत्पादकों को निर्यात ऋण गारंटियों की जांच और प्रतिकारयोग्य किया था। बाओशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जैसे इस्पात क्षेत्र के कुछ प्रमुख एसओई की वर्ष 2020 की वार्षिक रिपोर्ट ऐसे उद्यमों को सरकार द्वारा प्रदान की गई महत्वपूर्ण ऋण गारंटी का संकेत देती है। सरकारी गारंटी का प्रभाव कंपनियों पर ब्याज के बोझ को कम करना है और इसीलिए, कंपनियों को वित्तीय लाभ प्रदान करता है। उक्त कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि सहायता बड़े आकार के सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों और इस्पात उत्पादन में शामिल सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों तक सीमित है और इसीलिए, प्रतिकारयोग्य है।

II. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

99. तरजीही उधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. चीनी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्राप्त किसी भी ऋण, गारंटी और क्रेडिट, जो सामान्य वाणिज्यिक ऋण, सामान्य वाणिज्यिक गारंटी और साधारण निर्यात ऋण हैं, उप-शीर्ष "अधिमान्य ऋण और उधार" के तहत सक्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक स्थितियों के तहत प्रदान किए जाते हैं।

III. प्राधिकारी द्वारा जांच

100. प्राधिकारी ने अधिमान्य ऋण और उधार से संबंधित योजनाओं की नीचे जांच की है। तथापि, योजना संख्या 22 के संबंध में, प्राधिकारी ने इस योजना की जांच नहीं की है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने पूरी सूचना प्रस्तुत नहीं की है जो प्राधिकारी को इन उपर्युक्त योजनाओं की उचित और उपयुक्त मात्रा तक पहुंचने में सहायता कर सकें।

कार्यक्रम सं. 21- तरजीही उधार

101. प्राधिकारी ने तरजीही उधार की जांच शुरू की और जांच की शुरुआत के नोटिस में कार्यक्रम संख्या 21 के रूप में पहचान की। प्राधिकारी ने मूल जांच में कार्यक्रम संख्या 72 के रूप में इस कार्यक्रम की जांच की थी। यद्यपि आवेदकों ने अपने अनुरोध में यह उल्लेख किया है कि कार्यक्रम संख्या 21 मूल जांच के कार्यक्रम संख्या 73 के समान है, तथापि, यह पाया गया है कि यह गलत है, और जांच के दौरान यह पता चला कि यह वास्तव में कार्यक्रम संख्या 72 के समान है। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया है कि वास्तव में मूल जांच के कार्यक्रम संख्या 73 को आवेदकों द्वारा वर्तमान जांच में कार्यक्रम संख्या 60 के रूप में लगाया गया है।

102. चीनी सरकार तथा चीन के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग और सूचना के अभाव में, और यह मानते हुए कि वर्तमान जांच पहले सिफारिश की गई सीवीडी की निर्णायक समीक्षा जांच है, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित पिछली जांच, याचिका में निहित सूचना, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना, और वर्तमान तथा पिछली जांच के रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विश्वास किया है।

103. प्राधिकारी ने पहले ही इस कार्यक्रम को मूल जांच में प्रतिकारयोग्य पाया है और अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग को यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

पैरा 431. चीनी सरकार और चीन के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग और सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने याचिका में निहित सूचना और उसके पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना पर विश्वास किया है।

432. कार्यक्रम संख्या 71 के तहत, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम हुआंगपु सरकार, झोंगशान म्युनिसिपल गवर्नमेंट के आर्थिक और व्यापार कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को वाणिज्यिक बैंक को ब्याज भुगतान कम करने के लिए भत्ते के रूप में वित्तीय सहायता का प्रावधान है। छोटे और मध्यम आकार के उत्पादक/उद्यम वैश्विक निर्यात स्थापित करने के लिए उक्त निधियों हेतु पात्र हैं। यह कार्यक्रम एसएमई और 1999 के स्टेट काउंसिल सर्कुलर गुओ बान फा के जनरल ऑफिस के संवर्धन पर चीन जन. गण. के कानून के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है।

433. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस योजना की मौजूदगी और प्रतिकारयोग्यता कनाडा के प्राधिकारियों द्वारा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सर्टेन स्टेनलेस स्टील सिंक्स में और ऑस्ट्रेलियाई प्राधिकारियों द्वारा चीन जन. गण. से डीप ड्रॉन स्टेनलेस स्टील सिंक्स में सिद्ध की गई है।

434. कार्यक्रम संख्या 72 के तहत, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत इस्पात उत्पादकों को सरकारी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों और सरकारी बैंकों से कम (सब्सिडी) ब्याज दरों से लाभ मिलता है, जो चीनी इस्पात के विस्तार का समर्थन और विकास करने के लिए चीन सरकार की नीति के अनुसार है। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत उद्योग आदेश संख्या 40 इस्पात क्षेत्र को प्रोत्साहित क्षेत्र के रूप में पहचानता है और "प्रमुख प्रौद्योगिकी" के विकास के लिए अनुच्छेद 16 के अनुसार इस क्षेत्र के लिए नीतिगत ऋण सुविधा प्रदान करता है तथा इस्पात उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न तरीकों के माध्यम से "प्रमुख इस्पात परियोजनाओं" की सहायता करता है।

435. यह कार्यक्रम सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इन बैंकों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है और सरकारी प्राधिकारी का प्रयोग इस तरह से किया जाता है कि उनके कार्यों को सरकार के लिए जिम्मेदार बनाया जा सके। चीनी वित्तीय बाजार में चीन सरकार की भागीदारी उस तरीके से निर्धारित ब्याज दरों पर विशिष्ट सीमाएं निर्धारित करने में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा निभाई गई भूमिका होती है और जमा एवं ऋण यिनफा (2004) संख्या 251 ("सर्कुलर 251") पर ब्याज दरें समायोजित करने संबंधी मुद्दों पर पीबीओसी के परिपत्र में निर्धारित नियमों के अनुसार कम-ज्यादा होती हैं।

436. आदेश संख्या 35 के अनुसार - लौह और इस्पात उद्योग के विकास के लिए नीतियां, विशेष रूप से अनुच्छेद 24 और 25 जो केवल उन कंपनियों के लिए ऋण के प्रावधान को सीमित करते हैं जो लौह और इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय विकास नीतियों का अनुपालन करते हैं, सरकारी स्वामित्व वाले और निजी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों के बीच भेद नहीं करतीं।

437. ये कार्यक्रम निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा शासित होते हैं:

- 'औद्योगिक संरचना समायोजन को बढ़ावा देने संबंधी अस्थायी प्रावधानों' को लागू करने और कार्यान्वित करने पर राज्य परिषद का निर्णय संख्या 40 ('निर्णय संख्या 40');
- वाणिज्यिक बैंकिंग कानून के अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 38; आदेश संख्या 35 के अनुच्छेद 16, 24 और 25 - लौह और इस्पात उद्योग के विकास के लिए नीतियां;
- उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 2012 उद्योग हस्तांतरण मार्गदर्शन सूची प्रमुख और सुविधा प्राप्त उद्योगों, जैसे स्टील उद्योग, को तरजीही उधार के माध्यम से सहायता देती है; औद्योगिक संरचना के पुनर्समायोजन पर निर्देशिका सूची ('निर्देशिका सूची') - 2005 और 2011;
- राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु दिशानिर्देश (2006-2010) ('ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना'); यिनफा [2003] संख्या 50; यिनफा (2004) संख्या 251; इस्पात उद्योग के लिए समायोजन और पुनरुद्धार कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक खाका [2009] "प्रमुख उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने" का प्रावधान है।

438. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की विगत में कुछ अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा जांच की गई है और इस कार्यक्रम की मौजूदगी और प्रतिकारयोग्यता (क) यूरोपीय संघ के अधिकारियों द्वारा सर्टेन ऑर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पादों तथा कोटेड फाइन पेपर में और (ख) अमेरिकी प्राधिकारी द्वारा मेलामाइन तथा स्टील व्हील में सिद्ध की गई है। यह भी नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम की मौजूदगी को चीन द्वारा विश्व व्यापार संगठन

को डब्ल्यूटी/टीपीआर/एस/230, डब्ल्यूटी/टीपीआर/एस/264 में अधिसूचित किया गया है और इस योजना को गुआंडोंग डेवलेपमेंट प्लान और वेब रिसर्च: चीन के बैंकिंग क्षेत्र - अगले चरण के लिए राइप (2006) में सूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, चीन सरकार ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि यह कार्यक्रम अपने किसी भी रूप में मौजूद नहीं है अथवा यह प्रतिकारयोग्य सब्सिडी प्रदान नहीं करता।

439. इस कार्यक्रम में सरकारी स्वामित्व वाले उन वाणिज्यिक बैंकों और सरकारी बैंकों के माध्यम से चीन सरकार द्वारा दिए गए सब्सिडीयुक्त ऋण के रूप में प्रोत्साहित उद्योगों के रूप में वर्गीकृत उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है, जो प्राप्तकर्ताओं पर लाभ प्रदान करने वाले सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय योगदान की प्रकृति में है। लाभ कुछ प्रकार के व्यावसायिक उद्यमों तक सीमित है और इसीलिए, नियमावली के अभिप्राय से विशिष्ट हैं।

440. कार्यक्रम संख्या 73 के तहत, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. में प्रमुख बैंकों के पास सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों के विकास की सहायता करने का अधिकार है और वे बैंक सरकारी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक अथवा नीतिगत बैंकों के माध्यम से अधिमान्य ऋणों के रूप में सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों को अपने ऋण आवंटित करने में भी तरजीही देते हैं, क्योंकि चीनी वित्तीय क्षेत्र में सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों का वर्चस्व है जो विशेष रूप से सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों को ऋण देते हैं।

441. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस योजना की मौजूदगी और प्रतिकारयोग्यता क्षमता अमेरिकी अधिकारियों द्वारा हाई प्रेशर स्टील सिलेंडर्स में; कार्बन और सर्टेन अलॉय स्टील वायर रॉड में; नॉन-ऑरियटेड इलेक्ट्रिकल स्टील में; सर्टेन स्टील व्हील्स में; कार्बन और अलॉय - स्टील प्लेट्स, सर्टेन बाइ-एक्सियल इंटीग्रल जियोग्रिड उत्पादों में, स्टेनलेस स्टील - शीट और स्ट्रिप्स तथा मेलामाइन में सिद्ध की गई है। यह भी नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम की मौजूदगी को वेब रिसर्च-चीनी अर्थव्यवस्था में सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों की भूमिका, फैन गैंग और निकोलस सी. होप में बताया गया है।

442. यह कार्यक्रम सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों के माध्यम से चीन सरकार द्वारा प्रदान किए गए सब्सिडीयुक्त तरजीही ऋणों के रूप में विशिष्ट उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहता है। इस सहायता के प्राप्तकर्ताओं को लाभ प्रदान करने वाले सार्वजनिक निकाय द्वारा उद्यमों को वित्तीय योगदान के बराबर है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि कार्यक्रम संख्या 71, 72 और 73 प्रतिकारयोग्य सब्सिडी है।

443. प्रतिकारयोग्य सब्सिडी की राशि की गणना प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किए गए लाभ के संदर्भ में की जाती है, जो जांच की अवधि के दौरान मौजूद पाई जाती है। प्राप्तकर्ता को प्रदान किए गए लाभ को उस राशि के बीच का अंतर माना जाता है जो कंपनी बैंकों से लिए गए ऋण पर भुगतान करती है और वह राशि जो कंपनी बाजार पर तुलनीय वाणिज्यिक ऋण के लिए भुगतान करेगी। चूंकि चीनी बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋण बैंकिंग क्षेत्र में पर्याप्त सरकारी हस्तक्षेप को दर्शाते हैं और उन दरों को नहीं दर्शाते हैं जो एक कामकाजी बाजार में पाए जाते हैं।

444. आवेदकों ने वर्ष 2015 के लिए शांक्सी ताइगैंग स्टेनलेस स्टील कंपनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान किए गए विवरण के आधार पर सब्सिडी मार्जिन का दावा किया है। कंपनी द्वारा प्राप्त लाभ की राशि और आवेदकों द्वारा परिकलित मार्जिन के संबंध में साक्ष्य प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाइल में रखा गया है।

445. चूंकि चीन सरकार ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, अतः सीवीडी मार्जिन चीन सरकार और उत्तरदाता निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। चीन सरकार और चीनी उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्य के आधार पर सब्सिडी मार्जिन की मात्रा निर्धारित की है। उपर्युक्त कार्यक्रम संख्या 71, 72 और 73 में इस प्रकार निर्धारित सब्सिडी मार्जिन 0.32% है।

104. यह देखा जाता है कि मूल जांच की योजना संख्या 72 को नियंत्रित करने वाला कानून मूल जांच के बाद से नहीं बदला है। न तो चीन सरकार और न ही चीनी निर्यातक उत्पादकों ने यह सुझाव देते हुए साक्ष्य प्रदान किया कि स्टेनलेस स्टील उद्योग को तरजीही ऋण देने से लाभ मिलना बंद हो गया है। प्राधिकारी ने पहले ही निर्णय संख्या 40 के प्रभाव की जांच कर ली है, 'इस्पात उद्योग के समायोजन और पुनर्धार के लिए खाका' (2009), इस्पात

उद्योग के लिए एक कार्य योजना है, 13वीं पंचवर्षीय योजना, इस्पात योजना और आदेश संख्या 35 उपर्युक्त चीनी इस्पात क्षेत्र को विकृत कर रहा है। कानून में एकमात्र परिवर्तन पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में है।

105. आवेदकों ने तर्क दिया है कि यह कार्यक्रम सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा संचालित है, जहां चीनी सरकारी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक और निजी बैंक कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते हैं।
106. अनुच्छेद 15 के तहत ऋण संबंधी चीन सरकार की सामान्य नियमावली में यह प्रावधान है कि सरकार की नीति के अनुसार, संबंधित विभाग कुछ उद्योगों के विकास और कुछ क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से ऋण पर ब्याज सब्सिडी दे सकते हैं। आवेदक ने यह भी तर्क दिया कि इस्पात क्षेत्र के लिए, "लोहा और इस्पात उद्योग में लाभ और विकास हासिल करने के लिए लौह और इस्पात उद्योग में अत्यधिक क्षमता को हल करने पर राज्य परिषद की राय (गुओ फा [2016] संख्या 6)" लौह और इस्पात उद्योग में अधिमान्य सहायता का निम्नलिखित कार्यवाचा प्रदान करती है:

"वित्तीय संस्थानों को स्टील और कोयला उद्योगों की स्तंभ भूमिका और कार्यनीतिक महत्व को पूरी तरह से पहचानना चाहिए और उन स्टील कंपनियों को ऋण सहायता देना जारी रखना चाहिए जो औद्योगिक नीति का पालन करती हैं और जो अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाए बिना खुद को समायोजित और पुनर्समूहित करती हैं। यह सहायता ब्याज दरों की स्थापना और विलय तथा अधिग्रहण के लिए बांड और ऋण को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, ऋण पुनर्गठन और ऋण माफी को बढ़ावा दिया जाए"

107. चीन सरकार और सरकारी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों और निजी बैंकों ने विभिन्न इस्पात उद्योगों को बढ़ावा देने वाली औद्योगिक नीतियों को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में चीनी उत्पादकों/निर्यातकों को तरजीही ऋण दिया है। जैसा कि पहले ही प्राधिकारी द्वारा ऊपर देखा जा चुका है, इस्पात क्षेत्र चीनी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण और कार्यनीतिक क्षेत्र है, और इसीलिए, चीन सरकार विभिन्न क्षमताओं में सार्वजनिक निकायों को नीतिगत उद्देश्य के अनुसरण में कार्य करने के लिए तैयार करती है और आगे निर्देशित करती है।
108. यूरोपीय आयोग द्वारा चीन जन. गण. (2019) से कुछ ऑर्गेनिक कोटेड स्टील के आयात संबंधी और चीन जन. गण. से स्टेनलेस-स्टील शीट और स्ट्रिप के मामले में अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा की गई सीवीडी जांच में (2022), इन दोनों प्राधिकारियों द्वारा यह पाया गया है कि प्रतियोग्य सब्सिडी के रूप में तरजीही ऋण देना जारी है। इस प्राधिकारी ने पाया कि चीन से वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब के मामलों में अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों में, चीन सरकार इस्पात उद्योग/क्षेत्र को अधिमान्य ऋण प्रदान करती है।
109. उपर्युक्त सूचीबद्ध दस्तावेजों और उनके प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी मूल जांच से अपने निष्कर्ष को दोहराते हैं कि चीनी इस्पात उद्योग सब्सिडीयुक्त अधिमानी ऋणों के रूप में विशिष्ट उद्यमों को वित्तीय सहायता प्राप्त करना जारी रखते हैं।
110. चीन सरकार और चीनी निर्यातक उत्पादकों के सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी के पास जांच की अवधि के दौरान दी गई सब्सिडी की राशि की गणना करने के लिए कोई कंपनी-विशिष्ट सूचना नहीं है। आवेदक ने एक स्टेनलेस स्टील उत्पादक की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर मात्रा प्रस्तुत की है।
111. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, जहां प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से सब्सिडी के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना होगी, और जब मूल जांच से तुलना की गई जाए, तो चीनी सरकार तथा उत्पादकों द्वारा न तो कोई सहयोग है, न ही कोई साक्ष्य है कि सब्सिडी के स्तर में कमी आई है अथवा समाप्त हो गई है, तो प्राधिकारी सब्सिडी मार्जिन को फिर से निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझते हैं।
112. उपर्युक्त जांच के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम वर्तमान में लागू है और मूल जांच की तरह समान तरीके से प्रतिकारयोग्य लाभ प्रदान करना जारी रखता है।
113. चूंकि आवेदकों द्वारा पहचाने गए कार्यक्रमों की एसएसआर सूची के कार्यक्रम संख्या 63, 72 और 75 एक ऐसी योजना से संबंधित हैं जो वही लाभ प्रदान करती है जैसा कि प्राधिकारी द्वारा कार्यक्रम संख्या 21 में जांच की गई है, प्राधिकारी ने, न्यायिक अर्थव्यवस्था के हित में इन कार्यक्रमों की अलग से जांच नहीं की है।

घ. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर सामानों और सेवाओं का प्रावधान

I. घरेलू उद्योग के विचार

114. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर सामानों और सेवाओं के प्रावधान के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

कार्यक्रम सं. 31

- i. घरेलू उद्योग वर्तमान समीक्षा जांच में सब्सिडी कार्यक्रम संख्या 31 का उल्लेख करता है जो मूल जांच के कार्यक्रम संख्या 60 के साथ-साथ वर्तमान जांच के कार्यक्रम संख्या 57 और 59 के समान है। अतः प्राधिकारी को कार्यक्रम संख्या 57, 59 और 60 की जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह समान लाभ से संबंधित हैं।
- ii. पीआरसी के भूमि प्रशासन कानून के अनुसार, सभी भूमि लोगों की है और कानून में निर्दिष्ट शर्तों के तहत बोली, कोटेशन अथवा नीलामी के बिना व्यवसायों द्वारा खरीदी या बेची नहीं जा सकती। कंपनियां जमीन नहीं खरीद सकतीं। चीन सरकार मूल्य निर्धारित करती है और कंपनी निर्धारित मूल्य का भुगतान करती है।
- iii. घरेलू उद्योग द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उच्च और नए तकनीकी रूप से उन्नत उद्यम और उद्योगों की कुछ अन्य श्रेणियां भी पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर प्रशासनिक शुल्क और भूमि उपयोग के अधिकार से छूट प्राप्त करती हैं।
- iv. बोली प्रक्रिया के अधीन, कीमतें अक्सर अधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं और सरकार अस्पष्ट तथा गैर-पारदर्शी होती है।
- v. इस कार्यक्रम की मौजूदगी को चीन द्वारा डब्ल्यूटीओ जी/एससीएम/क्यू2/सीएचएम/42 में अधिसूचित किया गया है।
- vi. भूमि पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली है, चीन के भीतर कोई निर्धारण नहीं है जिसका उपयोग सब्सिडी की राशि निर्धारित करने के लिए किया जा सके। प्राधिकारी और अन्य देश की जांच में गणना के लिए निर्धारण के रूप में ताइवान की भूमि पट्टा दर पर विचार किया गया है।

कार्यक्रम सं. 32

- i. घरेलू उद्योग वर्तमान समीक्षा जांच में सब्सिडी कार्यक्रम संख्या 32 का उल्लेख करता है जो मूल जांच के कार्यक्रम संख्या 58 के साथ-साथ वर्तमान जांच के कार्यक्रम संख्या 56 के समान है।
- ii. चीन सरकार, एनडीआरसी के माध्यम से, कुछ उद्योगों को दूसरों की तुलना में सहायता देने के लिए एक औद्योगिक नीति उपकरण के रूप में अधिमान्य बिजली दरों का उपयोग करती है।
- iii. एनडीआरसी प्रक्रियाओं के आधार पर बिजली की कीमतों को निर्धारित और प्रकाशित करता है। ये कीमतें अलग-अलग प्रांतों की हैं।
- iv. चीन सरकार द्वारा निर्धारित औद्योगिक नीतियों का पालन करने के लिए विभिन्न औद्योगिक प्रयोक्ताओं के लिए एक अतिरिक्त कीमत अंतर मौजूद है।
- v. एनडीआरसी कैटलॉग के अनुसार 'लाभप्रद' उद्यमों में आने वाले प्रयोक्ता मूल बिजली दर का भुगतान करते हैं, जबकि 'पुराने' अथवा 'प्रतिबंधित' उद्यमों में आने वाले प्रयोक्ता मूल दर से अधिक अधिभार का भुगतान करते हैं।
- vi. कैटलॉग में सूचीबद्ध किसी भी श्रेणी में नहीं आने वाले प्रयोक्ता 'अनुमत' उद्यमों की डिफॉल्ट श्रेणी में आते हैं और बिना अधिभार के मूल दर का भुगतान भी करते हैं।
- vii. एनडीआरसी के निर्णय संख्या 40 के अनुसार स्टेनलेस स्टील उत्पादक सामान्यतः 'प्रोत्साहित' उद्यमों की श्रेणी में आते हैं।
- viii. भुगतान की गई बिजली की दरें व्यक्तिगत उद्यम, क्षेत्र अथवा उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर अधिमान्य हैं।
- ix. आवेदक विशिष्ट दरों को निकालने में असमर्थ हैं जिस पर स्टेनलेस स्टील उत्पादक बिजली खरीद रहे हैं।
- x. इस मामले में, मूल रूप से निर्धारित शुल्कों को जारी रखने का अनुरोध किया जाता है।

कार्यक्रम सं. 29

- i. घरेलू उद्योग का दावा है कि वर्तमान समीक्षा जांच में कार्यक्रम संख्या 29 मूल जांच के कार्यक्रम संख्या 65 के समान है।
- ii. इनपुट/कच्ची सामग्री के अधिकतर उत्पादक एसओई हैं। ये एसओई चीन सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं।
- iii. स्टेनलेस स्टील के उत्पादन के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री स्टेनलेस स्टील स्क्रैप है जिसे बड़े पैमाने पर चीन सरकार द्वारा कई नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जिनमें स्क्रैप पर उच्च निर्यात शुल्क (40%) शामिल है, जो घरेलू बाजार में प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमतों को कृत्रिम रूप से कम रखता है।
- iv. बड़े सरकारी स्वामित्व वाले इस्पात उद्यम जैसे मिन मेटल चीन में स्क्रैप के व्यापार और मूल्य निर्धारण को महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं।
- v. चीन सरकार स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में उपयोग होने वाली फेरो-क्रोम, निकेल, मोलिब्डेनम, आदि जैसी सभी सामग्रियों पर कई निर्यात प्रतिबंध लगाती है:
 - फेरोसिलिकॉन, फेरोक्रोम और उच्च शुद्धता वाले पिग आयरन पर निर्यात शुल्क क्रमशः 25 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 15 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।
 - चीन ने पिग आयरन, क्रूड स्टील, रिसाइकिल स्टील की कच्ची सामग्री और फेरोक्रोम पर अनंतिम शून्य आयात कर की दर लागू की।
 - अमेरिकी प्राधिकारी ने चीन से स्टेनलेस स्टील शीट और स्ट्रिप्स के आयात के विरुद्ध अपनी समीक्षा जांच में इस कार्यक्रम का प्रतिकार करना जारी रखा है।
 - इस्पात उद्योग के लिए चीन की 13वीं पंचवर्षीय योजना इस्पात कंपनियों के व्यापारिक निर्णयों को प्रभावित करती है तथा लागत संरचना और कीमतों पर प्रभाव डालती है।
 - इस्पात योजना दर्शाती है कि महत्वपूर्ण निर्यात नियंत्रण हैं।

II. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

115. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर सामानों और सेवाओं के प्रावधान के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि की उपलब्धता से संबंधित कार्यक्रम सब्सिडी नहीं है क्योंकि यह विशिष्ट नहीं है और उस किसी भी उद्योग के लिए उपलब्ध है जो भूमि का उपयोग करना चाहता है। विशिष्टता मानदंड गायब हो जाता है क्योंकि चीन जन गण में सभी भूमि सरकार के स्वामित्व वाली है, और उससे उत्पन्न होने वाले सभी लाभ चीन जन. गण. में सभी व्यापारिक कंपनियों के लिए उपलब्ध हैं।
 - ii. उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, मनोरंजन, वाणिज्यिक आवास अथवा अन्य व्यावसायिक संचालन के लिए भूमि के संबंध में बोली आमंत्रण नीलामी और कोटेशन के माध्यम से सरकारी स्वामित्व वाली निर्माण भूमि उपयोग अधिकार के असाइनमेंट संबंधी प्रावधानों के अनुसार, अथवा जिस पर दो या दो से अधिक अपेक्षित भूमि प्रयोक्ता हैं, असाइनमेंट बोली आमंत्रण, नीलामी अथवा कोटेशन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।
 - iii. इस कार्यक्रम के लिए पात्रता को नियंत्रित करने वाला एकमात्र मानदंड "उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, मनोरंजन, वाणिज्यिक आवास अथवा अन्य व्यावसायिक संचालन के लिए भूमि, अथवा जिस पर दो या दो से अधिक इच्छित भूमि प्रयोक्ता हैं", जो चीन में पंजीकृत लगभग सभी उद्यमों पर लागू होता है।
 - iv. चीन में कोई भी विदेशी कानूनी व्यक्ति अथवा व्यक्ति भी निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और सार्वजनिक बोली प्रक्रिया के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण और उपयोग कर सकता है।
 - v. आपूर्तिकर्ताओं द्वारा चीनी उत्पादकों/निर्यातकों को जिस दर पर बिजली की आपूर्ति की जाती है, वह वाणिज्यिक, निकटस्थ आधार पर आधारित होती है। अतः, इस संबंध में कोई सब्सिडी नहीं है। चीन जन. गण. में बिजली की दरें बाजार के कारकों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं और कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर आपूर्ति होती है।

III. प्राधिकारी द्वारा जांच

कार्यक्रम क्रमांक 29- पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कच्ची सामग्री का प्रावधान

116. प्राधिकारी ने पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर इनपुट के प्रावधान की जांच शुरू की और जांच की शुरुआत की सूचना में कार्यक्रम संख्या 29 के रूप में पहचान की।
117. चीनी सरकार तथा चीन के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग और सूचना के अभाव में, और यह मानते हुए कि वर्तमान जांच पहले सिफारिश की गई सीवीडी की निर्णायक समीक्षा जांच है, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित पिछली जांच, याचिका में निहित सूचना, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना, और वर्तमान तथा पिछली जांच के रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विश्वास किया है।
118. प्राधिकारी ने पहले ही इस कार्यक्रम को मूल जांच में प्रतिकारयोग्य पाया है और अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग को यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

पैरा 396. कार्यक्रम 61 के तहत, स्टेनलेस स्टील स्क्रैप स्टेनलेस स्टील के उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चा सामग्री है। घरेलू उद्योग द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि स्क्रैप की आपूर्ति, व्यापार और कीमत निर्धारण नीति चीन सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कई नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से नियंत्रित की जाती है, जिसमें स्क्रैप पर उच्च निर्यात शुल्क शामिल है, जो घरेलू बाजार में प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमत को कृत्रिम रूप से कम रखता है। यह भी नोट किया जाता है कि मिन मेटल जैसे बड़े सरकारी स्वामित्व वाले इस्पात उद्यम चीन में स्क्रैप के व्यापार और कीमत निर्धारण को महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं।

397. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की विगत में कुछ अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा जांच की गई है तथा इस कार्यक्रम की मौजूदगी और प्रतिकारयोग्यता यूरोपीय संघ, सर्टेन ऑर्गेनिक कोटेड स्टील में सिद्ध की गई है। इसके अतिरिक्त, चीन सरकार ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि यह कार्यक्रम अपने किसी भी रूप में मौजूद नहीं है अथवा प्रतिकारयोग्य सब्सिडी प्रदान नहीं करता है।

398. कार्यक्रम 63 और 64 के तहत, प्राधिकारी नोट करते हैं कि लौह और इस्पात उद्योग के विकास के लिए चीन सरकार की नीतियां इस्पात कंपनियों को कुछ तरीकों से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, निवेशों पर कुछ शर्तें निर्धारित करती हैं और अधिकारियों द्वारा अनुमोदन के अधीन निवेश करती हैं, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती हैं और यहां तक कि गैर-अनुपालन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध भी लगाती हैं। इसके अतिरिक्त, इस्पात उद्योग के लिए चीन की 12वीं पंचवर्षीय योजना इस्पात कंपनियों के व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करती है तथा लागत संरचना और कीमतों पर प्रभाव डालती है। साथ ही चीन की कम्प्युनिस्ट पार्टी का संविधान सार्वजनिक स्वामित्व की प्राथमिक भूमिका निर्धारित करता है, उदाहरण के लिए, सीसीपी के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है: "पक्षकार को बुनियादी आर्थिक प्रणाली को बनाए रखना और सुधारना चाहिए, जिसमें वह सार्वजनिक स्वामित्व प्रमुख भूमिका निभाए।"

400. न तो चीन सरकार, न ही संबंधित उत्पादकों ने इन एसओई पर चीन सरकार के नियंत्रण की मात्रा और सीमा के संबंधी में कोई सूचना दी है और क्या ये एसओई एएससीएम के अनुसार शब्द के अभिप्राय से सार्वजनिक निकाय हैं। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि ये एसओई काफी हद तक सरकार द्वारा नियंत्रित हैं और ऊपर उल्लिखित राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं। अतः, उन्हें सरकार के कार्यों का निर्वहन करने वाले सार्वजनिक निकायों के रूप में माना जाता है। अतः, इन एसओई द्वारा एलटीएआर पर सामानों के प्रावधान में सब्सिडी है। चीन सरकार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से किसी विशेष सूचना के अभाव में प्राधिकारी इन एसओई को सार्वजनिक निकायों के रूप में मानते हैं, और एएससीएम के अनुसार सब्सिडी के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक राशि से कम पर उनके द्वारा आगे के प्रसंस्करणकर्ता को सामानों की आपूर्ति करता है। चूंकि कार्यक्रम एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित है और सीमित संख्या में उद्यमों द्वारा इसका लाभ उठाया जाता है, अतः सब्सिडी विशिष्ट है और अतः, प्रतिकार योग्य है।

401. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम 65 के तहत, निकल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम जैसी दुर्लभ पृथ्वी सामग्री के उत्पादन वितरण और कीमत निर्धारण पर चीन सरकार का महत्वपूर्ण नियंत्रण है, जो स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में जाता है। इन कार्यक्रमों को हाल ही में अमेरिकी प्राधिकारियों द्वारा प्रतिकारयोग्य ठहराया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी इस कार्यक्रम को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रतिकारयोग्य मानते हैं।

402. आवेदकों ने वर्ष 2015 के लिए शांक्सी ताइगैंग स्टेनलेस स्टील कंपनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए विवरण के आधार पर सब्सिडी मार्जिन का दावा किया है। चूंकि चीन सरकार ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, अतः सीवीडी मार्जिन चीन सरकार और उत्तरदाता निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। चीन सरकार और चीनी उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्य के आधार पर सब्सिडी मार्जिन की मात्रा निर्धारित की है। उपर्युक्त कार्यक्रम संख्या 61, 63, 64 और 65 में इस प्रकार निर्धारित सब्सिडी मार्जिन 13.04% है।

119. यहां जांचे जा रहे कार्यक्रम में, चीनी इस्पात क्षेत्र के आर्थिक और संस्थागत ढांचे के अलावा, जैसा कि पहले ही ऊपर विस्तार से जांच की जा चुकी है, जो प्रभावी रूप से पूरे इस्पात क्षेत्र को विकृत कर रहा है, जीओसी ने भी विशिष्ट उपाय किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कच्चे माल की कमी हुई है। स्टील उद्योग द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा चीनी उत्पादकों/निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमतों से कम कीमतों पर उपलब्ध हो रहा है। जीओसी ने स्क्रैप और फेरोक्रोम पर 40% और फेरोसिलिकॉन पर 25% का निर्यात शुल्क लगाया है। ये इनपुट उत्पाद के उत्पादन में एक प्रमुख लागत का गठन करते हैं। चीन हर साल नोटिस जारी करता है जिसे टैरिफ एडजस्टमेंट प्लान के नाम से जाना जाता है। यह नोटिस किसी दिए गए वर्ष के दौरान कुछ उत्पादों पर लागू विशिष्ट निर्यात शुल्क दरों को निर्धारित करता है। यह नोट किया जाता है कि इन उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाना जारी रहा। विशेष रूप से प्रमुख इनपुट सामग्रियों पर निर्यात प्रतिबंध या निर्यात शुल्क लगाने से, निर्यात कर लगाने वाले देश और अंतरराष्ट्रीय बाजार के बीच मूल्य में काफी अंतर होता है। निर्यात उपाय चाहे चीन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हों या शुल्क, यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि डाउनस्ट्रीम उद्योग को सस्ते कच्चे माल तक पहुंच प्राप्त हो। इस तरह के अधिरोपण के पीछे अर्थशास्त्र यह है कि घरेलू बाजार में बढ़ी हुई आपूर्ति, जो आवश्यक रूप से बढ़ी हुई मांग से जुड़ी नहीं है, उन उत्पादों की घरेलू कीमतों को नीचे की ओर ले जाती है। सस्ते कच्चे माल का मतलब उत्पादन की कम लागत है और डाउनस्ट्रीम उद्योग को डाउनस्ट्रीम उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों को कम करने और तैयार उत्पादों के अपने निर्यात का विस्तार करने में सक्षम बनाता है। चीन ऊपर बताए गए कच्चे माल पर निर्यात शुल्क लगाकर इस्पात क्षेत्र को कच्चे माल की कीमतों में कमी कर प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी प्रदान कर रहा है। यह भी देखा गया है कि एसओई 13वीं पंचवर्षीय योजना के अनुरूप इस्पात क्षेत्र में उत्पादकों को पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कच्चे माल की आपूर्ति जारी रखे हुए हैं।
120. सब्सिडी पर समझौते के अनुच्छेद 1.1 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(1) की व्याख्या और प्रतिसंतुलनकारी उपाय ("एएससीएम") प्रदान करता है कि "सब्सिडी" मौजूद मानी जाती है यदि निर्यात या निर्यात में सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा "वित्तीय योगदान" है उत्पादक देश या क्षेत्र, या जब ऐसी सरकार किसी भी प्रकार का अनुदान देती है या उसका खरखवाव करती है "आय या मूल्य समर्थन", और इस प्रकार एक लाभ प्रदान किया जाता है। द्वारा वित्तीय योगदान ए कहा जाता है कि सरकार या सार्वजनिक निकाय अस्तित्व में है जहाँ:
- सरकारी अभ्यास में धन का प्रत्यक्ष (या संभावित) हस्तांतरण शामिल है,
 - सरकारी राजस्व जो अन्यथा बकाया है, छोड़ दिया गया है या एकत्र नहीं किया गया है,
 - सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर या खरीद के अलावा वस्तुओं या सेवाओं का प्रावधान सरकार द्वारा माल, या
 - सरकार एक वित्त पोषण तंत्र को भुगतान करती है, या सौंपती है या निर्देशित करती है निजी निकाय खंड में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रकार के कार्यों को करने के लिए (i) से (iii) ऊपर।
121. सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा "वित्तीय योगदान" का एक अनिवार्य घटक है धारा 9 के तहत "सब्सिडी"। एक वित्तीय योगदान, हालांकि, हमेशा एक होना जरूरी नहीं है सरकार द्वारा प्रत्यक्ष योगदान लेकिन वहां भी मौजूद हो सकता है जहां एक सरकार अप्रत्यक्ष रूप से, अपने नीतिगत उपायों के माध्यम से, निजी पार्टियों को माल (कच्चा सामग्री) विश्व बाजार की कीमतों के नीचे। प्राधिकरण ने पिछली कई जांचों में, जैसे कि "कंटीन्यूअस कास्ट कॉपर वायर" के आयात से संबंधित सब्सिडी-रोधी जांच में रॉड्स" इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से, और "कुछ हॉट रोलड और चीन से कोल्ड रोलड स्टेनलेस स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स" ने माना कि यह प्रतिसंतुलनकारी है "वित्तीय योगदान" के रूप में सब्सिडी मौजूद है जहां वस्तु और मंशा पीछे है कच्चे माल पर निर्यात प्रतिबंध लगाना ऐसे कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए है एलटीएआर में डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए।

122. यह नोट किया गया है कि 31 जुलाई 2019 को जारी चीन से वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब के मामले में प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अंतिम निष्कर्षों में यह भी पाया गया कि स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब के उत्पादन में इनपुट के रूप में कच्चे माल का उपयोग किया जा रहा है, प्रतिकारणीय सब्सिडी है। इसके अलावा, निम्नलिखित मामलों में अन्य प्राधिकरणों ने भी इस्पात क्षेत्र को विकृत पाया
- ए) 2 मई 2019 को चीन से कुछ ऑर्गेनिक कोटेड स्टील के आयात पर लगाए गए काउंटरवेलिंग शुल्क की समाप्ति समीक्षा और 15 सितंबर, 2021 को चीन से स्टेनलेस स्टील कोल्ड-रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयात पर लगाए गए डंपिंग रोधी शुल्क की समाप्ति समीक्षा; यूरोपीय आयोग द्वारा जांच की गई। यह देखा गया है कि उपरोक्त जांच में, सब्सिडी और विकृतियों के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए, यूरोपीय आयोग ने "पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण विकृतियों" पर अपने कर्मचारियों के कामकाजी दस्तावेज़ पर भरोसा किया।
- बी) 29 जून 2022 को चीन जनवादी गणराज्य से स्टेनलेस स्टील शीट और स्ट्रिप पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑर्डर की पहली सनसेट समीक्षा, अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा जांच की गई।
123. उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकरण का निष्कर्ष है कि पीयूसी के उत्पादकों को पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर चीनी उत्पादकों को कच्चा माल उपलब्ध कराना जारी है।
124. आवेदकों के निवेदनों से यह देखा गया है कि मूल जांच के बाद से इस कार्यक्रम को नियंत्रित करने वाले कानून में कोई बदलाव नहीं आया है। आवेदकों ने आगे तर्क दिया और अन्य जांच अधिकारियों के निष्कर्षों पर भरोसा किया जो यह निष्कर्ष निकालना जारी रखते हैं कि चीनी उत्पादकों/निर्यातकों को पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर इनपुट के प्रावधान से लाभ मिलना जारी है। न तो जीओसी और न ही चीनी निर्यातक उत्पादकों ने यह सुझाव देते हुए साक्ष्य प्रदान किया कि पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कच्चे माल के प्रावधान से स्टेनलेस स्टील उद्योग को लाभ मिलना बंद हो गया।
125. उपरोक्त जांच के आधार पर प्राधिकरण नोट करता है कि यह कार्यक्रम वर्तमान में लागू है और मूल जांच की तरह ही प्रतिसंतुलनीय लाभ प्रदान करना जारी रखता है।
126. जीओसी और चीनी निर्यातक उत्पादकों के सहयोग के अभाव में, प्राधिकरण के पास जांच की अवधि के दौरान प्रदान की गई सब्सिडी की राशि की गणना करने के लिए कोई कंपनी-विशिष्ट जानकारी नहीं है। चूंकि, वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है जहां प्राधिकरण को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से सब्सिडी की निरंतरता या पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी, और चीनी सरकार और उत्पादकों द्वारा न तो कोई सहयोग है, न ही कोई सबूत है कि मूल जांच की तुलना में सब्सिडी का स्तर कम या समाप्त हो गया है, तो प्राधिकरण सब्सिडी मार्जिन को फिर से निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझता है।
127. चूंकि आवेदकों द्वारा पहचाने गए कार्यक्रम संख्या 65, 66, 67 और 68 एक ऐसी योजना से संबंधित हैं जो समान लाभ प्रदान करते हैं, जैसाकि प्राधिकारी द्वारा कार्यक्रम संख्या 29 के रूप में जांच की गई है, न्यायिक अर्थव्यवस्था के हित में प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम की अलग से जांच नहीं की है।
128. उपर्युक्त जांच के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम जांच की अवधि के दौरान लागू रहा और विचाराधीन उत्पाद के चीनी उत्पादकों/निर्यातकों को प्रतिकारयोग्य लाभ प्रदान करता रहा।
- कार्यक्रम सं. 31- पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि का प्रावधान**
129. प्राधिकारी ने पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि के प्रावधान की जांच शुरू की और इस कार्यक्रम की पहचान जांच की शुरुआत की सूचना में कार्यक्रम संख्या 31 के रूप में की। प्राधिकारी ने मूल जांच में इस कार्यक्रम की जांच कार्यक्रम संख्या 60, 66 और 67 के रूप में की थी।
130. चीनी सरकार तथा चीन के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग और सूचना के अभाव में, और यह मानते हुए कि वर्तमान जांच पहले सिफारिश की गई सीवीडी की निर्णायक समीक्षा जांच है, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित पिछली जांच, याचिका में निहित सूचना, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना, और वर्तमान तथा पिछली जांच के रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विश्वास किया है।
131. प्राधिकारी ने पहले ही इस कार्यक्रम को मूल जांच में प्रतिकारयोग्य पाया है और अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग को यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

पैरा 387. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीआरसी के भूमि प्रशासन कानून के अनुसार, शहरी जिलों में भूमि सरकार के स्वामित्व में है, ग्रामीण क्षेत्रों और उपनगरीय क्षेत्रों में भूमि, अन्यथा राज्य द्वारा प्रावधान की गई भूमि को छोड़कर, सामूहिक रूप से स्थानीय निकाय के स्वामित्व में होगी। रियल राइट लॉ ऑफ द पीपुल्स चाइना के अनुच्छेद 137 के अनुसार, "चीन में भूमि उपयोग अधिकार बोली, नीलामी और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सौंपे जाते हैं। तथापि, पीआरसी, 2004 के भूमि प्रशासन कानून के अनुसार कुछ उद्योगों को रियायती दरों पर भूमि दी जाती है। उच्च और नए तकनीकी रूप से उन्नत उद्यम और उद्योगों की कुछ अन्य श्रेणियां भी पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर प्रशासनिक शुल्क और भूमि उपयोग के अधिकार के प्रावधान से छूट प्राप्त करती हैं।

388. यह कार्यक्रम कुछ विशिष्ट प्रकार के उद्योगों को सरकार द्वारा दी गई भूमि के लिए कम भूमि उपयोग शुल्क, किराये की दरों और खरीद मूल्य के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम कुछ प्रकार के व्यावसायिक उद्यमों तक सीमित है और प्राप्तकर्ताओं को लाभ प्रदान करता है, इसलिए, यह कार्यक्रम नियमावली के अभिप्राय से एक विशिष्ट सब्सिडी है,

389. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की विगत में कुछ अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा जांच की गई है और इस कार्यक्रम की मौजूदगी और प्रतिकारयोग्यता (क) यूरोपीय संघ के अधिकारियों द्वारा सर्टेन ऑर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पादों (ख) अमेरिका द्वारा चीन जन. गण. से कार्बन और सर्टेन अलॉय स्टील वायर रॉड में; (ग) कनाडा द्वारा सर्टेन स्टेनलेस स्टील सिंक्स में सिद्ध की गई है। यह भी नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम की मौजूदगी चीन द्वारा डब्ल्यूटीओ में जी/एससीएम/क्यू2/सीएचएम/42 में अधिसूचित की गई है। इसके अतिरिक्त, चीन सरकार ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि यह कार्यक्रम अपने किसी भी रूप में मौजूद नहीं है अथवा प्रतिकारयोग्य सब्सिडी प्रदान नहीं करता है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि उक्त कार्यक्रम एक प्रतिकारयोग्य सब्सिडी है।

132. भले ही प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम को प्रतिकारयोग्यता के रूप में रखा था, तथापि संगत सूचना और रिकॉर्ड में साक्ष्य के अभाव में इस योजना के तहत कोई लाभ निर्धारित नहीं किया गया था। तथापि, वर्तमान जांच में, आवेदकों ने इस कार्यक्रम की जांच की मांग की है और लाभ की मात्रा निर्धारित करने के लिए संगत सूचना और साक्ष्य दिए हैं। अतः, प्राधिकारी ने इस योजना की विस्तार से जांच की है।
133. भूमि प्रशासन कानून के अनुच्छेद 2 में यह प्रावधान है कि चीन में सभी भूमि सरकार के स्वामित्व वाली हैं। चीनी संविधान और संगत कानूनी प्रावधानों के अनुसार, भूमि सामूहिक रूप से चीन के लोगों की है। कोई भी भूमि बेची नहीं जा सकती है लेकिन कानून के अनुसार भूमि उपयोग के अधिकार सौंपे जा सकते हैं। आवेदकों ने यह तर्क दिया कि चीन में भूमि अधिकारों के उपयोग से संबंधित स्थिति गैर-पारदर्शी है, और कीमतें अधिकारियों द्वारा बिना किसी पारदर्शी प्रचारित पद्धति और प्रक्रिया के निर्धारित की जाती हैं। इस्पात क्षेत्र में, औद्योगिक भूमि का उपयोग कानून द्वारा केवल सरकार द्वारा निर्धारित औद्योगिक नीतियों का सम्मान करने वाली कंपनियों तक ही सीमित है।
134. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब के मामले में अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम में, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चीनी निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा भुगतान किए जा रहे भूमि उपयोग अधिकार पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर हैं और इसलिए यह एक प्रतिकारयोग्य सब्सिडी है। चीन जन. गण. (2019) से सर्टेन ऑर्गेनिक कोटेड स्टील के आयातों पर यूरोपीय आयोग द्वारा और चीन जन. गण. (2022) से स्टेनलेस स्टील शीट और स्ट्रिप के मामले में अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा की गई सीवीडी जांच में, उन अधिकारियों द्वारा यह पाया गया है कि महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप के कारण, चीनी भूमि की कीमतें बिना किसी कार्यशील बाजार के विकृत हो गई हैं। अतः, यूरोपीय संघ और अमेरिकी प्राधिकारियों, दोनों ने चीनी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्राप्त किए जा रहे लाभ की मात्रा निर्धारित करने के लिए बाहरी निर्धारण पर विश्वास किया।
135. इस जांच में प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी मानते हैं कि चीन में बाजार स्थितियां प्रचलित नहीं हैं, और इसलिए पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि के उपयोग के लिए प्राप्त होने वाले लाभ की मात्रा निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी बाहरी निर्धारण पर विश्वास करना उपयुक्त पाते हैं।
136. उपर्युक्त जांच के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम जांच की अवधि के दौरान लागू रहा और विचाराधीन उत्पाद के चीनी उत्पादकों/निर्यातकों को प्रतिकारयोग्य लाभ प्रदान करना जारी रखा।

सब्सिडी मार्जिन का परिकलन

137. जीओसी और चीनी निर्यातक उत्पादकों के सहयोग के अभाव में, प्राधिकरण के पास जांच की अवधि के दौरान प्रदान की गई सब्सिडी की राशि की गणना करने के लिए कोई कंपनी-विशिष्ट जानकारी नहीं है। आवेदकों ने स्टेनलेस स्टील उत्पादक की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर मात्रा का ठहराव प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पर्याप्त पुष्टिकारी सूचना के अभाव में मूल जांच में सब्सिडी मार्जिन की गणना नहीं की गई थी। हालांकि, चूंकि अब जानकारी उपलब्ध करा दी गई है, इसलिए प्राधिकरण सब्सिडी राशि की मात्रा निर्धारित कर रहा है। इस संबंध में एक उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में ताइवान से प्राप्त जानकारी का उपयोग करना उचित माना जाता है। यूरोपीय आयोग ने चीन जनवादी गणराज्य में उत्पन्न होने वाले कुछ कार्बनिक लेपित इस्पात उत्पादों के मामले में भी ताइवान में प्रचलित कीमतों को बेंचमार्क माना था। सब्सिडी मार्जिन की गणना एक चीनी स्टेनलेस स्टील निर्माता द्वारा भुगतान किए गए वार्षिक भूमि किराए की तुलना ताइवान के वार्षिक भूमि किराए से की गई है, जो आवेदकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर शामिल पार्टियों द्वारा असहयोग को देखते हुए की गई है। इस प्रकार, प्राधिकरण ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सब्सिडी मार्जिन को 0.96% के रूप में निर्धारित किया है।
138. चूंकि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में आवेदकों द्वारा पहचान किए गए कार्यक्रम संख्या 57 और 59 एक ऐसी योजना से संबंधित हैं जो प्राधिकारी द्वारा कार्यक्रम संख्या 31 के रूप में जांच किए गए लाभ के समान लाभ प्रदान करते हैं, अतः प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम की जांच न्यायिक अर्थव्यवस्था के हित में अलग से नहीं की है।

कार्यक्रम सं. 32 पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर बिजली का प्रावधान

139. प्राधिकारी ने पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर बिजली के प्रावधान की जांच शुरू की और जांच की शुरुआत की सूचना में कार्यक्रम संख्या 32 के रूप में इस कार्यक्रम की पहचान की। प्राधिकारी ने मूल जांच में इस कार्यक्रम की जांच कार्यक्रम संख्या 58 के रूप में की थी।
140. चीनी सरकार तथा चीन के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग और सूचना के अभाव में, और यह मानते हुए कि वर्तमान जांच पहले सिफारिश की गई सीवीडी की निर्णायक समीक्षा जांच है, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित पिछली जांच, याचिका में निहित सूचना, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना, और वर्तमान तथा पिछली जांच के रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विश्वास किया है।
141. प्राधिकारी ने पहले ही इस कार्यक्रम को मूल जांच में प्रतिकारयोग्य पाया है और अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग को यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

पैरा 373. उपलब्ध सूचना के अनुसार, चीन में एक सार्वजनिक निकाय राष्ट्रीय विकास सुधार आयोग (एनडीआरसी) चीन के विभिन्न प्रांतों में लागू बिजली की कीमतों को निर्धारित करता है। प्रांतों में स्थानीय मूल्य ब्यूरो एनडीआरसी द्वारा केंद्रीय स्तर पर लिए गए निर्णय के कार्यकारी अंग के रूप में कार्य करते हैं। एनडीआरसी प्रत्येक प्रांत के लिए शुल्क निर्धारण नोटिस जारी करता है। इन नोटिसों को औपचारिक रूप से स्थानीय मूल्य ब्यूरो द्वारा अपनाए गए स्थानीय नोटिसों में बदल दिया जाता है और स्थानीय स्तर पर लागू किया जाता है। कुछ क्षेत्रों और/अथवा प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर लागू विभिन्न बिजली दरों को कुछ कारकों के अनुसार निर्धारित किया जाता है, विशेष रूप से केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उनकी 5-वर्षीय योजनाओं और क्षेत्रीय योजनाओं में निर्धारित औद्योगिक नीति लक्ष्यों के अनुसरण में।

374. उपर्युक्त कार्यक्रम निम्नलिखित से शासित हैं:

- गुआ फा 2004 संख्या 20, सूची-एनडीआरसी का आदेश संख्या 35- लौह और इस्पात उद्योग के विकास के लिए नीतियां -2005;
- निर्णय संख्या 40 (2005)-एनडीआरसी; विद्युत कानून- 1995,
- चीन के विशाल पश्चिमी क्षेत्रों के विकास संबंधी कई नीतियों के संबंध में स्टेट काउंसिल का परिपत्र

375. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की विगत में निर्दिष्ट प्राधिकारी और कुछ अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा जांच की गई है तथा इस कार्यक्रम की मौजूदगी और प्रतिकारयोग्यता (क) विंड ऑपरेटेड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स के लिए कास्टिंग से संबंधित प्रतिकारी शुल्क जांचों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा; (ख) ऑर्गेनिक कोटेड स्टील, सोलर पैनेल्स में यूरोपीय संघ द्वारा; (ग) कार्बन और सर्टेन अलाय स्टील वायर रॉड, नॉन-ऑरियंटेड इलेक्ट्रिक स्टील में अमेरिकी प्राधिकारियों द्वारा सिद्ध की गई है। इसके अतिरिक्त, चीन सरकार ने

यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि यह कार्यक्रम अपने किसी भी रूप में मौजूद नहीं है अथवा प्रतिकारयोग्य सब्सिडी प्रदान नहीं करता है।

376. स्टेनलेस स्टील के कुछ उत्पादकों की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना से संकेत मिलता है कि सामान्य बिजली टैरिफ और उक्त उत्पादकों द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक टैरिफ तथा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के अंतर की मात्रा में काफी अंतर है। यह कार्यक्रम उन उद्यमों को रियायती दरों पर बिजली के प्रावधान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो पसंदीदा क्षेत्रों में स्थित हैं अथवा उद्यमों को प्रोत्साहित उद्योगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत लाभ कुछ प्रकार के व्यावसायिक उद्यमों तक सीमित हैं और इसलिए, यह कार्यक्रम नियमावली के अभिप्राय से विशिष्ट है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि यह कार्यक्रम प्रतिकारयोग्य सब्सिडी है।

142. यह देखा जाता है कि चीन के विशाल पश्चिमी क्षेत्रों के विकास के लिए कई नीतियों से संबंधित आदेश संख्या 35, निर्णय संख्या 40 और स्टेट काउंसिल का परिपत्र, रिकॉर्ड में सूचना के अनुसार अभी भी लागू हैं। आदेश संख्या 35 और निर्णय संख्या 40 के प्रभाव की यहां ऊपर विस्तार से जांच की गई है।
143. वर्तमान जांच में, आवेदकों ने तर्क दिया कि इस कार्यक्रम को नियंत्रित करने वाला कानून मूल जांच के बाद से नहीं बदला है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने यह साक्ष्य भी दिया है कि मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित कानून मौजूद हैं। न तो चीन सरकार और न ही चीनी उत्पादकों/निर्यातकों ने यह सुझाव देते हुए साक्ष्य दिया कि स्टेनलेस स्टील उद्योग ने पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर बिजली के प्रावधान से लाभ उठाना बंद कर दिया।
144. आवेदकों ने पीआरसी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण विकृतियों के संबंध में यूरोपीय आयोग के स्टाफ वर्किंग दस्तावेज़ के निष्कर्ष और चीन जन. गण. (2019) से सर्टेन ऑर्गेनिक कोटेड स्टील के आयातों पर लगाए गए प्रतिकारी शुल्क की समाप्ति समीक्षा; और चीन जन.गण. (2022) से स्टेनलेस स्टील कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति समीक्षा के मामले में यूरोपीय आयोग द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों पर भी विश्वास किया है। आवेदकों ने चीन जन. गण. से स्टेनलेस स्टील शीट और स्ट्रिप के मामले में अमेरिकी प्राधिकारी के अंतिम निर्धारण पर भी विश्वास किया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स के मामले में उस योजना की पहले जांच की थी और पाया कि चीनी उत्पादक पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर बिजली प्राप्त कर रहे हैं। यह देखा जाता है कि चीन में स्टेनलेस स्टील उत्पादक पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर बिजली प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार, रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के मद्देनजर, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि स्टेनलेस स्टील उत्पादकों को पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर बिजली का लाभ मिलना जारी है।
145. तदनुसार, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि यह दर्शाने वाले पर्याप्त साक्ष्य हैं कि प्रतिकारयोग्य सब्सिडी के रूप में पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर बिजली का प्रावधान जांच की अवधि के दौरान जारी रहा।
146. चीन सरकार और चीनी निर्यातक उत्पादकों से सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी के पास जांच की अवधि के दौरान दी गई सब्सिडी की राशि की गणना करने के लिए कोई कंपनी-विशिष्ट सूचना नहीं है। आवेदक ने स्टेनलेस स्टील उत्पादकों में से एक स्टेनलेस स्टील उत्पादक की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर मात्रा प्रस्तुत की है। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और चीनी उत्पादकों द्वारा जारी सब्सिडीकरण पाने के लिए कोई सहयोग नहीं है, तथा इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सब्सिडीकरण का स्तर उस समय कम हो गया है अथवा समाप्त हो गया है, जब मूल जांच से उसकी तुलना की जाए, अतः प्राधिकारी सब्सिडी मार्जिन की मात्रा पुनः निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझते।
147. उपर्युक्त जांच के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम वर्तमान में लागू है और मूल जांच की तरह ही प्रतिकारयोग्य लाभ प्रदान करना जारी रखता है।
148. आवेदकों ने कोयले अथवा कोकिंग कोयले से संबंधित योजनाओं की पहचान की है। तथापि, कोयले अथवा कोकिंग कोयले का उपयोग बिजली के उत्पादन/सृजन में किया जाता है। मूल जांच में प्राधिकारी के निर्धारण को ध्यान में रखते हुए कि पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कोयले अथवा कोकिंग कोयले के प्रावधान से होने वाले लाभ की मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बिजली पहले से ही प्रतिकारयोग्य है, अतः प्राधिकारी ने वर्तमान निर्धारण के प्रयोजन के लिए न्यायिक अर्थव्यवस्था के हित में कार्यक्रम संख्या 30 और 58 की जांच नहीं की है।

149. उपर्युक्त जांच के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम जांच की अवधि के दौरान लागू रहा और विचाराधीन उत्पाद के चीनी उत्पादकों/निर्यातकों को प्रतिकारयोग्य लाभ प्रदान करना जारी रखा।

प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कुल सब्सिडी मार्जिन

150. उपर्युक्त 81 प्रतिकारयुक्त सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सब्सिडी मार्जिन इस प्रकार है:

क्रम सं.	उप-शीर्ष वार सब्सिडी कार्यक्रम	सब्सिडी मार्जिन
1.	अनुदान	0.55%
2.	निर्यात वित्तपोषण	0.00%
3.	कर और वेट प्रोत्साहन	2.30%
4.	सामान और सेवाओं का प्रावधान	16.74%
5.	तरजीही ऋण और उधार	0.32%
6.	इक्विटी	0.00%
	कुल	19.91%

झ. क्षति निर्धारण का सिद्धांत, क्षति की जांच और कारणात्मक संपर्क

I. घरेलू उद्योग के विचार

151. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. भारतीय उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद वैश्विक अधिशेष के परिणामस्वरूप वर्ष 2009 से भारतीय बाजार में आयात लगातार बढ़ा है। इसके अतिरिक्त, अनुचित कीमत वाले आयात एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित हो गए हैं।
- ii. घरेलू उद्योग को 15 वर्षों से अधिक समय से संबद्ध आयातों से पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई है। चीन के आयात और निर्यात के ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि कैसे वर्ष 2009 में, 12 वर्षों की अवधि में 10,809 मीट्रिक टन आयात से 4.2 लाख मीट्रिक टन निर्यात तक चीनी सरकार द्वारा दी गई भारी सब्सिडी दर्शाती है। दुनिया भर के विभिन्न देशों द्वारा चीन के विरुद्ध लगाए गए 15 से अधिक उपाय हैं।
- iii. आवेदक ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह आवेदक घरेलू उद्योग अर्थात् जेएसएल और जेएसएचएल, दोनों पर पाटित आयात के प्रभाव की जांच करें और संपूर्ण उद्योग के लिए जहां तक संबंधित सूचना प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई है, उसके अनुसार जांच करें।
- iv. वर्ष 2017 में शुल्क लगाए जाने के बाद से चीन से आयात में गिरावट आई। इंडोनेशिया से आयात बढ़ने लगा। अक्टूबर, 2020 में इंडोनेशियाई उत्पादों पर सीवीडी लागू होने के बाद चीन से आयात में वृद्धि हुई। फरवरी, 2021 में लगाए गए सीवीडी को समाप्त कर दिया गया था और जांच की अवधि अप्रैल-जून 2021 की अंतिम तिमाही में चीन से आयात में काफी तेजी आई थी।
- v. आयात में यह वृद्धि देश में मांग में गिरावट के बावजूद है। आयात में प्रमुख वृद्धि 200 शृंखलाओं की है, जो बड़े पैमाने पर बर्तनों के लिए जाती है, जो पट्टा क्षेत्र के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में है। मासिक आयात अब 80,000 मीट्रिक टन प्रति माह है।
- vi. भारत में विचाराधीन उत्पाद की संयुक्त क्षमता वर्तमान 30 लाख मी. टन की मांग की तुलना में लगभग 50 लाख मी. टन है। आयातों से समग्र रूप से भारतीय उद्योग को क्षति हो रही है।
- vii. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2019-20 में अपनी क्षमता में वृद्धि की, जो जांच की अवधि में पूरी तरह से प्रचालनात्मक हो गई। वर्ष 2019-20 तक उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई तथा उसके बाद जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई। जांच की अवधि में मांग में गिरावट के बाद भी चीन से आयातों में वृद्धि हुई है। इस

प्रकार, घरेलू उद्योग हानि अथवा मांग के कुछ बुरे प्रभावों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं रहा है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग नुकसान या मांग के कुछ दुष्प्रभावों को रोकने में सक्षम नहीं है।

- viii. 200 श्रृंखलाओं में याचिकाकर्ता की लाभप्रदता में सुधार आया है। तथापि, 200 श्रृंखलाओं के भीतर लाभप्रदता का और पृथक्करण यह दर्शाएगा कि आवेदकों को उन ग्रेडों में हानि उठानी पड़ रही है जो चीन को सीधे प्रतिस्पर्धा में बेची जाती हैं। आवेदक चीन से कम कीमत वाले आयातों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं।
- ix. आवेदकों ने अपने अनुरोधों में क्षति मापदंडों का खंड-वार विश्लेषण प्रस्तुत किया है। यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता और अन्य भारतीय उत्पादक उत्पादों के व्यापक उत्पाद (जांच की अवधि के दौरान उत्पाद की 42 विभिन्न किस्में) बेच रहे हैं, जबकि चीन से आयात केवल सीमित किस्में (उत्पाद की 26 किस्में) हैं। यह दावा किया गया था कि शुल्क की वापसी की समाप्ति का प्रभाव केवल भारतीय उत्पादकों द्वारा बेचे गए उन उत्पादों पर देखा जा सकता है जो चीन से आयात ("प्रतिस्पर्धी खंड") के साथ प्रतिस्पर्धा में हैं।
- x. अपने प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ताओं का यह तर्क है कि चीन से 90 प्रतिशत आयात 200 श्रृंखलाओं में होता है और इस प्रकार आयात में वृद्धि का प्रभाव उत्पाद के इस खंड पर दिखाई देता है। याचिकाकर्ता यह भी उल्लेख करते हैं कि 200 श्रृंखला का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे बर्तन, निर्माण, पाइप और ट्यूब आदि के लिए किया जाता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्मित विशिष्ट ग्रेड जो बर्तन उत्पादन में जाते हैं, वे हैं जे1एस, जे2एस, जे5, जे6, जे7, जे8। याचिकाकर्ताओं ने तथाकथित रूप से उत्पाद की मोटाई के आधार पर प्रतिस्पर्धी क्षेत्र बनाम गैर-प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के आयात की पहचान की है।
- xi. याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि 200 श्रृंखलाओं के लगभग 70% आयात बर्तनों के लिए हैं और पट्टा क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी खंडों में संबद्ध आयातों के आर्थिक प्रभावों के संबंध में निम्नानुसार आंकड़े उपलब्ध कराए हैं :

(क) 200 श्रृंखला की मांग में बाजार हिस्सा

विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि	जांच की अवधि (वार्षिक)
चीन	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	59	59	145	145
इंडोनेशिया	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	307	1336	186	186
अन्य देश	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	332	406	558	558
कुल आयात (क+ख+ग)	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	152	184	184
याचिकाकर्ता की बिक्रियां	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	82	80	80
भारतीय उत्पादकों को छोड़कर अन्य बिक्रियां	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	104	100	100

एमएसएमई	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	103	95	95
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	112	123	123
समग्र रूप से घरेलू उत्पादक	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	95	92	92
कुल मांग	%	100	100	100	100	100

(ख) प्रतिस्पर्धी खंड में भारतीय उत्पादकों, घरेलू उद्योग और चीन द्वारा बिक्री की तुलना
प्रतिस्पर्धी खंड

विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (वार्षिक)
चीन	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	58	65	138
जेएसएचएल	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	68	36	36
अन्य भारतीय उत्पादक	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	112	92

(ग) प्रतिस्पर्धी खंड में जांच की अवधि के बाद तक घरेलू उद्योग की बिक्री और आयात की तुलना
प्रतिस्पर्धी खंड

विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (वार्षिक)	जुलाई, 22- मार्च, 22	अप्रैल, 22- दिसंबर, 22
चीन	मी. टन	79,231	45,703	51,105	1,09,152	2,43,031	3,68,704
जेएसएचएल	मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	68	36	36	53	30

जेएसएल + जेएसएचएल

प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी

विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (वार्षिक)
लागत					
प्रतिस्पर्धी	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	94	96

विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (वार्षिक)
गैर-प्रतिस्पर्धी	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	98	104
कुल	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	98	103
बिक्री कीमत					
प्रतिस्पर्धी	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	88	96
गैर-प्रतिस्पर्धी	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	96	105
कुल	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	99	109
लाभ/(हानि)					
प्रतिस्पर्धी	रु./मी. टन	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	182	164	88
गैर-प्रतिस्पर्धी	रु./मी. टन	***	(***)	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(2)	72	121
कुल	रु./मी. टन	***	(***)	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(214)	164	371

प्रतिस्पर्धी (जेएसएचएल पर आधारित)

विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (वार्षिक)	जुलाई, 22 - मार्च, 22	अप्रैल, 22 - दिसंबर, 22
लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	94	96	132	135
बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	88	96	135	133
लाभ/(हानि)	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(182)	(164)	(88)	(99)	(158)

- xii. इंडोनेशिया से आयात में काफी वृद्धि के कारण वर्ष 2019-20 में घरेलू और भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई। पूर्व में चीन पर सीवीडी लगाए जाने से वर्ष 2019-20 तक चीन के बाजार हिस्से में गिरावट

- आई थी। तथापि, इंडोनेशिया पर सीवीडी लगाए जाने और चीन पर सीवीडी की समाप्ति/निरसन के कारण इंडोनेशिया के बाजार हिस्से में गिरावट आई तथा चीन के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई।
- xiii. मार्च, 2019 तक घरेलू उद्योग के पास मालसूची के स्तर में गिरावट आई। उत्पादन में गिरावट के कारण जांच की अवधि में उत्पादकता में गिरावट आई।
- xiv. वर्तमान सीवीडी जांच में कीमत कटौती और क्षति मार्जिन में काफी वृद्धि हुई है।
- xv. समर्थकों के आर्थिक निष्पादन के आंकड़े नाजुक नहीं बताते हैं। इस अवधि के दौरान एमएसएमई उत्पादकों की क्षमता में वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 तक उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई तथा जांच की अवधि में गिरावट आई। उत्पादन और बिक्री में क्रमशः 30% और 29% तक गिरावट आई, जबकि मांग में केवल 14% तक गिरावट आई।
- xvi. शुल्क लगाए जाने के बाद भारतीय उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ। तथापि, भारतीय उद्योग को वर्ष 2018-19 में हानियां होनी शुरू हुईं जब इंडोनेशिया और अन्य देशों से आयात पाटित और रियायती दरों पर बढ़ गये। इसके बाद वर्ष 2019-20 में पाटित और सब्सिडीयुक्त आयात में काफी वृद्धि के साथ निष्पादन कम रहा। अन्य देशों और अन्य बाजार स्रोतों से आयातों में गिरावट के साथ जांच की अवधि में लाभप्रदता में वृद्धि हुई जो बाजार भावना के पक्ष में थी। उत्पादकों का निवश पर आय उचित स्तर से काफी कम है।
- xvii. इंडक्शन फर्नेस उद्योग, अर्थात् मेल्टिंग इकाइयां, पट्टा क्षेत्र की बिक्री पर निर्भर हैं। चूंकि पट्टा आयात के कारण इन मेल्टिंग इकाइयों से अपनी क्षमता और स्रोत माल का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं, यहां तक कि इंडक्शन फर्नेस इकाइयां भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं।
- xviii. समग्र रूप से भारतीय उद्योग का कार्यनिष्पादन जांच की अवधि में चीन से आयातों के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है। एमएसएमई, जो केवल 200 श्रृंखला उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं, चीन से आयात के कारण हानि उठा रहे हैं।
- xix. सीवीडी मार्जिन, कीमत कटौती और क्षति मार्जिन पहले की तुलना में काफी अधिक हैं। शुल्कों की समाप्ति के बाद काफी कम कीमत पर आयात में काफी वृद्धि हुई है।
- xx. आवेदकों ने प्रतिस्पर्धी खंड के लिए केवल जेएसएचएल के निष्पादन का उल्लेख किया है क्योंकि केवल जेएसएचएल उन सामानों को पट्टे पर बेचता है न कि जेएसएल को।
- xxi. चीन से लगभग 90% आयात 200 श्रृंखलाओं के हैं जिनका मात्रा और कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जांच की अवधि में, आवेदक व्यापक उत्पादों (42 किस्मों) की बिक्री कर रहे हैं और चीनी आयात केवल 26 किस्मों तक तक ही सीमित थे। सीवीडी की समाप्ति और वापसी का प्रभाव चीनी उत्पादकों द्वारा बेची जा रही उत्पाद किस्मों पर सबसे अधिक दिखाई देता है। याचिकाकर्ता ने इस कारण से चीनी आयातों - प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी के विरुद्ध दो खंडों में आवेदकों और भारतीय उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण किया।
- xxii. आवेदकों ने उन आयातों की पहचान की जो मोटाई के आधार पर प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में जाते हैं। बर्तनों के लिए 0.55 मिमी तक का आयात होता है, 0.56 मिमी से 0.80 मिमी के बीच पाइप/ट्यूब और बर्तन दोनों में उपयोग किया जाता है (दोनों अनुप्रयोगों के बीच 1:1 का अनुपात माना जाता है) तथा पाइप/ट्यूब और सामान्य अनुप्रयोग के लिए 0.8 मिमी से अधिक मोटे का प्रयोग किया जाता है। 70% आयात बर्तनों के हैं और पट्टा-क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- xxiii. आयात की मात्रा में मुख्य रूप से जे3 और 201 ग्रेड शामिल हैं। मात्रा अधिक होने के अलावा, गैर-प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में आयात की तुलना में आयात की पहुंच कीमत भी काफी कम है। प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में हानि जांच की अवधि के बाद बढ़ी है, जो यह दर्शाती है कि जांच की अवधि में हानि शुल्कों द्वारा नियंत्रित की गई थी।
- xxiv. प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में समग्र रूप से भारतीय उत्पादकों, घरेलू उद्योग और चीन द्वारा की गई बिक्रियों की तुलना:
- xxv. सीवीडी के आधार वर्ष (2012-13) से, जैसे ही सीवीडी लगाया गया था, चीन से आयात कम होने शुरू हो गए और अन्य देशों से बढ़ने शुरू हो गए। अतः घरेलू उद्योग को संबद्ध सामानों के लिए पाटनरोधी शुल्क अनुप्रयोग के साथ आगे बढ़ना पड़ा। शुल्क न लगाए जाने के कारण अन्य देशों से आयात चीन और अब इंडोनेशिया से

आयात जितना काफी नहीं था। भारतीय बाजार में पाटित/ सस्सिडीयुक्त आयातों के कारण भारतीय उद्योग को हानियां हो रही हैं।

- xxvi. जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, सस्सिडीरोधी कार्रवाई लगाए जाने के बाद चीन और इंडोनेशिया प्रवृत्तियां यह दर्शाती हैं कि इंडोनेशिया से आयात यथातथ्यतः छद्म चीनी सेट अप हैं। चूंकि चीन से संबद्ध सामानों पर वर्तमान में सस्सिडी-रोधी शुल्क नहीं लगाया गया है, अतः चीन से आयात की मात्रा एक बार फिर काफी बढ़ गई है।
- xxvii. आवेदकों का तर्क है कि यह बिना किसी वैध कारण के है कि उत्तरदाताओं ने केवल 4 उत्पादकों अर्थात् हिसार मेटल्स, रियल स्ट्रिप्स, क्वालिटी फॉयल और वीर मेटल्स के आंकड़ों पर चुनिंदा टिप्पणी करने का विकल्प चुना है, जबकि विभिन्न अन्य उत्पादकों के लिए सूचना दी गई थी। प्राधिकारी के पास पूरी सूचना से पता चलता है कि इन उत्पादकों की लाभप्रदता उतनी उपयुक्त नहीं है, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है। आधार वर्ष में भारतीय उद्योग को पाटित/सस्सिडीयुक्त आयातों के कारण क्षति हो रही थी। यह प्रतिकूल निष्पादन कम कीमत वाले आयातों के कारण था।
- xxviii. निष्पादन में सुधार यह निर्धारित करने का एकमात्र कारक नहीं है कि शुल्कों ने अपना उद्देश्य पूरा किया है अथवा नहीं। आवेदकों का सुधार उस अवधि में अन्य कारकों की अस्थायी प्रकृति के कारण है।
- xxix. उत्तरदाता का यह तर्क कि शुल्क की समाप्ति मानदंड है और इसे जारी रखना एक अपवाद है, झूठ है। प्रतिकारी शुल्क भारतीय उद्योग के लिए हानिकारक विदेशी उत्पादकों द्वारा अनुचित कीमत के विरुद्ध एक निवारण है। यह उद्योग के लिए सुरक्षा नहीं है, बल्कि देश में उचित बाजार प्रतिस्पर्धा लाने का एक साधन है, जो अनुचित कीमत वाले आयातों द्वारा छीन लिया गया था। सस्सिडी-रोधी शुल्क को जारी रखने का उद्देश्य संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा किसी भी व्यापार विकृति को दूर करके और भारतीय उद्योग को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का अवसर देकर एक समान अवसर स्थापित करना है। अतः, जब तक विकृति मौजूद है, प्रतिकारी शुल्क के रूप में उपायों को जारी रखना होगा।

II. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

152. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक नहीं है, घरेलू उद्योग का आर्थिक निष्पादन अच्छा है।
 - आवेदकों द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रारूप एच संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि, संबद्ध आयातों की कीमत में गिरावट और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत में वृद्धि दर्शाता है।
 - तथापि, इन परिस्थितियों के बावजूद, जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा केवल 7% था, जबकि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 47% था और अन्य घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा 34% है।
 - घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा अन्य उत्पादकों के बाजार हिस्से के साथ मिलाकर 81 प्रतिशत हो जाता है।
 - जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग और घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में ऐसे समय में वृद्धि हुई जब आयात कीमत में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30% तक गिरावट आई और संबद्ध आयातों की मात्रा लगभग दोगुनी हो गई।
 - घरेलू उद्योग पूरी अवधि के दौरान घरेलू बिक्री कीमतों के समान स्तर को नियंत्रित करने में भी सक्षम नहीं था।
 - भारतीय उत्पादकों की क्षमता क्षति अवधि के पहले दो वर्षों में 16,00,000 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 16,75,00 मीट्रिक टन और जांच की अवधि में 19,00,000 मीट्रिक टन हो गई है।
 - यद्यपि विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है, तथापि जांच की अवधि में गिरावट की मात्रा 5% से कम है।
 - यद्यपि जांच की अवधि में क्षमता उपयोग में कमी आई है, तथापि इसे पिछले वर्ष की तुलना में स्थापित क्षमता में लगभग 15% तक वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। क्षमता में इस वृद्धि को जांच की अवधि में समाहित नहीं किया जा सका - अतः क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

- x. जांच की अवधि के दौरान गिरावट को छोड़कर पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू बिक्रियों की मात्रा में निरंतर वृद्धि हुई है। यह गिरावट केवल एक छोटी सी गिरावट है जो कोविड-19 के कारण हो सकती है।
- xi. वर्ष 2019-20 में गिरावट के अलावा, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है। वास्तव में, जांच की अवधि (वार्षिक) में यह उच्चतम थी। परिणामस्वरूप, घरेलू बिक्री कीमत ने उसी प्रवृत्ति का अनुसरण किया है।
- xii. रोजगार और उत्पादकता घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण मानदंड नहीं हैं, वे यह जांचने के लिए संगत हैं कि क्या घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक है।
- xiii. पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार स्तर स्थिर रहा है और जांच की अवधि के दौरान उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है।
- xiv. आवेदकों द्वारा साझा किया गया प्रोफार्मा IV-ए क्षति अवधि के दौरान उच्च वित्तीय वृद्धि दर्शाता है।
- xv. आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2018-19 को छोड़कर पूरी क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता में काफी वृद्धि हुई है। लाभप्रदता वर्ष 2019-20 में 102 सूचकांक से लगभग 500 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि (वार्षिक) में 671 सूचकांक हो गई है और नकद लाभ वर्ष 2019-20 में 116 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि (वार्षिक) में 275 सूचकांक हो गया है।
- xvi. आरओसीई लगभग 70 सूचकांक तक बढ़ा है।
- xvii. अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा दायर किए गए आंकड़े भी कोई नाजुकता नहीं दर्शाते हैं।
- xviii. हिसार मेटल्स का नकद लाभ वर्ष 2019-20 के 115 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि में 321 सूचकांक हो गया है। कर पूर्व लाभ वर्ष 2019-20 के 15 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि में 302 सूचकांक हो गया है। आरओसीई वर्ष 2019-20 के 68 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि में 110 सूचकांक हो गया है।
- xix. रियल स्ट्रिप्स लिमिटेड के लिए मूल्यहास से पूर्व लाभ, ब्याज और प्रति मी. टन कर 94 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि में 109 सूचकांक हो गया है।
- xx. क्वालिटी फॉयल का प्रति मी. टन नकद लाभ वर्ष 2019-20 में 108 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि में 136 सूचकांक हो गया है। इस अवधि में मूल्यहास, ब्याज और कर पूर्व लाभ भी 129 सूचकांक से बढ़कर 160 सूचकांक हो गया है।
- xxi. वीर मेटल्स की प्रति मीट्रिक टन निवल बिक्री वसूली वर्ष 2019 में 100 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि में 106 सूचकांक हो गई है। मूल्यहास, ब्याज और कर पूर्व लाभ वर्ष 2019-20 में 94 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि में 109 सूचकांक हो गया है।
- xxii. आवेदकों का यह तर्क कि अधिकतर क्षति 200 श्रृंखलाओं से आयातों के कारण हो रही है, खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि आवेदकों ने आंकड़ों के गौण स्रोतों का उपयोग करते हुए आयातों को अलग कर दिया है। तथापि, आवेदकों के लिखित अनुरोध यह स्पष्ट नहीं करते हैं कि आंकड़ों का यह गौण स्रोत क्या है और पृथक्करण के लिए क्या पद्धति रही है।
- xxiii. प्राधिकारी को 200 श्रृंखला के उत्पादों के आयातों से क्षति का विश्लेषण करते समय किए गए आंकड़ों तथा ग्रेड-वार और सीरीज-वार आंकड़ों का सत्यापन करना चाहिए।
- xxiv. आवेदकों ने शिकायत की गई विचाराधीन उत्पाद की श्रृंखला की कीमतों के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। ऐसे आंकड़ों के अभाव में, आवेदकों के दावों का कोई आधार नहीं है और वे खारिज किए जाने के योग्य हैं।
- xxv. सीमा प्रशुल्क अधिनियम और सीवीडी नियमावली के तहत क्षति विश्लेषण का क्षेत्र केवल घरेलू उद्योग तक ही सीमित होना चाहिए न कि समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों तक।
- xxvi. समर्थकों के आर्थिक निष्पादन आंकड़ों का उल्लेख करने का प्रयोजन यह जांच करना है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबंधित आयातों अथवा किसी अन्य कारकों के कारण है।

- xxvii. समर्थकों के आर्थिक निष्पादन के आंकड़े तभी संगत होते हैं जब घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो, जो वर्तमान मामले में है, जिसका घरेलू उद्योग दावा नहीं कर रहा है और न ही रिकॉर्ड के तथ्य उसका समर्थन करते हैं।
- xxviii. एमएसएमई के लिए रिकॉर्ड में रखे गये आंकड़े चुनिंदा इनपुट के साथ संभावित रूप से खराब हैं। आवेदकों ने उन एमएसएमई की पहचान नहीं की है जिनके आंकड़ों का आकलन किया जा रहा है; यह भी स्पष्ट नहीं है कि दायर किए गए एमएसएमई आंकड़ों के तहत केवल हानि में चल रहे एमएसएमई को शामिल किया गया है अथवा नहीं।
- xxix. आवेदकों ने यह दावा करने के लिए आंकड़ों के स्रोत का प्रकटन नहीं किया है कि स्टेनलेस स्टील के आयात को प्रवंचित किया गया है। आवेदकों द्वारा तथाकथित रूप से छद्म-चीनी सेट अप होने के नाते इंडोनेशियाई उत्पादन के रिकॉर्ड के संबंध में कोई सबूत नहीं है।
- xxx. विचाराधीन उत्पाद के चीनी उत्पादकों के प्रतिनिधि होने के नाते इंडोनेशियाई उत्पादन सुविधाओं के बारे में आवेदकों के आरोप सही हैं, यह संबद्ध आयातों पर सीवीडी को जारी रखने का आधार नहीं है। इस उद्देश्य के लिए एक अलग से प्रवंचनारोधी जांच होनी चाहिए।
- xxxi. घरेलू उद्योग 15 वर्षों से विभिन्न देशों से विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न रूपों और उप-समूहों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों के माध्यम से किसी न किसी रूप में संरक्षित रहा है।
- xxxii. आवेदकों ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि चीन संबद्ध सामानों के केवल "मूल ग्रेड" का निर्यात कर रहा है जिसका घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया जा सकता हो और यह कि कोई मांग-आपूर्ति अंतराल नहीं है।
- xxxiii. चीनी उत्पादकों को उत्पादों की किस्मों और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुकूलन योग्य गुणवत्ता के कारण प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल है, जो उन्हें बाजार में पसंदीदा विकल्प बनाती है। घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित "पट्टा" स्टील फ्लैटों की तुलना में चाइनीज कॉइल्स को प्राथमिकता दी जाती है।
- xxxiv. क्षति के पीसीएन-वार निर्धारण के संबंध में, कानून स्पष्ट है कि शुल्क को केवल समीक्षा में ही जारी रखा जा सकता है, यदि शुल्क को बंद करने से सब्सिडी और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना हो। अतः, क्षति मार्जिन सिद्ध करने के बजाय, सब्सिडी और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना को सिद्ध करना आवश्यक है।
- xxxv. आयात में मात्र वृद्धि घरेलू उद्योग को हानि की संभावना को नहीं दर्शाती क्योंकि फरवरी, 2021 से प्रतिकारी शुल्क के अभाव में घरेलू उद्योग का निष्पादन शानदार रहा है।
- xxxvi. वर्तमान मामले में, प्राधिकारी के पास "भविष्य" के निष्पादन अर्थात् जांच की अवधि के बाद, का पता लगाने का एक दुर्लभ अवसर है, क्योंकि सीवीडी फरवरी, 2021 से दो वर्ष की अवधि के लिए लागू नहीं हुआ है। अतः, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के जांच की अवधि के बाद के निष्पादन पर विचार करना चाहिए-
- xxxvii. सीवीडी की सिफारिश करने/उसे जारी रखने का कार्य केवल विगत प्रवृत्तियों के आधार पर नहीं किया जा सकता, जो एक परिकल्पना और अनुमान है तथा धारणा पर आधारित है। इसके बजाय, उन्हें केवल और केवल पाटन/सब्सिडी और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के मापदंड पर आधारित होना चाहिए।
- xxxviii. यदि घरेलू उद्योग भविष्य में किसी पाटन/सब्सिडी से पीड़ित है, तो उसके पास पाटनरोधी अथवा प्रतिकारी शुल्क जांच शुरू करने के अनुरोध के साथ प्राधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता है।
- xxxix. जांच की अवधि (वार्षिक) में संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा केवल 7% था जबकि जांच की अवधि (वार्षिक) में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 47% था। संबद्ध देश से आयात आवेदक के आर्थिक कार्यनिष्पादन के लिए तब भी खतरा पैदा नहीं कर सकते थे जब घरेलू उद्योग को कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था।
- xl. आवेदकों ने लिखित अनुरोध में दावा किया है कि संबद्ध आयातों के कारण क्षति हुई है, यह मौखिक सुनवाई के दौरान किए गए उनके अनुरोधों के विपरीत है कि वे संबद्ध आयातों के कारण क्षति का दावा नहीं कर रहे हैं।

- xli. यद्यपि, विचाराधीन उत्पाद की 200 सीरीज (बर्तन ग्रेड) का भारी आयात होता है, तथापि इसका इस संदर्भ में विश्लेषण किया जाना चाहिए कि भारत में बर्तन विनिर्माता कई कारणों से "पट्टा" स्टील की तुलना में स्टील कॉइल को पसंद करते हैं, जैसे कि मालसूची प्रबंधन, फिनिशिंग आदि।
- xlii. तथाकथित बड़ी हुई कीमत कटौती के बावजूद, आवेदक जांच की अवधि (वार्षिक) में अपनी घरेलू बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सक्षम रहे हैं।
- xliii. आवेदकों की, उनकी स्थापित क्षमता क्षति अवधि के पहले दो वर्षों में 16,00,000 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 16,75,000 मीट्रिक टन हो गई है, तथा जांच की अवधि में और बढ़कर 19,00,000 मीट्रिक टन हो गई है।
- xliv. आवेदक, सब्सिडी और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना का आरोप लगाते हुए, क्षमता विस्तार की दिशा में इतनी अधिक मात्रा में निवेश कर रहे हैं - यह दर्शाता है कि आवेदक पहले से ही अच्छे निष्पादन के अतिरिक्त भविष्य में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।
- xlvi. लाभप्रदता वर्ष 2019-20 में 102 सूचकांक से लगभग 500 सूचकांक बढ़कर जांच की अवधि (वार्षिक) में 671 सूचकांक हो गई है और नकद लाभ वर्ष 2019-20 में 116 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि (वार्षिक) में 275 सूचकांक हो गया है। यहां तक कि नियोजित पूंजी पर आय भी इस अवधि के दौरान लगभग 70 सूचकांक तक बढ़ी है।
- xlvi. आवेदकों के लिए प्रचालनों से राजस्व में पीबीआईटी का % लगभग 5-9% के बीच होता है जब शुल्क नहीं लगाया जाता था, जबकि यह प्रतिशत उस समय 12-13% तक बढ़ गया है जब सीवीडी या तो समाप्त कर दिया गया था अथवा लंबित कर दिया गया था, जैसा कि आवेदक कंपनियों की उनकी वार्षिक रिपोर्ट से देखा जा सकता है।
- xlvii. रोजगार के स्तर और उत्पादकता से संबंधित घरेलू उद्योग के दावों के संबंध में, उत्तरदाताओं का यह अनुरोध है कि वे क्षति अवधि के दौरान स्थिर रहे हैं, जबकि जांच की अवधि (वार्षिक) में उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है।
- xlviii. क्षति अवधि में मालसूची के स्तर से संबंधित घरेलू उद्योग के दावों के संबंध में, उत्तरदाता ने अनुरोध किया है कि तदनुसूची अवधि में बिक्री की मात्रा में वृद्धि के कारण मालसूची के स्तर में वृद्धि हुई है।
- xlix. गहन जांच से पूर्व एमएसएमई के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या केवल खराब निष्पादन करने वाले एमएसईएम के आंकड़ों को गलत और नकारात्मक परिणाम देने के लिए लिया गया है।
- i. घरेलू उत्पादकों के कार्यनिष्पादन में गिरावट के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा, छोटे उत्पादकों के लिए मात्रा की कमी, कई घरेलू उत्पादकों के लिए कच्ची सामग्री की कीमत निर्धारित करने में आवेदकों की भूमिका जैसे कई कारकों के संयोजन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
 - ii. फिर भी, गिरावट को जांच की अवधि की पहली तिमाही में कोविड-19 की शुरुआत को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
 - iii. भले ही यह मान लिया जाए कि घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक है, फिर भी यह संबद्ध आयातों के अलावा अन्य कारकों के कारण है।
 - liii. एससीएम करार के अनुच्छेद 15.4 और 15.5 के अनुसार, सब्सिडी के प्रभाव की जांच करते समय जांचकर्ता प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव डालने वाले कई कारकों का विश्लेषण करना चाहिए।
 - liv. डीजीटीआर के मैनुअल ऑफ ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेज फॉर ट्रेड रेमेडी इन्वेस्टिगेशन में उल्लेख किया गया है कि देश में उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप सभी आवेदकों को क्षति होती है, इसे सावधानी से देखा जाना चाहिए।
 - lv. दो आवेदक (अर्थात जेएसएल और जेएसडब्ल्यूएल) भारतीय बाजार में सबसे बड़ी कंपनियां हैं और अन्य छोटे उत्पादकों की तुलना में बाजार के काफी अधिक प्रतिशत पर कब्जा है।

- lvi. आवेदक तेजी से अधिक लाभ अर्जित करने में सक्षम हैं। घरेलू उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और उनके निष्पादन में तथाकथित कोई गिरावट परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण है।
- lvii. अन्य घरेलू उत्पादकों को उद्योग के दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया जाता है। प्राधिकारी को सहायक घरेलू उत्पादकों के निष्पादन पर ऐसी प्रतिस्पर्धा के प्रभाव का विश्लेषण करना चाहिए।
- lviii. घरेलू उत्पादकों की महत्वपूर्ण संख्या हॉट रोलड उत्पादों के कोल्ड रोलर्स मात्र हैं। ये उत्पादक आवेदकों से कच्ची सामग्री के रूप में संबद्ध सामानों की खरीद करते हैं और आगे प्रसंस्करण करते हैं। अतः आवेदकों के लाभ में काफी वृद्धि हुई है। यह अपस्ट्रीम हॉट-रोल्ड उत्पाद क्षेत्र के कम बाजार हिस्से का कारण है।
- lix. यदि आवेदक कई सहायक घरेलू उत्पादकों के लिए कच्ची सामग्री की कीमत का एक बड़ा हिस्सा निर्धारित करने की स्थिति में हैं, तो अन्य घरेलू उत्पादकों की तथाकथित नाजुकता को संबद्ध आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- lx. सब्सिडी और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना का निर्धारण करते समय केवल आवेदकों के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उत्पादकों का निष्पादन उनके और आवेदकों के बीच आंतरिक गतिशीलता पर अत्यधिक आधारित होता है।
- lxi. आवेदकों ने उक्त पैराग्राफों में ऐसा कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये हैं जो शिकायत किए गए आयातों की मात्रा और एमएसएमई उत्पादकों के आर्थिक निष्पादन के बीच संबंध स्थापित करता हो, जिनके बारे में उनका दावा है कि ऐसे आयातों से क्षति हुई है।
- lxii. जिन कारणों से घरेलू उत्पादकों को क्षति हुई है उनमें उत्पादित उत्पादों की किस्मों की कमी, उच्च मात्रा की अनुपलब्धता और बाजार में सबसे बड़ी कंपनियों जैसे स्वयं घरेलू उद्योग से परस्पर प्रतिस्पर्धा हो सकती है।
- lxiii. घरेलू उत्पादकों ने घरेलू प्रयोक्ता उद्योग, विशेष रूप से बर्तन निर्माण उद्योग की विशिष्ट मांगों को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन सुविधाओं के उन्नयन के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए हैं।
- lxiv. आवेदकों द्वारा किए गए निवेश अन्य घरेलू उत्पादकों की तुलना में बहुत अधिक हैं। यह दर्शाता है कि पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और आवेदकों का प्रभाव घरेलू उद्योग को हुई क्षति के कारण हैं।
- lxv. यद्यपि जांच की अवधि के दौरान कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि हुई है, तथापि आवेदकों ने अपनी कीमतें कम नहीं की हैं। इसके विपरीत, उन्होंने अपनी घरेलू बिक्री कीमत में वृद्धि की और अपना बाजार हिस्सा नहीं खोया।
- lxvi. एमएसएमई में स्टील कॉइल्स का उत्पादन करने के लिए विनिर्माण सुविधाओं की कमी है और इसके अभाव में बाजार में मांग-आपूर्ति अंतराल है। इस अंतर को चीन से आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है।
- lxvii. एमएसएमई के निष्पादन में गिरावट का कारण सीधे तौर पर चीन से आयात की बढ़ती मात्रा नहीं हो सकता है, बल्कि बाजार को पूरा करने और प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में एमएसएमई की अक्षमता है।
- lxviii. वर्तमान में प्रमुख इस्पात उत्पादक ने एक नया ग्रेड पेश किया है जो बाजार में अपनाया जा रहा है और उन प्रसंस्करणकर्ताओं को भेजा रहा है, जो इस याचिका का समर्थन करने आए हैं।
- lxix. बैठक में पेश किए गए प्रसंस्करणकर्ता के विचार स्वतंत्र नहीं हैं बल्कि प्रवंचित विचार हैं।
- lxx. परिष्करण और मालसूची प्रबंधन की बेहतरी के संबंध में, बर्तन विनिर्माण के लिए कॉइल पट्टा से बेहतर है।
- lxxi. जब तक पट्टा मिलों को कॉइल मिलों में परिवर्तित नहीं किया जाता है, तब तक अच्छी गुणवत्ता वाले स्टील (कॉइल) की आपूर्ति कम होती है, अतः अंतराल को आयातों से पूरा किए जाने की आवश्यकता होती है।
- lxxii. आयात होना चाहिए क्योंकि यह कीमतों को नियंत्रण में रखता है।
- lxxiii. जब शुल्क लगाया जाता था, तो कई बार जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें स्थिर होती थीं, तो घरेलू कीमतों में वृद्धि की जाती थी।
- lxxiv. घरेलू विनिर्माण में कई ग्रेड और आकार उपलब्ध नहीं हैं।

- lxxv. ठीक ही उल्लेख किया गया है कि यदि संतुलन सही नहीं है (सिंक उदाहरण) तो भविष्य में ऐसा समय आएगा जब बर्तनों का आयात किया जाएगा और 50,000 उद्योग प्रभावित होंगे, जिससे लाखों श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे।
- lxxvi. घरेलू कंपनियों को आकार देने और प्रतिस्पर्धा करने के लिए लगभग 15 वर्ष दिए गए थे, प्राथमिक कंपनियां अब ग्रीन हैं।
- lxxvii. एसएस के विभिन्न उत्पादों को पूरी तरह से एक अलग उत्पाद प्राप्त करने के लिए प्रसंस्कृत किया जा सकता है जो अध्याय 73 के तहत वर्गीकृत है, न कि अध्याय 72 के तहत। यहां तक कि ऐसे उत्पादों को सीवीडी के तहत कवर किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त अपवाद किया जाना चाहिए कि अनपेक्षित उत्पाद सीवीडी के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- lxxviii. विभिन्न सब्सिडी को समाप्त अथवा कम कर दिया गया है। चीन से भारत में कोई सब्सिडीयुक्त आयात नहीं हो रहा है (जो अन्य देशों से भारत को निर्यात के बराबर नहीं है)। कर छूट- वापस ले लिया। चीनी सरकार की साइटों के उद्धरण संलग्न हैं।
- lxxix. अंतिम जांच परिणाम के दौरान मानी गई घरेलू उद्योग की कीमतें वास्तविक नहीं हैं और अत्यधिक बड़ी हुई कीमतों वाले घरेलू आपूर्तिकर्ता द्वारा अत्यधिक प्रभावित हैं।
- lxxx. घरेलू उत्पादक द्वारा कीमतों पर एकाधिकारिक नियंत्रण। सीवीडी लगाए जाने का घरेलू उद्योग द्वारा दुरुपयोग किया गया, कीमत को कम नहीं किया गया। एक कर्ज में डूबी कंपनी कर्ज मुक्त हो गई तथा अधिक कीमत वसूल कर और अधिक कीमत बताकर भारी लाभ कमाया गया।
- lxxxi. चीन से आयात के लिए आयात की मात्रा अच्छी रही, यह दर्शाता है कि सीवीडी की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। चीन के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई क्योंकि घरेलू उद्योग मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं था। सभी देशों से आयात बढ़ा। चीन से आयात की मात्रा के आधार पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।
- lxxxii. वित्त मंत्रालय ने स्वयं फरवरी, 2021 से सीवीडी को समाप्त कर दिया है।
- lxxxiii. संभावना कारक- चीन में क्षमता में वृद्धि और न्यूनीकरण/हास का अनुमान-निराधार साबित हुआ। भारत को निर्यात - विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक।
- lxxxiv. एमएसएमई, एसएमई आपूर्ति की कमी के कारण हानि हो रही है। जबकि घरेलू उत्पादकों ने भारी लाभ कमाया।
- lxxxv. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े क्षति/कारणात्मक संपर्क दर्शाने में विफल हैं।
- lxxxvi. महानिदेशक रक्षोपायों ने क्षति के मुख्य कारण के रूप में उच्च निश्चित लागत, असामान्य उच्च मूल्यहास और वित्त प्रभारों को जिम्मेदार ठहराया न कि आयातों को।
- lxxxvii. वेतन और मजदूरी में असामान्य वृद्धि हानि का एक कारण हो सकता है।
- lxxxviii. याचिकाकर्ताओं में से एक याचिकाकर्ता को वर्ष 2008 में सट्टेबाजी के कारोबार में भारी हानि हुई और गारंटर एसबीआई को भुगतान करना पड़ा। तब से उनके द्वारा एडीडी और सीवीडी का दुरुपयोग करके बड़ा लाभ कमाया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा दर्शाई गई हानियों को वास्तविक कारणों के आलोक में माने जाने की आवश्यकता है।

III. प्राधिकारी द्वारा जांच

153. अनुबंध-1 के साथ पठित प्रतिकारी शुल्क नियमावली, 1995 के नियम 13 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में सब्सिडीयुक्त आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी।
154. नियमावली के नियम 24 में प्रावधान है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22 और 23 के प्रावधान निर्णायक समीक्षा के मामले में आवश्यक संशोधनों सहित लागू होंगे प्राधिकारी ने नियमावली और

नियमावली के अनुबंध-1 के तहत आवश्यक क्षति मापदंडों का मूल्यांकन किया है और यह भी जांच की है कि क्या उपर्युक्त शुल्क की समाप्ति से सब्सिडी और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

155. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों और संगत कानूनी प्रावधानों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया है। प्राधिकारी ने इन कानूनी प्रावधानों के संबंध में घरेलू उद्योग की क्षति संबंधी सूचना की जांच की है। यहां नीचे दी गई जांच स्वयं घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में किए गए अनुरोधों से संबंधित है।
156. आवेदकों ने तर्क दिया कि सीवीडी के निलंबन और फिर समाप्ति के बाद आयात के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, बाजार का विश्लेषण अलग से किया जाना चाहिए जहां आयात महत्वपूर्ण हैं (आवेदकों द्वारा "प्रतिस्पर्धी क्षेत्र" के रूप में वर्णित) और जहां आयात महत्वपूर्ण मात्रा में नहीं हो रहा है (आवेदकों द्वारा "गैर-प्रतिस्पर्धी क्षेत्र" के रूप में वर्णित)। आवेदकों ने तर्क दिया है कि चीन पीआर से विषय वस्तुओं के लगभग 90% आयात "प्रतिस्पर्धी क्षेत्र" में हैं। आवेदकों ने यह भी तर्क दिया है कि "प्रतिस्पर्धी क्षेत्र" से आयात बड़े पैमाने पर बर्तन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कर रहा है और एमएसएमई उत्पादकों और अन्य उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है जो बड़े पैमाने पर असंगठित पट्टा क्षेत्र में हैं। यह आरोप लगाया गया था कि उत्पादक अपने संचालन के लिए व्यावहारिक रूप से इन उत्पादों पर निर्भर हैं।
157. आवेदकों द्वारा किए गए दावों की अधिक सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए, प्राधिकरण ने उत्पाद के ग्रेड के आधार पर विचाराधीन उत्पाद को दो खंडों में वर्गीकृत करके एक खंडित क्षति विश्लेषण किया है - "200 श्रृंखला" में उत्पाद और अन्य श्रेणी के उत्पाद "अन्य ग्रेड"। "200 श्रृंखला" श्रेणी में 201, J1, J2 और J3 ग्रेड के उत्पाद शामिल हैं, जबकि "अन्य ग्रेड" में उत्पाद श्रेणी में 300 और 400 श्रृंखला के उत्पाद और कोई भी अन्य ग्रेड शामिल हैं। 200 श्रृंखला के उत्पाद वे उत्पाद हैं जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में एमएसएमई और उत्पादकों द्वारा निर्मित होते हैं। जबकि आवेदक 200 श्रृंखला में कुछ निश्चित मात्रा में उत्पादों का उत्पादन भी करते हैं, आवेदकों द्वारा निर्मित अधिकांश उत्पाद "अन्य ग्रेड" श्रेणी के हैं। निम्न तालिका उत्पाद श्रेणियों के वर्गीकरण का अवलोकन देती है:

श्रृंखला	श्रेणी
200	201
	J1
	J2
	J3
अन्य ग्रेड	304
	316
	409
	410
	430
	441
	कोई अन्य ग्रेड

158. प्राधिकारी नोट करते हैं कि खंडवार क्षति विश्लेषण सीवीडी नियमों के साथ-साथ डब्ल्यूटीओ एससीएम समझौते के अंतर्गत अनुमत है। यूएस में अपीलिय निकाय - हॉट-रोल्ड स्टील [डीएस 184] ने देखा है कि: "[I] हमें जांच अधिकारियों के लिए अनुच्छेद 3.4 के साथ पूरी तरह से संगत नहीं लगता है, या एक सदस्य के लिए अपने जांच अधिकारियों को लेने की आवश्यकता है, एक एक घरेलू उद्योग के भीतर विशेष भागों, क्षेत्रों या खंडों का मूल्यांकन।

समग्र रूप से एक उद्योग की स्थिति का आकलन करने में, इस तरह का एक क्षेत्रीय विश्लेषण आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक प्रासंगिक हो सकता है। (अनुच्छेद 195)

159. इसी प्रकार, यूएस – राइप ओलिव्स [डीएस 577], के हाल के डब्ल्यूटीओ विवाद में यूएसडीओसी ने घरेलू उद्योग को तीन 'उपभोक्ता समूहों' में विभाजित करके एक खंडित क्षति विश्लेषण किया था और तीना उपभोक्ता खंडों में प्रत्येक के लिए अलग से क्षति विश्लेषण किया था। क्षति विश्लेषण में यूएसआईटीसी ने निर्धारित किया कि राइप ओलिव्स को आमतौर पर खुदरा व्यापारियों, वितरकों और संस्थागत/खाद्य प्रसंस्कर्ताओं के रूप में वर्गीकृत खरीदारों को बेचा जाता था। यूएसआईटीसी ने इन उपभोक्ता समूहों को 'वितरण के चैनलों' के रूप में वर्णित किया। यूएसआईटीसी ने घरेलू, स्पेनिश और अन्य आयातित राइप ओलिव्स की बिक्री और बाजार हिस्से से संबंधित आंकड़े प्रत्येक उपभोक्ता समूह द्वारा निर्धारित क्षेत्रों के आधार पर तैयार किए थे। तत्पश्चात् यूएसआईटीसी ने अपने क्षति विश्लेषण में इन उपभोक्ता समूहों विशेष रूप से खुदरा व्यापारियों से संबंधित रुझानों की जांच की। डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह समुक्ति की कि क्षति विश्लेषण की यह पद्धति अनुमति योग्य है:

“7.2.2.3.... तथापि हमें यूरोपीय संघ द्वारा अपनाई गई विभिन्न स्थितियों का कोई समर्थन नहीं मिला है, जो यह है कि कोई जांचकर्ता प्राधिकारी क्षति विश्लेषण करते समय केवल तभी बाजार के खंडों पर विचार कर सकता है जब उसने घरेलू उद्योग की परिभाषा में इन खंडों को स्पष्ट रूप से अभिज्ञात किया हो। इस बात का कोई कारण नहीं है कि बाजार खंडों के जांचकर्ता प्राधिकारी के विश्लेषण का आवश्यक रूप से यह अर्थ हुआ कि जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथा-परिभाषित घरेलू उद्योग के संबंध में अंतिम क्षति निर्धारण नहीं किया गया था। अतः, हम इस बात से असहमत हैं कि बाजार खंडों के यूएसआईटीसी के विश्लेषण से गड़बड़ी का कोई जोखिम है। विशेष रूप से इस मामले में तीन उपभोक्ता समूहों ने संयुक्त रूप से पूरे बाजार का प्रतिनिधित्व किया है। इस प्रकार, यूएसआईटीसी द्वारा उनका विश्लेषण घरेलू उद्योग के हिस्सों को आवश्यक रूप से जांच के बिना नहीं छोड़ता है। अतः, हमें इस तथ्य से उत्पन्न गड़बड़ी का कोई वास्तविक जोखिम नहीं दिखाई देता है कि यूएसआईटीसी ने घरेलू उद्योग की अपनी परिभाषा में बाद में उसके द्वारा विश्लेषित विभिन्न बाजार खंडों के उल्लेख को शामिल नहीं किया था।

160. प्राधिकारी ने 200 श्रृंखला और अन्य ग्रेडों में आयातों की मात्रा की जांच – अलग अलग और संचयी रूप से – करके अपना क्षति विश्लेषण दिया है। प्राधिकारी ने 200 श्रृंखला और अन्य ग्रेड श्रेणी के आवेदकों की बिक्री, उत्पादन आदि की जांच भी की है। प्राधिकारी को एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित 19 अन्य भारतीय उत्पादकों से क्षति संबंधी सूचना प्राप्त हुई है जिन्होंने स्वयं आगे आकर वर्तमान जांच में स्वैच्छिक रूप से आंकड़े प्रदान किए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वे 19 कंपनियों जिन्होंने स्वैच्छिक रूप से प्राधिकारी को सूचना दी है, एमएसएमई कंपनियों का प्रतिनिधि नमूना है जिसके ज़रिए प्राधिकारी देश में सभी एमएसएमई उत्पादकों पर शुल्क हटाने के प्रभाव का आकलन करने में सक्षम होंगे। प्राधिकारी ने क्षति संबंधी सूचना देने वाली 19 एमएसएमई कंपनियों के लिए खंड-वार विश्लेषण किया है। इस खंडित पद्धति के ज़रिए, प्राधिकारी ने आवेदकों तथा 200 श्रृंखला और ग्रेड श्रेणी से संबंधित 19 अन्य भारतीय उत्पादकों के लिए क्षति की पुनरावृत्ति या उसके जारी रहने की संभावना निर्धारित करने का प्रयास किया है। जहां कहीं भी आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं और प्राधिकारी ने आवश्यक समझा है, वहां पीओआई के बाद के आंकड़ों की भी जांच की गई है।
161. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के साथ पठित सीवीडी नियमावली के नियम 13 के अनुसार घरेलू उद्योग से संबंधित आंकड़ों और समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद से संबंधित जानकारी के आधार पर क्षति विश्लेषण किया है।

ब. सब्सिडी प्राप्त आयतों के मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

मांग का आकलन

162. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। यह नोट किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का भारत में कोल्ड तथा हॉट रोलड, दोनों स्थितियों में आयात किया जा रहा है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन याचिकाकर्ता जैसी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, जो हॉट और कोल्ड रोल, दोनों उत्पादों का उत्पादन करती हैं। कोल्ड रोलड उत्पाद के कुछ उत्पादक हॉट रोलड को या तो घरेलू बाजार या आयातों से खरीदते हैं। अतः, कोल्ड रोलड उत्पादों के इन उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री को भारत में विचाराधीन उत्पाद की खपत के

निर्धारण में शामिल नहीं किया गया है ताकि एक उत्पादन के दोहरे लेखांकन से बचा जा सके। इस प्रकार, आकलित मांग निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (वार्षिक)
1	आयात				
क	चीन	1,77,837	91,755	90,573	1,74,741
ख	सभी अन्य देश	2,66,386	3,76,987	5,52,658	3,21,130
2	कुल आयात	4,44,223	4,68,742	6,43,231	4,95,871
3	याचिकाकर्ता की बिक्रियां	***	***	***	***
	प्रवृत्ति (सूचीबद्ध)	100	102	102	98
4	भारतीय उत्पादकों को छोड़कर अन्य बिक्रियां	***	***	***	***
	प्रवृत्ति (सूचीबद्ध)	100	99	108	91
5	भारतीय उत्पादकों की बिक्री (3+4)	***	***	***	***
6	भारतीय मांग/खपत	***	***	***	***

163. यह देख गया है कि संबद्ध वस्तु की मांग में 2019-20 तक वृद्धि हुई है और पीओआई में गिरावट आई है। तथापि, मांग में गिरावट के बावजूद संबद्ध वस्तु के आयात पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान लगभग दुगुने हो गए हैं। पीओआई के दौरान मांग में गिरावट कोविड महामारी के परिणामस्वरूप हो सकती है। तथापि, यह नोट किया जाए कि अन्य देशों से आयात और भारतीय उत्पादकों की बिक्रियों (याचिकाकर्ताओं और अन्य उत्पादकों) में मांग में गिरावट के कारण गिरावट आई है जबकि चीन जन.गण. से आयातों में भारी वृद्धि हुई है। यदि आयातों की प्रवृत्ति विभिन्न खंडों में देखी जाए तो यह नोट किया गया है कि कुल आयातों का लगभग 85 प्रतिशत चीन जन.गण. से 200 श्रृंखला में है।

ग्रेड	आयतन	प्रतिशत
200 श्रृंखला - J3	1,17,962	54%
200 श्रृंखला -201	66,738	31%
अन्य ग्रेड	33,726	15%
कुल	2,18,426	100%

164. प्राधिकारी ने इस कारण वर्तमान मामले में जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच की है कि जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान सीवीडी लागू नहीं था और इसीलिए जांच की अवधि के बाद आयातों की मात्रा और पैटर्न पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संभावना के मूल्यांकन करने के लिए व्यवहारिक था। निम्नलिखित तालिका जांच की अवधि और दिसंबर, 2022 तक जांच की अवधि के बाद के लिए आयात मात्रा दर्शाती है।

ग्रेड	आयतन	%	आयतन	%	आयतन	%
	POI		Post POI		Post POI	
	(April 20- June 21)		Jul21-Mar22		Apr22-Dec22	
200 श्रृंखला - J3	1,47,453	54%	2,08,073	68%	3,31,517	65%
200 श्रृंखला -201	83,423	31%	39,933	13%	38,509	8%
Other grades	42,158	15%	56,628	19%	1,38,935	27%
Total	2,73,033	100%	3,04,635	100%	5,08,960	100%

165. जांच की अवधिके दौरान चीन जन. गण. से कुल आयातों के 85 प्रतिशत 200 सीरीज क्षेत्र में थे जबकि चीन जन.गण. से कुल आयातों के केवल 15 प्रतिशत अन्य ग्रेडों में हैं। इस प्रकार यह देखा जाता है कि 200 सीरीज में चीनी आयातों का अत्यधिक संकेन्द्रण था, जो बाजार, अर्थात् बर्तन क्षेत्र के विशिष्ट क्षेत्र की व्यापक रूप से पूर्ति करता है। यह नोट करना व्यवहारिक है कि हितवद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि उत्पादों की 200 श्रृंखला मुख्य रूप से एम एस एम ई से संबंधित विनिर्माताओं द्वारा और भारत में असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादित की जाती हैं। जिंदल स्टील लिमिटेड और जिंदल हिसार लि. "अन्य ग्रेड" क्षेत्र में इन उत्पादों के उत्पादन में मुख्य रूप से लगे हैं। यह देखा जाता है कि अधिकतर आवेदकों की बिक्री "अन्य ग्रेड" श्रेणी में है जिसमें चीन जन.गण. से आयात मात्रा कम है। दूसरी ओर अन्य भारतीय उत्पादकों की भारी बिक्री 200 सीरीज में है जो चीन जन.गण. के आयातों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में है। अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री का बहुत ही कम अनुपात "अन्य ग्रेड" श्रेणी में है। अतः यह देखा जाता है कि अन्य भारतीय उत्पादक प्राथमिक रूप से केवल 200 सीरीज से संबंधित हैं। एमएसएम और अन्य संगठित क्षेत्रों में उत्पादक अपने व्यापार के लिए 200 सीरीज में पूर्णतः निर्भर हैं। चीन जन गण के विरुद्ध शुल्क को वापस लेने और निलंबन से मुख्य रूप से भारत ने एमएसएमई और असंगठित क्षेत्रों में प्रभाव पड़ेगा।

ट. पूर्ण रूप से आयात

166. संबद्ध आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या सब्सिडीयुक्त आयातों में या तो पूर्ण रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष काफी वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के लिए संबद्ध देश से आयात की मात्रा ऊपर दी गई है। यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से आयातों में वर्ष 2019-20 तक गिरावट आई और फिर जांच की अवधि में वृद्धि हुई। इस अवधि में मांग में गिरावट के बावजूद जांच की अवधि में आयातों में वृद्धि हुई है। यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में मांग में 13% तक गिरावट आई थी, तथापि उसी अवधि में आयात में 89% तक वृद्धि हुई थी और सीवीडी को हटा दिया गया था।
167. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु पर लागू प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को 1 फरवरी, 2021 को निलंबित किया गया और बाद में 1 फरवरी, 2022 को हटा दिया गया। दूसरे शब्दों में 1 फरवरी, 2021 से दो वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु पर कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लागू नहीं था। इससे चीन से संबद्ध वस्तु के आयातों में तत्काल वृद्धि हो गई, जैसा नीचे तालिका से देखा जा सकता है:

वर्ष	चीनी आयात	कुल आयात दूसरे देश से	कुल आयात
सीवीडी लगाए जाने से पूर्व MT	MT		MT
2012-13	87,408	2,12,136	2,99,544
2013-14	1,06,030	1,94,838	3,00,868
2014-15	2,30,629	2,24,422	4,55,051

जन. 15-दिसं., 15	2,57,063	2,27,928	4,84,991
2015-16	2,76,457	2,29,099	5,05,556
2016-17	2,60,889	2,19,192	4,80,081
2017-18 (वार्षिक)	2,68,353	2,24,181	4,92,533
जब सीवीडी लागू था			
2017-18 (वार्षिक)	1,13,182	2,96,534	4,09,716
2018-19	91,755	3,76,987	4,68,742
2019-20	90,573	5,52,658	6,43,231
जांच की अवधि (अप्रैल, 20-जनवरी, 21)	1,32,706	3,21,108	4,53,814
जब सीवीडी लंबित किया गया था अथवा वापस लिया गया था			
जांच की अवधि (फरवरी, 21-जून, 21)	2,58,810	3,21,175	5,79,985
जुलाई, 21-मार्च, 22 (वार्षिक)	3,04,634	5,84,968	8,89,602
अप्रैल, 22-दिसंबर, 22 (वार्षिक)	5,08,961	5,38,563	10,47,524

*** उपर्युक्त सभी आंकड़े वार्षिक आधार पर हैं

168. पीओआई के दौरान आयात की गहन जांच से पता चलेगा कि जब पीओआई के 10 महीनों (अर्थात् अप्रैल 2020 से जनवरी 2021) में शुल्क लागू था, चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयात 1,10,545 एमटी थे, जबकि पीओआई के 5 महीनों जब शुल्क निलंबित था (अर्थात् फरवरी 2021 से जून 2021), तो आयात 1,07,815 एमटी था। जब शुल्क लागू नहीं था उन 5 महीनों में आयात की मात्रा उन 10 महीनों की आयात मात्रा के लगभग बराबर थी जब शुल्क लागू था।

उत्पादन और खपत के संबंध में आयात-

169. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्या उत्पाद के आयात ने भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में वृद्धि दर्शाई है। नीचे दी गई तालिका वास्तविक स्थिति दर्शाती है:

संबद्ध आयात के संबंध में:

		2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
उत्पादन	%	***	***	***	***
		100	52	49	104
खपत	%	***	***	***	***
		100	51	46	100
कुल आयात	%	40.03%	19.57%	14.08%	35.24%

170. यह देखा जाता है कि भारत में कुल आयात और भारत में उत्पाद के उत्पादन तथा खपत के संबंध में वर्ष 2019-20 तक संबद्ध सब्सिडीयुक्त आयातों में काफी गिरावट आई है। तथापि, वर्तमान जांच की अवधि में इसमें काफी वृद्धि हुई है। यह भी देखा जाता है कि जहां भारत में उत्पाद के कुल आयातों में जांच की अवधि में गिरावट आई, वहीं चीन से आयातों में वृद्धि हुई। संबद्ध आयातों का जांच की अवधि में आयातों में सबसे बड़ा हिस्सा है।

ठ. संबद्ध आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

171. कीमतों पर सब्सिडीयुक्त आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में सब्सिडीयुक्त आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है, अथवा अन्यथा क्या इस तरह के सब्सिडीयुक्त आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का न्यूनीकरण करना है अथवा कीमत वृद्धि रोकना है, जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती।

ड. कीमत कटौती

172. जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ आयातों की पहुंच कीमत की तुलना करके कीमत कटौती निकाली गई है। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत का परिकलन करते समय सभी करों, रियायतों, छूटों और कमीशन को घटा दिया गया है और कार्यगत स्तर पर सब्सिडीयुक्त आयातों की पहुंच मूल्य के साथ तुलना करने के लिए बिक्री वसूली निर्धारित की गई है।

विवरण	यूनिट	जांच की अवधि
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	***
आयातों की पहुंच कीमत	रु./मी. टन	***
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***
कीमत कटौती	%	***%
कीमत कटौती	रेंज	30-40

ढ. कीमत न्यूनीकरण एवं ह्रास

173. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या सब्सिडीयुक्त आयात घरेलू कीमतों का ह्रास रहे अथवा न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों का काफी तक न्यूनीकरण करना है अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों पर विचार किया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत बिक्री लागत और बिक्री कीमत के आधार पर स्थिति नीचे तालिका के अनुसार दर्शाई गई है:

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
बिक्रियों की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	103	109
बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	102	116
पहुँच कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	98	90

174. यह देखा जाता है कि:

- क. वर्ष 2018-19 में बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई। तथापि, बिक्री लागत में वृद्धि बिक्री कीमत में वृद्धि से अधिक थी।
- ख. वर्ष 2019-20 में बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई और बिक्री लागत में गिरावट बिक्री कीमत में गिरावट की तुलना में अधिक थी।
- ग. जांच की अवधि में बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री कीमत में वृद्धि बिक्री लागत में वृद्धि से अधिक थी।

175. उन अन्य भारतीय (एम एस एम ई) उत्पादकों के संबंध में जो प्राथमिक रूप से 200 सीरीज के उत्पादन में लगे हैं, यह देखा जाता है कि जांच की अवधि के दौरान बिक्री कीमत बिक्री लागत से कम है। हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क है कि 200 सीरीज में आयातों की पहुंच कीमत अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री कीमत से कम है। अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री लागत वर्ष 2018-19 में बढ़ी है और वर्ष 2019-20 में कम हुई है। परंतु जांच की अवधि में एक बार फिर बढ़ी है। यह तर्क दिया गया है कि बर्तन क्षेत्र में किए जा रहे आयात कोल्ड रोलड के हैं जबकि आवेदक घरेलू उद्योग और एमएसएमई उद्योग द्वारा बेचे जा रहे ग्रेड हॉट रोलड फ्लैट उत्पाद हैं, जिनमें रोलिंग के 2 चरण किए जाते हैं। इस प्रकार, हॉट रोलड फ्लैट से कोल्ड रोलड पट्टा की मूल अभिवृद्धि भी उपयुक्त तुलना करते समय जोड़े जाने की आवश्यकता है। हॉट रोलड से कोल्ड रोलड पट्टा उत्पाद में अपेक्षित मूल्य अभिवृद्धि के मद्देनजर यह नोट किया जाता है कि आयातित कोल्ड रोलड उत्पाद की पहुंच कीमत भारतीय उद्योग के हॉट रोलड उत्पाद की लागत और बिक्री कीमत से काफी अधिक होनी चाहिए। भारतीय उद्योग ने दावा किया है कि मूल्य अभिवृद्धि 25,000 से 30,000 मी.ट. की रेंज में होगी।

Particulars (POI)	UOM	घरेलू उद्योग (जेएसएल + जेएसएचएल)	एमएसएमई उद्योग (19 उत्पादक)
विक्रय मूल्य	रुपये/एमटी	***	***
लागत	रुपये/एमटी	***	***
200 श्रृंखलाओं में आयातों का पहुँच मूल्य	रुपये/एमटी	***	

176. नियमावली में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर सब्सिडीयुक्त आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, नियोजित पूंजी पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारकों; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

177. घरेलू उद्योग ने पूर्व जांच की अवधि के लिए आयातों की लागत, बिक्री कीमत और पहुंच कीमत के संबंध में सूचना दी थी। निम्नलिखित तालिका दर्शाती है :

	Post POI		
	UOM	Jul21- Mar22	Apr22- Dec22
लागत	Rs/MT	***	***
प्रवृत्ति	Indexed	132	135
बिक्री कीमत	Rs/MT	***	***
Trend	Indexed	135	133
बर्तन क्षेत्र (2000 सीरीज) में आ रहे ग्रेडों के आयातों की पहुंच कीमत)	Rs/MT	***	***

	Post POI		
	UOM	Jul21- Mar22	Apr22- Dec22
Trend	Indexed	100	103

178. यह देखा जाता है कि कोल्ड रोलड उत्पाद का पहुंच मूल्य अपेक्षित मूल्य अभिवृद्धि पर विचार करने के बाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित हॉट रोलड उत्पाद से परिवर्तित कोल्ड रोलड उत्पाद की लागत से काफी कम है जैसा कि पूर्व में नोट किया गया है।

ण. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंड

179. नियमावली में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर सब्सिडीयुक्त आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, नियोजित पूंजी पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारकों; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

त. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

180. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री के संबंध में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार थी:

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि-वार्षिक
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	105	119
उत्पादन (विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद)	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	103	98
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	98	83
बिक्री मात्रा					
क. घरेलू	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	102	98
ख. निर्यात	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	84	74

ग. कुल विक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	98	94

181. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि शुल्क लागू हैं, इसलिए याचिकाकर्ता 2019-20 तक अपनी बिक्री में सुधार करने में सक्षम हुए हैं और यहां तक कि जांच की अवधि में अपनी क्षमता में भी वृद्धि की है। जांच की अवधि के दौरान क्षमता में वृद्धि के कारण क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। याचिकाकर्ताओं ने 2019-20 तक घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में अपनी बिक्री में सुधार करने में भी कामयाबी हासिल की है, जो कि लागू प्रतिकारी शुल्कों द्वारा बनाए गए समान अवसर के कारण है। इसके बाद जांच की अवधि के दौरान, जब शुल्क को वापस लिया गया था, आवेदकों की बिक्री और उत्पादन में गिरावट आई है।
182. अन्य भारतीय (एमएसएमई) उत्पादकों के संबंध में जो मुख्य रूप से 200 सीरीज के उत्पादन में लगे हुए हैं, यह देखा गया है कि जब शुल्क लागू था (2019-20 तक), तो अन्य भारतीय उत्पादक अपने उत्पादों में सुधार करने में सक्षम रहे हैं। स्थापित क्षमता, उत्पादन मात्रा, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री। जब जांच की अवधि के दौरान शुल्क हटा लिया गया था तो अन्य भारतीय उत्पादकों का क्षमता उपयोग न्यूनतम स्तर तक गिर गया था। इसके अलावा, 2019-20 की तुलना में जांच अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई है। यह देखा जाता है कि:

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई वार्षिकीकृत
अन्य भारतीय उत्पादक					
संस्थापित क्षमता*	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	168	177
कुल उत्पादन मात्रा (पीयूसी+एनपीयूसी)*	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	152	203	169
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	122	96
पीयूसी की उत्पादन मात्रा	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	145	188	159
घरेलू विक्रियां (कुल)	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	145	185	155

थ. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

183. क्षति की अवधि के दौरान लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग (जेएसएचएल और जेएसएल) की स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि-वार्षिक
-------	-------	---------	---------	---------	----------------------

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि-वार्षिक
लाभ/(हानि) घरेलू					
बिक्रियों की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
		100	113	103	109
बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	102	116
प्रति यूनिट लाभ/(हानि)	रु./मी. टन	***	(***)	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(182)	102	676
लाभ/(हानि) - कुल	करोड़ रु.	***	(***)	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(185)	104	667
कीमत के % पर लाभ/हानि	%	***%	(***)%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(165)	99	585
लाभ/(हानि) निर्यात					
बिक्रियों की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	121	122
बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	127	126
प्रति यूनिट लाभ/(हानि)	रु./मी. टन	(***)	(***)	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	60	6
लाभ/(हानि) - कुल	करोड़ रु.	(***)	(***)	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(94)	51	6
मूल्य का लाभ/हानि %	%	(***)	(***)	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(103)	47	5
कुल लाभ	%	(***)	(***)	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-557	309	1558
कुल नकद लाभ	करोड़ रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	18	115	270
प्रति यूनिट नकद लाभ	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	18	114	274
ब्याज लागत	करोड़ रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	94	74

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि-वार्षिक
ब्याज पूर्व लाभ	करोड़ रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	45	96	198
नियोजित पूंजी	करोड़ रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	101	121
आरओसीई	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	49	95	164

184. यह देखा गया है कि जांच की अवधि के दौरान शुल्क को रद्द करने के बावजूद आवेदकों की लाभप्रदता में जांच की अवधि के दौरान सुधार हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी आयातों का 85 % 200 शृंखलाओं में है, जबकि आवेदक मुख्य रूप से " अन्य ग्रेडों " के उत्पादन और बिक्री में लगे हुए हैं। जांच की अवधि के दौरान आवेदकों की नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ बहुत उच्च स्तर पर था। लाभप्रदता में सुधार आवेदकों की निर्यात बिक्री के कारण नहीं है क्योंकि निर्यात बिक्री के माध्यम से अर्जित प्रति इकाई लाभ घरेलू बिक्री के माध्यम से अर्जित प्रति इकाई लाभ से कम है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक, जो मुख्य रूप से विचाराधीन उत्पाद की 'अन्य ग्रेड' श्रेणी का उत्पादन और बिक्री कर रहे हैं, को शुल्क समाप्त किए जाने के बाद कोई क्षति नहीं हुई है।

185. प्राधिकरण नोट करता है कि अन्य भारतीय उत्पादकों (19 एमएसएमई) के कार्यनिष्पादन में गिरावट आई है। वर्ष 2019-20 में, अन्य भारतीय उत्पादकों (19 एमएसएमई) ने घाटा दर्ज किया है, जो पीओआई के दौरान तेज हो गया है। संबद्ध देश से आयातों के कारण कर पूर्व लाभ, पीबीआईटी, पीबीडीआईटी और नकद लाभ जांच की अवधि के दौरान सबसे निचले स्तर पर हैं - जो मुख्य रूप से 200 शृंखलाओं में हैं।

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
अन्य भारतीय निर्माता (19MSME)					
बिक्री की लागत (पूर्व कारखाने)	Rs./MT	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	97	101
विक्रय मूल्य	Rs./MT	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	95	99
लाभ/हानि (प्रति इकाई)	Rs./MT	***	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	68	-10	-57
शुद्ध बिक्री प्राप्ति	Rs. Lacs	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	155	177	154
PBT (कर पूर्व लाभ)	Rs. Lacs	***	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	-18	-88
PBIT (ब्याज और कर से पहले लाभ)	Rs.	***	***	***	***

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
अन्य भारतीय निर्माता (19MSME)					
	Lacs				
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	85	43
पीबीडीआईटी (मूल्यहास, ब्याज और कर से पहले लाभ)	Rs. Lacs	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	110	75
नकद लाभ (PBT + मूल्यहास)	Rs. Lacs	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	61	13
ब्याज लागत	Rs. Lacs	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	153	198	185
PBIT औसत पूंजी नियोजित (ROI) के % के रूप में	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	47	20

द. मांग में बाजार हिस्सा

186. मांग में बाजार हिस्से के संबंध में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार थी:

बाजार हिस्सा

क्रम सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (वार्षिक)
1	आयात				
क	चीन	6.92%	3.52%	3.16%	6.94%
ख	अन्य देश	10.37%	14.44%	19.28%	12.76%
2	कुल आयात	17.30%	17.97%	22.44%	19.70%
3	याचिकाकर्ता की बिक्रियां	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	100	91	100
4	भारतीय उत्पादकों को छोड़कर अन्य बिक्रियां	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	98	97	93
5	भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां (3+4)	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	99	94	97

6	भारतीय मांग/खपत	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
---	-----------------	---------	---------	---------	---------

187. यह देखा जाता है कि वर्ष 2019-20 में घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों दोनों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के हिस्से में वृद्धि हुई है। चीन के बाजार हिस्से में वर्ष 2019-20 तक गिरावट आई और जांच की अवधि में वृद्धि हुई जबकि अन्य देशों से आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में वृद्धि हुई जब मांग में गिरावट आई।

घ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

188. रोजगार और मजदूरी के संबंध में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	111	114
प्रति यूनिट वेतन एवं मजदूरी	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	110	94
प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	101	97
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	100	96

189. क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान रोजगार लगभग स्थिर रहा है। तथापि, वेतन और मजदूरी में लगातार वृद्धि हुई है। उत्पादन की प्रति इकाई मजदूरी लागत वर्ष 2019-20 तक बढ़ी है और जांच की अवधि के दौरान घटी है।

190. प्राधिकरण नोट करता है कि अन्य भारतीय उत्पादक (19 एमएसएमई) जो मुख्य रूप से 200 शृंखलाओं के उत्पादन और बिक्री में शामिल हैं, कर्मचारियों की संख्या और कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी में वृद्धि करने में कामयाब रहे हैं।

Particulars	Units	2017-18	2018-19	2019-20	POI Annualized
Other Indian Producers (19MSMEs)					
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	114	146
वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	189	186
प्रति यूनिट वेतन एवं मजदूरी	रु./मी. टन	***	***	***	***

Particulars	Units	2017-18	2018-19	2019-20	POI Annualized
Other Indian Producers (19MSMEs)					
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	145	188	159
प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	165	109
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	200	100

न. मालसूची

191. मालसूची के संबंध में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

स्टॉक (मात्रा)	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
आरंभिक	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	76	75	91
अंतिम	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	119	171
औसत	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	86	94	126

192. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के पास वर्ष 2018-19 तक मालसूची में गिरावट आई और उसके बाद इसमें वृद्धि हुई।

193. अन्य भारतीय उत्पादकों के संबंध में जो 200 श्रृंखला में हैं, यह देखा गया है कि मालसूची के स्तर में निरंतर वृद्धि हुई है। यह अन्य भारतीय उत्पादकों के स्टॉक के संचयन को दर्शाता है

स्टॉक (मात्रा)	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	POI Annualized
आरंभिक	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	122	155
अंतिम	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	132	282
औसत	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	127	224

प. वृद्धि

194. कीमत मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की समग्र वृद्धि सकारात्मक थी। तथापि, मात्रात्मक मानदंडों के संदर्भ में वृद्धि जांच की अवधि में प्रतिकूल हो गई क्योंकि जांच की अवधि में उत्पादन और बिक्री में वृद्धि नहीं हुई है।

फ. चोट पर निष्कर्ष

195. प्राधिकरण नोट करता है कि शुल्क 07 सितंबर 2017 को लगाया गया था और 1 फरवरी 2021 को निलंबित कर दिया गया था। बाद में 1 फरवरी 2022 को शुल्क वापस ले लिया गया था। दो साल से अधिक समय से कोई शुल्क लागू नहीं है। यह देखा गया है कि 2017-18 से 2019-20 तक की क्षति अवधि के दौरान, याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ अन्य भारतीय उत्पादकों (19 एमएसएमई) ने प्रदर्शन में सुधार दिखाया है क्योंकि शुल्क घरेलू उद्योग को गलत तरीके से कारोबार से बचाने के उद्देश्य को पूरा कर रहा था। चीन पीआर से माला जांच की अवधि के दौरान झूठी को निलंबित कर दिया गया था; जैसे ही शुल्क को निलंबित किया गया और जांच की अवधि के बाद की पूरी अवधि में जब कोई शुल्क लागू नहीं था, आयात में उल्लेखनीय और तत्काल वृद्धि हुई है। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि सभी आयातों का 85% 200 श्रृंखलाओं में था।

196. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उत्पादक इंडक्शन भट्टी मार्ग के माध्यम से हॉट रोलड उत्पाद का उत्पादन करते हैं और उसे अंतिम प्रयोग के लिए उपयुक्त बनाने हेतु पट्टा क्षेत्र में री-रोलरों द्वारा फिर प्रसंस्कृत किया जाता है। इंडक्शन भट्टी यूनिट और पट्टा क्षेत्र री रोलर दोनों बर्तन क्षेत्र के लिए बनाए गए 200 सीरीज के सामानों का विशिष्ट रूप से उत्पादन कर रहे हैं। यह तर्क दिया गया है कि इंडक्शन भट्टी उद्योग पूरी तरह से पट्टा री-रोलर क्षेत्र को बिक्री पर निर्भर है। इन पक्षकारों ने तर्क दिया कि चीनी आयातों ने उन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाला है क्योंकि पट्टा री-रोलरों ने या तो सीधे चीनी आयातों के कारण या उनके अपने व्यापार की हानि के कारण एच आर फ्लैट की उनकी खरीद कम की है। इन यूनिटों ने दावा किया कि उन्हें पहले ही चीनी आयातों के कारण क्षति हो रही है। प्राधिकारी ने इस बात पर ध्यान दिया कि एम एस एम ई और पट्टा क्षेत्र उत्पादक चीन जन गण से आयातों के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति सबसे अधिक सुभेद्य रहे हैं क्योंकि जांच की अवधि के दौरान इन एम एस एम ई उत्पादों द्वारा विनिर्मित लगभग 92 प्रतिशत से अधिक उत्पाद 200 सीरीज में हैं। अतः ये एम एस एम ई उत्पादक 85 प्रतिशत चीनी सब्सिडीयुक्त आयातों की सीधी प्रतिस्पर्धा में हैं। उपर्युक्त जांच किए गए क्षति मानदंड स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि एम एस एम ई उत्पादक शुल्क लंबित किए जाने के बाद चीन जन गण से आयातों द्वारा गैर आनुपातिक रूप से प्रभावित हैं। सीवीडी के निलंबन के परिणाम स्पष्ट रूप से भारतीय एम एस एम ई उत्पादों के उत्पादन में स्पष्ट विकृति से दिखाई देते हैं। भारतीय एम एस एम ई उत्पादक बहुत संपन्न और लाभप्रद थे जब शुल्क लागू था, परंतु जब शुल्क लंबित किया गया था, और अनंतिम रूप से वापस किया गया था, तो जांच की अवधि के दौरान उन्हें भारी हानियां हुई हैं।

197. दूसरी ओर, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता शुल्क के निलंबन के बावजूद लाभ में रहे हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता (जेएसएल और जेएसएचएल) 200 श्रृंखलाओं के अलावा 'अन्य ग्रेड' श्रेणी में माल का उत्पादन कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित अधिकांश सामान 'अन्य ग्रेड' श्रेणी में हैं, जो चीन जन. गण. से केवल 15% आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता लाभदायक थे। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चीन जन गण से संबद्ध वस्तु के आयात मुख्य रूप से 200 श्रृंखलाओं में क्षति का कारण बन रहे हैं।

ब. क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

198. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। घरेलू उद्योग द्वारा दी गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया गया है और जांच की अवधि के लिए पेशेवर लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यूटिलिटीयों के साथ समान व्यवहार किया गया है। क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत पर कोई असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय नहीं लगाया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर-पूर्व 22% की दर से) को क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

199. क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से पहुँच कीमत की तुलना करने के लिए क्षति रहित कीमत पर विचार किया गया है। पहुँच कीमत और ऊपर निर्धारित एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	राशि
क्षतिरहित कीमत	रु. ***
पहुँच मूल्य	रु. ***
क्षति मार्जिन की राशि	रु. ***
क्षति मार्जिन %	***%
क्षति मार्जिन रेंज	20-30%

क. कारणात्मक संपर्क और अन्य कारक (गैर-आरोप्य विश्लेषण)

200. प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या सीवीडी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

201. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान चीन जन.गण. से 85 प्रतिशत आयात 200 सीरीज से हैं जबकि शेष 15 प्रतिशत आयात "अन्य ग्रेड" से है। फिर अन्य ग्रेड श्रेणी में आयातों की कम मात्रा के कारण तथाकथित क्षति और सस्सिडीयुक्त आयातों के बीच अपर्याप्त कारणात्मक संपर्क प्रतीत होता है। इसके विपरीत याचिकाकर्ता (जेएसएल और जेएसएचएल) मुख्य रूप से "अन्य ग्रेड" श्रेणी से संबंधित उत्पादों का उत्पादन और बिक्री कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित अधिकतर सामान "अन्य ग्रेड" श्रेणी में हैं जो चीन जन गण से केवल 15 प्रतिशत आयातों से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। याचिकाकर्ता जांच की अवधि के दौरान लाभप्रद थे और उन्हें क्षति नहीं हो रही थी। यह स्पष्ट प्रदर्शन है कि अन्य ग्रेड श्रेणी से आयातों का याचिकाकर्ताओं के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उपर्युक्त जांच किए गए कारणों से चीन जन गण से अन्य ग्रेड के आयातों के कारण हुई क्षति के संबंध में अपर्याप्त कारणात्मक संपर्क प्रतीत होता है।
202. दूसरी ओर जो अन्य भारतीय उत्पादक एम एस एम ई और पट्टा क्षेत्रों में हैं, वे प्राथमिक रूप से 200 सीरीज का उत्पादन करते हैं और चीन जन.गण. से 85 प्रतिशत आयातों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में हैं। प्राधिकारीने नोट किया है कि एम एस एम ई और पट्टा क्षेत्र के उत्पादक चीन जन.गण. से आयातों के प्रतिकूल प्रभावों के लिए सबसे अधिक सुभेद्य रहे हैं क्योंकि जांच की अवधि के दौरान इन एम एस एम ई उत्पादकों द्वारा विनिर्मित 92 प्रतिशत से अधिक उत्पाद 200 सीरीज में है। अतः ये एम एस एम ई उत्पादक 84 प्रतिशत चीनी सस्सिडीयुक्त आयातों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में हैं। ऊपर जांच किए गए क्षति मानदंड स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि एम एस एम ई उत्पादक शुल्क के निलंबन के बाद चीन जन.गण. से आयातकों से गैर-आनुपातिक रूप से प्रभावित हैं। सीवीडी के निलंबन के परिणाम भारतीय एम एस एम ई उत्पादकों के निष्पादन में भी स्पष्ट विकृति से स्पष्ट रूप से परिलक्षित हैं। भारतीय एम एस एम ई उत्पादक जब शुल्क लागू था, तो बहुत संपन्न थे। परंतु जब शुल्क लंबित किया गया और अंततः वापस लिया गया तो जांच की अवधि के दौरान उन्हें काफी हानियां हुई है। अतः इन अन्य भारतीय उत्पादकों की लाभप्रदता मानदंडों में जांच की अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है। अतः यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की 200 श्रृंखला के आयातों के कारण हुई क्षति के संबंध में सशक्त कारणात्मक संपर्क विद्यमान है।

तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

203. मलेशिया और हांगकांग को छोड़कर अन्य देशों से आयात या तो न्यूनतम सीमा से नीचे हैं या उनकी कीमतें चीन जन गण से अधिक हैं। जहां तक मलेशिया का संबंध है, आवेदकों ने सीआरयू रिपोर्ट का हवाला दिया और तर्क दिया कि रिपोर्ट विश्वव्यापी मेलिंग क्षमता प्रकाशित करती है। रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मलेशिया को कोई पिघलने की क्षमता के रूप में नहीं दिखाया गया है, और इसलिए इसके द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद को आयातित, री-रोल और भारत को निर्यात किए गए हॉट रोल्ड उत्पाद से उत्पादित किया जाता है। हांगकांग के संबंध में, आवेदकों ने तर्क दिया कि यह पिघलने या फिर से रोलर सुविधाओं वाले देश के रूप में भी पहचान नहीं करता है। आवेदकों ने तर्क दिया कि हांगकांग एक मात्र व्यापारिक देश है।

मांग में कमी अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

204. विचाराधीन उत्पाद की मांग में जांच की अवधि में गिरावट दर्ज की गई है। यह कोविड महामारी के कारण थी। तथापि, यह नोट किया जाता है कि मांग काफी है। यह देखा जाता है कि जांच की अवधि के बाद की अवधि में उत्पाद की मांग में काफी वृद्धि हुई है।

विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

205. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संभावित प्रतिकूल व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियों का कोई साक्ष्य नहीं है।

प्रौद्योगिकी में विकास

206. उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में संभावित परिवर्तन अथवा निकट भविष्य में किसी भी संभावित परिवर्तन को दर्शाने वाले रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं है।

निर्यात निष्पादन

207. आवेदक कंपनियों समान वस्तु का निर्यात करती हैं और निर्यात की मात्रा काफी अधिक है। तथापि क्षति सूचना को बिक्री की मात्रा, लाभ, नकद लाभ और निवेश के संबंध में अलग कर दिया गया है; और, इसलिए, निर्यात निष्पादन में संभावित गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति के लिए जिम्मेदार कारक नहीं हो सकती है।

ख. सस्सिडियुक्त आयातों और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना


I. घरेलू उद्योग के विचार

208. सस्सिडियुक्त आयातों और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:


- i. जांच की अवधि के दौरान आयातों में काफी वृद्धि हुई और भारी कीमत कटौती को देखते हुए, चीनी उत्पादकों के पास पहले से मौजूद काफी अधिशेष क्षमता और आगे विस्तार के लिए बनाई गई योजना को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि सीवीडी समाप्त होने की स्थिति में आयातों में और वृद्धि होगी।
- ii. जून, 2021 के बाद से अब तक, जब कोई सीवीडी नहीं था, आयात मूल जांच के आधार वर्ष में 87,408 मी. टन से बढ़कर जांच की अवधि में 1,75,048 मी. टन और अकेले दिसंबर, 2022 में 80,000 मी. टन हो गये।
- iii. चीन दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसकी कुल मौजूदा क्षमता 41 मिलियन मीट्रिक टन है जो 25 लाख मीट्रिक टन की भारतीय मांग का 16 गुना है। अधिशेष क्षमता होने के बावजूद, चीनी उत्पादकों ने क्षमता वृद्धि की योजनाओं के साथ नई क्षमताएं जोड़ना जारी रखा।
- iv. सीआरयू स्टेनलेस-स्टील-फ्लैट-प्रोडक्ट्स-मार्केट-आउटलुक-नवंबर-2022-सांख्यिकीय-समीक्षा के अनुसार, चीनी उत्पादकों द्वारा निर्मित क्षमता उनकी घरेलू मांग से अधिक है। लगभग 51% क्षमता अप्रयुक्त होने के साथ, संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। विश्व क्षमता में चीन का हिस्सा 58% है।

- v. सीआरयू द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, मेल्टिंग क्षमता के संदर्भ में, ये उत्पादक जिआंगसु डोंगफेंग शिपबिल्डिंग कंपनी, जिआंगसु हुइरान इंडस्ट्री, लिनी स्टील इन्वेस्टमेंट कंपनी, शेडोंग शेंगयांग ग्रुप और शेडोंग लिंगांग स्पेशल स्टील, इनर मंगोलिया जिंगान, मिंटल ग्रुप अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं।
- vi. वैश्विक स्तर पर स्टेनलेस स्टील में व्यापार विकृति के स्तर का अनुमान लगाये गये अथवा चल रहे व्यापार सुधारात्मक उपायों की संख्या से लगाया जा सकता है। देश स्थिर मांग और अतिरिक्त उत्पादन तथा अधिशेष क्षमता से जूझ रहे हैं जो अतिरिक्त मात्रा को लेने के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने स्टेनलेस स्टील के आयात को प्रतिबंधित करने वाले उपाय लागू किए। अतः, चीन से विभिन्न गंतव्यों के लिए निर्यात तेजी से गिर गया। चीन के पास ऐसे बाजारों की तलाश करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है जो कीमत आकर्षक हों, जिनकी सकारात्मक मांग हो और चीन के विरुद्ध कोई व्यापार उपचारात्मक उपाय न हो।
- vii. आयात काफी हद तक घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे थे। 200 श्रृंखलाओं में कटौती का मार्जिन अधिक है जिससे 200 श्रृंखलाओं के आयातों में काफी वृद्धि हुई है। यदि सब्सिडीरोधी उपायों को जारी नहीं रखा गया तो आयात में और वृद्धि होने की संभावना है।
- viii. आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से काफी कम है। संबद्ध देश के उत्पादकों को भारतीय बाजार कीमतों के मामले में काफी आकर्षक लगता है। घरेलू कीमतों पर आयातों का काफी न्यूनीकरण प्रभाव पड़ रहा है, इससे और आयातों की मांग में वृद्धि होने की संभावना है।
- ix. चीनी उत्पादक अत्यधिक निर्यातान्मुख हैं, वर्ष 2009 में एक निवल आयातक से वर्ष 2010 के बाद एक निवल निर्यातक बन गए हैं, जो वर्ष 2022 में रिकॉर्ड उच्च है। चीन के पास विशाल क्षमताएं हैं, और स्वतंत्र रूप से निपटानयोग्य उत्पादन क्षमताएं हैं, जिनका उपयोग निर्यात बाजार को लक्षित करने के लिए किया जा सकता है।
- x. एसएस की भारत की खपत 9-10% प्रति वर्ष की सीएजीआर से बढ़ रही है। वैश्विक प्रति व्यक्ति एसएस खपत 6 किलोग्राम है, भारत के लिए यह 2 किलोग्राम है, यह दर्शाता है कि वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। यह भारत को चीन के साथ-साथ इंडोनेशिया में एसएस क्षमताओं के लिए एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य बनाता है।
- xi. घरेलू उद्योग ने बाजार बलों के कारण जांच की अवधि में लाभप्रदता में सुधार किया। कच्ची सामग्री और एसएस की कीमतें आपस में जुड़ी हुई हैं। जांच की अवधि में कच्ची सामग्री की कीमतों में काफी वृद्धि देखी गई जिससे एसएस की लाभप्रदता में काफी वृद्धि हुई।
- xii. एसएस की कीमतों में सुधार हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उच्चतम वृद्धि लगभग 71% दर्ज की गई है। कीमत वृद्धि आवेदक के लिए कोई अनोखी घटना नहीं है, बल्कि एक वैश्विक घटना है। उच्च सामग्री की कीमतों के बावजूद, चीनी कीमतों में उतनी वृद्धि नहीं हुई है, जो अत्यधिक सब्सिडीयुक्त और क्षतिकारक कीमतें दर्शाए।
- xiii. वैश्विक स्तर पर उत्पादक आवेदक कंपनियों की तुलना में उच्च लाभप्रदता दरें सूचित कर रहे हैं, उनके निष्पादन के बावजूद उनके अधिकारियों ने यूरोपीय संघ के सुरक्षा उपायों सहित चीन पर उपाय करना जारी रखा है।

कच्ची सामग्री की कीमतों को दर्शाने वाला ग्राफ



स्टेनलेस स्टील की कीमतों को दर्शाने वाला ग्राफ



- xiv. यदि भारतीय बाजार में कीमतें अधिक आकर्षक हों तो चीन द्वारा अन्य देशों को किए गए वास्तविक निर्यात को भी भारतीय बाजार में मोड़ा जा सकता है। निर्यातकों के असहयोग के कारण, यह क्षमता निर्धारित नहीं है और इसे कम करके आंका जा सकता है।

चीन के पास 51% से अधिक अप्रयुक्त क्षमता है। क्षति अवधि के दौरान याचिकाकर्ता का अधिकतम क्षमता उपयोग 100% था। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि उत्पादक अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन कर सकते हैं। यह अतिरिक्त क्षमता भारतीय मांग का 564% है। अतिरिक्त क्षमता के अलावा, प्रमुख देशों ने चीन पर उपाय लगाए हैं और इस प्रकार ये बाजार प्रतिबंधित हैं। इस प्रकार, बढ़ती मांग के साथ भारतीय बाजार चीन में उन सभी निर्यातकों के लिए आकर्षक है जो अपनी अप्रयुक्त क्षमताओं का उपयोग करना चाहते हैं।

II. अन्य इच्छुक पक्षों की टिप्पणियाँ

209. अन्य इच्छुक पक्षों ने सब्सिडी और नुकसान के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियाँ या विचार प्रस्तुत किए हैं।

- शुल्क समाप्त करना मानक है जबकि इसे जारी रखना अपवाद है।
- सीमा-शुल्क टैरिफ (सीवीडी) नियम के नियम 24 और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(6) में उल्लेख किया गया है कि सीवीडी की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष होनी चाहिए। केवल अपवाद की स्थितियों में शुल्क को जारी रखा जा सकता है।

- iii. धारा 9(6) और नियम 24 में “संभावित/संभाव्यता (likely/likelihood)” शब्द का प्रयोग किया गया है और “संभव/संभावना (possible/possibility)” शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आवेदक को यह स्थापित करना होगा कि शुल्क समाप्त करने से पाटन और नुकसान ‘होगा’ और केवल संभावना (possibility) नहीं होगी।
- iv. केस T-422/13 में जनरल कोर्ट (प्रथम चैंबर) के निर्णय के अनुसार यह पाया गया कि नुकसान के जारी रहने या इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना (possibility) मात्र किसी उपाय को जारी रखने के लिए अपर्याप्त है। उपाय को जारी रखना नुकसान के जारी रहने या इसकी पुनरावृत्ति की संभाव्यता (likelihood) स्थापित किए जाने पर निर्भर है।
- v. सीवीडी को जारी रखे जाने का उल्लेख अधिनियम की धारा 9(6) के परंतुकों में किया गया है। सांविधिक व्याख्या के नियमों के अनुसार, मुख्य प्रावधानों में निर्धारित सामान्य नियम का अपवाद बताने के लिए परंतुक जोड़े जाते हैं।
- vi. इसके लिए राम नारायण सन्स लिमिटेड बनाम सहायक सीएसटी, एआईआर 1995 एससी 765 और शाह भोजराज कुवेरजी ऑयल मिल्स एंड जिनिंग फैक्टरी बनाम सुभाष चंद्र योगराज सिन्हा, एआईआर 1961 एससी 1596 को आधार बनाया गया है।
- vii. एससीएम समझौते के अनुच्छेद 21 की भाषा में कहा गया है कि यह उपाय नुकसान पहुंचाने वाली सब्सिडी व्यवस्था के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक समय तक और सीमा तक लागू रहेंगे।
- viii. *US – Carbon Steel (India) (DS436)* में पैनल रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 21.3 में अनुच्छेद 21.2 में निर्धारित सामान्य नियम के अनुप्रयोग पर विचार किया गया है – कि सीवीडी तभी तक लागू रहेगा जब तक यह आवश्यक होगा – उन विशेष परिस्थितियों में जहाँ सीवीडी को लागू किए जाने के बाद पाँच वर्ष का समय बीत गया है।
- ix. सीवीडी को जारी रखने के लिए आवेदकों को यह दर्शाना होगा कि शुल्क को हटाए जाने से सब्सिडी तथा नुकसान दोनों की पुनरावृत्ति या इनके जारी रहने की संभावना होगी।
- x. मौजूदा मामले में सीवीडी 7 सितंबर, 2017 को लागू किया गया था और तब से घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- xi. सीवीडी को 1 फरवरी, 2021 से हटा दिया गया था और उसके बाद 1 फरवरी, 2022 से इसे रद्द कर दिया गया। इस अरक्षित अवधि में घरेलू उद्योग के वित्तीय प्रदर्शन में कई गुना सुधार हुआ है।
- xii. इसलिए यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं पर सीवीडी का उद्देश्य पूरा हो गया है और अब इसकी जरूरत नहीं है।
- xiii. वर्तमान अन्वेषण एक विशेष स्थिति है जहाँ प्राधिकारी सीवीडी की अनुपस्थिति में घरेलू उद्योग की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं और निर्धारित कर सकते हैं कि क्या सीवीडी को रोकने से घरेलू उद्योग को नुकसान जारी रहने की संभावना सही सिद्ध होती।
- xiv. सीवीडी को रद्द किए जाने के बाद आवेदकों के वार्षिक वित्तीय विवरण लाभ में और प्रदर्शन के अन्य मानदंडों में व्यापक वृद्धि दर्शाते हैं।
- xv. वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार नुकसान की अवधि में आवेदक कंपनियों का राजस्व बढ़ा है और जाँच की अवधि के बाद इसमें अचानक से बढ़ोतरी हुई है।
- xvi. जेएसएल के लिए प्रचालनों से राजस्व वर्ष 2020-21 में 11,679 करोड़ रुपये से बढ़ कर वर्ष 2021-22 में 20,312 करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार जेएसएचएल के लिए राजस्व वर्ष 2020-21 में 8,400 करोड़ रुपये से बढ़ कर वर्ष 2021-22 में 13,549 करोड़ रुपये हो गया।
- xvii. वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व और लाभ में अचानक वृद्धि उस अवधि में हुई जब घरेलू उद्योग को सीवीडी के माध्यम से कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी। यह दर्शाता है कि विषयगत आयातों पर सीवीडी न होने के बावजूद आवेदकों ने अभूतपूर्व रूप से बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
- xviii. जब शुल्क लागू नहीं था तब आवेदकों के लिए प्रचालनों से राजस्व में पीबीआईटी का प्रतिशत 5-9% था, जबकि सीवीडी को हटाए जाने या रद्द किए जाने के समय में यह प्रतिशत 12-13% तक बढ़ गया है।

- xxix. आवेदकों ने अपने निवेशक प्रस्तुतीकरण में उल्लेख किया है कि स्टेनलेस-स्टील की उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह 1.1 एमटीपीए से बढ़ कर 2.1 एमटीपीए हो गया है। प्रिंसीजन स्ट्रिप की क्षमता में 26 केटीपीए की बढ़ोतरी के लिए चरण-1 को कमीशन कर दिया गया है। इससे आवेदक की कुल क्षमता दुगुनी हो कर 48 केटीपीए हो गई है।
- xx. आवेदक सब्सिडी और नुकसान की पुनरावृत्ति या इसके जारी रहने की संभावना की शंका जता रहे हैं जबकि वे स्वयं क्षमता विस्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि आवेदक भविष्य में वृद्धि का अनुमान कर रहे हैं।
- xxi. जेएसएल ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि अवसंरचना, रेलवे, ऑटोमोटिव, प्रसंस्करण उद्योग आदि जैसे क्षेत्रों में माँग बढ़ने से स्टेनलेस स्टील उद्योग को और लाभ होने की संभावना है। यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी द्वारा अच्छे स्तर पर नकद प्रवाह सृजित किया जा रहा है।
- xxii. क्षमता को निष्क्रिय दर्शाने के लिए सीआरयू “*Stainless Steel Flat Products Market Outlook, November 2020*” पर आवेदकों की निर्भरता गलत है। आवेदक इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता स्थापित करने में विफल रहे हैं।
- xxiii. आवेदकों ने ऐसा कोई आधार नहीं बताया है जिसका प्रयोग रिपोर्ट द्वारा क्षमता के उपयोग का परिकलन करने के लिए किया गया था।
- xxiv. ऑल इंडिया लेमिनेटेड फैब्रिक्स मैनुफैक्चरर्स असोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सीईएसटीएटी (CESTAT) ने पाया कि जब स्रोत सामग्री का प्रकटन नहीं किया गया और न ही इसकी प्रामाणिकता स्थापित की गई, तब निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस रिपोर्ट को आधार बनाया जाना उचित नहीं था।
- xxv. इस रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण नवंबर 2022 में प्रकाशित किया गया था, हालांकि आवेदकों ने रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण दाखिल नहीं किया है।
- xxvi. अधिक क्षमता का अर्थ किसी देश विशेष में घरेलू माँग से अधिक क्षमता नहीं है। बल्कि इसका अर्थ निष्क्रिय क्षमता से है जिसका प्रयोग भविष्य में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन तथा भारत को इसकी बिक्री के लिए किया जा सकता है।
- xxvii. क्योंकि 24% क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि इसका प्रयोग भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने के लिए किया जाएगा।
- xxviii. नुकसान की अवधि में चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादकों द्वारा क्षमता का औसत उपयोग 75% से अधिक रहा है; वर्ष 2020 में क्षमता उपयोग 83% था जबकि वर्ष 2021 में यह 88% था। वर्ष 2022 में जब क्षमता उपयोग कम हो गया था तब भी यह 77% था।
- xxix. वर्ष 2022 की 4थी तिमाही के लिए ओईसीडी की स्टील बाजार विकास रिपोर्ट के अनुसार क्षमता उपयोग की औसत वैश्विक दर लगभग 80% अनुमानित की जा सकती है। इस मानक की तुलना में चीन जनवादी गणराज्य में स्टेनलेस-स्टील के उत्पादकों का औसत क्षमता उपयोग कोई निष्क्रिय क्षमता नहीं दर्शाता है।
- xxx. इंडियन स्पिनर्स असोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सीईएसटीएटी (CESTAT) ने कहा कि अधिक उत्पादन क्षमता होने को नुकसान का स्पष्ट तथा आसन्न खतरा नहीं माना जा सकता।
- xxxi. संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान से एनिलाइन (Aniline) पर सनसेट समीक्षा जाँच में प्राधिकारी ने पाया कि केवल अधिक क्षमता की उपलब्धता इस निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराती कि किसी संबद्ध देश से पाटन जारी रह सकता है या इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है।
- xxxii. केवल आयात में वृद्धि सब्सिडी और नुकसान के जारी रहने या इसकी पुनरावृत्ति की संभावना को नहीं दर्शाती, विशेष रूप से जब घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड चीन के आयातों में बढ़ोतरी के बावजूद अच्छी वृद्धि दिखाएँ।
- xxxiii. उनके द्वारा लिखित अनुरोधों में दिए गए आंकड़ों और याचिका में दिए गए आंकड़ों के बीच उल्लेखनीय अंतर है, जहाँ उन्होंने इसी स्रोत को आधार बनाया है।
- xxxiv. जहाँ याचिका में रिपोर्ट किए गए अनुसार वर्ष 2017, 2018 और 2019 के लिए चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादकों का क्षमता उपयोग (नवंबर 2020 में प्रकाशित सीआरयू आंकड़ों के आधार पर) क्रमशः 76%, 76%

और 84% था, वहीं लिखित अनुरोधों में रिपोर्ट किए गए अनुसार वर्ष 2017, 2018 और 2019 के लिए चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादकों का क्षमता उपयोग (नवंबर 2022 में प्रकाशित सीआरयू आंकड़ों के आधार पर) क्रमशः 55%, 57% और 64% था।

- xxxv. आवेदकों द्वारा अधिक क्षमता का दावा करने के लिए उल्लिखित रिपोर्टों को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि ये विश्वसनीय नहीं हैं।
- xxxvi. चीन की सरकार ने पहले ही अपना स्टेनलेस-स्टील उत्पादन कम करने के लिए योजनाएँ बनानी शुरू कर दी हैं।
- xxxvii. आवेदकों द्वारा उल्लिखित विभिन्न अन्य देशों द्वारा उठाए गए व्यापार सुधार कदम नए नहीं हैं या ये ऐसे उपाय नहीं हैं जिनसे उन बाजारों से निर्यातों का डायवर्जन अचानक भारत को होने लगेगा।
- xxxviii. भारत में पीयूसी की बाजार कीमत अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है, भारतीय बाजार अन्य देशों की तुलना में आकर्षक नहीं है।
- xxxix. आवेदकों ने आंकड़ों का स्रोत नहीं दिया है जहाँ से उन्होंने यह दावा किया है कि चीन के उत्पादकों का रुझान निर्यात की ओर है।
- xl. यदि निर्यात की ओर रुझान है भी, तब भी यह इस बात को स्थापित नहीं करता कि चीन के उत्पादक तुरंत अपने उत्पाद बड़ी मात्रा में भारतीय बाजार में भेजने लगेंगे।
- xli. फरवरी 2021 से सीवीडी समाप्त किए जाने के बाद से संबद्ध आयातों की मात्रा में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे कोई भी आयात भारत में आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए किए गए हैं।
- xlii. भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री ने कहा है कि चीन से सस्ते आयात बहुत कम हैं और भारत का स्टील बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह भी उल्लेख किया गया कि भारत को यदि कोई खतरा है तो वह चीन से नहीं बल्कि “एफटीए देशों” से है।
- xliii. आवेदकों के ये आरोप किसी साक्ष्य या आंकड़ों से समर्थित नहीं हैं कि कच्चे माल की लागत में वृद्धि के बावजूद चीन के उत्पादकों ने अपनी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं।
- xliv. हालांकि पीयूसी के कच्चे माल की वैश्विक कीमतों में वृद्धि हुई है, परंतु आवेदकों ने यह स्थापित नहीं किया है कि चीन के उत्पादकों के कच्चे माल की कीमतों में भी वृद्धि हुई है।
- xlv. यह संभव है कि चीन के उत्पादक स्थानीय स्रोत कच्चा माल प्राप्त कर रहे हों, जिनकी कीमतों का रुझान चीन जनवादी गणराज्य में बाजार घटकों के कारण अलग हो।

III. प्राधिकारी द्वारा जाँच

210. वर्तमान अन्वेषण चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर सब्सिडी-रोधी शुल्क की सनसेट समीक्षा है। नियमों के अंतर्गत, प्राधिकारी को यह निर्धारित करना है कि क्या मौजूदा शुल्क समाप्त करने से सब्सिडी वाले आयात और घरेलू उद्योग को नुकसान जारी रहने या इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
211. इस प्रकार की संभावना का विश्लेषण करने के लिए कोई विशेष पद्धतियाँ उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि सीवीडी नियमों के अनुलग्नक-1 के खंड 3 में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों का उल्लेख किया गया है जो नुकसान के जोखिम से संबंधित हैं और सनसेट समीक्षा में संभावना के विश्लेषण के लिए इन्हीं कारकों का प्रयोग किया जा सकता है। यह कारकों की एक गैर-संपूर्ण सूची है। इसके अतिरिक्त सनसेट समीक्षा की आवश्यकताओं के संबंध में इन कारकों पर विचार किया जाना होता है और इनका प्रयोग किया जाना होता है जहाँ प्राधिकारी को यह निर्धारित करना होता है कि क्या सीवीडी को समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग को नुकसान जारी रहने या इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, क्योंकि 1 फरवरी, 2021 से कोई सीवीडी लागू नहीं था या एकत्रित नहीं किया जा रहा था, प्राधिकारी ने सबसे हाल ही की अवधि (अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022) के लिए उत्पाद के निर्यातों को नोट किया है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि जहाँ जाँच की अवधि में और जाँच की अवधि के बाद एडीडी लागू था वहाँ समीक्षा में जाँच की अवधि के बाद की अवधि पर विचार किया जाना उचित नहीं होता, जिस मामले में सीवीडी वापस ले लिया गया या जाँच की अवधि के बाद उल्लेखनीय अवधि के लिए एकत्रित नहीं किया गया, उस

अवधि के लिए सूचना पर विचार करना सही होगा। प्राधिकारी द्वारा चीन से संबद्ध वस्तुओं के सब्सिडी वाले आयातों के जारी रहने की संभावना निर्धारित करने के लिए विश्लेषित गैर-संपूर्ण कारक हैं:

- i. प्रश्रगत सब्सिडी या सब्सिडियों की प्रकृति और इससे होने वाले संभावित व्यापार प्रभाव;
 - ii. घरेलू बाजार में सब्सिडी वाले आयातों में उल्लेखनीय दर से वृद्धि आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना को दर्शाती है;
 - iii. निर्यातक के पास प्रयोग के लिए उपलब्ध क्षमता या उसकी क्षमता में आसन्न, उल्लेखनीय वृद्धि अतिरिक्त निर्यातों की खपत के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में सब्सिडी वाले निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना को दर्शाती है;
 - iv. क्या आयात ऐसी कीमतों पर किए जा रहे हैं जिनके कारण घरेलू कीमतों पर उल्लेखनीय दबाव या कमी आएगी, और जिनसे और आयात के लिए माँग में वृद्धि होने की संभावना है;
 - v. जाँच की जा रही वस्तुओं की सूचियाँ।
212. चीन सरकार की ओर से और चीन के उत्पादकों/निर्यातकों की ओर से सहयोग और सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने संभावना का विश्लेषण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों/सूचना को और प्राधिकारी के पास उपलब्ध जानकारी को आधार बनाया है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि आवेदकों ने संबद्ध देश में और वैश्विक रूप से संबद्ध वस्तुओं की क्षमताओं, उत्पादन और माँग के संबंध में सूचना के लिए सीआरयू रिपोर्ट को आधार बनाया है। प्राधिकारी सीआरयू रिपोर्ट में दी गई सूचना पर निर्भरता को उचित मानते हैं।

उल्लेखनीय मात्रा में आयातों को जारी रखना

213. नुकसान के अन्वेषण की अवधि के दौरान और जाँच की अवधि के बाद की अवधि में आयातों की मात्रा निम्नानुसार है:

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	जाँच की अवधि (A)	2021-22 (A)	2022-23(A)
चीन	1,77,630	93,928	92,441	1,75,048	3,04,634	5,08,961

214. यह देखा जाता है कि वर्ष 2017-18 और 2019-20 के बीच संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के सब्सिडी वाले आयातों की मात्रा में मात्रात्मक रूप से गिरावट आई। हालांकि जाँच की अवधि के बाद से आयातों में वृद्धि हो रही है, जिसकी मात्रा जाँच की अवधि के बाद की अवधि में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है।
215. इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने नोट किया है कि हालांकि जाँच की अवधि में वर्ष 2018-19 और 2019-20 में चीन से विचाराधीन उत्पाद के सब्सिडी वाले आयातों की मात्रा में गिरावट आई, परंतु तुलनात्मक रूप से इनकी मात्रा आधार-वर्ष के स्तर के आस-पास थी। शुरुआती वर्षों के दौरान सब्सिडी-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद सब्सिडी वाले आयातों की मात्रा उल्लेखनीय है, जाँच की अवधि और जाँच की अवधि के बाद की अवधि में आयातों में तेजी से बढ़ोतरी हुई, हालांकि जाँच की अवधि के दौरान शुल्क को हटा लिया गया था।
216. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान, चीन जन गण से 85% आयात 200 श्रृंखलाओं से हुए हैं, जबकि शेष 15% आयात 'अन्य ग्रेडों' से हुए हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता (जेएसएल और जेएसएचएल) मुख्य रूप से 'अन्य ग्रेड' खंड से संबंधित उत्पादों का उत्पादन और बिक्री कर रहे हैं, जबकि एमएसएमई और पट्टा क्षेत्र से संबंधित अन्य भारतीय उत्पादक 'अन्य ग्रेड' की महत्वपूर्ण मात्रा का निर्माण नहीं करते हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित अधिकांश सामान 'अन्य ग्रेड' श्रेणी में हैं, जो चीन जन. गण. से केवल 15% आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। याचिकाकर्ता जांच की अवधि के दौरान लाभ में थे और क्षति से पीड़ित नहीं थे। 'अन्य ग्रेड' से आयात का प्रभाव भारतीय एमएसएमई उत्पादकों पर महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वे 'अन्य ग्रेड' श्रेणी से संबंधित उत्पादों की महत्वपूर्ण मात्रा का निर्माण नहीं कर रहे हैं। 'अन्य ग्रेड' श्रेणी में आयात की कम मात्रा के कारण, और इस तथ्य के कारण कि याचिकाकर्ता पीओआई के दौरान लाभदायक रहे हैं जब शुल्क लागू नहीं थे, क्षति की पुनरावृत्ति या जारी

रहने की अपर्याप्त संभावना प्रतीत होती है। यदि विचाराधीन उत्पाद के 'अन्य ग्रेड' के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क निरस्त/वापस ले लिया जाता है।

217. दूसरी ओर, अन्य भारतीय उत्पादक जो एमएसएमई और पट्टा क्षेत्रों में हैं, मुख्य रूप से 200 श्रृंखलाओं का उत्पादन करते हैं और चीन पीआर से 85% आयातों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में हैं। प्राधिकरण ने देखा है कि एमएसएमई और पट्टा क्षेत्र के उत्पादक चीन पीआर से आयात के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील रहे हैं क्योंकि जांच की अवधि के दौरान इन एमएसएमई उत्पादकों द्वारा निर्मित 92% से अधिक उत्पाद 200 श्रृंखला में हैं। इसलिए ये MSME उत्पादक 85% चीनी सब्सिडी वाले आयात के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में हैं। ऊपर जांच किए गए क्षति पैरामीटर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि एमएसएमई उत्पादक शुल्क के निलंबन के बाद चीन जन गण से आयातों से असमान रूप से प्रभावित हुए हैं। सीवीडी के निलंबन के परिणाम केवल भारतीय एमएसएमई उत्पादकों के प्रदर्शन में स्पष्ट गिरावट से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जब शुल्क लागू था तब भारतीय एमएसएमई उत्पादक बहुत समृद्ध थे, लेकिन जांच की अवधि के दौरान जब शुल्क को निलंबित कर दिया गया था और अंततः वापस ले लिया गया था तो उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए जांच की अवधि के दौरान इन अन्य भारतीय उत्पादकों के लाभप्रदता मानदंडों में काफी गिरावट आई है। इसलिए यह देखा गया है कि यदि विचाराधीन उत्पाद की 200 श्रृंखलाओं के संबंध में शुल्क निरस्त/वापस ले लिया जाता है तो क्षति की पुनरावृत्ति और जारी रहने की प्रबल संभावना है।

चीन में अधिक क्षमता

218. यह नोट किया गया है कि न तो चीन जनवादी गणराज्य और न ही चीन सरकार ने संबद्ध सनसेट समीक्षा अन्वेषण में सहभागिता की है। इसलिए चीन जनवादी गणराज्य या चीन सरकार से उत्पादकों/निर्यातकों की ओर से प्रभावली के उत्तर के आधार पर प्राधिकारी के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। आवेदकों द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी अर्थात् सीआरयू रिपोर्ट (नवंबर 2022) के अनुसार यह नोट किया गया है कि चीन में उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमताएँ उनकी घरेलू माँग से बहुत अधिक हैं।

चीन						
(मात्रा kt में)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
क्षमता	29,000	30,470	30,750	31,300	31,000	40,940
उपभोग	16,064	17,305	19,619	20,412	21,325	20,779
क्षमता उपयोग	55%	57%	64%	65%	69%	51%
वैश्विक क्षमता	53,704	56,426	58,019	60,192	60,784	70,586
वैश्विक क्षमता में चीन की हिस्सेदारी	54%	54%	53%	52%	51%	58%

219. यह देखा गया है कि चीन के उत्पादक अपनी स्वयं की घरेलू माँग और वर्तमान निर्यात से कहीं अधिक मात्रा में क्षमता रखते हैं जिससे उनकी उत्पादन क्षमता का उल्लेखनीय रूप से कम उपयोग हो पाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा कोई ऐसे तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए हैं जो यह दर्शाएँ कि चीन की घरेलू माँग में या अन्य देशों के बाजारों में उनकी अधिक क्षमता की खपत हो सके।
220. इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने नोट किया है कि चीन के उत्पादक अपनी क्षमताओं के बहुत कम उपयोग के बावजूद लगभग प्रति वर्ष और क्षमताएँ जोड़ रहे हैं। किसी भी इच्छुक पक्ष ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि मौजूदा समग्र अधिक क्षमता के बावजूद ये क्षमताएँ किन्हीं बाजार क्षेत्रों में कमी को पूरा करने के लिए जोड़ी गई हैं। आवेदकों के संयंत्र दौरे के दौरान यह देखा गया था कि क्षमताएँ प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसलिए पीयूसी के अंदर विभिन्न प्रकार के उत्पादों के उत्पादन के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। हालांकि किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा ऐसा कोई सत्यापन योग्य दावा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदकों द्वारा दिया गया साक्ष्य चीन के उत्पादकों द्वारा उल्लेखनीय निवेश के साथ अपनी क्षमताओं का और विस्तार करने की योजनाएँ दर्शाता है।

बाजार हिस्सेदारी और आयातों का ऐतिहासिक विश्लेषण

221. प्राधिकारी ने नोट किया है कि संबद्ध देश से भारत में बाजार हिस्सेदारी और आयातों का ऐतिहासिक विश्लेषण दर्शाता है कि चीन से आयात हमेशा उल्लेखनीय रहे हैं। वर्ष 2018-19 और 2019-20 में शुल्क लागू किए जाने के दौरान लघु अवधि के लिए आयातों में गिरावट आई परंतु जाँच की अवधि में और जाँच की अवधि के बाद की अवधि में इनमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और हमेशा उल्लेखनीय रहे हैं। बाजार हिस्सेदारी के संबंध में भी यही स्थिति है। आधार वर्ष में संबद्ध देश से पीयूसी के आयातों में बाजार हिस्सेदारी बहुत अधिक थी, दो वर्ष के लिए इसमें गिरावट आई, परंतु यह उल्लेखनीय बनी रही। जाँच की अवधि में बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष के समान स्तर पर आ गई है और यह 6.94% थी।
222. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के तर्क को भी नोट किया है और पाया है कि जहाँ चीन 2002-2009 की अवधि के दौरान उत्पाद का निवल निर्यातक था, लगभग 2010 के समय से चीन उत्पाद का मात्रात्मक रूप से उल्लेखनीय निर्यातक बन गया। चीन ने वर्ष 2022 में लगभग 5,15,843 एमटी स्टेनलेस स्टील फ्लैट रोलड उत्पाद का निर्यात किया है।

बाजार में निर्यातकों की निरंतर मौजूदगी और घरेलू उद्योग का जोखिम

223. प्राधिकारी ने नोट किया है कि भारतीय बाजार ने सब्सिडी-रोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी संबद्ध देश से आयातों की निरंतर मौजूदगी देखी है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि भारतीय उद्योग के पास भारत की माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। अप्रैल-दिसंबर 2022 की हाल ही की अवधि में चीन से 3,81,720 एमटी के समग्र आयातों की तुलना में एमएसएमई क्षेत्र के पास ही इन ग्रेड्स में 15,00,000 एमटी की संस्थापित क्षमताएँ हैं।

आयात के स्रोत और उत्पाद प्रोफाइल में बदलाव

224. प्राधिकारी ने नोट किया है कि स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों के पूर्व में किए गए अन्वेषणों के विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2009 से चीन से भारतीय बाजार में आयात लगातार बढ़े हैं। इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि पाटनरोधी उपायों के शर्ताधीन उत्पादों के आधार पर आयातों का पैटर्न एक उत्पाद प्रकार से दूसरे उत्पाद प्रकार में बदलता रहा।

अन्य देशों द्वारा लागू किए गए व्यापार उपाय

225. रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत सहित विभिन्न देशों द्वारा चीन के निर्यातों के विरुद्ध विभिन्न व्यापार सुधार उपाय किए गए हैं और वर्तमान में लागू हैं। नीचे दी गई तालिका में वैश्विक रूप से विभिन्न अन्वेषण प्राधिकरणों द्वारा लागू किए गए विभिन्न उपाय दर्शाए गए हैं।

देश	जाँच किया गया देश	इकाई	शुल्क की रेंज	मूल रूप से लागू किए जाने की तारीख
ब्राज़ील	चीन	US\$/MT	175.62 - 629.44	04.10.2013
ईयू	चीन	%	24.4 - 25.30	27.08.2015
मलेशिया	चीन	%	2.68 - 23.95	08.02.2018
मेक्सिको	चीन	%	63.00%	02.10.2020
दक्षिण कोरिया	चीन	%	23.69 - 25.82	15.09.2021
ताइवान	चीन	%	38.11-38.11	15.08.2013
थाईलैंड	चीन	%	8.5 - 33.32	10.12.2013
संयुक्त राज्य अमेरिका	चीन	%	63.86 - 76.64 (एडीडी) 75.60-190.71	03.04.2017
वियतनाम	चीन	%	17.94 - 31.85	04.10.2014

226. प्राधिकारी ने नोट किया है कि वैश्विक स्तर पर स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में व्यापार विकृति का स्तर लागू किए गए या जारी व्यापार सुधार उपायों की संख्या से पता चलता है। चीन, ईयू, जापान, कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश पीयूसी के बड़े उपभोक्ता हैं, इन देशों में माँग एक समान स्तर पर रहती है और इनके पास अधिक उत्पादन तथा अधिक क्षमता होती है जिसके कारण इनके पास अतिरिक्त मात्रा की खपत की गुंजाइश बहुत कम होती है।

227. अमेरिका ने धारा 232 शुल्क जैसे विभिन्न व्यापार सुरक्षा उपाय लागू किए हैं जिनके परिणामस्वरूप इन बाजारों तक पहुँच स्वचालित रूप से अवरुद्ध हो जाती है। ईयू ने निश्चित सुरक्षा उपाय लागू किए हैं जिनके माध्यम से देश-विशिष्ट कोटा लागू किया जाता है। चीन ने स्वयं ईयू, जापान, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया से स्टेनलेस-स्टील स्लैब्स और हॉट-रोलड स्टेनलेस स्टील के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू किया है। यह देखा गया है कि चीन भी ऐतिहासिक तथा निरंतर रूप से दूसरे देशों में सब्सिडी वाली संबद्ध वस्तुओं का पाटन और निर्यात करता है।

तृतीय देशों को नुकसानकारक निर्यात

228. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की सामान पहुँचने तक की कीमत (तृतीय देशों को) की तुलना घरेलू उद्योग की एनआईपी से करते हुए तृतीय देश को नुकसानकारक निर्यातों की जाँच की है। तृतीय देश को नुकसानकारक निर्यातों के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

तृतीय देशों को नुकसानकारक कीमत पर निर्यात	मी.ट.	14,08,406
तृतीय देशों को कुल निर्यात	मी.ट.	32,69,701
अन्य देशों को नुकसानकारक कीमत पर निर्यात	%	42%
	रेंज	40-50%
भारतीय माँग के % के रूप में नुकसानकारक कीमतों पर निर्यात	%	55%
	रेंज	50-60%

229. यह देखा गया है कि तृतीय देशों को बड़ी मात्रा में नुकसानकारक कीमतों पर निर्यात किया जाता है। संबद्ध देश से तृतीय देशों को नुकसानकारक कीमतों पर निर्यात की मात्रा भारत में माँग का लगभग 56% है।

भारतीय बाजार का कीमत आकर्षण

230. कीमत के आकर्षण के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

भारत में कीमत से कम कीमत पर अन्य देशों को निर्यात	MT	20,42,536
तृतीय देशों को कुल निर्यात	MT	32,69,701
भारत में कीमत से कम कीमत पर अन्य देशों को निर्यात	%	62%
रेंज	%	60-70%
भारतीय माँग के % के रूप में भारत में कीमत से कम कीमत पर अन्य देशों को निर्यात	%	82%
रेंज	%	80-90%

231. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से तृतीय देशों को भारत के लिए उनकी निर्यात कीमत से कम कीमत पर निर्यात किया जाता है।

ग. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

I. अन्य इच्छुक पक्षों की टिप्पणियाँ

232. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा यह दावा किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं पर यदि कोई प्रतिकारी शुल्क लगाया जाता है तो यह निम्नलिखित कारणों से जन हित में नहीं होगा:
- प्रयोक्ताओं के लिए कच्चे माल की कुल लागत में पीयूसी का प्रतिशत इतना अधिक है कि पीयूसी की लागत में किसी भी वृद्धि का प्रयोक्ता उद्योग पर प्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव होगा।
 - आयातक-व्यापारी और अंतिम-प्रयोक्ता कीमत में बढ़ोतरी को वहन नहीं कर पाएंगे और प्रतिकारी शुल्क जारी रहने के कारण लागतों में वृद्धि का भार अंतिम-उपभोक्ता पर डालने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
 - घरेलू उपभोक्ता सीधे चीन जनवादी गणराज्य या किसी अन्य देश से तैयार उत्पाद (जैसे रसोई के लिए सिंक) आयात करना पसंद करेंगे। इससे भारत में संबद्ध वस्तुओं का प्रयोक्ता उद्योग बंद हो जाएगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और घरेलू बाजार के लिए नुकसानदायक साबित होगा।
 - आवेदक भारत में पीयूसी के लिए माँग को पूरा करने में असमर्थ है; इसके परिणामस्वरूप प्रयोक्ता उद्योग चीन से पीयूसी का आयात करने के लिए बाध्य है।
 - सहायक उत्पादक "पट्टा" स्टील का उत्पादन करते हैं। हालांकि बर्तन बनाने के लिए फ्लैट या "पट्टा" स्टील के बजाय स्टील काँयल अधिक बेहतर स्रोत है।
 - स्टील काँयल की काफी माँग है और चूंकि घरेलू उत्पादक इस माँग को पूरा नहीं कर सकते इसलिए यह माँग चीन के आयातकों द्वारा पूरी की जाती है।

II. घरेलू उद्योग की टिप्पणियाँ

233. घरेलू उद्योग द्वारा जन हित के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

- शुल्क को जारी रखना डाउनस्ट्रीम उद्योगों, उपभोक्ताओं और आम जनता के हित में होगा।
- प्रतिकारी शुल्क के प्रभाव की जाँच विभिन्न हितधारकों के परिदृश्य से की जानी चाहिए।
- भारत में आयातित संबद्ध वस्तुओं का आयात तेजी से बढ़ रहा है और बाजार की उल्लेखनीय हिस्सेदारी ले रहा है। इसके अतिरिक्त इनका निर्माण सब्सिडी प्राप्त कीमतों पर किया जाता है जो घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी कम होती हैं।
- सामान्य रूप से प्रतिकारी शुल्क को जारी रखने का उद्देश्य अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को नुकसान से बचाना और भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को पुनर्स्थापित करना है।
- प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग उपभोक्ताओं के हित में है। उचित कीमत पर आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ताओं को उत्पाद की आपूर्ति करना।
- यदि उपभोक्ता आयात पर निर्भर हो जाएंगे तो वे अधिक मात्रा में माल भंडारित करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालांकि घरेलू उद्योग से खरीद की स्थिति में उपभोक्ताओं के पास माल भंडारण का स्तर कम रखने का विकल्प होता है।
- उत्पाद का मजबूत, प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन आम जनता के हित में है।
- भारत को विनिर्माण का पावरहाउस बनाने के लिए घरेलू विनिर्माण कार्यकलापों को बढ़ावा देना जरूरी है।
- घरेलू उत्पादन बढ़ाने से रोजगार बढ़ेगा और देश की जीडीपी बढ़ेगी।
- माँग-आपूर्ति में बिना किसी अंतर के और आयातों पर निर्भरता न रखते हुए भारतीय इस्पात उद्योग पूरी तरह से आत्मनिर्भर उद्योग है।
- भारतीय उद्योग के पास अधिक क्षमताएँ हैं। इसके अतिरिक्त, वे चीन से आयात किए जा रहे सभी ग्रेड्स और गुणवत्ताओं का उत्पादन करने में सक्षम हैं।

- xii. यदि प्रस्तावित शुल्क के परिणामस्वरूप संबद्ध देश से आयात रुक जाते हैं तो इसके कारण आवेदक भारतीय बाजार पर एकाधिकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि आवेदक पहले ही अन्य भारतीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं।
- xiii. भारत में समान वस्तु के अधिकतर उत्पादक एमएसएमई क्षेत्र के हैं और इसलिए हमें एमएसएमई को संरक्षित करने की जरूरत है। और भारतीय बाजार में एमएसएमई क्षेत्र के विभिन्न अन्य उत्पादक हैं जो संभवतः ऐसा प्रतिरोध कर पाने में सक्षम न हों।
- xiv. अवसंरचना उद्योग में स्टेनलेस स्टील का उपयोग केवल 12% है जबकि कार्बन स्टील उद्योग में इसका उपयोग 62% है। नीचे दी गई तालिका उत्पाद का उपभोग प्रोफाइल दर्शाती है:

विवरण	स्टील	स्टेनलेस
निर्माण एवं अवसंरचना	62%	12%
ऑटो, रेलवे और परिवहन	12%	13%
पूँजीगत वस्तुएँ/प्रसंस्करण	15%	30%
टिकाऊ सामान/घरेलू जरूरत का सामान	5%	44%
अन्य	6%	1%
	100%	100%

- xv. अंतिम रूप से तैयार उत्पादों पर परिणामिक प्रभाव महत्वहीन है। जहाँ प्रत्यक्ष उपभोक्ता लागत में वृद्धि/कमी को अपने उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं और लागत में वृद्धि को वहन नहीं करते हैं, और अंतिम रूप से तैयार उत्पाद पर इसका प्रभाव असहनीय नहीं होगा।

सेगमेंट	रेंज %
ऑटोमोबाइल, रेलवे, परिवहन	0.10-0.15
मेट्रो	0.55-0.65
रेलवे	0.05-0.10
वास्तुकला, भवन, निर्माण	0.01-0.05
प्रसंस्करण उद्योग	0.05-0.10
ताप विद्युत	0.05-0.10
परमाणु ऊर्जा	0.01-0.05
पेट्रोकेमिकल उद्योग	0.01-0.05
उर्वरक उद्योग	0.25-0.30
कागज संयंत्र	0.10-0.15
रसोई का सामान	0.60-0.70
घरेलू रसोई	0.60-0.70
व्यावसायिक रसोई	0.80-0.90
समग्र रूप से एसएस का कुल प्रभाव	0.05-0.10

- xvi. यदि शुल्क में वृद्धि को उत्पाद की कीमतों पर डाला जाए तो इसका प्रभाव मुश्किल से 0.05%-0.10% के बीच होता है, जो अंतिम-उपभोक्ता के लिए महत्वहीन और अप्रासंगिक है।
- xvii. विनिर्माण उद्योग में अत्यधिक श्रम और अत्यधिक पूंजी लगती है और यह बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है।
- xviii. समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों द्वारा क्षमताओं की स्थापना में उल्लेखनीय निवेश होता है जो 30,000 करोड़ रुपये तक है। इस प्रकार घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा नहीं करने से उनके द्वारा किया गया बड़ा निवेश सीधे तौर पर प्रभावित होगा और इससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आएगी।
- xix. वर्तमान मामले में शुल्कों के वास्तविक लाभ का मापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि 4 लाख से अधिक कार्मिकों को रोजगार देने वाली पट्टा सेगमेंट की लगभग 500 एमएसएमई कंपनियाँ और इस्पात को पिघलाने वाले सेगमेंट की 80 कंपनियाँ चीन से बढ़ते हुए आयात से सीधे तौर पर प्रभावित हो रही हैं।
- xx. संबद्ध देश में उत्पादक केवल अपने राजस्व को अधिक से अधिक करने के उद्देश्य से प्रचालन करेंगे और उनका भारतीय बाजार या उपभोक्ताओं के दीर्घावधि विकास में कोई हित या रुचि नहीं है। यदि कोई और बाजार बेहतर कीमतें प्रदान करता है तो संबद्ध देश के उत्पादक निश्चित रूप से अपनी बिक्री के लक्ष्य को बदलेंगे। इसके विपरीत उपभोक्ताओं के ही राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थापित भारतीय उद्योग उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखेगा।
- xxi. भारतीय बाजार न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि इसके पास एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता बन कर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान देने की क्षमता भी है।
- xxii. प्रतिकारी शुल्क अन्य देशों में उत्पादकों द्वारा भारत में उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाले कीमतों के अनुचित निर्धारण का समाधान है। यह उद्योग को कोई सुरक्षा नहीं है बल्कि देश में उचित बाजार प्रतिस्पर्धा लाने का साधन है।
- xxiii. सब्सिडी-रोधी शुल्क जारी रखने का उद्देश्य संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा किसी व्यापार विकृति को हटाते हुए और भारतीय उद्योग को उचित प्रतिस्पर्धा का अवसर देते हुए समान अवसर प्रदान करने वाली व्यवस्था स्थापित करना है।
- xxiv. एमएसएमई क्षेत्र (इंडकशन फर्नेस क्षेत्र) में इस्पात को पिघलाने वाली इकाइयां पट्टा उद्योग को वस्तुएँ बेचती हैं जो उत्पाद को रोल करता है और बर्तन निर्माताओं को वस्तुएँ बेचता है। क्योंकि इस क्षेत्र में आयात आ रहे हैं, इसलिए यह क्षेत्र सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। इन क्षेत्रों से 60 कंपनियों द्वारा क्षमता, उत्पादन और बिक्री के संबंध में जानकारी प्रदान की गई है।
- xxv. वर्ष 2019-20 तक घरेलू उत्पादकों का उत्पादन बढ़ा और उत्पादन तथा बिक्री में वृद्धि को देखते हुए उद्योग में जाँच की अवधि में भी अपनी क्षमता बढ़ाई। हालांकि जाँच की अवधि में संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि के साथ उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई।
- xxvi. वर्तमान जाँच में 78 उपभोक्ताओं ने अपना समर्थन दिया है। यदि शुल्कों का प्रतिकूल प्रभाव होता तो प्राधिकारी को उपभोक्ताओं से ऐसा भारी समर्थन नहीं मिलता।
- xxvii. स्टेनलेस-स्टील उद्योग के लिए शुल्कों का लाभ उपभोक्ताओं पर संभावित "प्रतिकूल प्रभाव" की तुलना में बहुत अधिक है।

III. प्राधिकारी द्वारा जाँच

234. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य पक्षों सहित सभी इच्छुक पक्षों से टिप्पणियाँ आमंत्रित करते हुए प्रारंभ अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के किन्हीं संभावित प्रभावों सहित वर्तमान जाँच के संबंध में संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की थी। प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्या शुल्क को लागू करना जारी रखने से जन हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव होगा। जाँच के दौरान, यह जाँचने के लिए कदम उठाए गए कि क्या सब्सिडी-रोधी शुल्क जारी रखना जन हित के विरुद्ध होगा। इसके लिए प्राधिकारी ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी और आवेदकों, आयातकों, और उत्पाद के प्रयोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षों के हितों पर विचार किया है।

235. प्राधिकारी ने नोट किया है कि सामान्य रूप से सब्सिडी-रोधी शुल्क का उद्देश्य अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को पहुंचाए जा रहे नुकसान को रोकना और भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनःस्थापित करना है, जो देश के हित में है। सब्सिडी-रोधी उपायों को जारी रखने से किसी भी प्रकार से संबद्ध देश/क्षेत्र से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे, और, इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
236. यह माना गया है कि सब्सिडी-रोधी शुल्क लागू करने से संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग करते हुए निर्मित उत्पाद की कीमत के स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामस्वरूप इस उत्पाद की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि सब्सिडी-रोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, विशेष रूप से जब सब्सिडी-रोधी शुल्क लागू किया जाना घरेलू उद्योग को नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित किया जाता है। इसके विपरीत सब्सिडी-रोधी उपायों को जारी रखने से सब्सिडी के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने पर रोक लगेगी, घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट रुकेगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प उपलब्ध करवाना जारी रखा जा सकेगा।
237. यह तर्क दिया गया है कि सब्सिडी-रोधी शुल्क अंतिम प्रयोक्ता के लिए एक उल्लेखनीय लागत होती है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि सनसिटी शीट्स प्राइवेट लिमिटेड और शाह फोइल्स लिमिटेड ने प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर दिए हैं। इसके अतिरिक्त ऑनस्ट एंटरप्राइज़ प्राइवेट लिमिटेड ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है और ऑल इंडिया स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्रीज असोसिएशन (एआईएसएसआई) ने आयातकों के संघ और संबद्ध वस्तुओं के प्रयोक्ताओं के तौर पर टिप्पणियाँ दी हैं। जाँच के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार किया गया है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि इन इच्छुक पक्षों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ यह नहीं दर्शाया है कि सब्सिडी-रोधी शुल्कों को लागू करने का या तो इन उपभोक्ताओं पर या आम जनता पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव होगा। इसके विपरीत आवेदकों ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग, रेलवे, परिवहन, वास्तुकला, भवन निर्माण, प्रसंस्करण उद्योग, बर्तन एवं रसोई के सामान के क्षेत्र में प्रयुक्त विभिन्न उत्पादों पर शुल्क के प्रभाव के संबंध में मात्रात्मक सूचना प्रदान की है। यह देखा गया है कि शुल्क का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है। यह भी देखा गया है कि निर्माण और अवसंरचना के क्षेत्र में स्टेनलेस स्टील का उपयोग केवल 12% है जबकि कार्बन स्टील के क्षेत्र में इसका उपयोग 62% है। इसके अतिरिक्त स्टेनलेस स्टील के अत्यधिक मजबूत तथा टिकाऊ होने के कारण बर्तनों और रसोई के सामान के मामले में अंतिम-उपभोक्ता पर इसका प्रभाव महत्वहीन हो जाता है।
238. जाँच के दौरान यह तर्क दिया गया था कि माँग और आपूर्ति में अंतर है जिसके कारण आयात जरूरी है। रिकॉर्ड पर मौजूद सूचना के अनुसार यह देखा गया कि माँग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है और इच्छुक पक्षों से उनके दावे का आधार बताने के लिए कहा गया। इसलिए यह देखा गया है कि माँग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है और शुल्क लागू करने से अंतिम प्रयोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। इसके अतिरिक्त शुल्क आयातों को भारतीय बाजार में प्रवेश करने से रोकने के लिए नहीं लगाए गए हैं बल्कि आयातों के अनुचित कीमत निर्धारण का समाधान करने के लिए लगाए गए हैं।
239. यह नोट किया गया है कि सब्सिडी-रोधी शुल्क को जारी रखने का उद्देश्य भारतीय उद्योग को अनुचित तथा सब्सिडी प्राप्त आयातों से सुरक्षित करना और इसके माध्यम से घरेलू उत्पादकों को समान अवसरों वाली व्यवस्था उपलब्ध करवाना है। शुल्क को जारी रखने से एमएसएमई क्षेत्र और उपभोक्ताओं सहित उत्पादकों के हितों की रक्षा की जा सकेगी। जैसा कि ऊपर नोट किया गया है भारतीय उद्योग का संघटन विशिष्ट है क्योंकि स्टेनलेस स्टील के पारंपरिक उत्पादकों के अतिरिक्त यहाँ पट्टा उत्पादक, री-रोलर्स और इंडक्शन फर्नेस उत्पादक भी मौजूद हैं। पट्टा उत्पादकों की संख्या 500 से अधिक है और इंडक्शन फर्नेस उत्पादकों की संख्या 60 से अधिक है। ये दो प्रकार के उत्पादक कुल मिला कर 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। एमएसएमई में ये उत्पादक एक के बाद अलग-अलग स्रोतों से अनुचित कीमत पर आयातों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। इन उत्पादकों द्वारा उल्लेख किया गया है कि पूर्व में उन्होंने निर्यात बाजार में भी हाथ आजमाया था, हालांकि अब आयातों के कारण मिलें केवल 30-40% उपयोग पर प्रचालन कर रही हैं और इन्हें अस्थायी रूप से कार्मिकों की छंटनी करनी पड़ी। इसलिए शुल्कों को जारी रखा जाना स्टील क्षेत्र के इस सेगमेंट के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
240. यह माना गया है कि एक स्वस्थ घरेलू उद्योग की मौजूदगी अंततः प्रयोक्ताओं के हित में है। कोविड-19 के दौरान हाल ही के अनुभव ने भी दर्शाया है कि यदि घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में उत्पाद उपलब्ध न हो तो आम जनता

को परेशानी होने की संभावना है। भारत में आवेदकों के अतिरिक्त इस सामान के विभिन्न उत्पादक हैं। इसलिए यदि सब्सिडी-रोधी शुल्क के परिणामस्वरूप संबद्ध देश से आयात रुक भी जाते हैं, तब भी इसके कारण आवेदकों का भारतीय बाजार पर एकाधिकार नहीं होगा, क्योंकि आवेदक पहले ही अन्य भारतीय उत्पादकों से उल्लेखनीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। यह देखा गया है कि जाँच की अवधि में इन क्षेत्रों में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी केवल 10.94% है जबकि चीन के आयातक प्रमुख रूप से मौजूद थे। इसके अतिरिक्त इस सेगमेंट में एमएसएमई क्षेत्र प्रमुख आपूर्तिकर्ता था। सब्सिडी-रोधी शुल्क जारी रखने के माध्यम से भारतीय उद्योग को हो रहे नुकसान का समाधान करने से यह प्रतिस्पर्धा और बेहतर होगी।

241. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि घरेलू उत्पादकों ने क्षमता बढ़ाने, उन्हें स्वतंत्र रूप से भारतीय माँग को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए समग्र रूप से 30,000 करोड़ रुपये तक का निवेश किया है। बढ़ी हुई क्षमता का उपयोग करना घरेलू उत्पादकों के हित में है। अनुचित कीमत वाले चीन के आयातों पर शुल्क को लागू किया जाना जारी रखने से मौजूदा क्षमताओं का उपयोग हो सकेगा और आयातों पर निर्भरता कम होगी।

प्रकटन पश्चात टिप्पणिया

घरेलू उद्योग के विचार

242. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क. इंडक्शन फर्नेस यूनिट और पट्टा रि-रोलर्स पूर्ण रूप से सह निर्भर हैं क्योंकि इंडक्शन फर्नेस यूनिट का समग्र उत्पादन पट्टा रि-रोलर्स खपत के लिए होता है।
- ख. आयात अधिकांश रूप से उत्पाद प्रकार जे3 और 201 ग्रेड के अंतर्गत हो रहा है जो पट्टा रि-रोलर्स द्वारा उत्पादन किया गया उत्पाद प्रकार है और सीधे तौर पर उन्हें प्रभावित कर रहा है। इसके फलस्वरूप, यह अधिकांश रूप से बर्तन के उपयोग के लिए इस्पात को प्रभावित कर रहा है और इंडक्शन फर्नेस यूनिट एवं पट्टा रि-रोलर्स में एमएसएमई यूनिट के उत्तरजीविता को चुनौती दे रहा है।
- ग. याचिकाकर्ता प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे एमएसएमई की कुल मात्रा संबंधी आंकड़ों पर विचार करें जो मात्रा संबंधी मापदंडों पर प्रभाव को दर्शाएगा और इसके साथ ही आयातों के प्रभाव को संतुष्ट करने के लिए पट्टा रि-रोलर्स खंड में 61 उत्पादकों के लिए दी गई मात्रा संबंधी सूचना पर विचार करें।
- घ. प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य का आकलन करें कि क्या मात्रा रूप में बताई गई सब्सिडी "माप करने योग्य" अथवा "मामूली नहीं" है जिसका उस पर प्रभाव पड़ता हो।
- ड. मूल जांच में उसका प्रोग्राम सं. 35 को प्रतिसंतुलनकारी पाया गया था लेकिन उसकी मात्रा प्राधिकारी द्वारा नहीं बताई गई थी, तथापि, याचिकाकर्ता ने उसकी मात्रा बताई और इसे वर्तमान जांच में प्रोग्राम सं. 14 के रूप में प्रस्तुत किया। प्रोग्राम सं. 14 और 19 वास्तव में एक ही है और प्राधिकारी इन दोनों प्रोग्रामों में से किसी एक प्रोग्राम की जांच करने पर विचार कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के अंतर्गत लाभ भी एक ही रहेगा।
- च. मूल जांच के प्रोग्राम सं. 36 और 51 की तुलना भूलवश किए गए पूर्व अनुरोधों में प्रोग्राम सं. 20 के साथ की गई है। मूल जांच में प्रोग्राम सं. 36 वही है जो वर्तमान जांच में पहचान की गई प्रोग्राम सं. 46 है और उसे मूल जांच में की जांच की अवधि से प्रोग्राम की निरंतरता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, मूल जांच के समय से इस प्रोग्राम में किसी परिवर्तन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों से कोई दावा नहीं है।
- छ. क्षति के संबंध में अनुरोध और यूटेंसिल खंड में भारतीय उद्योग के संबंध में अनुरोध किया गया था और उसे सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया गया था और उसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा नोट किया गया था तथा उसका खंडन किया गया था इस कारण से प्रत्युत्तर अनुरोधों में कोई नई सूचना/तर्क नहीं दिया गया था।
- ज. पीसीएन स्तर पर सभी सूचना आवेदन में प्रस्तुत किया गया था और पीसीएन वार लागत सूचना भी प्रपत्र एक में दिया गया था। प्राधिकारी ने पीसीएन वार बिक्री और कीमत कटौती के लिए लागत तथा एनआईपी गणना का भी उपयोग किया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि पीसीएन वार लाभ सूचना अभिलेख का हिस्सा नहीं था।

- झ. प्रत्युत्तर अनुरोध हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का खंडन करने के लिए संगत अनुरोध करने के वास्ते अवसर प्रदान करता है और उसका उपयोग घरेलू उद्योग द्वारा इसके प्रदर्शन पर आयातों में वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव को सिद्ध करने के लिए किया गया था।
- ञ. प्रत्युत्तर अनुरोध के अगोपनीय पाठ को परिचालित नहीं किए जाने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को कोई हानि नहीं हुई है और वह न्यायालयों के समक्ष डीजीटीआर द्वारा न्यायोचित था। प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक सभी पक्षों को प्रकटन विवरण के माध्यम से प्रकट किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों के पास घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इन दावों पर टिप्पणी करने के लिए अवसर है।
- ट. संबद्ध देश से आयातों में कार्रवाई किए जाने के पश्चात गिरावट आई है (इंडोनेशिया से आयातों में वृद्धि के साथ)। फरवरी, 2021 में शुल्कों को स्थगित किए जाने के समय से, आयातों में बहुत अधिक उछाल आया था जो जांच की अवधि के भाग में दोगुना हो गया था, जहां अन्य भाग की तुलना में शुल्क नहीं लगाए गए थे। भाग में वृद्धि तब हुई जब मांग में गिरावट आई थी और जांच की अवधि के बाद आयातों में तेजी से वृद्धि हुई।
- ठ. इंडोनेशिया सिंगशान में संयंत्र चीन के निवेश से स्थापित किया गया था और इंडोनेशिया से आयात छद्म चीन का निवेश है क्योंकि चीन के आयातों में गिरावट आई जबकि इंडोनेशिया के आयातों में बहुत अधिक तक वृद्धि हुई। हालांकि इंडोनेशिया पर अनंतिम शुल्क लगाए जाने के साथ आयातों में गिरावट आई, इसने यह एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गया है।
- ड. मलेशिया और वियतनाम के पास सीआरयू आंकड़े साथ कोई गलन क्षमताएं नहीं हैं और इस कारण से उनके द्वारा निर्यात किए उत्पाद का उत्पादन आयात किए गए होट रोलड उत्पाद से किया जाता है, उसे फिर से रोलड किया जाता है और भारत को निर्यात किया जाता है।
- ढ. यूई और हांगकांग के पास कोई गलन अथवा रि-रोलर सुविधाएं नहीं हैं और वे केवल ट्रेडिंग देश हैं। यूई और हांगकांग से आयात बहुत अधिक हद तक तीव्र गति से हुए हैं और वास्तव में ये चीन के मूल के वस्तु हैं। इसके अलावा, चीन और हांगकांग दोनों से आयातों में क्षति की अवधि की तुलना में लगभग चार गुना वृद्धि हुई है।
- ण. जे3 और 201 का आयात जांच की अवधि में कुल आयातों का लगभग 85 प्रतिशत होता है। यूटेंसिल उपयोग उत्पादों के आयातों के हिस्से में पूर्ण तथा सापेक्ष दोनों रूप में क्षति के अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- त. जांच की अवधि के बाद आयातों का पैटर्न यह दर्शाता है कि 200 सिरीज आयातों में आगे और अधिक हद तक वृद्धि हुई है तथा जांच की अवधि के बाद की अवधि में 300 और 400 सिरीज में आयातों का पूर्ण असर में तेजी से वृद्धि हुई है और इनमें से कुछ आयात समग्र गैर यूटेंसिल क्षेत्र के आयातों से और अधिक हैं।
- थ. एमएसएमई खंड को इंडक्शन फर्नेस यूनिट और पट्टा क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। इंडक्शन फर्नेस उद्योग के पास गलन इकाइयां हैं और वे पट्टा क्षेत्र को बिक्री पर निर्भर हैं जो यूटेंसिल निर्माण के लिए अपेक्षित सीधा इनपुट का उत्पादन करता है। आयात पट्टा उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए उत्पादों को सीधे प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करता है। इसके परिणामस्वरूप पट्टा अपनी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं जिसने इंडक्शन फर्नेस उद्योग से वस्तुओं की इसकी आपूर्ति को प्रभावित किया है जो परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त हो रहा है। इस कारण से यह आवश्यक है कि आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए दोनों खंडों के कार्य निष्पादन पर विचार किया जाए।
- द. 19 एमएसएमई उत्पादकों द्वारा दी गई सूचना समग्र इंडक्शन फर्नेस उद्योग के लिए सूचना का प्रतिनिधि है। कुल 80 इंडक्शन फर्नेस यूनिट में से, अनेक यूनिट में अपने संयंत्र बंद कर दिए हैं जैसा कि इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन द्वारा दावा किया गया था। इसके अलावा, इस आंकड़े में शामिल की गई कुछ कंपनियों ने सुधार दर्शाया जबकि कुछ ने गिरावट दर्शायी और इन कंपनियों को शामिल करने के लिए लिया गया कोई चयनित दृष्टिकोण के दावे आधारहीन हैं।
- ध. अन्य इंडक्शन फर्नेस यूनिट जिन्होंने आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं, के संबंध में सूचना का निर्धारण इंडक्शन फर्नेस उत्पादकों के लिए समग्र रूप से और 19 कंपनियों के लिए सूचना पर विचार कर किया गया है। यह देखा जा सकता है कि उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में अन्य इंडक्शन फर्नेस यूनिट का प्रदर्शन 19 कंपनियों की तुलना में बहुत प्रतिकूल रहा है।

- न. इंडक्शन फर्नेस उत्पादक केवल उसी फ्लैट की बिक्री करता है जिसका उत्पादन गलन चरण के बाद किया जाता है, हालांकि इस बाजार में प्रवेश कर रहे आयात आगे प्रसंस्कृत कोल्ड रोलड उत्पाद है। इस प्रकार, आयात किए गए कोल्ड रोलड स्टील की तुलना 28,000 रूपए प्रति एमटी की प्रसंस्करण लागत को जोड़े बिना इंडक्शन फर्नेस यूनिट्स द्वारा बेचे गए होट रोलड फ्लैट के साथ नहीं की जा सकती है।
- प. याचिकाकर्ताओं ने सभी कंपनियों, जो आगे आये थे के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है। सीमित समय में जो उपलब्ध था, में सूचना देने के लिए एमएसएमई खंड द्वारा सामना किए गए व्यवहारिक दिक्कतें हैं। यह दर्शाने के लिए कोई प्रतिकूल साक्ष्य नहीं है कि कंपनियों का प्रदर्शन जिसे शामिल नहीं किया गया था, कंपनियों के कार्य उत्पादन से बहुत अलग है जिसकी सूचना रिकार्ड पर है।
- फ. जहां तक बाजार हिस्से का प्रश्न है चीन के हिस्से में इंडोनेशिया पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने के बाद वृद्धि हुई और परिणामस्वरूप इंडोनेशिया से आयात की मात्रा में गिरावट आई। इस प्रकार, भारतीय उद्योग उन मात्राओं जिन्हें पूर्व में इंडोनेशिया के कारण खो दिया गया था, से पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। चूंकि भारतीय उद्योग में इंडोनेशिया से सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण इंडोनेशिया को मात्राएं खो दी थी, यह उद्योग औचित्यपूर्ण रूप से प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने के बाद इन मात्राओं को फिर से प्राप्त करने की आशा कर रहा था। हालांकि यह उद्योग इन मात्राओं को पूर्ण रूप से फिर से प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। उसका बहुत बड़ा हिस्सा चीन से सब्सिडी प्राप्त आयातों के द्वारा ले लिया गया है।
- ब. जहां तक कीमत संबंधी मानदंडों का प्रश्न है, (क) सर्वप्रथम, मात्रा और कीमत क्षति की बीच जबकि दोनों एक साथ हो सकते हैं, यह संभव है कि केवल एक ही हो (ख) घरेलू उद्योग ने कीमत को बनाए रखने का निर्णय लिया और विगत प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए इसकी लाभप्रदता में सुधार लाने का निर्णय लिया। हालांकि इसका प्रतिकूल प्रभाव मात्राओं पर छोड़ दिया गया था। उद्योग में इंडोनेशिया पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने के पश्चात अपनी लाभप्रदता में सुधार लाने की आशा की थी।
- भ. इसके अलावा, भारत सरकार 300 और 400 सिरीज के अंतर्गत पड़ने वाले अनेक उत्पादों पर क्यूसीओ आरंभ किया था। इसके फलस्वरूप भारतीय उद्योग को इस बात की जानकारी थी कि चीन के उत्पादक कम कीमत पर निर्यातों का सहारा लेते हुए तत्काल शुरू करने में सक्षम नहीं होंगे।
- म. याचिकाकर्ता प्रतिकूल रूप से तुलना किए गए यूटेंसिल खंड में प्रभावित हुए हैं। इस खंड में याचिकाकर्ताओं की घरेलू बिक्री बहुत अधिक हद तक क्षति के अवधि के दौरान बहुत अधिक वित्तीय हानि उत्पन्न करते हुए इसमें गिरावट आई। इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं ने अपने घरेलू बिक्री और इस खंड में बहुत अधिक आयातों के कारण इस खंड में परिणामी उत्पादन में कमी की।
- य. वर्तमान अनुप्रयोग उत्पादों के संबंध में उद्योग को क्षति घरेलू और भारतीय उद्योग के समग्र प्रचालन में दर्शाया जाता है। चीन से आयातों में तब भी उछाल आया जब उत्पाद के लिए मांग में गिरावट आई जिसने स्टेकहोल्डरों के कार्य निष्पादन को इस अवधि को प्रभावित किया। भारतीय उद्योग इंडोनेशिया द्वारा इस पर शुल्कों को लगाए जाने के बाद जारी किए गए आंकड़ों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था और इसे चीन से आयातों में वृद्धि के कारण मांग में गिरावट से अधिक बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ा।
- कक. आयातों में याचिकाकर्ताओं के प्रदर्शन को प्रभावित करते हुए पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई जिसमें उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और मालसूची के संबंध में गिरावट आई। उत्पादन में तब भी गिरावट आई जब क्षमताओं में वृद्धि हुई और इस कारण से जिंदल को इस अवधि के दौरान मात्रा में क्षति हुई।
- खख. चीन के बाजार हिस्से में इंडोनेशिया पर शुल्क लगाए जाने के बाद वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग विगत प्रतिकूल प्रभावों के कारण अपनी लाभप्रदता में सुधार लाने के लिए अपनी कीमतें बनाई रखी जिसका मात्राओं पर प्रभाव पड़ा था।
- गग. वर्तमान शुल्क को अधिक समय तक रखे जाने की आवश्यकता है क्योंकि आवेदकों ने मात्रा के संशोधन की मांग नहीं की है और वर्तमान समीक्षा को शुरू करना विधिवत दस्तावेज के साथ आवेदन पर आधारित था और इस कारण से समीक्षा के कार्य क्षेत्र को आवेदन में मांग की गई समीक्षा में आधारों तक सीमित करना चाहिए।

घघ. शुल्कों को डब्ल्यूटीओ एससीएम और नियमावली के अनुसार निर्णायक समीक्षा में संशोधित नहीं किया जाना चाहिए। शुल्कों के उसी मात्रा का समय विस्तार उस स्थिति में भी किए जाने की आवश्यकता है जहां प्रति मार्जिन नकारात्मक है और शुल्क में कोई अंतर इस अधिनियम नियमावली और डब्ल्यूटीओ करार के प्रतिकूल होगा। शुल्कों की उसी मात्रा का समय विस्तार किए जाने की प्रथा डब्ल्यूटीओ के अनेक सदस्यों देशों जैसे ईयू, यूएसए, चीन, अर्जेन्टीना आदि द्वारा अपनाया जाता है।

घरेलू उत्पादकों के लिए एसोसिएशन अर्थात् स्टेनलेस स्टील री-रोलिंग एसोसिएशन, दिल्ली; स्टेनलेस स्टील इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन, गुजरात; काला एएमबी स्टेनलेस स्टील फर्नेस एसोसिएशन; दिल्ली स्टेनलेस स्टील ट्रेड एसोसिएशन के विचार

क. वे सदस्य जो प्राथमिक रूप से दिल्ली में अथवा उसके आसपास स्थित एमएसएमई हैं, प्रतिकूल रूप से चीन से 200 सिरीज के भारी मात्रा में समुचित आयातों द्वारा प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर यूटेंसिल निर्माता के लिए उपयोग किए गए उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और एमएसएमई यूनिट नाजुक वित्तीय दबाव उत्पन्न करते हैं।

ख. अनेक इकाइयां ने इन समुचित आयातों के कारण पहले ही बंद हो गए हैं और कई और बंद होने के कगार पर हैं।

ग. एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीड की हड्डी है और स्टेनलेस स्टील क्षेत्र भारत के विकास और विधि में एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। एसोसिएशन के सदस्य लगभग 2 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करते हैं और सरकार को बहुत अधिक कर अंशदान करते हैं।

घ. चीन के स्टेनलेस स्टील उत्पादकों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को रद्द करने के फलस्वरूप भारत में कम कीमत पर आयात हुए जिसके फलस्वरूप घरेलू स्तर पर उत्पादन किए गए स्टेनलेस विशेष रूप से इंडक्शन फर्नेस और रि-रोलिंग उद्योगों के लिए मांग में गिरावट आई। इन आयातों के फलस्वरूप कमी अथवा नकारात्मक मार्जिन भी हुआ है क्योंकि भारतीय उत्पादक अपनी कीमतों को भी कम करने के लिए विवश है जिसके फलस्वरूप बहुत अधिक हानि हुई।

ड. चूंकि चीन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को हटाए जाने के कारण, चीन के मूल के 201 ग्रेड के आयातों में भारत में उछाल आया है जिसके फलस्वरूप भारतीय बाजार में आयात किए गए स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप चीन को किए गए विदेशी भुगतान के कारण व्यापार घाटे में वृद्धि हो रही है और आम लोगों की खरीद की शक्ति में कमी आ रही है।

च. इंडक्शन फर्नेस की लगभग 15 यूनिट चीन के प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को रद्द किए जाने के समय से उन्हें हुए घाटे के कारण बंद हो गए हैं। अन्य इकाइयां जो बच गई थी, केवल 40 से 50 प्रतिशत पर कार्य कर रहे हैं।

क. सुराना मेटाकास्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

ख. वीर इस्पात

ग. नामी स्टील प्राइवेट लिमिटेड

घ. एबल स्टील

ड. पीकाँक आयरन स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

च. मारिका अलॉय प्राइवेट लिमिटेड

छ. कर्मभूमि मेटल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

ज. बीडी इंडस्ट्रीज

झ. प्रेमा अलॉय प्राइवेट लिमिटेड

ञ. कन्सेप्ट स्टील्स

ट. गाइसकोल अलॉय लिमिटेड

ठ. जीएस आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन

ड. केपीटी मेटल प्राइवेट लिमिटेड

- ध. धार्मिक इंडस्ट्रीज
- न. लक्ष्मी अलॉय एंड कास्टिंग
- छ. चीन पर शुल्क को अपेक्षा के अधिक उत्पादन प्राप्त करने और चीन के सस्ते आयातों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए फिर से बहाल किया जाना चाहिए।
- ज. सब्सिडी प्राप्त कीमतों पर चीन से 200 सिरीज के उच्च आयातों के कारण, अनेक इकाइयां बंद हो गई हैं जिसके फलस्वरूप 1000 से अधिक कर्मचारियों को बेरोजगार की भारी हानि हुई है।
- झ. चीन से कम कीमत पर आयातों के फलस्वरूप बहुत अधिक वित्तीय दबाव उत्पन्न हो गया है और एसोसिएशन के सदस्य बैंको के अपने ऋण के पुर्नभुगतान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वर्तमान भारी वित्तीय हानि और दबाव के फलस्वरूप समग्र उद्योग भारत से समाप्त हो सकते हैं।
- ञ. एसोसिएशन के सदस्य अधिकांशतः एमएसएमई हैं जो स्टेनलेस स्टील शीट का उत्पादन/ व्यापार करते हैं जिसका उपयोग तर्बन बनाने और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए किया जाता है।
- ट. ये सदस्य चीन से 200 सिरीज के आयातों के सब्सिडी प्राप्त आयातों में भारी वृद्धि के कारण प्रभावित हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप उनकी बिक्री बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सदस्य कंपनियां चीन के आयातों की कीमतों का मुकाबला नहीं कर सकती हैं और इस कारण से ये घरेलू बाजार में गैर-प्रतिस्पर्धी हैं।
- ठ. वित्तीय हानि इन सदस्यों द्वारा उठायी जा रही है और कुछ इकाइयां चीन से बढ़ते हुए आयातों के कारण पहले ही बंद हो गई हैं जिसके फलस्वरूप रोजगार की बहुत अधिक हानि हुई है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

243. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क. टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए दिया गया केवल पांच कार्य दिवसों का समय पर्याप्त नहीं है। हितबद्ध पक्षकार के पास प्रकटन विवरण के संबंध में इसकी अतिरिक्त टिप्पणियों को प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित है। निरमा लि० बनाम यूओआई गुजरात उच्च न्यायालय में यह कहा गया है कि प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए 6 दिनों का समय पर्याप्त नहीं था।
- ख. चीन की सरकार ने 26 अप्रैल, 2021 आयरन और स्टील उत्पादों पर निर्यात कर छूट रद्द कर दिया। उसे अंतिम जांच परिणामों में दी गई सब्सिडी मार्जिन की गणना, यदि शामिल किया गया हो, से हटा लिया जा सकता है।
- ग. घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है। सभी आर्थिक मापदंड सकारात्मक सुधार को दर्शाते हैं। कार्य निष्पादन तब भी बहुत अधिक रहा है जब चीन से बहुत अधिक मात्रा में निर्यात हुआ है। इस स्थिति में जब आय के थार्ड प्राधिकारियों ने आर्थिक मापदंडों में सकारात्मक सुधार के बाजवूद क्षति का निर्धारण किया, डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह माना कि इसे संपूर्ण और सकारात्मक व्याख्या की आवश्यकता होगी कि क्या और कितना सकारात्मक संचलन पर किसी अन्य कारकों अथवा सूचकांकों, जो क्षति की अवधि के दौरान नकारात्मक दिशा में संचलित कर सकते हैं, भारी पड़ा था।
- घ. जब कि आयातों में वृद्धि हुई है, संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग बहुत अधिक रही है। मांग में गिरावट जांच की अवधि में केवल 3 प्रतिशत तक हुई, लेकिन यह जांच की पूर्ण अवधि में बढ़ती रही है।
- ड. जांच की अवधि में आयातों की मात्रा भारतीय उत्पादन का केवल 7.74 प्रतिशत है। यह जांच की अवधि में कुल खपत का 8 प्रतिशत भी नहीं है। मात्रा क्षति उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- च. प्राधिकारी ने केवल जांच की अवधि के लिए और न कि पूर्व के वर्षों के लिए कीमत में कटौती संबंधी आंकड़े दर्ज किए हैं। उसके अभाव में, टिप्पणियां नहीं की जा सकती हैं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इस आंकड़े को साझा करें ताकि प्रतिवादी टिप्पणी कर सके।
- छ. जबकि पहुंच कीमत 2019-20 से जांच की अवधि तक कमी आई है और वित्तीय लागत में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग का जांच की अवधि में उनकी बिक्री कीमत में 14 सूचकांकों तक वृद्धि करने की लचीलापन है। इस कारण से चीनी के आयातों के कारण कीमत पर कोई दबाव अथवा न्यूनीकरण नहीं हुआ है।

- ज. संयुक्त एमडी, जिंदल साउथ वेस्ट स्टील के साक्षात्कार में दिए गए उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि घरेलू स्टील उत्पादकों ने उन देशों जिनके साथ भारत का विदेश व्यापार करार है, से आयातों के अधिक होने कारण और न कि चीन के आयातों के कारण अपनी कीमतें कम की है।
- झ. पैरा 172 से लिए आंकड़े, में विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन दोनों के लिए समेकित आंकड़े दर्ज हैं। यह महत्वपूर्ण है कि विचाराधीन उत्पादक के पृथक रूप से प्रदर्शन मापदंडों की जांच की जाए। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे नया विश्लेषण करें।
- ञ. क्षति की अवधि के दौरान क्षमता में वृद्धि हुई। उत्पादन और बिक्री में गिरावट बहुत मामूली है और कोई अधिक क्षति दर्शाता नहीं है।
- ट. घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद की मात्रा में गिरावट को उत्पादन में गिरावट का कारण माना जाना चाहिए। जांच की अवधि में घरेलू बिक्री में गिरावट भी बहुत कम है, क्षति के मामले में यह बहुत अधिक हद तक कम हो गया होता।
- ठ. क्षमता के उपयोग में गिरावट क्षति की अवधि के पिछले दो वर्षों में क्षमता में वृद्धि के कारण हुई है। नए रूप से जोड़ी गई क्षमता में इसका उपयोग करने के लिए कुछ समय लगता है।
- ड. क्षति की पूरी अवधि के दौरान लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल में सुधार हुआ है और जांच की अवधि में इसमें और अधिक वृद्धि हुई है।
- ढ. घरेलू उद्योग के पास भारत में कुल बाजार कर लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा बना हुआ है। चीन के आयातों के बाजार हिस्से में लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि मामूली है और किसी क्षति का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा की अवधि के बाद के अवधि में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इस प्रकार सीमित बाजार हिस्से के साथ, घरेलू उद्योग के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसको प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के समाप्त होने के बाद किसी क्षति का सामना नहीं करना पड़ता है।
- ण. घरेलू उद्योग के रोजगार के अवसर क्षति की अवधि के दौरान स्थिर रहे हैं जबकि उत्पादकता में जांच की अवधि में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। (वार्षिकीकृत)
- त. 19 एमएसएमई उत्पादकों का प्रदर्शन:
- एमएसएमई की क्षमता में वृद्धि हुई है, उत्पादन क्षमता में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई, जांच की अवधि के दौरान मांग में गिरावट के कारण कमी आई और अभी भी आधार वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है।
 - क्षमता उपयोग में कमी स्थापित क्षमता में वृद्धि के कारण हुई है।
 - उत्पादकता, वेतन और मजदूरी तथा कर्मचारियों में वृद्धि एमएसएमई की मजबूत स्थिति को दर्शाता है।
 - मालूसूची में वृद्धि हुई लेकिन यह क्षति का निर्धारण करने के लिए एक अंतिम कारक नहीं है।
 - अन्य घरेलू उत्पादकों का वित्तीय प्रदर्शन आयात को छोड़कर अन्य कारकों की वजह से है। जबकि जांच की अवधि में उनके लाभों में कमी आई है, घरेलू उद्योग के लाभ में वृद्धि हुई और वह जांच की अवधि में अधिकतम था।
 - आवेदक भारतीय बाजार में सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने बाजार एक बहुत बड़े प्रतिशत को कब्जा किया है और वृद्धिगत रूप से उच्च लाभ अधिक करने में सक्षम रहे हैं। अन्य घरेलू उत्पादक के प्रदर्शन में गिरावट का कारण परस्पर प्रतिस्पर्धा है जिसे प्राधिकारी ने निम्नलिखित की संभावना के संबंध में विचार नहीं किया है।
- थ. निर्णायक समीक्षा में जांच का कार्य क्षेत्र संभावना तक ही सीमित है। प्राधिकारी को कारणात्मक संबंध का विश्लेषण नहीं करना पड़ा था (संदर्भित तेल देश ट्रिब्यूलर गुड्स पर पाटनरोधी शुल्क – यूएस में आपीलीय निकाय)
- द. संबद्ध आयातों की मात्रा एवं इसकी वृद्धि भारत में विचाराधीन उत्पाद की अधिक मांग के कारण हुई है और फिर भी यह घरेलू उत्पादक के उच्च बाजार हिस्से की तुलना में मामूली है।

- ध. "अतिरिक्त क्षमता" घरेलू मांग के अलावा कोई अन्य क्षमता नहीं है बल्कि वैश्विक मांग और घरेलू मांग को पूरा करने के बाद बच गई निष्क्रिय क्षमताएं हैं। अतिरिक्त क्षमताओं का अस्तित्व मात्र संभावना को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है और केवल क्षमता का विस्तार खतरा को नहीं दर्शाएगा। (भारतीय स्पीनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी)
- न. प्राधिकारी ने चीन से आयातों की बढ़ती हुई प्रवृत्तियों का ऐतिहासिक विश्लेषण किया है लेकिन प्रवृत्तियों की मात्रा नहीं बताई है। चीन से निर्यातों की मात्रा बाजार मांग का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है। आयातों की मात्रा में वृद्धि मात्र से क्षति अथवा संभावना उत्पन्न नहीं होगी।
- प. चूंकि भारत में विचाराधीन उत्पाद बाजार कीमत अन्य देशों में विचाराधीन उत्पाद की बाजार कीमत से बहुत कम है, भारतीय बाजार अन्य की तुलना में आकर्षक नहीं है। भारत को निर्यात किए गए वस्तुओं की कीमत विश्व के शेष भाग में कीमत की तुलना में बहुत कम है, उनके लिए भारत को निर्यात में वृद्धि करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिला।
- फ. विस्तृत अनुरोध, लिखित अनुरोधों, प्रत्युत्तर और शुल्क लगाये जाने की स्थिति में प्रयोक्ता पर लागत प्रभाव के संबंध में प्रतिवादी द्वारा प्रयोक्ता उद्योग की प्रश्नावली के उत्तर में दिया जाता है। विचाराधीन उत्पाद कुल लागत में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों द्वारा खर्च किया जाता है।
- ब. यह प्राधिकारी के लिए सही नहीं है कि वह इस बात का उल्लेख करें कि प्रयोक्ता उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना सत्यापन योग्य नहीं है। प्रतिवादी सत्यापन के लिए पूर्ण रूप से सहयोग करने हेतु इच्छुक हैं। प्राधिकारी ने कोई स्पष्टीकरण अथवा अधिसूचना नहीं मांगी है अथवा न्यूनता पत्र जारी नहीं किया है।
- भ. अंतिम उपभोक्ता बहुत अधिक हैं और उन पर शुल्क को जारी रखने के लिए निर्णय करते समय अवश्य विचार किया जाना चाहिए। विचाराधीन उत्पाद प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए गए कच्चे माल की कुल लागत का बहुत अधिक प्रतिशत होता है, विचाराधीन उत्पाद की लागत में किसी वृद्धि का प्रयोगकर्ता पर सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- म. अंतिम प्रयोगकर्ता निम्नतर और मध्यम आय समूह वाले घर हैं। प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को लगातार लगाये रखने के फलस्वरूप सिंक और यूटेंसिल की लागतों में वृद्धि बहुत कठिन और तत्काल होगी।
- य. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादकों ने क्षमता में वृद्धि करने के लिए बहुत अधिक निवेश किए हैं और यह बुझी हुई क्षमता का उपयोग करने के लिए घरेलू उत्पादकों के हित में है। संरक्षण और न कि संरक्षण बाद व्यापार उपचारात्मक उपाय का उद्देश्य है। प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के इसके पूंजी निवेशों का संरक्षण प्राप्त करने के लिए प्रयासों को हतोत्साहित करना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

244. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और वह नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां दोहराई गई हैं जिनकी जांच पहले ही उपयुक्त तरीके से की जा चुकी है और उस पर अंतिम जांच परिणाम के संगत पैरा में समुचित रूप से ध्यान दिया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गये मुद्दों की जांच निम्नानुसार की गई है:-
- क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं उठानी पड़ी और इस प्रकार क्षति की कोई संभावना नहीं है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडक्शन फर्नेस एमएसएमई उत्पादकों का प्रदर्शन बहुत अधिक कम क्षमता उपयोग, जांच की अवधि में क्षमता उपयोग में गिरावट को दर्शाता है और इस उद्योग को पूर्व में अधिक लाभों की स्थिति से वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है। घरेलू उद्योग एमएसएमई उत्पादकों की सीमित संख्या की तुलना में उत्पादों के बहुत बड़े आकार का उत्पादन करता है और उसकी आपूर्ति करता है। आयात भी व्यापक स्तर पर उन श्रेणियों के उत्पादों में हुए जहां एमएसएमई भी बिक्री कर रहा है। इस कारण से या तो एमएसएमई के साथ घरेलू उद्योग के समग्र प्रदर्शन अथवा आयातों के साथ घरेलू उद्योग के समग्र प्रदर्शन की तुलना उपयुक्त नहीं होगी। घरेलू उद्योग ने एमएसएमई उत्पादों से तुलनीय उत्पादों के संबंध में अलग-अलग सूचना दी है और निरंतर वित्तीय हानि तथा घरेलू बिक्री मात्राओं में गिरावट

की सूचना दी है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को उन उत्पादों में क्षति नहीं हुई है जहां एमएसएमई वर्तमान में मौजूद नहीं है और आयात की मात्रा कम की। क्षति की अवधि के दौरान आयातों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि आयात प्रमुख रूप से 200 सिरीज में हुए हैं और इनमें पूर्ण रूप से तथा सापेक्ष रूप से दोनों में वृद्धि हुई। यह प्रवृत्ति जांच की अवधि की बाद की अवधि में जारी रही।

- ख. प्राधिकारी नोट करते हैं कि काफी संख्या में उत्पादक हैं जो एमएसएमई हैं और उत्पाद के विशेष खंड में अनन्य रूप से कार्य कर रहे हैं। ये उत्पादक सृजित उत्पादन सुविधाओं की प्रकृति के कारण उत्पादों की समग्र दायरे का उत्पादन और बिक्री नहीं कर सकते हैं। 19 एमएसएमई उत्पादकों द्वारा की गई सूचना का विश्लेषण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनकी उपयोगिता जांच की पूरी अवधि के दौरान कम रही है। उनके उत्पादों और बिक्री में आयातों में वृद्धि के साथ जांच की अवधि में गिरावट आई। लाभप्रदता भी क्षति की अवधि के दौरान कम थी और इसने आयातों के परिणामस्वरूप 2019-20 से हानि उठाना शुरू कर दिया और ये घाटे चीन से आयातों में वृद्धि के साथ जांच की अवधि में उसके बाद बहुत अधिक बढ़ गई।
- ग. हितवद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उत्पादकों का प्रदर्शन में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वास्तविक गिरावट को नहीं दर्शाया है। हालांकि प्राधिकारी यह मानते हैं कि जांच की अवधि में प्रदर्शन पर विचार किया जाना चाहिए और उसकी तुलना में इन तथ्यों पर उचित विचार करने के बाद पूर्व वर्ष से की जानी चाहिए कि जांच की अवधि में मांग में गिरावट आई, केंद्र सरकार ने इंडोनेशिया से आयातों पर पूर्व में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया था, चीन से आयात समान रूप से विचाराधीन उत्पाद के समग्र उत्पाद दायरे तक फैला हुआ नहीं है, केंद्र सरकार ने विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत आने वाले काफी संख्या में उत्पादों (जो उत्पादों की 300 और 400 सिरीज में आता है) पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) लगाया है, 200 सिरीज के उत्पाद इस समय क्यूसीओ क्षेत्राधिकार से बाहर है। इन परिस्थितियों में, घरेलू बिक्री और परिणामस्वरूप आवेदक घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग तथा भाग लेने वाले एमएसएमई इंडक्शन फर्नेस उत्पादकों ने गिरावट दर्शाई है। घरेलू उद्योग और इंडक्शन फर्नेस उत्पादकों ने उस उत्पाद खंड जहां आयात केंद्रित हैं और जो 200 सिरीज के अंतर्गत आते हैं, में जांच की अवधि में बहुत अधिक वित्तीय हानि सूचित की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में उस खंड जहां आयात संकेंद्रित हैं, में हानि को खपाने के बाद भी समग्र आधार पर सुधार हुआ है। इस प्रकार घरेलू उद्योग ने 300 और 400 सिरीज के उत्पादों के संबंध में प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुआ है। आवेदक घरेलू उद्योग से यह अनुरोध किया कि आयात की मात्राएं 300 और 400 सिरीज के उत्पादों में कम रही और इसमें जांच की अवधि के बाद वृद्धि दर्शाना शुरू किया है क्योंकि अधिकाधिक चीन के उत्पादक क्यूसीओ के अधीन रहे हैं। इस बात का मूल्यांकन करते समय कि आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव क्यूसीओ के कारण जांच की अवधि में सीमित नहीं है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि वह 300 और 400 सिरीज के उत्पादों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के विस्तार को न्यायोचित नहीं ठहराता है। जहां तक जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयातों की वृद्धि का प्रश्न है जहां प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस सूचना पर केवल आयातों के संबंध में चयनित रूप से विचार नहीं किया जा सकता है और जांच की अवधि के बाद की अवधि में 300 और 400 सिरीज के उत्पादों के आयातों में तीव्र वृद्धि के प्रभाव के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। इस कारण से प्राधिकारी मानते हैं कि जहां तक 300 और 400 सिरीज के उत्पादों का प्रश्न है प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के समय के विस्तार के लिए कोई औचित्य सिद्ध नहीं किया गया है।
- घ. प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच की इंडक्शन फर्नेस उत्पादकों के लिए दी गई सूचना चुनिंदा है और वह एमएसएमई क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं है। यह देखा गया है कि दी गई सूचना इंडक्शन फर्नेस उत्पादकों द्वारा उत्पादन का लगभग 38 प्रतिशत का प्रतिनिधिक है। इसके अलावा, शेष इंडक्शन फर्नेस उत्पादकों की क्षमता उपयोग एमएसएमई उत्पादकों जिन्होंने अपने आंकड़े उपलब्ध कराये हैं, के क्षमता उपयोग के काफी हद तक कमतर था। एमएसएमई उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का विश्लेषण भी आंकड़ों के चयनित प्रतिनिधित्व की संभावना को नहीं दर्शाता है। वास्तव में इन कंपनियों ने गिरावट दर्शाई है जबकि कुछ में सुधार हुआ है। औसत प्रदर्शन में गिरावट दर्शाया है। इस प्रकार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रिकार्ड पर एमएसएमई सूचना इस क्षेत्र के प्रदर्शन का प्रतिनिधिक नहीं है।

- ड. इस तर्क के संबंध में कि यह परस्पर प्रतिस्पर्धा है जिसके फलस्वरूप उनके प्रदर्शन में गिरावट आई, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादकों के परस्पर प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में इस अवधि के दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ है। यदि उत्पाद की मांग में गिरावट आई है तब संबद्ध उत्पादों के आयातों में वृद्धि हुई होती, यदि घरेलू उत्पाद कमतर कीमतों पर उपलब्ध हुए होते। चूंकि इस उत्पाद का आयात कोल्ड रोलड फार्म में किया जाता है, यदि संबद्ध उत्पादन की पहुंच कीमत की तुलना कोल्ड रोलड चरण तक शामिल प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त समायोजन के बाद एमएसएमई इंडक्शन फर्नेस उद्योग की बिक्री कीमत से की जाती है, एमएसएमई उत्पादकों ने तर्क दिया है कि वास्तव में उस उत्पाद का आयात भारत में उत्पादन की लागत से बहुत अधिक कम कीमत पर किया जाता है। इसके अलावा, जबकि मांग में गिरावट आई, संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई। इस प्रकार, यह आयात नहीं है जो बाजार में कीमत ह्रास उत्पन्न कर रहा है। इंडक्शन फर्नेस क्षेत्र के एसोसिएसन ने उत्पादकों की एक सूची प्रस्तुत की है जिन्होंने हाल की अवधि में अपना उत्पादन बंद कर दिया है क्योंकि उत्पादन कम कीमत पर उत्पाद की मौजूदगी के कारण गैर अक्षम हो गया है।
- च. इस तर्क के संबंध में कि जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयातों में वृद्धि मांग का लगभग 10 प्रतिशत ही है और उसे क्षति उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है, यह नोट किया जाता है कि चीन से आयातों में जांच की अवधि में बहुत अधिक उछाल दर्शाया है, चीन के आयातों में जांच की अवधि में जब वास्तव में मांग में कमी आई थी पूर्ण और सापेक्ष दोनों रूप में वृद्धि हुई। इसके अलावा, जांच की अवधि के बाद की अवधि में 10 प्रतिशत के बाजार हिस्से की इस मांगी हुई वृद्धि को बहुत अधिक नहीं माना जा सकता है, विशेषकर जब इसमें से अधिकांश वृद्धि 200 सिरीज उत्पादों तक सीमित हो। आयातों में 3,43,893 (वार्षिकीकृत) तक की अप्रैल-सितंबर, 2022 और 4,42,058 एमटी (वार्षिकीकृत) तक वृद्धि हुई है और इस प्रकार यह निरंतर वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा, जांच की अवधि के दौरान 200 सिरीज श्रेणी में उत्पादों की मांग और अक्टूबर – दिसंबर, 2022 में आयातों में लगभग चार गुना वृद्धि पर विचार करते हुए, ये आयात अब इस खंड में मांग का 30 प्रतिशत से अधिक हैं। यह शुल्कों के स्थगन के बाद आयातों में बहुत अधिक वृद्धि है और इसे अवास्तविक नहीं माना जा सकता है।
- छ. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि संभावना की मौजूदगी के संबंध में कोई निष्कर्ष केवल अतिरिक्त क्षमताओं के आधार पर नहीं निकाला जा सकता है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध-II के पैरा vii में यथा निर्धारित संभावना मापदंडों की मौजूदगी का विश्लेषण किया है, तदनुसार प्राधिकारी ने आयातों की वर्तमान और ऐतिहासिक मात्रा का विश्लेषण किया है, उत्पादकों के निर्यातान्मुखीकरण, क्षति कारक, कीमत आकर्षक मात्रा, व्यापार उपचारात्मक उपाय जो चीन पर वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों द्वारा लगाया गया था, की जांच करने के लिए तीसरे देशों को निर्यात की मात्रा और मूल्य का विश्लेषण किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि चीन उत्पादकों के पास कुछ वैश्विक बाजारों तक उनकी क्षमताओं का समर्पित हिस्सा है और ये अब भारत को निर्यात के लिए उपलब्ध नहीं हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि अन्य गंतव्य स्थलों को चीन से निर्यात कीमत भारत की तुलना में ज्यादा है। हालांकि रिकार्ड पर तथ्यों ने दर्शाया है कि भारत में आयातों में सबसे अधिक हाल की अवधि अर्थात् अप्रैल, 2022 – दिसंबर, 2022 में लगभग चार गुना तक वृद्धि हुई है। यदि चीन के उत्पादकों के पास अप्रयुक्त क्षमताएं नहीं होती और अन्य देशों को उनकी निर्यात कीमत भारत से बहुत अधिक हुई होती, भारत को निर्यात इस मात्रा में वृद्धि को दर्शाया नहीं होता। संभावना की मौजूदगी का निर्धारण उपर्युक्त धारकों का विश्लेषण करने के बाद किया गया है।
- ज. इस तर्क के संबंध में कि चीन की सरकार ने 26 अप्रैल, 2021 को आयरन और स्टील उत्पादों पर निर्यात कर में छूट रद्द कर दिया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसमें निर्यात कर छूट पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया है अथवा योजनाओं की मात्रा नहीं बताई है।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

245. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि:-

- क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद स्टेनलेस स्टील का हॉट रोल्ल्ड उत्पाद है जिसमें मुख्य रूप से 200, 300 और 400 सिरीज के उत्पाद हैं। जबकि आवेदक और चीन के उत्पादक साझा सुविधाओं का उपयोग करते हुए विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उत्पादों का एक दूसरे के स्थान पर उत्पादन कर सकते हैं, एमएसएमई उत्पादक केवल 200 सिरीज के उत्पादों तक सीमित है। अंतिम उपभोक्ताओं को एक विशेष प्रकार की स्टील की आवश्यकता होती है और वह इसे किसी अन्य उत्पाद के स्थान पर उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की परस्पर प्रतिस्थापन नीयता केवल उत्पादक के दृष्टिकोण तक ही सीमित है और वह अंतिम उपभोक्ता के दृष्टिकोण से गायब है।
- ख. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग है और यह आवेदन इस नियमावली के नियम 6 (3) के संबंध में आधार के मानदंड को पूरा किया।
- ग. भारतीय उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए आयात संबद्ध देश से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद का समान वस्तु है।
- घ. यद्यपि केंद्र सरकार ने सर्वप्रथम चीन से आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क पर रोक लगाया था और उसे हटा दिया था, फिर भी चीन के आयातों का व्यवहार विचाराधीन उत्पाद के संपूर्ण उत्पाद श्रेणी में एक जैसा नहीं है। भारतीय उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में 200 श्रेणी में अधिकांशतः वृद्धि हुई है। हालांकि यह देखा जाता है कि 300 और 400 सिरीज के आयातों ने जांच की अवधि के बाद की अवधि में कुछ वृद्धि दर्शाई है।
- ङ. एमएसएमई खंड से 19 उत्पादकों की सूचना की जांच संबद्ध देश से आयातों की प्रभाव का आकलन करने के लिए भी किया गया है क्योंकि ये आयात अधिकांशतः उस क्षेत्र में संकेंद्रित थे जहां ये उत्पादक कार्य करते हैं।
- च. चीन की सरकार और चीन के उत्पादकों दोनों में वर्तमान जांचों में सहयोग नहीं करने को वरीयता दी है और वर्तमान निर्धारण रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर है।
- छ. चीन के उत्पादकों को प्रतिसंतुलनकारी शुल्क या सब्सिडी का लाभ मिलना जारी है। न तो चीन के उत्पादकों ने और न चीन की सरकार ने प्रतिसंतुलनकारी मार्जिन में संभावित कटौती का कोई साक्ष्य दिया। घरेलू उद्योग ने भूमि प्रोग्राम में सब्सिडी का साक्ष्य दिया जहां प्राधिकारी ने मूल जांच में लाभ की मात्रा नहीं बताई थी।
- ज. चीन से आयातों में जांच की अवधि में वृद्धि हुई और उसके बाद जांच के बाद की अवधि में शुल्कों को स्थगित किए जाने के बाद बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
- झ. एमएसएमई उत्पादक मुख्य रूप से 200 सिरीज के उत्पाद का उत्पादन करने और बिक्री करने में लगे हुए हैं। उनका प्रदर्शन क्षति के अवधि के दौरान प्रतिकूल रहा है और जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई। इस क्षेत्र की क्षति की पूरी अवधि के दौरान कम क्षमता उपयोग है और इसमें उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा, लाभ और निवेश पर प्रतिफल के संदर्भ में जांच की अवधि में गिरावट दर्शाई है। एमएसएमई उत्पादकों को जांच की अवधि में बहुत अधिक वित्तीय हानि उठानी पड़ी है।
- ञ. चीन से आयातों के कारण घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है। कीमत में कटौती की सीमा बहुत अधिक और वास्तविक है। चाहे एमएसएमई की कीमते हों अथवा घरेलू उद्योग की कीमतें हों (हॉट रोल्ल्ड प्लेट से कोल्ड रोल्ल्ड प्लेट तक प्रोसेसिंग के लिए उचित समायोजन के बाद)
- ट. विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई। हालांकि जबकि मांग में गिरावट आई और अन्य सभी बाजार के आपूर्तिकर्ता को बिक्री के मामले में नुकसान हुआ, चीन के आयातों में इस अवधि में वृद्धि हुई।
- ठ. घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में जांच की अवधि में उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में मामले में गिरावट आई। हालांकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में वृद्धि हुई क्योंकि इंडोनेशिया से आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई। हालांकि घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में 200 सिरीज के अंतर्गत आने वाले उत्पाद जिनका उपयोग यूटेंसिल बनाने में किया जाता है, को छोड़कर सभी उत्पादों के मामले लाभ, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिफल के मामले में सुधार हुआ है।

- ड. उस खंड में जहां एमएसएई और चीन के आयात संकेंद्रित थे, घरेलू उद्योग का प्रदर्शन प्रतिकूल रहा है। क्षति की पूरी अवधि और जांच की अवधि के दौरान बिक्री में बहुत अधिक तक गिरावट आई है और जांच की अवधि के बाद की अवधि में और घरेलू उद्योग को इस खंड में बहुत अधिक वित्तीय हानि हो रही है।
- ढ. चीन के उत्पादकों द्वारा बनायी रखी गई अधिक क्षमताओं के चीन के उत्पादकों के उच्च निर्यात उन्मुखीकरण, अन्य देशों द्वारा लगाये गये व्यापार उपचारात्मक शुल्कों (जिसके फलस्वरूप इस प्रकार की बाजार सीमित हो जाती है), तीसरे देश द्वारा पाटित और क्षतिकारक निर्यात, भारतीय बाजार की आकर्षकता, जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयातों में वृद्धि और चीन के उत्पादकों के निर्यात उन्मुखीकरण के आलोक में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के जारी नहीं रहने की स्थिति में सब्सिडी लगाये जाने की निरंतरता की संभावना मौजूद है। जबकि उद्योग को 200 सिरीज के उत्पादों के मामले में पहले से ही क्षति उठानी पड़ रही है और घरेलू उद्योग को क्षति इन कारकों को देखते हुए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जारी नहीं रखने की स्थिति में और अधिक सघन होने की संभावना है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि जहां तक 300 और 400 सिरीज के उत्पादों का प्रश्न है। प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को स्थगित किए जाने और उसके बाद वापस लिए जाने के फलस्वरूप भारतीय उद्योग को हानि हुई है। इस कारण से प्राधिकारी इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि जबकि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का स्थगन और उसके पश्चात उसकी वापसी के फलस्वरूप 200 सिरीज के उत्पादकों के संबंध में भारतीय उद्योग को क्षति नहीं होती थी और न ही उनका कोई पर्याप्त साक्ष्य है कि भारतीय उद्योग को क्षति 300 और 400 सिरीज के उत्पादों के संबंध में होने की संभावना है।
- ण. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताने के लिए तथा इस तथ्य को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करने के लिए कि इस प्रकार से प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का समय विस्तार उन्हें प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, प्रयोक्ताओं/आयातकों के लिए सभी प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के बावजूद, हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर सीवीडी के संभावित प्रतिकूल प्रभाव को सिद्ध नहीं किया है। हालांकि घरेलू उद्योग ने इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए सूचना और साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि विगत में लगाये गये पाटनरोधी शुल्क और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं रहा, डाउनस्ट्रीम उत्पादों के आयात सीमित रहे थे (पाइप और ट्यूब को छोड़कर जहां सरकार ने सीवीडी पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया है और उसमें चीन के आयात को सीमित कर दिया है) और प्रयोक्ता उद्योग इस कारण से की या तो वे इन कीमतों में वृद्धि को अपने उपभोक्ताओं पर थोपेंगे (उदाहरण के लिए पाइप और ट्यूब, यूटेंसिल्स) उत्पाद की वर्तमान कीमतों अथवा डाउनस्ट्रीम उत्पाद बिक्री कीमत में उत्पाद का प्रभाव न्यूनतम है (उदाहरण के लिए रेलवे मेट्रो को आदि) पर विचार किए बिना अक्षम रहा है।
- त. भारतीय बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है और शुल्कों को जारी रखने से प्रयोक्ता उद्योग किसी आवश्यकता से वंचित नहीं होंगे। देश में मांग आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है। इस उत्पाद के लिए भारतीय उद्योग का काफी हद तक कम उपयोग किया गया है और काफी संख्या में घरेलू उत्पादक हैं।
- थ. अंतिम उपभोक्ताओं पर शुल्क का प्रभाव बहुत कम है।
246. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच की शुरुआत की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा सब्सिडी देने और क्षति के जारी रहने। फिर से होने की संभावना के पहलुओं पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को यह अवसर दिये गये थे।
247. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि यदि मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों को जारी नहीं रखा जाता है तब सब्सिडी देने और क्षति के जारी रहने/उसके फिर से होने की संभावना है, प्राधिकारी का यह मत है कि शुल्क को जारी रखना संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर अपेक्षित है।
248. उपर्युक्त परिस्थिति में, प्राधिकारी इसे उपयुक्त मानते हैं कि चीन से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर शुल्क की मौजूदा मात्रा को जारी रखने की सिफारिश की जाए जो संबद्ध देश से क्षति की संभावना पर ध्यान देगा और उसे कम करेगा। हालांकि यह राहत विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत 200 सिरीज के उत्पादों के संबंध में ही सीमित रखे जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं कि स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों के 200 सिरीज

के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पाद प्रकारों पर दिनांक 7 सितंबर, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017 के माध्यम से लगाये गये मौजूदा निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की जाए।

249. इस प्रकार, प्राधिकारी उसे उपयुक्त और आवश्यक मानते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाये गये आंकड़े के बराबर निश्चयात्मक शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की जाए। वर्तमान समीक्षा में निर्धारित सब्सिडी मार्जिन 19.91% है; हालांकि, वर्तमान जांच, निर्णायक समीक्षा होने के कारण, प्राधिकरण मूल जांच के अनुसार मौजूदा शुल्कों को बढ़ाना उचित समझता है। इस कारण से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जैसा कि ऊपर में सिद्ध किया गया है, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर भी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को आगे पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए स्टेनलेस स्टील प्लेट उत्पादों के 200 सिरीज के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पाद प्रकारों पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से लगाये जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	समान का विवरण	मूलता देश	निर्यात देश	उत्पादक	पहुंच मूल्य के % के रूप में शुल्क राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	7219 ,7220	फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट ऑफ स्टेनलेस स्टील 200 शृंखला - (नीचे नोट करें)	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	कोई	18.95%
2.	-वहीं-	-वहीं-	चीन जन. गण.	कोई देश	कोई	18.95%
3.	-वही-	-वही-	कोई देश	चीन जन. गण.	कोई	18.95%

नोट

1. विचाराधीन उत्पाद को इस रूप में परिभाषित किया गया है

स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद, चाहे सभी ग्रेड/शृंखला के हॉट रोल्ड या कोल्ड रोल्ड हों; हॉट रोल्ड कॉइल के मामले में 1.2 मिमी से 10.5 मिमी मोटाई की प्लेट, शीट, या कॉइल के रूप में या किसी भी आकार में या किसी भी आकार में नहीं; हॉट रोल्ड प्लेट और शीट के मामले में 3 मिमी से 105 मिमी; और कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के मामले में 6.75 मिमी तक। उत्पाद का दायरा विशेष रूप से रेजर ब्लेड ग्रेड स्टील को बाहर करता है।

2. केवल 200 शृंखलाओं से संबंधित उत्पादों के आयात पर शुल्क की सिफारिश की गई है।

आगे की प्रक्रिया

250. इस फाइनल से उत्पन्न केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ एक अपील निष्कर्ष सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष होगा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

निर्यातकों की सूची

निर्यातक का नाम	निर्यातक का नाम
एलाइट ऑप्टेल्स (एच.के.) लिमिटेड	नाटोंग जिन्दगी फास्टनर कं. लि.
फोशान चुआंगशेनडियांग इंपोर्टेड एक्सपोर्ट कं. लि.	निंगबो पोलेयर्स मेटल प्रोडक्ट्स कं. लि.
एक्सलवांटेज ग्लोबल लि.	निंगबो टियर्सलिया इंप एंड एक्सप. कं. लि.
फाइव स्टार इंटल ग्रुप लि.	निंगबो यिनझोऊ गौउधी मेटल प्रोडक्ट्स कं. लि.
मेटल चाइना इंडस्ट्रियल कं. लि.	ओआंक स्टील लिमिटेड
फोशान गोग स्टेनलैस स्टील कं. लि.	परफैक्ट मेटल फैब्रिकेशन कं. लि.
फोशान हिनाटो सेरामिक्स कं. लि.	शेनडॉंग मेंगयिन हुआरून इंप. एंड इंप एक्सप; कं. लि.
फोशान इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि.	शेनडॉंग हुआरन इंप एंड एक्सप. कं. लि.
फोशान रियलटाइल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.	शेनझेन ओनेटच बिजनेस सर्विस लि
फोशान शुनहेंगली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.	सिनोस्टील शेनझेन कं. लि.
फोशान टीहो स्टेनलैस स्टील कं. लि.	टोबिंग इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल लिमिटेड
वूशी बाओया मेटल कं. लिमि.	वूशी झोंगझिक्सिन स्टेनलेस स्टील कं. लि.
फोशान यींगफा स्टेनलेस स्टील कं. लिमि.	झोजियांग झोंगडा युआंतोंग इंडस्ट्रीयल कॉरपोरेशन
गुआंगजौ एवरसनी ट्रेडिंग कं. लिमि.	जियांग बाओवेई स्टेनलेस स्टील कं. लि.
गुइझोउ झोंगरुइक्सियांधे सपलाई चेन कं. लि.	जिएयांग डी बाओ मिंग स्टेनलेस स्टील कं. लि.
हांगकांग विनर स्टील कं. लि.	कार्ल स्टील इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
जियांगसू न्यू क्यूजिंग स्टेनलेस स्टील कं. लि.	जियामेन टेनचेंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.

अनुलग्नक -2

आयातकों/ उपयोगकर्ताओं की सूची

आयातक का नाम	आयातक का नाम
एक्यूरेट स्टील	मूनलाइट ट्यूब इंडस्ट्रीड
अमानत स्टील प्रा. लिमि.	नमन स्टील
अमीनोक्स इंटरनेशनल	नेशनल पेरोक्साइड लिमिटेड
अंकुर एक्सपोर्ट	नवगृह फास्टनेस प्रा. लिमि.
अनुपम इम्पेक्स	नवगृह फास्टनेस प्रा. लिमि.
मोंटेक्स स्टेनलेस एंड अल्लोयस	नवपद स्टील सेंटर
अशोक मेटल कॉरपोरेशन	नवयुक मेटल

अश्वीन इम्पेक्स	नेनवा मेटल कॉरपोरेशन
बी. वी. एस. ओवरसीज	नेपच्यून स्टील इम्पेक्स
बालाजी इम्पेक्स	एनजी इंडस्ट्रीज
बालाजी निर्यात प्राइवेट लिमिटेड	निकेल इम्पेक्स एलआईपी
भलारिया मेटल क्राफ्ट प्रा. लिमि.	नुमैक्स स्टील्स
भरत एक्सपोर्ट्स	ओहसुंग इलैक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
भव्यदीप इम्पेक्स	ओम गुरुदेव मेटल
चंचल मेटल एंड ट्यूब	पी.पी. इम्पेक्स (इंडिया)
चिराग उद्योग	पैसिफिक मेटल ट्रेडिंग
देवदीप स्टील अल्लोयस	परम इंडस्ट्रीज
धनेरा इम्पेक्स	पारस इम्पेक्स
धनेरा मेटल सप्लाय कॉरपोरेशन	फोनिक्स फोइल्स प्रा. लि.
मिनोक्स मेटल प्राइवेट लिमिटेड	पोसको-इंडिया पुणे प्रोसेसिंग सेंटर प्रा. लिमि.
डिवाइन ओवरसिस प्राइवेट लिमिटेड	राजेश लिमिटेड
फ्लेंग फोरजे इंडिया	राजगुरु इंटरप्राइजेज प्रा. लिमि.
फोर्ट इम्पेक्स प्रा. लिमि.	रमानी स्टील
गोदरेज एंड बाँयस एमएफजी. कं. लिमि.	रनदेन इंजीनियरिंग प्रा. लिमि.
गुडलक मेटल कॉरपोरेशन	रिद्धि सिद्धिइम्पेक्स
गुडलक स्टील्स	वेलिकन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
एच. के. इम्पेक्स प्रा. लिमि.	एस एस इम्पेक्स
हिम इंटरप्राइजेज	सनीत स्टील
हिंदुस्तान आईनॉक्स लिमिटेड ब्लॉक	सरस्वती स्टील इंडिया
हिंदुस्तान सीरिंग एंड मेडिकल डिवाइस लिमिटेड	सेठ आयरन एंड स्टील प्रा. लिमिटेड
होम जोन स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड	शाह फॉइल्स लिमिटेड
होम जोन स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड	शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड
होराइजन च्यूट्स प्राइवेट लिमिटेड	श्री आशापुरा स्टील सेंटर
हाईप्रो इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	श्री महावीर स्टीर मार्ट
आईजीपी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	श्री रामदेव मेटल मार्ट
इंको स्टील	श्री रामदेव स्टील्स प्रा. लिमि.
आईनॉक्स स्टेनलेस	श्री स्वांगिया मेटल इंडस्ट्रीज
जे. वाई. इंटरनेशनल गाला	श्री ट्यूब एमएफजी. कं. प्रा. लिमि.

जगदंबा कटलरी प्राइवेट लिमिटेड	श्री वल्लभ मेटल्स
जैमन मेटलॉयज लिप	श्रीराम हेंडल
जैनेक्स स्टील एंड मेटल	सिद्धांत मेटल
जय लक्ष्मी मेटल कॉरपोरेशन	सिद्धिविनायक स्टील
जेना स्टील इंडिया	सिल्वर स्टील्स
ज्वेल इम्पेक्स प्रा. लिमि.	स्टेनओक्स अल्लॉयज प्रा. लिमि.
जेएफई शोजी ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमि.	स्टील इंटरनेशनल महावीर दर्शन
कमल मेटल कॉरपोरेशन	स्टील लाइन (इंडिया)
केशो राम इंडस्ट्रीज	स्टील यार्ड ओवरसिस
कीयर कीचनवेयर	स्ट्राइड इंडस्ट्रीज लिप
कीचन एस्सेनसियल्स	सुचि फास्टनर प्रा. लिमि.
क्राफ्टवेयर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	सुमन मेटल
कुनाल हाउसवेयर्स प्रा. लिमि.	सनसिटी शीट्स प्राइवेट लिमिटेड
लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	सनसिटी स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
लुबी इंडस्ट्रीज लिप.	सुंदर इम्पेक्स प्रा. लिमि.
एम. पी. स्टील सेंटर	सुपर इम्पेक्स
मैगपाई इंटरनेशनल लिमि.	स्वास्तिक इंडस्ट्रीज
महावीर स्टेनलेस स्टील	ट्राइडेंट स्टील
मार्स हाउसवेयर्स	उत्तम स्टील अल्लॉयज प्रा. लिमि.
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड	विशाल स्टील्स
मैक्सिम ट्यूब्स कंपनी प्रा. लिमि.	वीना स्टील इंडस्ट्रीज
मेफेयर इंटरनेशनल	विक्टोरिया ऑटो प्रा. लिमि.
मेटल वन कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	विक्रम मेटल [इंडिया]
मिलन स्टील	

उपयोगकर्ता संघ की सूची

संघों का नाम	संघों का नाम
जगाधरी स्टेनलेस स्टील री-रोलर्स एसोसिएशन	दा राजस्थान स्टेनलेस स्टील री-रोलर्स एसोसिएशन
स्टेनलेस स्टील रोलर्स एसोसिएशन	वजीरपुर इंडस्ट्रियल एस्टेटवे लफेयर सोसाइटी
ऑल इंडिया स्टेनलेस स्टील कोल्ड रोलर्स एसोसिएशन	एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल इक्यूपमेंट डिवाइस
ऑल इंडिया स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री एसोसिएशन	मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेंट एसोसिएशन
प्रोसेस प्लांट एंड मशीनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया	दिल्ली स्टेनलेस स्टील ट्रेड एसोसिएशन

स्टील फरनेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया	
--------------------------------	--

अनुलग्नक -3
इच्छुक पार्टियों की सूची

याचिकाकर्ताओं

1. जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड एंड
2. जिंदल स्टेनलेस (हिस्सार) लिमिटेड

आवेदन का समर्थन करने वाले दलों की सूची

क्र. सं.	पार्टी का नाम	पार्टी की प्रकृति
1.	जानकी मेटल्स	घरेलू उत्पादक
2.	श्री युग इस्पात	घरेलू उत्पादक
3.	श्याम सुंदर एलॉयज	घरेलू उत्पादक
4.	वास्को इस्पात प्रा. लिमिटेड	घरेलू उत्पादक
5.	एन-स्टील	घरेलू उत्पादक
6.	मारुति आईनॉक्स	घरेलू उत्पादक
7.	एमआई एलॉयज	घरेलू उत्पादक
8.	एस एन बी मेटल	घरेलू उत्पादक
9.	शिवप्रिय इस्पात	घरेलू उत्पादक
10.	वेस्टर्न	घरेलू उत्पादक
11.	हाई-गनेश	घरेलू उत्पादक
12.	अमबिका एलॉयज	घरेलू उत्पादक
13.	सावित्री एलॉयज	घरेलू उत्पादक
14.	अवदेश स्टील वर्क्स	घरेलू उत्पादक
15.	अम्बा इंडस्ट्रियल	घरेलू उत्पादक
16.	जयसवाल मेटल	घरेलू उत्पादक
17.	वशिष्ठ एलॉयज	घरेलू उत्पादक
18.	बजरंग एलॉयज	घरेलू उत्पादक
19.	चंदन पानी	घरेलू उत्पादक
20.	शाह एलॉयज लिमिटेड	घरेलू उत्पादक
21.	फ्रंटियर स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड	उत्पादक
22.	एसएनबी इंटरप्राइजेज प्रा. लिमि.	उत्पादक
23.	मेटेक स्टील्स	उत्पादक
24.	क्वालिटी फॉइल (इंडिया) प्रा. लिमि.	उत्पादक

क्र. सं.	पार्टी का नाम	पार्टी की प्रकृति
25.	अलीगढ़ ट्यूब्स एंड शटर प्रा. लिमि.	उत्पादक
26.	स्टार स्टेनलेस इंडस्ट्रीज	उत्पादक
27.	श्री राम प्रोडक्ट्स	उपयोगकर्ता उद्योग
28.	जीसीएम स्टेनलेस	उपयोगकर्ता उद्योग
29.	बैग ट्यूब्स	उत्पादक
30.	सूरज स्टील पाइप्स	उपयोगकर्ता उद्योग
31.	आदित्य स्टील्स इंडस्ट्रीज	उपयोगकर्ता उद्योग
32.	एचआर आईनॉक्स	उपयोगकर्ता उद्योग
33.	सुराना मेटाकास्ट (इंडिया) प्रा. लिमि.	उत्पादक
34.	फोक्स ट्यूब्स (इंडिया)	उपयोगकर्ता उद्योग
35.	मिडास टच स्टेनलेस	उत्पादक
36.	सनलाइट स्टील इंडस्ट्रीज	उपयोगकर्ता उद्योग
37.	मै. एपी स्टील इंडस्ट्री	उपयोगकर्ता उद्योग
38.	आईयूपी जिंदल मेटल्स एंड एलॉयज लिमि.	उपयोगकर्ता उद्योग
39.	ओम्ब्रे स्टेनलेस	उपयोगकर्ता उद्योग
40.	बल्यू स्टार इंडस्ट्रीज	उपयोगकर्ता उद्योग
41.	ब्राइट रेफ्रेक्ट्रीज	उपयोगकर्ता उद्योग
42.	एक्यूरेट मेटल्स	उत्पादक
43.	आदित्य स्टील्स	उपयोगकर्ता उद्योग
44.	अग्रवाल संस	उत्पादक
45.	अम्बा इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन	उत्पादक
46.	अनमोल स्टेनलेस प्रा. लिमि.	उपयोगकर्ता उद्योग
47.	अरिहंत स्टील	उत्पादक
48.	आशुतोष मेटल प्रा. लिमि.	उत्पादक
49.	अवधेस स्टील वर्क्स प्रा. लिमि.	उत्पादक
50.	बी.पी.बी. इंडिया	उत्पादक
51.	चंदनपानी प्रा. लिमि.	उत्पादक
52.	सिटी स्टील इंडस्ट्रीज	उपयोगकर्ता उद्योग
53.	डी.ए., मेटालॉयज प्रा. लिमि.	उत्पादक
54.	जी.आर. मिल्स	उत्पादक
55.	हंस राज ट्यूब्स प्रा. लिमि.	उत्पादक

क्र. सं.	पार्टी का नाम	पार्टी की प्रकृति
56.	हिसार प्रोपर्टीज प्रा. लिमि.	उत्पादक
57.	जायसवाल मेटल्स प्रा. लिमि.	उपयोगकर्ता उद्योग
58.	जानकी मेटल स्ट्रिप्स प्रा. लिमि.	उत्पादक
59.	के.एल. स्टेनलेस इंडिया	उत्पादक
60.	खेमानी मेटल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि.	उत्पादक
61.	महेशवरी स्टेनलेस	उपयोगकर्ता उद्योग
62.	मेटटेक स्टील्स	उत्पादक
63.	नामी स्टील प्रा. लिमि.	उत्पादक
64.	नेशनल मेटल्स	उत्पादक
65.	नेशनल स्टील इंडस्ट्रीज	उत्पादक
66.	नवकार मेटास्टील्स प्रा. लिमि.	उत्पादक
67.	ओम स्टेनलेस इंडिया	उत्पादक
68.	पानचामी पाइप्स प्रा. लिमि.	उपयोगकर्ता उद्योग
69.	पूजा स्टील	उत्पादक
70.	प्रतिक मेटल्स प्रा. लिमि.	उत्पादक
71.	प्रेम पैराडाइस एलॉयज	उत्पादक
72.	प्रेम पैराडाइस स्टील प्रा. लिमि.	उत्पादक
73.	राधा कृष्णा एस.एस. पाइप इंडस्ट्रीज	उपयोगकर्ता उद्योग
74.	राज मेटल इंडस्ट्रीज	उत्पादक
75.	राजस्थान स्टेनलेस स्टील री-रोलर्स एसोसिएशन	उत्पादकों का संगठन
76.	रामदेव स्टील	उपयोगकर्ता उद्योग
77.	रामसंस स्टेनलेस	उत्पादक
78.	रिलाएबल स्टील्स	उत्पादक
79.	ऋषि स्टील्स एंड ट्यूब्स	उत्पादक
80.	रोशन मेटल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि.	उत्पादक
81.	एस.ए. स्टील (इंडिया)	उत्पादक
82.	एस.एस. पाइप इंडस्ट्रीज	उत्पादक
83.	शाइनमैक्स रूफिंग (इंडिया) प्रा. लिमि.	उपयोगकर्ता उद्योग
84.	शिव गंगा स्टेनलेस	उत्पादक
85.	श्री शंकर मेटल एंड वेयरहाउस प्रा. लिमि.	उत्पादक
86.	सिद्धी विनायक इंडस्ट्रीज	उत्पादक

क्र. सं.	पार्टी का नाम	पार्टी की प्रकृति
87.	एसएनपी स्टील्स	उत्पादक
88.	श्री वरेनियम एसोसिएट्स	उत्पादक
89.	श्रीनाथजी ट्यूब इंडस्ट्री	उत्पादक
90.	स्टेनलेस स्टील इंडक्शन फरनेश एसोसिएशन (एसआईएफए) गुजरात	उत्पादकों का संगठन
91.	स्टेनलेस स्टील री रोलिंग एसोसिएशन	उत्पादकों का संगठन
92.	स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमि. (सेल)- झेलम	उत्पादक
93.	सुदामा स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्रीज	उपयोगकर्ता उद्योग
94.	सनराइज स्टील इंडस्ट्रीज	उपयोगकर्ता उद्योग
95.	सूरज स्टील पाइप्स	उपयोगकर्ता उद्योग
96.	सरना मेटल्स	उत्पादक
97.	टीआर ओएक्स ट्यूब्स एंड पाइप्स	उत्पादक
98.	टू मेटल्स	उत्पादक
99.	यूएनआई- इम्पेक्स	उत्पादक
100.	विकास स्टेनलेस प्रा. लिमि.	उत्पादक
101.	विनायक इंडस्ट्रीज	उत्पादक
102.	विष्णु स्टील्स	उत्पादक
103.	ट्रिनाॅक्स ट्यूब्स एंड पाइप्स	उपयोगकर्ता उद्योग
104.	ऑल इंडिया स्टेनलेस स्टील कोल्ड रोलर्स एसोसिएशन	उत्पादकों का संगठन
105.	भलारिया मेटल क्राफ्ट प्रा. लिमि.	उपयोगकर्ता उद्योग
106.	श्री लक्ष्मी मेटल	उत्पादक
107.	जगाधारी स्टेनलेस स्टील री-रोलर एसोसिएशन	उत्पादकों का संगठन
108.	इंडियान स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन	उत्पादकों का संगठन
109.	एसएनबी मेटल्स एंड एलॉयज	उत्पादक
110.	एन. स्टील प्रा. लिमि.	उत्पादक
111.	विक्रम इंडस्ट्रीज	उत्पादक
112.	मंगलदीप मेटल	उत्पादक
113.	गार्डन किचनवेयर प्रा. लिमि.	उत्पादक
114.	कद उद्योग	उत्पादक
115.	मोनिका स्टील	उत्पादक
116.	कद स्टील रोलिंग मिल्स	उत्पादक
117.	स्मार्ट स्टेनलेस ट्यूब्स प्रा. लिमि.	उपयोगकर्ता उद्योग

क्र. सं.	पार्टी का नाम	पार्टी की प्रकृति
118.	वजीरपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट वेलफेयर सोसाइटी	संगठन
119.	दिल्ली स्टेनलेस स्टील ट्रेड एसोसिएशन	संगठन
120.	स्टेनलेस स्टील रोलर्स एसोसिएशन	संगठन
121.	श्री कान्हा स्टेनलेस प्रा. लिमि.	उपयोगकर्ता उद्योग
122.	बंगाल पाइप एमएफजी. कं.	उपयोगकर्ता उद्योग
123.	अग्रवाल स्टील एंड पाइप डीपोट एलएलपी	उपयोगकर्ता उद्योग
124.	लक्ष्मी स्टील	उपयोगकर्ता उद्योग
125.	खंभले ट्यूब्स	उपयोगकर्ता उद्योग
126.	माई स्टील	उपयोगकर्ता उद्योग
127.	फाल्कन स्टील	उपयोगकर्ता उद्योग
128.	प्यूरो स्टील	उपयोगकर्ता उद्योग
129.	जेटी स्टील ट्यूब प्रा. लिमि.	उपयोगकर्ता उद्योग
130.	आर. जी. स्टेनलेस इंजीनियर्स लिमि.	उपयोगकर्ता उद्योग
131.	श्रीनाथजी ट्यूब इंडस्ट्री	उपयोगकर्ता उद्योग
132.	इंडिकोर्पा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	उपयोगकर्ता उद्योग
133.	चिराग पाइप्स इंडस्ट्रीज	उपयोगकर्ता उद्योग
134.	अनमोल मेटल इंडस्ट्रीज	उत्पादक
135.	अनु उद्योग	उपयोगकर्ता उद्योग
136.	अन्नो	उपयोगकर्ता उद्योग
137.	द्वारका स्टील इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि.	उपयोगकर्ता उद्योग
138.	गुजरात मेटल इंडस्ट्रीज	उपयोगकर्ता उद्योग
139.	हेम रोलिंग मिल्स प्रा. लिमि.	उपयोगकर्ता उद्योग
140.	हिंदुस्तान रोलिंग मिल	उपयोगकर्ता उद्योग
141.	हिसार मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	उपयोगकर्ता उद्योग
142.	ईश्वर मेटल्स प्राइवेट लिमि.	उपयोगकर्ता उद्योग
143.	जे. प्रेमचंद इंडस्ट्रीज	उपयोगकर्ता उद्योग
144.	जहां स्टील लिमिटेड	उपयोगकर्ता उद्योग
145.	काला अंब स्टेनलेस स्टील फर्नेस एसोसिएशन	उपयोगकर्ता उद्योग
146.	एम. ए. एंटरप्राइजेज	उपयोगकर्ता उद्योग
147.	मां भनभोरी स्टील एंड एलॉयज	उत्पादक
148.	महालक्ष्मी स्टील्स	उपयोगकर्ता उद्योग
149.	मंगलम स्टील	उपयोगकर्ता उद्योग

क्र. सं.	पार्टी का नाम	पार्टी की प्रकृति
150.	मनीधारी इंडस्ट्रीज	उपयोगकर्ता उद्योग
151.	मार्वल मेटल इंडस्ट्रीज	उपयोगकर्ता उद्योग
152.	माया उद्योग	उपयोगकर्ता उद्योग
153.	मेहता एलॉयज लिमि.	उपयोगकर्ता उद्योग
154.	एमएमवी स्टील इंडस्ट्रीज	उपयोगकर्ता उद्योग
155.	मोनिका उद्योग	उपयोगकर्ता उद्योग
156.	मुकेश उद्योग	उपयोगकर्ता उद्योग
157.	श्री राजू एंटरप्राइजेज	उपयोगकर्ता उद्योग
158.	राठौड़ इंडस्ट्रीज	उपयोगकर्ता उद्योग
159.	रत्नदीप इंडस्ट्रीज	उपयोगकर्ता उद्योग
160.	रोलमेटल इंडस्ट्रीज	उपयोगकर्ता उद्योग
161.	एस.एम. इंडस्ट्रीज	उपयोगकर्ता उद्योग
162.	श्री देवकीनंदन मेटल प्रा. लिमि.	उपयोगकर्ता उद्योग
163.	सेठी मेटल इंडस्ट्रीज	उपयोगकर्ता उद्योग
164.	शायोना एंटरप्राइजेज	उपयोगकर्ता उद्योग
165.	श्री भूमिका स्ट्रिप्स प्रा. लिमि.	उपयोगकर्ता उद्योग
166.	श्री नंदकिशोर मेटल्स प्रा. लिमि.	उपयोगकर्ता उद्योग
167.	एस.एम. एंटरप्राइज	उपयोगकर्ता उद्योग
168.	श्वेता इंडस्ट्रीज	उपयोगकर्ता उद्योग
169.	विराट एलॉयज (पी) लिमि.	उपयोगकर्ता उद्योग
170.	वेंगार्ड	उपयोगकर्ता उद्योग

हितबद्ध पक्षकारों की सूची जिन्होंने शुल्कों को जारी रखने का विरोध किया है:

1. चीन का दूतावास
2. शाह फॉयल लिमि.
3. ऑनेस्ट एंटरप्राइज प्रा. लिमि.
4. सनसिटी शीट्स प्रा. लिमि.
5. एवन एप्लायंसेज प्रा. लिमि.
6. ऑल इंडिया स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th April, 2023

FINAL FINDINGS**(Case No. CVD-SSR-1/2021)****Subject: Sunset review investigation concerning imports of certain Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat Products, originating in or exported from the People's Republic of China.**

F. No 7/21/2021-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, (hereinafter also referred to as the Rules) thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. An Anti-subsidy investigation into imports of subject goods from China PR was initiated vide Notification No. 14/18/2015- DGAD dated 12th April, 2016. Following a detailed investigation, the Designated Authority concluded that the subsidy provided by the Chinese government to the producers of subject goods were countervailable in nature and subject goods were exported from China PR at subsidized prices causing injury to the domestic industry. Thus, the Authority recommended imposition of countervailing duties on imports of subject goods from China PR vide Notification No. 14/18/2015-DGAD dated 04th July, 2017, which was further confirmed by the Ministry of Finance vide Notification No. 01/2017 dated 07th September, 2017.
2. In terms of Section 9 (6) 24 of the Customs Tariff Act, 1975, countervailing duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidized imports. Further, Rule 24 of the CVD Rules, 1995 provides as follows:
“The designated authority shall, from time to time, review the need for continued imposition of the countervailing duty and shall, if it is satisfied on the basis of information received by it that there is no justification for the continued imposition of such duty or additional duty, recommend to the Central Government for its withdrawal.”
3. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of injury.
4. And whereas, M/s. Jindal Stainless Limited (hereinafter JSL); and M/s. Jindal Stainless (Hisar) Limited (hereinafter JSHL), (hereinafter referred to as the ‘applicants’ or ‘applicant companies’ or “domestic industry”) jointly filed a duly substantiated application before the Designated Authority, in accordance with the Act and the Rules, requesting initiation of sunset review investigation concerning imports of Stainless-Steel Flat products, originating in or exported from China PR.
5. The applicants sought the continuation of the countervailing duty against imports of subject goods from the subject country. The request was based on the ground that the expiry of the countervailing duty was likely to result in continuation/recurrence of subsidized imports of the subject goods and consequent injury to the domestic industry.
6. And whereas, the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioners, issued a public notice vide Notification No. 7/12/2021-DGTR dated 08th October 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged subsidy and to recommend the amount of anti-subsidy/countervailing duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
7. The scope of the present review covers all aspects of the Final Findings Notification No. 14/18/2015-DGAD dated 04th July 2017.

B. PROCEDURE

8. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject review:
 - i. The Authority, under the above Rules, received a written application from the applicants, as domestic industry contending likelihood of continuation of subsidised imports and injury to the domestic industry on imports of the product under consideration in India.

- ii. The Authority notified the Embassy of China in India about the receipt of the review application before initiating the investigation in accordance with Rule 6(5).
- iii. The Authority in terms of Article 13 of WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) provided opportunity to Government of China (GoC) for pre-initiation consultations that were held with its representatives on 10.09.2021 through Digital Video Conferencing. The comments of representatives of the Government of the subject country were taken on record. Government of China admitted existence of a number of programs/schemes alleged by the applicants. Government of China contended that the alleged programmes/benefits are not countervailable by virtue of being non-specific in nature.
- iv. While Government of China contended that there is lack of evidence or claimed that alleged policies are not countervailable within the meaning of the ASCM as they are internationally recognized and well-accepted in nature, whereby there is no financial contribution, nor do they confer benefit to specific sector of the industry. The Government of China stated that some Chinese law and regulations cited for alleged subsidy programs have either been amended or repealed but the Government of China has not substantiated their claims.
- v. The Authority issued a public notice dated 8th October, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the sunset review of anti-subsidy investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.
- vi. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 8th October, 2021 to the Chinese Embassy in India, the known producers and exporters from China, known importers/users in India and other interested parties, as per the available information. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time limit.
- vii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known Chinese producers/exporters and to the Embassy of China in accordance with Rule 7(3) of the Rules supra.
- viii. The Authority sent a questionnaire to the Government of China seeking relevant information in the form and manner prescribed with regard to various schemes/programs where countervailable benefit might have been conferred onto the Chinese producers/exporters of the product under consideration. The Government of China filed no questionnaire response.
- ix. The Authority sent exporter's questionnaire to elicit relevant information to the known producers/exporters in China, in accordance with Rule 7(4) of the Rules. A list of these known producers/exporters in China is enclosed as **Annexure - 1** at the end of this final findings.
- x. No response was received from any Chinese producer/exporter.
- xi. Questionnaires were sent to the known importers/ users/ associations of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with the Rules. A list of these known importers/ users/ associations is enclosed as **Annexure - 2** at the end of this final findings.
- xii. After initiation of the present investigation, Ministry of Finance (MoF) rescinded the countervailing duties imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 1/2022 dated 1st February, 2022. However, one of the interested parties approached the Hon'ble High Court of Gujarat, disputing the rescission. Subsequently, the Hon'ble High Court of Gujarat, in the matter of *M/s Realstrips Ltd. v. Union of India*, vide its order dated 2nd September, 2022 quashed the abovementioned customs notification, and directed the Authority to proceed with the sunset review and complete the said investigation.
- xiii. The applicants vide email dated 9th September, 2022, requested the DGTR while quoting the above-stated judgement of the Hon'ble High Court of Gujarat, seeking the Authority to resume the investigation.
- xiv. The Central Government approached the Hon'ble Supreme Court vide SLP(C) No. 020020 - / 2022 challenging the Hon'ble High Court of Gujarat's judgment dated 2nd September, 2022. The Central Government sought a stay on the operation of the order, however, the same has not been granted to, and the matter is pending adjudication.
- xv. The Ministry of Finance accepted the request for extension of time for completion of the present investigation and extended the same by another six months till 6th April, 2023 vide F. No CBIC-190354/63/2022-TO(TRU-I)-CBEC dated 7th October, 2022.
- xvi. The Authority, vide communication dated 1st December, 2022 granted fresh opportunity to all the interested parties to file questionnaire response/comments by 22nd December, 2022.
- xvii. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR's website along with the request therein to

- all to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing COVID19 global pandemic.
- xviii. The Authority, vide communication dated 21st December, 2022, upon request from certain interested parties, extended time to file questionnaire responses/comments, to 29th December, 2022.
- xix. In response to the notification and the request for questionnaire response, following importers or consumers filed questionnaire response and/or submissions:
- a. All India Stainless Steel Association
 - b. Suncity Sheets Pvt Ltd
 - c. Honest Enterprise Limited
 - d. Shah Foils Ltd.
- xx. In response to the notification and the communication, a number of importers/consumers/associations filed submissions. A list of all parties that have participated as interested parties in this investigation is enclosed as **Annexure – 3** at the end of this final findings.
- xxi. Exporters, producers and other interested parties who have not responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperative.
- xxii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange transaction-wise details of imports of the subject goods for the past three years and the period of investigation (POI) and post-POI, which was received by the Authority. The Authority has relied upon DGCI&S transaction wise data for the required analysis after due examination of the transactions.
- xxiii. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if countervailing duty lower than the subsidy margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xxiv. The period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is 01st April, 2020 to 30th June, 2021 (15 months) and the injury period will cover the periods April 2017-March 2018, April 2018-March 2019, April 2019- March 2020 and the POI.

The applicant proposed the period of investigation as 1 April 2020 to 31st March 2021 (12 Months). However, the explanation to amended Rule 22(3) with regard to the period of investigation states as under:

“For the purposes of these rules, the period of investigation shall, - (i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation.”

As the case was initiated on 08.10.2021 and the data was more than six months old, therefore, the Authority added one more quarter and decided to consider most recent period i.e., 15 months data for the POI.

- xxv. Verification of the information provided by the domestic industry to the extent deemed necessary was carried out by way of on the spot and desk study. Only such verified information, with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of this final findings.
- xxvi. The Authority held oral hearing on 3rd February, 2023 to provide an opportunity to the interested parties to present the information orally in accordance with Rule 7(6). Oral hearing was held in hybrid mode. All the parties that presented their views orally were advised to file their submissions in writing by 14th February, 2023. The interested parties were allowed to offer rejoinder to the submissions made by other interested parties latest by 21st February, 2023.
- xxvii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation to the extent found relevant have been considered by the Authority, in establishing essential facts under consideration.
- xxviii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claimed. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xxix. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on

the basis of the facts available.

xxx. *** represents information furnished by a party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxxi. The Authority has used following abbreviations in this final findings:

Abbreviation	Full description
Applicant/Applicants/ petitioners/ petitioners/ domestic industry	Jindal Stainless Ltd. & Jindal Stainless (Hisar) Ltd.
ASCM	Agreement on Subsidies & Countervailing Measures
CR	Cold Rolled
CVD	Countervailing Duty
DGCI&S	Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics
DI	Domestic industry
FRP	Flat-rolled Products
GAAP	Generally Accepted Accounting Principles
GoC	Government of China
HR	Hot Rolled
IFMA	Industry Furnace Manufacturers Association
Injury period	2017-18, 2018-19, 2019-20 and POI
ISSDA	Indian Stainless Steel Development Association
MoF	Ministry of Finance
MSME	Micro, small and medium enterprises
NIP	Non-Injurious Price
PCN	Product Control Number
POI	Period of Investigation i.e., April 2020 - June 2021
POI-A	Annualised figures for POI
Pvt. Ltd.	Private Limited
SLP	Special Leave Petition
WTO	World Trade Organisation

C. LEVEL OF COOPERATION BY GOVERNMENT OF CHINA

9. The Authority notes that adequate opportunity was provided to the Government of China, through written communications and consultations, to provide relevant information concerning existence, operations & administration of various subsidy schemes contended by the applicants, countervailability of the same vis-à-vis the WTO ASCM and Indian Rules, and benefits availed by the Chinese producers/exporters under these schemes. The Government of China has not filed response to the questionnaire, nor has provided any information relevant to various subsidy schemes. The Government of China has thus not cooperated with the Authority in the present investigation. Had the Government of China cooperated with the Authority by providing questionnaire response, along with relevant information/document/evidences, the Authority would have been in a position to make a determination on the basis of such information/ documents/ evidences. As Government of China has not extended the required cooperation, the Authority was constrained to proceed with the available information in making the findings.

D. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

I. Views of the Domestic Industry

10. The submissions made by the applicants with regard to the product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
- i. The scope of the product under consideration defined in the initiation is the same as the one attracting duty.
 - ii. The product under consideration can be hot rolled or cold rolled. It can be in the form of coils, sheets, plates, strips or otherwise. All forms of the product are within the scope of the product under consideration.
 - iii. Since the present investigation is a sunset review investigation, the scope of the product under consideration would remain the same as considered in the original investigation.
 - iv. There is no difference in subject goods produced by the domestic industry and the subject goods exported from the subject country.
 - v. The goods produced by the domestic industry are like article to the goods being exported by the producers in the subject country as observed by the Authority in the original investigation as well.
 - vi. The domestic industry is producing wide range of products. The products by the domestic industry are also used in the nuclear energy department.
 - vii. There is no niche product manufactured by China. China is exporting the most basic grades which the entire Indian industry can produce. Thus, there is no demand supply gap, and there is no necessity of imports from China. Yet, China has always maintained a high share in the domestic market.
 - viii. None of the producers/exporters from China PR have participated in the investigation. Therefore, there is no need to conduct a PCN-wise analysis.
 - ix. Due to non-cooperation of the producers/exporters from China PR, the import data lacks all information relevant to identification of PCNs. The Authority does not have the quality and quantity of information and evidence as required for precisely identifying PCNs and determination of injury margin.
 - x. In the recent anti-dumping investigation of Luxury Vinyl Tiles from China, Taiwan and Viet Nam, the Authority held that PCN wise dumping margin determination is not necessary when foreign producers have not cooperated in the investigation.
 - xi. There is no justification for the contention that the product imported from China is because of quality considerations.
 - xii. The applicants supply all those products which are being imported from China. The volume of these products sold by the applicants is also significant.
 - xiii. The products being supplied by China are largely in the 200 series product.
 - xiv. Out of the 200 series product products, grades J3 and 201 constitutes 59% and 37% volumes respectively thus showing that imports from China are largely of these products.
 - xv. Imports from China during 2019-20 were only 3.21% of the Indian demand. If imports from China were due to quality considerations, the volume of imports would not have been so low in the past.
 - xvi. Imports from China are largely driven by price difference caused by CVD removal and not because of any other factor.
 - xvii. Chinese product is priced much lower than the price at which the applicants have sold.

II. Views of other Interested Parties

11. The other interested parties have made no submissions with regard to the product under consideration and like article.

III. Examination of the Authority

12. The present investigation is a sunset review investigation concerning countervailing duties earlier imposed on imports of “Hot Rolled and Cold Rolled flat products of stainless steel” originating in or exported from China PR. The product under investigation as defined in the original investigation is as follows:

Flat rolled products of stainless steel, whether hot rolled or cold rolled of all grades/series; whether or not in plates, sheets, or in coil form or in any shape, of any width, of thickness 1.2mm to 10.5mm in case of hot rolled coils; 3mm to 105 mm in case of hot rolled plates & sheets; and up to 6.75 mm in case of cold rolled flat products. Product scope specifically excludes razor blade grade steel.”

The mere fact that the scope of the product under consideration includes hot rolled and cold rolled forms of the product, the same does not imply that the two cannot be considered and included within the scope of product under consideration in the present case. It is noted that Indian Custom Tariff Classification classifies stainless

steel under Chapter 72, wherein it is not separately classified in terms of hot rolled or cold rolled products. Customs classification 7219 is flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more, whereas 7220 is flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm. Further, both 7219 and 7220 includes (a) hot and cold rolled products, (b) products in coils and not in coils. It is noted that the mere difference in customs classification of the different product types does not render them unlike articles for the present purposes.

Analysis of cost statements provided by the domestic industry shows that majority cost involved in production of the product under consideration is on raw materials and utilities upto the stage of steel melting. At the stage of raw materials, the cost of different types of the product varies largely on account of composition of the steel, which is the defining feature in technical standards and is decided at the stage of melting itself. Different types of steels are produced having different metallurgical composition, which are achieved by using right mix of raw materials. The expenses involved at rolling stage – whether hot rolled or cold rolled are not so significant. Significant part of cost in making stainless steel is incurred upto the stage of making hot rolled steel. Thus, the effects of subsidies have come on the basic stage of hot rolled steel.

Different types of the product under consideration essentially differ in terms of shape, size, metallurgical composition, rolling conditions (hot rolled/cold rolled). However, these differences can be achieved through regulating the production process and do not render them distinctly different articles for the present purposes.

13. There is no submission made by any interested party for any modification to the scope of the product under consideration. The present investigation is a sunset review investigation of CVD measures earlier recommended by the Authority and invoked by the Central Government. Therefore, the scope of the product under consideration in the present investigation is same as the scope of the product subject to CVD measures. The scope of the product under consideration in the present investigation therefore is “Hot Rolled and Cold Rolled flat products of stainless steel” originating in or exported from China PR.
14. The subject goods are classified under Chapter 72 of Customs Tariff Act, 1975 under the subheading 7219 and 7220. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
15. The applicants had claimed that the subject goods are being imported in the form of various grades, widths, thickness and finishes. The petitioners had suggested Product Control Numbers (PCNs) for the subject goods. The Authority had invited comments on the PCN methodology. However, none of the interested parties filed comments on the PCN methodology. Further, the applicants *vide* its written submissions requested to drop PCN wise analysis and no comments were received from any of the other interested parties thereto. In view of the above, the Authority has not considered PCNs for the purpose of injury analysis.
16. The Authority notes from the information on record that the product produced by the domestic industry is “like article” to the goods imported from China. The goods produced by the domestic industry and imported from China are comparable in terms of technical specifications, functions & usages, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially interchangeable. Accordingly, the Authority holds that the subject goods produced by the applicants are ‘like article’ to the subject goods being imported from the subject country.

E. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

I. Views of domestic industry

17. The submissions made by the applicants during the course of the investigation with regard to the scope of domestic industry & standing are as follows:
 - i. The application was filed by Jindal Stainless Limited and Jindal Stainless (Hisar) Limited and supported by 11 other producers.
 - ii. Post the initiation of the investigation, 63 producers sent communications expressing their support to the application and continued imposition of duties.
 - iii. 19 producers from the MSME sector and one producer from the organized sector have provided relevant injury information and requested for extension of duties. These 19+1 producers must be considered as a part of the domestic industry.
 - iv. The production by the two petitioners’ companies accounts for a major proportion of the total Indian production.
 - v. The two petitioners’ companies have not imported the subject goods during the period of investigation. The petitioners’ companies are not related to any producer/exporter of the subject goods in China.

- vi. The production of the PUC in India can be divided into two categories – organized and unorganized sector.
- vii. The unorganized sector can further be categorized into two – those producers who produce hot rolled slab through induction furnace route and those producers who process it into hot rolled products (flat).
- viii. The hot rolled flat is used in making a number of products such as utensils. These producers largely produce 200 series products. Further, they do not have the facility for making coils and are largely confined to making plates.
- ix. The market for this product in India is in excess of 10 Lakhs MT.
- x. The producers in the MSME sector, who are producing through induction furnace process are worse affected with the suspension and withdrawal of CVD.
- xi. A number of induction furnace producers have responded and provided all the relevant injury information with regard to their operations. Since these producers have provided the relevant information after initiation and before the deadline prescribed by the authority, these producers should be considered as part of the domestic industry.
- xii. The investigation was initiated on 08.10.2021, however, the Authority did not continue the investigation after the Ministry of Finance withdrew the duty.
- xiii. Post the resumption of the investigation, when the Authority granted an opportunity to all interested parties, the same should be considered as an opportunity to other domestic producers as well.
- xiv. The opportunity to respond to initiation is not limited to opposing interested parties. The same extends to the supporting interested parties as well, which includes other domestic producers.
- xv. The induction furnace producers constitute supporting interested parties and should therefore be considered as part of the domestic industry.
- xvi. In the alternative, the Authority should at least consider their information separately and examine injury suffered by such other domestic producers.
- xvii. Shah Alloys has provided injury information in the prescribed format. Since the company has provided all relevant information, the Authority must consider the same.
- xviii. M/s Realstrips Ltd., Hisar Metal Industries Ltd, Quality Foils (India) Pvt. Ltd. And Veer Metal Industries Pvt. Ltd. are producers (re-rollers) of cold rolled flat products and being an interested party to this investigation, have submitted injury information and is an interested party to the present review investigation.
- xix. The petition is supported by a large number of induction furnace producers even though they have not provided injury information in the prescribed format.
- xx. The present petition has been supported by two producing companies as applicants, one other domestic producer in the organized sector, 19 producers in unorganized sector (induction furnace) who have provided their injury information, 4 producers in induction furnace sector who have provided their production and sales data, 34 producers in induction furnace who have supported but without providing production and sales data, 60 re-rollers from who have provided their data with regard to production and sales, a number of re-rollers who have merely supported but not provided their production and sales data.
- xxi. The request for extension of CVD should be deemed to be filed/supported by a large number of producers of the product in the country. The petition is supported by a large number of producers in MSME sector whether engaged in hot rolled patta or re-rolling the same into plates. Their collective production constitutes a major gross Indian production.
- xxii. The Authority had reopened the investigation on 1st December, 2022 and had given opportunity to all the interested parties to submit relevant information by 29th December, 2022. The users, importers have filed responses within this extended deadline. It cannot be argued that domestic producers were not entitled to provide relevant information and/or make submissions within the extended period.

II. Views of other Interested Parties

18. The other interested parties have made the following submissions with respect to the scope of the domestic industry and standing:
 - i. The applicants have submitted letters from various entities extending their support to the present petition. However, Trade Notice No. 13/2018 states that all the supporting companies are required to file their data with the petition at the “pre-initiation stage”.

- ii. The data filed on behalf of the supporters do not show any fragility. The data filed by the MSMEs must not be relied upon before deeper examination.
- iii. It must be examined if the data of only poor performing MSMEs have been taken as this would show negative results.
- iv. The request for inclusion of certain supporting producers as a part of the domestic industry must not be entertained. Apart from Jindal Stainless Steelway Ltd., the remaining are associations, who cannot constitute the domestic industry.
- v. Jindal Stainless Steelway Ltd. has not submitted its data regarding injury parameters, production, etc., hence it cannot be allowed to participate in the present investigation.
- vi. None of the entities supporting the petition have submitted their data regarding injury parameters, production, etc. and hence they cannot be allowed to participate in the present investigation.
- vii. Major domestic producers like SAIL have not come forward to participate in the present review. The Authority may ascertain the economic performance of SAIL and ascertain the reasons for their non-participation.

III. Examination of the Authority

19. Rule 2(b) of the Countervailing Duty Rules defines domestic industry as under: -
"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidized article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry".
20. The application was filed by M/s Jindal Stainless Ltd. and M/s Jindal Stainless (Hisar) Ltd. The applicants are not related (either directly or indirectly) to any producer/exporter in the subject country or importer of the product in India. The applicants have not imported the subject goods from China during the period of investigation.
21. Following associations in the stainless-steel sector have communicated their support to the application filed:
 - a. Indian Stainless Steel Development Association
 - b. Jagadhri Stainless Steel Re-Rollers Association
 - c. The Rajasthan Stainless Steel Re-Rollers Association
 - d. Wazirpur Industrial Estate Welfare Society
 - e. Stainless Steel Re Rolling Association
 - f. Delhi Stainless Steel Trade Association
 - g. Stainless Steel Rollers Association
 - h. All India Stainless Steel Cold Rollers Association
 - i. Stainless Steel Induction Furnace association (SIFA) Gujarat
 - j. Kala Amb Stainless Steel Furnace Association
22. M/s. Shah Alloys filed its injury information within the time limits extended by the Authority, and requested for extension of duties.
23. Following domestic producers, claiming themselves to be MSME producers through induction furnace route have submitted their injury information and requested for extension of duties.
 - a. Amba Industrial Corporation
 - b. Ambica Alloys
 - c. Avdesh Steel Works Pvt. Ltd.
 - d. Bajrang Steel Centre
 - e. Chandan Pani Pvt. Ltd.
 - f. Hi Ganesh Steel
 - g. Jaiswal Metals Pvt. Ltd.
 - h. Janki Metal Strips Pvt. Ltd.
 - i. Maruti Inox (India) Pvt. Ltd.

- j. MI Alloys Pvt. Ltd.
 - k. N-Steel
 - l. Savitri Alloys
 - m. Shivpriya Ispat (India) Pvt. Ltd.
 - n. Shree Yug Ispat
 - o. Shree Shyam Sundar Alloys Pvt. Ltd.
 - p. SNB Metal & Alloys
 - q. Vasco Ispat Pvt Limited
 - r. Vashisht Alloys
 - s. Western Stainless Steel LLP
24. It is seen that the production of the product under consideration in India comprises of producers in the organised and unorganised sector. Further, in the unorganised MSME segment production is categorized into two categories – producers that produce hot-rolled flat products from stainless steel scrap stage through induction furnace route; and those that process or re-roll it into cold rolled product (flat). The participating induction furnace producers are MSME producers and have alleged to have been worst affected with the suspension and thereafter withdrawal of CVD. Re-rollers are sourcing hot rolled stainless steel and converting it into cold rolled flat stainless steel. The producers who are sourcing their input (Hot Rolled flat products of stainless steel or “HR products”) from the domestic market, the volume of such HR products is already captured in the assessment of Indian production. Further, companies who are importing HR products cannot be treated as eligible domestic producers as they are importing one of the forms of the product under consideration.
25. Shah Alloys and the 19 other MSMEs mentioned above are producers of the subject goods. Therefore, the injury information of Shah Alloys and 19 MSME producers have been considered to the extent relevant in order to assess impact of imports on the Indian industry.
26. The Authority considers that the present application was filed by Jindal Stainless Ltd. and Jindal Stainless (Hisar) Ltd. The 19 MSME domestic producers and Shah Alloys has filed injury information post initiation and after the additional opportunity for participation provided by the Authority. Domestic producers through induction furnace route produce hot rolled product and the same is processed further by re-rollers for making it suitable for eventual end use. Both, the induction furnace units and the patta sector re rollers are exclusively producing goods of 200 series. The Induction Furnace Association has submitted that the HR flat product produced by their members compete with the imported Chinese product in as much as the eventual end consumer has a choice to buy finished steel either imported from China or processed by re-rollers. The applicants also sell HR products to re-rollers or finished steel to eventual end consumers. Significant production process is involved in making finished steel from HR patta. Since, the present review is an expiry review of the CVD in force, and therefore the Authority is required to determine whether cessation of CVD is likely to lead to injury to the domestic industry. Therefore, apart from the applicants the Authority has considered the data of 19 MSME industries to assess the impact of imports on the domestic industry as a whole.
27. On the basis of information on record, the Authority has determined share of the applicants in the Indian production. It is noted that the production of the applicants constitutes 62% of the gross domestic production of like article in India.
28. The Authority after examining the information on record, and submissions made by the applicants and various interested parties has determined that the petitioners’ companies constitute domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) and the application had been filed by those domestic producers whose collective output constitutes a major proportion in Indian production.

F. CONFIDENTIALITY

I. Views of the domestic industry

29. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues:
- i. The applicants have claimed such information as confidential, confidentiality of which has been permitted under the rules and as per consistent practice of the Authority.
 - ii. The applicants have provided sufficient non confidential version of the application. No interested party has been able to point out any specific instance of information which has been claimed confidential and confidentiality of which is not justified under the rules.

II. Views of other interested parties

30. No submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality issues.

III. Examination by the Authority

31. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of Anti-Subsidy Rules provides as follows:

Rule 8: Confidential information. (1) Notwithstanding anything contained in subrule (1), (2), (3) and (7) of rule 7, subrule (2) of rule 14, subrule (4) of rule 17 and subrule (3) of rule 19 copies of applications received under subrule (1) of rule 6 or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof in sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the confidential information and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in subrule (2), if the designated authority, is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

32. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

G. MISCELLANEOUS ISSUES**I. Views of the domestic industry**

33. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to other issues:

- i. A peculiar fact found in sunset reviews as well in this case is a huge difference in the imports reported in Indian customs and exports reported in exporting country's customs. There is material mismatch in import volumes and values between China Customs and DGCI&S – both in volume and values.
- ii. The DGCI&S data reports imports of the product under consideration from Hong Kong, UAE and Malaysia. However, there are no known production facilities. The market intelligence shows that these goods were in fact shipped from the Chinese ports and therefore these exports reported in DGCI&S data should be considered as exports from China. The Authority can corroborate this with the customs data showing therein the port of loading.

II. Views of other interested parties

34. No submissions have been made by other interested parties with regard to other issues.

III. Examination by the Authority

35. As regards the contention of the domestic industry regarding difference of data reported by the two Custom Authorities i.e., India and China, the Authority notes that it has relied on the DGCI&S import data as the same is collated by the Indian Authorities.

H. DETERMINATION OF SUBSIDY AND SUBSIDY MARGIN

36. The application filed by the domestic industry provided adequate *prima facie* evidence of existence of countervailable subsidies in the subject country on the subject goods. Government of Peoples Republic China (“GoC”) was invited for consultations, which were held on 10th September, 2021. The present investigation was initiated on the basis of the *prima facie* evidence. The producers and exporters and Government of China were advised to file response to questionnaire and were given adequate opportunity to provide verifiable information/evidence on the existence, degree and effect of alleged subsidy program for a making an appropriate determination of existence and quantum of such subsidies.

37. Neither Government of China nor any of the producers/exporters from China PR have responded to the present investigation, nor filed any meaningful information for the purpose of the present investigation. In the absence of a questionnaire response from Government of China, and the Chinese producers/exporters, the Authority is not in a position to examine possible countervailability of these schemes based on the information/documents

in possession of the Government of China and therefore is constrained to rely on the information available. The Authority is constrained to proceed with determination with regard to existence, degree and impact of various subsidy programs, on the basis of facts available on record, including the information provided by the domestic industry in its petition, information provided by other interested parties, determination earlier made by the Authority, and information / evidence filed by the domestic industry during the course of the investigation.

38. As per the petition the Chinese producers/exporters of the subject goods have received countervailable subsidies under the following programs of various levels of Govts. and they have been classified under 6 broad categories. The various programs classified under these categories are listed below:

Grants

SN	Program no.	Name
1.	1	Special fund for energy saving technology reform / incentive fund for transformation of energy-saving technology/ Energy saving, conservation and emission grants
2.	2	Special fund for the development of foreign trade and economic cooperation/ Fund for The Development of International Economic Relations and Trade
3.	3	Fund for Industrial Transformation and Upgrading / Grants related to technological upgrading, renovation or transformation
4.	4	Research & Development (R&D) Assistance Grant/ "Incentive for Enterprise Innovation And R&D"
5.	5	Grants for High and new technology industries
6.	6	Reward and Support Fund for Restructuring of Industrial Enterprises
7.	7	Compensation for the production capacity decrease/or incentive to decrease
8.	8	Support for the "going out" policy in the SSHR industry/ Support for "Go Global"
9.	9	Various Government grants- Received by producers/exporters of China PR/ Ad hoc grants provided by municipal/regional authorities

Exports Financing

SN	Program No.	Name
10.	23	Preferential export financing from the Export-Import Bank of China
11.	24	Export Seller's Credit
12.	25	Export Buyer's Credit
13.	26	Export Credit Insurance Subsidies

Tax and VAT incentives

SN	Program No.	Name
14.	10	Preferential tax policies for companies that are recognized as high and new technology companies /Income Tax Reductions under Article 28 of the Enterprise Income Tax Law/ Preferential income tax for Non-resident enterprises (NRE) under Article 4 of Enterprise tax law
15.	11	Exemption or reduction from corporate income tax for the enterprises engaging in environmental protection, energy conservation and water conservation projects that meet the requirements

16.	12	Preferential Tax Policies for The Additional Calculation and Deduction of Research and Development (R&D) Expenses/Preferential Income Tax Benefits for Research and Development investments.
17.	13	Preferential Tax Policies for Clean Development Mechanism
18.	14	Preferential Tax Treatment for Import of Equipment
19.	15	Accelerated Depreciation on Fixed Assets
20.	16	Tax Preference Available to Companies that Operate at a Small Profit
21.	17	Enterprise Income Tax Treatment of Enterprise going for Restructurings
22.	18	Reduced Tax Rate for Productive FIEs Scheduled to Operate for a Period not Less Than 10 Years
23.	19	Exemption of Tariff and Import VAT for Imported Technologies and Equipment
24.	20	Preferential VAT on Integrated Utilization of Resources/ VAT Refunds for FIEs

Provision of Goods & Services at less than adequate remuneration

SN	Program No.	Name
25.	29	Provision of Raw material at less than adequate Remuneration
26.	30	Provision of Coal and coking coal provided at less than adequate Remuneration.
27.	31	Provision of Land /Land Use rights provided for less than adequate remuneration (LTAR)
28.	32	Provision of Electricity provided for less than adequate remuneration (LTAR)

Preferential Loans & Lending

SN	Program No.	Name
29.	21	Preferential Lending
30.	22	Loan Guarantee/Credit Loan Guarantee by Government of China/Export Credit Guarantees

Equity infusion

SN	Program No.	Name
31.	27	Equity infusions
32.	28	Debt for equity swaps

39. Post-initiation of the investigation, the applicants contended existence of following countervailable programs in relation to the subject goods within the extended deadline for filing submissions. The Authority classified various program under 6 broad categories as listed below:

Grants

SN	Program no.	Name
33.	33	The State Key Technology Renovation Projects Fund
34.	34	Famous Brands Program

35.	35	Export Assistance Grant
36.	36	Grants to Baoshan Steel
37.	37	Direct Government Grants given by Jiangsu Province
38.	38	Grants provided by Hebei Province
39.	39	Grant - Special Funds for Fostering Stable Growth of Foreign Trade
40.	40	Provincial Government - Equipment Grant
41.	41	Treasury Bonds Loans or Grants
42.	42	Small and Medium-sized Enterprise Support Funds
43.	43	Subsidies Provided in Tianjin Binhai New Area and the Tianjin Economic and Technological Development Area
44.	69	Grants for Energy Conservation and Emission Reduction
45.	70	Grants for Retirement of Capacity
46.	66	Exemptions for SOEs from Distributing Dividends
47.	83	Grants for Relocating Production Facilities

Exports Financing

SN	Program No.	Name
48.	73	Export Loans
49.	74	Export Credit Guarantees

Tax and VAT incentives

SN	Program No.	Name
50.	44	Income Tax Reduction for Advanced Technology FIEs
51.	45	Preferential tax policies for companies that are recognised as high and new technology companies
52.	47	Tax concessions for Central and Western Regions
53.	48	Income tax concessions for the enterprises engaged in comprehensive resource utilization (special raw materials')
54.	49	Tax credit concerning the purchase of special equipment
55.	50	Enterprise Income Tax Rate Reduction in the Tianjin Port Free Trade Zone
56.	51	Income Tax Reductions under Article 28 of the Enterprise Income Tax Law
57.	51	Preferential income tax policy for the enterprises in the Northeast region
58.	53	Tax Preference Available to Companies that Operate at a Small Profit
59.	54	Various local tax discounts (Shandong Province, Chongqing City, Guangxi Region Zhuang, Tax privileges to develop central and western regions)
60.	55	Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Pudong Area of Shanghai
61.	64	Enterprise Tax Law Research and Development Program/Enterprise Income Tax Law, R&D Program

62.	78	Income Tax Reductions for HNTEs
63.	79	Income Tax Reductions and Exemptions for HNTEs in Designated Zones
64.	80	Reduction in or Exemption from Fixed Assets Investment Orientation Regulatory Tax
65.	81	Income Tax Benefits for Domestically Owned Enterprises Engaging in R&D
66.	46	VAT Refunds for FIEs Purchasing Domestically Produced Equipment
67.	82	VAT and Tariff Exemptions for Purchasers of Fixed Assets Under the Foreign Trade Development Fund

Provision of Goods & Services at less than adequate remuneration

SN	Program No.	Name
68.	56	Provision of Electricity for Less than Adequate & Fair Market Value Remuneration
69.	57	Land Use Rights for SOEs
70.	58	Provision for Coking Coal for Less than Adequate Remuneration
71.	59	Reduction in Land Use Fees, Land Rental Rates and Land Purchase Prices
72.	65	Provision of Iron Ore for LTAR
73.	66	Provision of Steam Coal for LTAR
74.	67	Provision of Nickel/Nickel Pig Iron for LTAR
75.	68	Provision of Ferrochrome/Chromium for LTAR

Preferential Loans & Lending

SN	Program No.	Name
76.	60	Preferential Loans for SOEs (State Owned Enterprise)
77.	63	Policy Loans to the Stainless Sheet and Strip Industry
78.	71	Preferential Loans for Key Projects and Technologies
79.	72	Preferential Lending to Stainless Sheet and Strip Producers and Exporters Classified As "Honorable Enterprises"
80.	75	Loans and Interest Subsidies Provided Pursuant to the Northeast revitalization Program
81.	77	Loan and/or Interest Forgiveness for SOEs

Equity infusion

SN	Program No.	Name
82.	61	Debt for equity swaps
83.	62	Equity infusion

40. The Authority considers that the applicants have identified a large number of countervailable programs wherein similar benefits have been conferred onto the Chinese producers/exporters of the subject goods. The Chinese producers/exporters have not cooperated with the Authority and therefore, the Authority in any case

cannot determine subsidy margins for individual Chinese producers. Further, the applicants have conceded that the Authority need not quantify benefits in those programs which grants similar benefits, once the Authority has accepted and quantified benefit in one of such programs.

41. Principle of judicial economy allows the Authority to refrain from undertaking detailed investigation in respect of those program wherein the Authority is not required to quantify benefits. The present investigation is a sunset review investigation, wherein the Authority is required to ascertain continuation of countervailable subsidies to Chinese producers/exporters or introduction of new countervailable subsidies by the Government of China or termination thereof after the last investigation in order to determine whether there is likelihood of continuation or recurrence of subsidisation causing injury to the domestic industry in the event of cessation of countervailing measures. Therefore, considering these factors, the Authority has restricted examination to ascertain (a) whether subsidies countervailed in the original investigation continue to confer benefit to the stainless-steel industry, (b) whether there are new countervailable programs providing benefit. Further, the Authority has grouped various subsidy schemes into the following broad categories:
- a. Grants
 - b. Exports Financing
 - c. Tax and VAT incentives
 - d. Provision of Goods & Services at less than adequate remuneration
 - e. Preferential Loans & Lending
 - f. Equity infusion
42. The Authority has thus examined whether these countervailable schemes still continue and whether there is evidence of continued benefit being received under the said schemes. Since the present investigation is a sunset review investigation, and the objective of the investigation is to ascertain whether the Chinese producers continue to benefit from countervailable subsidies and further since the Government of China or Chinese producers/ exporters have preferred non-cooperation and have not provided relevant information, and none of the interested parties have provided any information & evidence to rebut the substantiated claim made by the petitioners with regard to continuation of countervailable subsidies, the Authority has considered it unnecessary to quantify benefits under various schemes that were earlier investigated, found countervailable but were not quantified. However, for those schemes wherever necessary information has been submitted by the petitioners for quantification of the subsidy schemes, the Authority has accordingly examined those schemes.

Calculation methodology

43. Article 14 of ASCM provides guidelines and methodology for calculating the benefit to the recipient conferred pursuant to paragraph 1 of Article 1 and further provides that any method used by the investigating authority to calculate the benefit to the recipient shall be transparent and adequately explained. Further, any method used by the investigating authority to calculate the benefit to the recipient shall be provided for in the national legislation or implementing regulations of the Member concerned and its application to each particular case shall be transparent and adequately explained. The Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 lays down the methodology of determination of quantum of subsidization. The determination in this investigation is in accordance with these guidelines.
44. Before analysing the alleged subsidisation in the form of specific subsidies or subsidy programs the Authority has first assessed government plans, policies, orders, projects and other documents, which are relevant for the subsidies or subsidy programs contended by the applicants. It has been seen that a number of subsidies or subsidy programmes under examination flow from Government of China's documents, such as 13th Five Year Plan; Order No 35 of the National Development and Reform Commission- Policies for the development of Iron and Steel Industry; Decision No 40 is a State Council Order that classifies for investment purpose the industrial sectors into different categories, namely 'encouraged, restrictive and eliminated projects'; and the Blueprint for the Adjustment and Revitalisation of the Steel Industry' (2009) is an action plan for the steel industry.
45. The applicants contended that the steel industry in China continues to be the encouraged sector and the Government of China supported the industry in several manner, including through export restraints on key inputs required for production of the PUC. The Authority notes that in the 13th Five-Year plan for the steel sector, the Steel Industry Adjustment and Upgrade Plan, covering the period from 2016 to 2020, Steel in general continues to remain a favoured sector. The Authority also notes that the relevant plan in China at the time of original investigation was the 12th five-year plan. In the 13th Five Year plan, it has been emphasised

- that the steel sector is ‘fundamental to the national economy and a cornerstone of China’. The plan sets out the overall objectives for years 2016-2020, which is to ‘build China into a manufacturing power’. The 13th Five-Year Plan further emphasises on the role of technological innovation in the economic development of the PRC, as well as the continued importance of ‘green’ development principles. According to its chapter 5, one of the main development lines is to promote the upgrading of the traditional industrial structure, as was already the case in the 12th Five Year Plan. This is further elaborated in chapter 22 of the 13th Five-year plan, which explains the strategy to modernise the traditional industry in China by promoting its technological conversion. In this respect, the 13th Five-Year Plan states that companies will be supported to ‘*comprehensively improve in areas such as product technology, industrial equipment, environmental protection and energy efficiency*’.
46. The applicants further contended, based on ‘Steel Industry Adjustment and Upgrading plan for 2016-2020’ (the 13th Five-Year Steel Plan) and final findings of other investigating authorities that the Chinese steel industry is ‘*an important, fundamental sector of the Chinese economy, a national cornerstone*’. The plan elaborates on the principles of technological innovation, structural adjustment and green development mentioned in the 13th Five-Year Plan, links them to more specific priorities within the steel industry, and makes the link with various fiscal and financial support measures. The consolidation of the steel sector and the reliance on dominant/major producers is a key feature of the plan. Steel producers in China are encouraged to engage in production and expand their production abroad. Chapter 17, Section 1 of the 13th Five-Year Plan states: ‘*The national development strategy and plan will come into play with a leading and constraining role.*’ Finally, the 13th Five-Year Steel Plan states that ‘*all local authorities in charge of the steel industry shall ... implement the tasks and policy measures set out in the present plan*’. At the level of individual companies, ‘*relevant enterprises shall ensure convergence with the present plan’s main objectives and priority tasks*’. Consequently, rather than making only general statements of encouragement, the 13th Five-Year plan provides a binding framework for the domestic steel industry. That framework has been replicated at local/provincial level by the adoption of additional plans, which provide for further implementing details.
47. Further, the following specific policies of the Government of China, which were found to exist at the time of previous investigations, continue to exist even in the present period:
- a. Order No. 35 of the National Development and Reform Commission- Policies for the development of Iron and Steel Industry (2005).
 - b. Decision No. 40 is a State Council Order that classifies for investment purpose the industrial sectors into different categories, namely ‘encouraged, restrictive and eliminated projects’.
 - c. ‘The Blueprint for the Adjustment and Revitalisation of the Steel Industry’ (2009) is an action plan for the steel industry.
48. Order No. 35 National Development and Reform Commission- Policies for the development of Iron and Steel Industry: China’s Order No. 35 is a guideline issued by Chinese authorities on promoting the high-quality development of the iron and steel industry. It specifies that China’s iron and steel industry aims to basically form a high-quality development pattern featuring reasonable layout and structure, stable supply of resources, advanced technical equipment, high quality products and outstanding brands, strong global competitiveness, as well as green, low-carbon, and sustainable development by 2025. The guideline also encourages major local steel enterprises to carry out mergers and acquisitions, boost industry concentration and raise endogenous power.
49. China’s Decision No. 40 of the State Council on ‘Promulgating and Implementing the ‘Temporary Provisions on Promoting Industrial Structure Adjustment’ for stainless steel industry is a policy issued in 2005 to encourage and support advanced production capacities, restrict and eliminate outdated production capacities, prevent blind investments and low-level redundant construction, and improve the policy system on industrial structure adjustment.
50. Government of China controls the production and supply of certain rare earth materials through SOEs and major producers, thereby artificially keeping the prices of these materials low for the domestic producers of stainless steel. Government of China controls and manages SOEs in the various ways. The institutional framework allowed the Government of China to have a tight control over SOEs through various bodies. The National Development and Reform Commission (‘NDRC’) is one of the regulatory bodies that controls SOEs. NDRC is in charge of elaborating the macroeconomic and industrial development strategies and ensuring that the local players properly implement the Government of China policy. The NDRC frames guidelines and directives based on the plans issued. All investment by steel producers in China are mandatorily approved by the NDRC.
51. As is evident from various documents, the Government of China exercises a strict control over the steel industry by law. The steel sector is classified under the basic and pillar industries and is also part of the

'encouraged' industries. Consequently, the industry benefits from various subsidy schemes. The Authority notes that State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council ('SASAC') is the ultimate owner of all SOEs in China. SASAC directors and managers are all appointed by the Communist Party of China. SASAC has a leading role in the management of SOEs, including disciplinary surveillance, and ensures that SOEs follow the objectives set by the Government of China. It is also involved in investment decisions, and stocks and share transactions. Therefore, the SASAC can be considered as the State regulator of SOEs. It is seen from various evidences that the Government of China's actual direction, management and control of the SOEs continues to be based on the same documents, laws and regulations as were found in the original investigation. These are still in force during the present investigation. The only major amendment since the original investigation has been the replacement of the 12th Five-year plan for the steel sector with the 13th Five-Year plan. However, such a replacement did not modify the Government of China's predominant role and intervention in the steel sector, and the importance accorded to it.

52. Taking into account the above-listed documents and their provisions, the Authority concludes that the Chinese steel industry continued to be a key/strategic industry, the development of which is actively pursued and directed by the Government of China as a policy strategic objective. Such all-encompassing control and intervention by Government of China is resulting in a regulated market in the steel sector. Further, investigations conducted by this Authority and other investigating authorities globally confirm the Authority's conclusion that steel sector in China is heavily distorted and subsidised.

I. EXAMINATION OF SUBSIDY PROGRAMS

I. VIEWS OF OTHER INTERESTED PARTIES

53. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to subsidy and subsidy margins:
- i. It is inappropriate to investigate 21 new subsidy programs that were not covered in the initiation notification.
 - ii. Under Articles 13.1 and 13.2 of the SCM Agreement, before initiation of a CVD investigation, it is incumbent for the government of the investigating country to intimate the government of the exporting country of the alleged subsidy programs intended to be initiated.
 - iii. Unless these programs are intimated to the government of the exporting country, the latter will not have the opportunity to clarify the factual situation and arrive at a mutually agreed situation with the government of the investigating country, as envisaged in Article 13 of the SCM Agreement.
 - iv. As per Article 11.1 of the SCM Agreement, the allegations of subsidy programs are required to be made part of the application itself. It is inappropriate to cover new programs within the scope of the review.
 - v. The applicants have not quantified the subsidy margin for all the subsidy programs alleged by them. The applicants have stated that they have quantified the subsidy margin for only six programs.
 - vi. Para 504 of the final findings issued in the original investigation, it was noted that since no corroborative evidence had been placed regarding the quantum of benefit received under the subsidy programs, the Authority did not quantify subsidy margin for such programs.
 - vii. The alleged benefits under the alleged subsidy programs are not specific as they are available to all enterprises that fulfil the applicable criteria under the applicable laws regardless of the enterprise, sector concerned, or geographic location.
 - viii. As per the WTO Appellate Body Report in US – Carbon Steel (India) (DS436), it was held that NMDC cannot be considered as a public body merely on the basis of government ownership and control.
 - ix. In the absence of any finding that the entities from whom the Chinese producers/ exporters have obtained loans, guarantees and insurance, have exercised functions in pursuance of instructions from the government, it cannot be said that these entities are public bodies.
 - x. The applicants have not established now any of the subsidy programs alleged to be granted has conferred a benefit on the Chinese producers/exporters.

A. GRANTS

I. Views of domestic industry

54. Following submissions have been made by domestic industry with regard to grants:

Program No. 9 and 36

- i. The Government of China provides grants or special funds to selected enterprises who are producers of the subject goods. These grants are given to the companies by national, provincial, city, county or

direction government authorities and all are specific to the stainless-steel companies, or specific in terms of location or type of industry.

- ii. The petitioners have identified that in 2020 and also preceding years, the Chinese producers/exporters were granted various governments grants. As per the annual reports for example Baosteel, China Metallurgical Corporation, Shanxi Stainless steel Co Ltd TSL and Minmetal Co Ltd wherein grants were provided in order to finance particular projects or assets, reward energy conservation or environmental protection, relocation, waste-water conservation, special funds provide to Zombie companies and clean production funds. The Authority need not examine No. 36 as it pertains to the same benefit.

II. Views of other interested parties

55. Neither Government of China nor any producer/exporter and other interested parties have provided any specific comments with regard to the alleged program.

III. Examination by the Authority

Program No. 36- Grants to Baosteel

56. The Authority in the original investigation had examined this program as Program No. 8.
57. In the absence of cooperation and information from the Chinese Government and the producers/exporters from China, and considering that the present investigation is a sunset review of CVD earlier recommended, the Authority has relied on the previous investigation relating to the PUC, information contained in the petition, information provided by the interested parties, and information available on record of the present and previous investigation.
58. The Authority has already found this program to be countervailable in the original investigation and the relevant portion of the final findings is reproduced herein below:

Para 103. In the absence of cooperation and information from the Chinese Government and the producers/exporters from China the Authority has relied on the information contained in the petition and best information available with it. It is noted that in 2013 'State-Owned Assets Supervision and Administration Commission' of the State Council of China has formulated a scheme named "Special financial funds to industries for Adjusting Structure, promoting transformation and supporting industrial development". The program is aimed at providing various funds in the form of grants, loans, and loan guarantees, as well as goods and services, to the steel industry in general and State-owned enterprises in particular for stabilizing the industry. These assistances are in the nature of financial contribution by the public body conferring benefit on the recipients of the support.

104. As per the information supplied by the domestic industry, Shanghai Baoshan steel Group Corporation, one of the largest steel industries in China, has availed substantial benefits under this program. This has not been refuted by either Government of China or by the concerned producer/exporter in spite of providing ample opportunities.

105. The program provides a financial contribution in the form of Grants, loans, and loan guarantees as well as goods and services provided by the Government of China conferring benefits on the recipients. Benefits under this program are limited to certain types of business enterprises and therefore, are specific within the meaning of Rules.

106. The Authority notes that this program has been earlier examined by other investigating Authorities in the past and existence and countervailability of this program has been established by US authorities in Non-Oriented Steel investigation against China. Further, the Government of China has not provided any evidence to show that this program in any of its form does not exist or does not confer countervailable subsidy. In view of the above the Authority holds this scheme as countervailable subsidy program.

107. The Applicants have claimed subsidy margin based on the details provided in the annual report of the Shanghai Baosteel Group Corporation for the year 2015. The evidence with regard to the amount of grants availed by the company and the margin computed by the Applicants has been placed by the Authority in the public file for inspection of the interested parties.

108. Since Government of China has not filed questionnaire response, the CVD margin could not be determined on the basis of questionnaire response of the Government of China and the responding exporters. In the absence of cooperation from the Government of China and the Chinese producers/exporters, the Authority has quantified the subsidy margin based on the best fact available. The Authority has quantified the subsidy margin as 0.55%.

59. In the original investigation, the domestic industry had quantified subsidy margin based on the details provided in the annual report of Shanghai Baosteel Group Corporation for the year 2015, and accordingly the margin

was quantified as 0.55%. Since the program being reviewed is non-recurring and benefit in such cases is allocated over the AUL, therefore, the grants received and reported by Baoshan in 2015 continue to be benefitted in the POI of the present investigation. Further, the applicants have provided most recent evidence available i.e., Annual Report for the year 2020 for the same company that shows grants being received by the Chinese producer. The applicants have also identified, and quantified margin for grants received by Shanxi Stainless Steel Co. Ltd. As the present investigation is a sunset review and there is no cooperation by the Chinese producers, for the finding of continued subsidisation, and there is no evidence that the level of subsidisation has reduced or eliminated when compared to the original investigation, therefore the Authority does not consider it necessary to re-quantify the subsidy margin.

60. The Authority based on the above examination notes that this program currently remains to be in force and continues to confer countervailable benefits in a similar manner as in the original investigation.
61. Program No. 9 i.e. "Various Government grants- Received by producers/exporters of China PR/ Ad hoc grants provided by municipal/regional authorities", identified by the applicants relates to the program which grants the same benefit as has been investigated by the Authority under Program no. 36, as has been conceded by the applicants that the same may not be examined. Therefore, in the interest of judicial economy, the same has not been separately examined.

B. TAX AND VAT INCENTIVES

I. Views of the domestic industry

62. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to tax and VAT incentives:

Program No. 10

- i. The Ministry of Science and Technology, MOF and MOFCOM have provided preferential tax policies for companies that are recognized as high and new technology companies that need to be supported within specific areas set by law for the development of foreign economic cooperation and technological exchanges, as well as the areas where the State Council has stipulated the implementation of special policies in the above areas, can enjoy transitional tax benefits.
- ii. Article 28 of the Enterprise Income Tax Law provides that the State needs to give priority to support high-tech enterprises who will be levied a corporate income tax at a reduced rate of 15%. It is also submitted that this scheme is enterprise specific and is limited to high & new technology industries. Preferential tax rates that is 25% are given at reduced rates to 15% or 12.5%.
- iii. The Authority need not examine Program No. 11, 13, 16, 17, 18, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 78, and 79 as it pertains to the same benefit.

Program No. 12

- i. This program in the SSR application is the same as Program No. 33, 34 and 46 of the original segment of the investigation.
- ii. Ministry of Finance (MOF), State Administration of Taxation (SAT), Ministry of Commerce (MOFCOM) and Science and Technology Bureau administer a series of programs which extends certain tax benefits to the domestic as well as foreign invested enterprises in China to encourage investment in R&D activities.
- iii. As per Article 30.1 of Enterprise Income Tax law of PRC, enterprises may deduct "expenses for the research and development of new technologies, new products and new techniques" from the calculation of taxable income. On approval of the said project, enterprises are eligible for 50% reduction of those expenses from the taxable income for the purpose of computation of corporate income tax. Further, under Article 95 of Implementation Regulations of the Enterprise Income Tax Law of the People's Republic of China-2019, eligible research and development expenditures incurred by the enterprise for the development of new technologies, new products, and new processes "not forming an intangible asset," an additional 50% deduction from taxable income may be taken on top of the actual accrual amount. If these expenditures form the value of certain intangible assets, they may be amortized based on 150% of the intangible asset's costs.
- iv. This program is operational under the:
 - Enterprise Income Tax Law of the People's Republic of China-Amended tax laws in -2018
 - Implementation Regulations of the Enterprise Income Tax Law of the People's Republic of China-2019
 - Circular on Improving the Policy on Extra Pre-tax Deduction of Research and Development Expenses- Cai Shui [2015] No.119

- Announcement of the State Administration of Taxation on Issues concerning the Scope of Pooling of R&D Expenses for the Purpose of Additional Pre-tax Deduction- Announcement of the State Administration of Taxation [2017] No.40
- v. The preferential tax benefits confer a financial contribution on the recipient and therefore, amounts to a subsidy. The program is also limited in scope and is availed by limited number of enterprises and therefore, is specific subsidies.
- vi. The benefit under the program is not limited to product under consideration alone. Benefit under the program is available on total profits of the company, once the company is able to claim that it is entitled to benefit under the program.

Program No. 19

- i. Program No. 14 in the SSR list is identical to Program No. 19 under this SSR segment. These programs confer identical benefits i.e. exemption of tariff/VAT on imported equipment.
- ii. Administered by MOF, SAT, MOFCOM, GACC and NDRC.
- iii. Exempting the tariff and VAT on the equipment imported for self-use by domestically and foreign-invested projects.
- iv. The Financial contribution conferred by this program is revenue foregone which is otherwise due.
- v. The Benefit provided by this program is in the form of exemption of tariff on imported equipment.
- vi. This program is enterprise specific as it is only available to limited number of enterprises engaging in the import of equipment for self-use. The Stainless-Steel industries also qualify for this program.

Program No. 46

- i. Program number 36 and 51 of the original investigation have been inadvertently compared with program no. 20 in the submissions made before. Program no. 36 (original investigation) is in fact same as program No. 46 now identified in the present SSR. However, program No. 36 of the original investigation is the same as program No. 46 identified in the present sunset review investigation. The applicant in their submission dated 29th December, 2022 stated that program No. 46 is required to be seen as continuation of the program from the POI of the original investigation (identified as program no. 36 in the original investigation).
- i. Further, since in the original investigation program nos. 36 and 51 were quantified as one as they were concurrent benefits, accordingly, program nos. 20 and 82 pertain to the same benefit. Therefore, the Authority need not examine and quantify program no. 20 and 82 separately.
- ii. The program in question is linked with VAT refunds for purchase of domestically produced fixed assets, the benefit under this should be (as was done in the original investigation) amortised over the life of the equipment i.e., the AUL period.
- iii. Since the program confers a benefit of non-recurring in nature, and such benefited is allocated over the life of the asset, therefore, the benefit quantified earlier continues to benefit the Chinese producers in the present POI as well.
- iv. This program is enterprise specific and is available to the stainless-steel industry.

Program No. 49

- i. As per Article 34 of the “PRC Law on Enterprise Income Tax”, Article 100 of “Regulations on Implementation of the PRC Law on Enterprise Income Tax by the State Council” the firms, which purchase cost of special equipment used for environmental protection, energy and water saving and production safety the enterprises are eligible for reduction of 10% offset from the total income. This program is same as program no. 39 of the original investigation.

II. Views of the opposing interested parties

63. Following submissions have been made by other interested parties with regard to tax and VAT incentives:

- i. The alleged programs on tax benefits do not constitute a countervailable subsidy since this is uniformly available to all companies and is hence not specific in nature.

III. Examination by the Authority

64. The Authority has examined below the schemes related to Tax and VAT incentives. However, as regards scheme no. 14, the Authority has not examined this scheme as the petitioners have not submitted the complete information which could help the Authority in reaching to a fair and just conclusion of quantification of these above said schemes.

Program No. 10- Preferential tax policies for companies that are recognised as high and new technology companies/ income tax reductions under Art. 28 of the Enterprise income tax law/ preferential income tax for non-resident enterprises (NRE) under Art. 4 of enterprise tax law

65. The Authority initiated investigation into preferential tax policies under Chinese tax law and identified the program as program no. 10 in the notice of initiation. The Authority in the original investigation had examined this program as Program No. 35 and 42.
66. In the absence of cooperation and information from the Chinese Government and the producers/exporters from China, and considering that the present investigation is a sunset review of CVD earlier recommended, the Authority has relied on the previous investigation relating to the PUC, information contained in the petition, information provided by the interested parties, and information available on record of the present and previous investigation.
67. The Authority has already found this program to be countervailable in the original investigation and the relevant portion of the final findings are reproduced herein below:

Para 309. In the absence of cooperation and information from the Chinese Government and the producers/exporters from China, the Authority has relied on the information contained in the petition and best information available with it. The Authority notes that the enterprise tax laws of China, administered by various State agencies such as Government of China PR, state council, Ministry of Finance (MOF), Ministry of Commerce (MOC) and State Administrative Tax (SAT) under the following laws and regulations provide certain tax benefits to the enterprises under different categories:

- *Article 28.2 of the Enterprise Income Tax Law, enterprises that are qualified as high-new-technology enterprises ("HNTEs") are entitled to a reduced tax rate of 15 percent instead of 25 percent.*
- *Article 28 of the "Corporate Income Tax of China PR", Advance and New Technology Enterprises which are eligible for key support from the State shall be reduced up to 15%, income tax. Existence of the said program is as per "Corporate income tax Decree No. 63-2007".*
- *Order 63- Enterprise income tax -2007 and "Corporate Income Tax Decree No. 63-2007". Indeed, manufacturers in "key" sectors, including steel production, are eligible for benefits;*
- *"Circular on the Administrative Measures Governing the Recognition of High or New Technology Enterprises Jointly Issued by the Ministry of Science and Technology",*
- *"Ministry of Finance, and State Administration of Taxation, Administrative Measures Governing the Recognition of High or New Technology Enterprises, GuoKeFaHuo (2008) No. 172, certain products are to be supported through this income tax reduction."*
- *Administrative Measures for the Determination of High and New Technology Enterprises, and the Notice of the State Administration of Taxation on the issues concerning Enterprises Income Tax Payment of High and New Technology Enterprises (GuoShui Han [2008] No. 985),*
- *Circular GuoShui Fa No. 135 of 2003 and Circular Caishui (2014) No.59 & 65,*
- *Circular on the Administrative Measures Governing the Recognition of High or New Technology Enterprises Jointly Issued by the Ministry of Science and Technology, Ministry of Finance, and*
- *State Administration of Taxation, Administrative Measures Governing the Recognition of High or New Technology Enterprises, GuoKeFaHuo (2008) No. 172, Circular 115-Oct 2009,*
- *SAT Circular GuoShui Fa No. 139 of 1995/135 of 2003.*
- *"Circular of the State Council concerning Several Policies on Carrying out the Development of China's Vast Western Regions" (Issued by MOF, General Tax Bureau and General Custom Office)-2011;*
- *12th Five year plan for Western Region-2012;*
- *State Administration of Taxation-2015,*
- *Income Tax Law of the People's Republic of China for Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprises (the Tax Law; Decree [1991] No. 85 of the State Council [30 June 1991];*
- *Order [1991] No. 45 of the President of the People's Republic of China [9 April-91];*
- *Notification of the State Council on carrying out the transitional preferential policies concerning Enterprise Income Tax (Guo Fa 2007 No. 39)*
- *Notice of the State Administration of Taxation on Issues regarding pre tax deduction from enterprise Income Tax on interests expenditure for enterprise borrowing money from natural person. (Letter No. 777, 2009)*

- *Article 73 of the Implementation Rules of the Income Tax Law of the People's Republic of China of Foreign Investment Enterprises*
 - *Catalogue of High and New Technology Products of China promulgated by the Ministry of Science and Technology ("MOST")*
 - *State Council Circular Guo Fa No. 37 of 2000*
 - *Notification of the State Council on Carrying out the Transition Preferential Policies Concerning Enterprise Income Tax, Guo Fa No. 39 of 2007;*
 - *Implementation Rules of the Income Tax Law of the People's Republic of China of Foreign Investment Enterprises (July 1, 1991) ("Decree 85");*
 - *Notice of the State Council on the Implementation of the Transitional Preferential Policies in respect of Enterprise Income Tax No. 39 [2007] of the State Council; Enterprise income tax law, 2008;*
 - *Article 7 of the FIE Tax Law; Article 71 of Decree 85.*
 - *Decree [1991] No. 85 of the State Council [30 June 1991]*
 - *Order [1991] No. 45 of the President of the People's Republic of China [9 April-91]*
 - *State Council Circular Guo Fa No. 37 of 2000*
 - *Notification of the State Council on Carrying out the Transition Preferential Policies Concerning Enterprise Income Tax, Guo Fa No. 39 of 2007*
 - *Notice on Wuxi municipal people's government approving outline of industrial development planning-2006;*
 - *Provisions of the State Council Concerning the Encouragement of Investment in Developing Hainan Island.*
 - *It is noted that the existence of this scheme has been reported in China Syndrome-2006*
310. Under these regulations enterprises with 'Advanced and New-Tech enterprises Certificates' and those located in specified regions or zones are eligible for reduction of the normal tax rate of 25% to the preferential rate of 15%.
311. As per the "Notice on Favourable Tax Policies for Western Region Development" this preferential tax treatment is available for the encouraged type of enterprises in the Western Region (enterprises with major business accounting for 70 % or more of total income as described in the Catalogue of industry, product & technologies encouraged by the State).
312. As per Article 7 of Order 45 "Law of PRC on Income tax of enterprises, with FIEs and foreign investment and preferential policies for investment in Tianjin new coastal area" FIEs who are located in the Tianjin Port Free Trade Zone, are permitted to pay a reduced income tax at a rate of 15 percent.
313. As per Article 7 of the FIE Tax Law and Article 71 of Decree 85, "productive" FIEs located in the designated economic zones pay enterprise income tax at a reduced rate of either 15 or 24 percent, depending on the zone. As per Para 1 (2) of Article 73 of the Income Tax Law of the People's, FIEs that were established in the Coastal Economic Open Zones, in the old urban districts of the cities where the Special Economic Zones are located, are eligible for reduced cooperate income tax rate of 15%. The foreign investors who reinvest the profit made from the enterprises established in Hainan special economic zones into the infrastructure construction projects of, or agricultural development enterprises in, the Hainan special economic zones may be refunded the entire portion of the enterprise income tax that has been paid on' the reinvested amount.
314. As per the notifications and circulars issued under People's Republic of China's Enterprise Income Tax Law (2007) and announcement No. 17 [2015] of the State Administration of Taxation: Announcement on Issues concerning the Implementation of the Expansion of the Scope of Small Low-Profit Enterprises subject to Half Reduced Enterprise Income Tax; and Announcement of the Guangdong Provincial Office of the State Administration of Taxation on Relevant Issues concerning Implementing the Preferential Income Tax Policies for Small Low-Profit Enterprises, Announcement No. 6 [2014] of the Guangdong, there are provisions to reduce the burden on enterprises making small profits, in order to maintain job opportunities.
315. Under this program, where an enterprise, whose income tax is collected through checking accounts, is eligible for enjoying the preferences of small profit enterprises, if its taxable income in the previous year is 100,000 Yuan or less. The taxable income in such cases is computed at the reduced rate of 50% of its income and the enterprise income shall be computed and prepaid at the rate of 20%.
316. Further, Export-oriented enterprises in special economic and other specially designated zones are eligible for preferential tax rates. Under Article 57 of the Enterprise Income Tax Law of the People's Republic of China 2008, enterprises, which have been approved and established prior to the promulgation of this law

and which enjoyed preferential treatment in accordance with the tax laws and administrative regulations in force at that time are allowed for a gradual transition to tax rates provided in the 2008 law within a five year period commencing from the effective date of that Law. However, for enterprises that have yet to enjoy preferential treatment due to their failure to make any profits, the preferential treatment period shall commence from the year this Law becomes effective.

317. State-encouraged high and new technology enterprises established within special zones developed in accordance with the law for the promotion of foreign economic cooperation and technological exchanges and such other zones, as administered by the State Council for the implementation of the above-mentioned special policies, may continue to enjoy transitional preferential tax treatment with the specific measures to be formulated by the State Council. Other enterprises under the encouraged category as already determined by the State may enjoy tax exemptions and reductions in accordance with the regulations of the State Council.

318. Article 73 of the Implementation Rules of the Income Tax Law of the People's Republic of China of Foreign Investment Enterprises authorizes reduced income tax rate of 15 percent for "productive" FIEs located in coastal economic zones, special economic zones, or economic and technical development zones if they undertake, among other things, technology. The authority notes that FIEs that qualify as technology-intensive or knowledge-intensive and have major products listed in the Catalogue of High and New Technology Products of China are eligible for the said program.

319. As per State Council Circular Guo Fa No. 37 of 2000; Notification of the State Council on Carrying out the Transition Preferential Policies Concerning Enterprise Income Tax, Guo Fa No. 39 of 2007, Foreign invested productive enterprises established in Pudong area (Shanghai) and other foreign-invested enterprises are subject to income tax at the reduced rate of fifteen per cent.

320. The Authority notes that this program has been earlier examined by the Designated Authority and some other investigating Authorities in the past and existence and countervailability of this program has been established (a) by the Designated Authority in the matter of countervailing duty investigations concerning castings for Wind Operated Electricity Generators; (b) EU in Coated Fine Paper and Certain organic steel products and (c) by US in Non Oriented Steel, Certain Steel Wheels, Geogrids, Stainless steel strips (d) by Canada, in Semi-annual Report of Canada G/SCM/N/267/CAN. It is also noted that the existence of this program has been notified by China to WTO in various notifications since 2006-2016 and are available in the WTO documents WT/TPR/S/300, G/SCM/Q2/CHN/29, G/SCM/Q2/CHN/49-OCT-2013- WTO-Supplement notification 29 July 2016. Further, the Government of China has not provided any evidence to show that this program in any of its form does not exist or does not confer countervailable subsidy.

321. Examination of all these programs indicates that all these programs appear to provide similar tax benefits to certain types of enterprises based on location or sector specific engagements. The programs seek to provide financial support in the form of exemption/reduction in taxes to enterprises located in designated industrial parks, which is in the nature of financial contribution by the public body conferring benefit on the recipients and therefore, constitutes a subsidy. The very nature and extent of the program indicates that these programs are limited to certain enterprises by way of location specific or sector specific categorisation and therefore, specific. Accordingly, the Authority holds the aforementioned program no 35, 37, 41, 42, 43, 47, 49, 54 and 56 as countervailable subsidies.

322. The Applicants have claimed subsidy margin based on the details provided in the annual report of the Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. for the year 2015. Since Government of China has not filed questionnaire response, the CVD margin could not be determined on the basis of questionnaire response of the Government of China and the responding exporters. In the absence of cooperation from the Government of China and the Chinese producers/exporters, the Authority has quantified the subsidy margin based on the best fact available. The Authority has computed the subsidy margin as 0.17%.

68. It is seen from information on record, that the law governing this program has not changed since the original investigation. The applicants further contended that the Chinese producers/exporters continue to be benefitted from financial support in the form of exemption/reduction in enterprise tax. The applicants have also relied upon the final findings notified by this Authority and other authorities. Neither the Government of China nor the Chinese producers/exporters provided evidence suggesting that the stainless-steel industry stopped benefiting from this program.
69. It is also noted that the existence of this program has been notified by China to WTO in Notification No. G/SCM/N/372/CHN dated 27th August, 2021 disclosing China's new and full notification of information on programmes granted or maintained at the central and sub-central government level during the period from 2019 to 2020. The applicants contended that this program was examined by European Commission in expiry review of certain organic coated steel from China (2019). Considering the disclosure before WTO by Government of China, in the most recent period that is relevant for the present investigation, evidence

provided by the domestic industry with regard to continued availability of the program and provided to Chinese producers/exporters of subject goods.

70. In the absence of cooperation from the Government of China and the Chinese exporting producers, the Authority has no company-specific information to calculate the amount of subsidy conferred during the POI. As the present investigation is a sunset review where the Authority is required to determine whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of subsidization, and there is neither cooperation by the Chinese Government and producers, nor any evidence that the level of subsidisation has reduced or eliminated when compared to the original investigation, the Authority does not consider it necessary to re-quantify the subsidy margin.
71. The Authority based on the above examination notes that this program currently remains to be in force and continues to confer countervailable benefits in a similar manner as in the original investigation.
72. Since Program No. 11, 13, 16, 17, 18, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 78, and 79 identified by the applicants relates to the program which grant similar benefit as has been investigated by the Authority as Program no. 10, the Authority, in the interest of judicial economy, has not separately examined these programs.
73. The Authority based on the above examination notes that this program continued to be in force during the POI and continued to confer countervailable benefits to the Chinese producers/exporters of the product under consideration.

Program No. 12- Preferential Tax Policies for The Additional Calculation and Deduction of Research and Development (R&D) Expenses/Preferential Income Tax Benefits for Research and Development investments.

74. The Authority has identified the program as program no. 12 in the notice of initiation. The Authority in the original investigation had examined this program as Program No. 33.
75. In the absence of cooperation and information from the Chinese Government and the producers/exporters from China, and considering that the present investigation is a sunset review of CVD earlier recommended, the Authority has relied on the previous investigation relating to the PUC, information contained in the petition, information provided by the interested parties, and information available on record of the present and previous investigation.
76. The Authority has already found this program to be countervailable in the original investigation and the relevant portion of the final findings is reproduced herein below:

Para 289. In the absence of cooperation and information from the Chinese Government and the producers/exporters from China the Authority has relied on the information contained in the petition and best information available with it.

290. The Authority notes that Ministry of Finance (MOF), State Administration of Taxation (SAT), Ministry of Commerce (MOFCOM) and Science and Technology Bureau administer a series of programs which extends certain tax benefits to domestic as well as foreign invested enterprises in China to encourage investment in R&D activities.

291. As per Article 30.1 of Enterprise Income Tax law of PRC, enterprises may deduct "expenses for the research and development of new technologies, new products and new techniques" from the calculation of taxable income. On approval of the said project, enterprises are eligible for 50% reduction of those expenses from the taxable income for the purpose of computation of corporate income tax. Further, under Article 95 of the Enterprise Income Tax Law Implementation Regulation (Decree 512 of the State Council, 2007) eligible research expenditures "not forming an intangible asset," an additional 50% deduction from taxable income may be taken on top of the actual accrual amount. If these expenditures form the value of certain intangible assets, they may be amortized based on 150% of the intangible assets costs.

292. These programs are stated to be implemented under the

- *Notices of MOF and SAT on policy concerning Free Tax- Super deduction of R&D expenses- Circular 70, 2013, Article 3 of Notice of SAT;*
- *Article 3 of Notice of SAT on issuing the Administrative measures for the pretax deduction of Enterprise research and development (R&D) expenses, 2008;*
- *Corporate Income Tax Law of the PRC (Article 30.1) and*
- *Article 95 of the Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law of the PRC (Decree No 512 of the State Council of the PRC) and the Guide to Key Fields (Notification.6, 2007).*

- *Guo Shui Han (2001) No. 405*
- *SAT Circular Guo Shui Fa No. 173 of 1999*

293. The Authority notes that this program has been earlier examined by some other investigating Authorities in the past and existence and countervailability of this program has been established (a) by the Designated Authority in the matter of countervailing duty investigations concerning castings for Wind Operated Electricity Generators; and (b) by EU, in countervailing case against China PR Certain organic coated steel. It is also noted that the existence of this program has been notified by China to WTO in various notifications since 2006-2016 under documents No.s G/SCM/N/220/CHN, G/SCM/N/253/CHN, G/SCM/N/284/CHN, G/SCM/Q2/CHN/49- OCT-2013- WTO-Supplement notification of 29 July 2016. Further, the Government of China has not provided any evidence to show that this program in any of its form does not exist or does not confer countervailable subsidy. Thus, the programs have been held countervailable.

294. The preferential tax benefits confer a financial contribution on the recipient and therefore, amounts to a subsidy. The program is also limited in scope and is availed by limited number of enterprises and therefore, is specific subsidies. Accordingly, the Authority holds that the programs constitute countervailable subsidies.

295. The Applicants have claimed subsidy margin based on the details provided in the annual report of the Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. for the year 2015.

296. The benefit under the program is not limited to product under consideration alone. Benefit under the program is available on total profits of the company, once the company is able to claim that it is entitled to benefit under the program. In the absence of cooperation from the Government of China and the Chinese producers/exporters, the Authority has quantified the subsidy margin based on the best fact available. The Authority has computed the subsidy margin for this scheme as 0.28%.

77. As per information on record, the law in the original investigation i.e., Enterprise Income Tax Law remains the same. It has only gone an amendment in 2018 however, the provision governing this benefit i.e. Article 30.1 and 95 have remained the same. It is seen that the existence of this program has been notified by China to WTO in Notification No. G/SCM/N/372/CHN dated 27th August, 2021 disclosing China's new and full notification of information on programmes granted or maintained at the central and sub-central government level during the period from 2019 to 2020. Considering the disclosure before WTO in the latest available notification by Government of China, and other evidence on record, the Authority has not re-evaluated countervailability of this program, and relies on the examination and findings of the original investigation and other information and evidence on record. As the present investigation is a sunset review where the Authority is required to determine whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of subsidization, and there is neither cooperation by the Chinese Government and producers, nor any evidence that the level of subsidisation has reduced or eliminated when compared to the original investigation, the Authority does not consider it necessary to re-quantify the subsidy margin.
78. The Authority based on the above examination notes that this program currently remains to be in force and continues to confer countervailable benefits in a similar manner as in the original investigation.
79. Program No. 64 i.e., Enterprise Tax Law Research and Development Program/Enterprise Income Tax Law, R&D, identified by the applicants relates to the program which grants the same benefit as has been investigated by the Authority under Program no. 12, as has been conceded by the applicants that the same may not be examined. Therefore, in the interest of judicial economy, the same has not been separately examined.
80. The Authority based on the above examination notes that this program continued to be in force during the POI and continued to confer countervailable benefits to the Chinese producers/exporters of the product under consideration.

Program no. 46: VAT Refunds for FIEs Purchasing Domestically Produced Equipment

81. The Authority initiated investigation on this program and identified the program as program No. 46. The Authority in the original investigation had examined this program as Program No. 36. Further, the Authority had quantified the margin under program no. 36 and since the program number 36 and 51 confers same benefit, no separate benefit was quantified in the two programs.
82. In the absence of cooperation and information from the Chinese Government and the producers/exporters from China and considering that the present investigation is a sunset review of CVD earlier recommended, the Authority has relied on the previous investigation relating to the PUC, information contained in the petition, information provided by the interested parties, and information available on record of the present and previous investigation.
83. The Authority has already found this program to be countervailable in the original investigation and the relevant portion of the final findings reproduced herein below:

327. *In the absence of cooperation and information from the Chinese Government and the producers/exporters from China the Authority has relied on the information contained in the petition and best information available with it.*

328. *As far as Program No 36 is concerned the Authority notes that as per Article 27 of the "Interim Regulations of the People's Republic of China on Value-Added Tax" value-added tax is collected from FIEs in accordance with resolutions of the Standing Committee of the National People's Congress. Further, as per "Article 3, of the circular benefit is limited to FIEs and foreign enterprises". As per Article 4 of the circular the exemption is available to those enterprises who are falling under "encouraged " or certain "restricted" categories or the "Directive Category of Foreign funded Industries" and on equipment purchased from domestic markets for investment projects listed in the "Catalogue of Major Industries, Products and Technologies Encouraged for Development in China".*

329. *The program is governed by:*

- *Circular of State Administrating of Taxation Concerning Transmitting the interim Measures for Administration of Tax Refund to Enterprises with FIEs.*
- *Guo Shi Fa No 171, 199, 20.09. (1999) No. 171, September 20.1999;*
- *Article 3,4 and 28 of "Interim Regulations of the People's Republic of China on Value-Added Tax"(Decree (1993) No .134 of State Council; and Notice of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on stopping the implementation of the Policy of Refunding Tax to Foreign-funded Enterprises for the purchase of Home-made Equipment, No 176 [2008] of the Ministry of Finance.*

330. *The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone to specified industries in the form of VAT reduction on the purchase of domestically produced equipment over the imported one and therefore, a specific subsidy.*

331. *As far as Program No. 51 is concerned, the Authority notes that industries located in 26 cities of the old industrial bases of the central region, which make investments in certain fixed assets can deduct the amount of VAT paid on the fixed assets from its total VAT payable.*

332. *The program is governed by the following notifications:*

- *SAT-Measures for Pre-Tax Deductions from China PR-GuoShui Fa (2000)- Order –No-84;*
- *Interim Measures for expanding the scope of offset for VAT in central region No. 75 (2007);*
- *Notice of the Ministry of Finance and the SAT on several issues concerning the National implementation of VAT tax reforms no. 170 (2008) of the ministry of Finance;*
- *Notice regarding issues related to the simplification and unification of Value Added Tax (VAT) collection rates (SAT Announcement [2014] No. 36)*
- *Circular of Ministry of Finance and the State Administration of Taxation relating to printing and Distributing the Interi Measures for Expanding the Scope of Offset for Value added tax in Central Region Cai Shui (2007) No.75*

333. *The Authority notes that this program has been earlier examined by some other investigating Authorities in the past and existence and countervailability of this program has been established (a) by EU, in various countervailing cases against China PR such as Coated fine paper and Organic coated steel; and (b) by US Authority in Carbon & Certain Alloy Steel Wire Rod, Non-Oriented Steel and Grain Oriented Electrical Steel. It is also noted that the existence of this program has been notified under various WTO notifications since 2006 -2016. Further, the Government of China has not provided any evidence to show that this program in any of its form does not exist or does not confer countervailable subsidy.*

334. *In the view of the above, the Authority notes that these two programs provide financial support in the form of VAT exemptions and/or deductions for purchases and leases of fixed assets and transportation expenses for fixed assets to enterprises in certain sectors or regions and therefore, confers a benefit on the recipients in the form of revenue foregone. Being limited to specific or limited number of enterprises the programs are specific and therefore, countervailable.*

335. *The Applicants have claimed subsidy margin based on the details provided in the annual report of the Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. for the year 2015. In the absence of cooperation from the Government of China and the Chinese producers/exporters, the Authority has quantified the subsidy margin based on the best fact available. The Authority has computed the subsidy margin for this scheme as 0.20%.*

84. It is noted that the applicants in their written submissions had erroneously compared Program Nos 36 and 51 of the original investigation, with Program no. 20 of the SSR investigation. As the present investigation is a

sunset review and there is no cooperation by the Chinese producers, for the finding of continued subsidisation, the Authority notes that since the benefit linked in this program is linked to fixed assets, the Authority does not consider it necessary to re-examine whether the law governing this program has changed since the original investigation. Indeed, there is no claim that there was some change since the original investigation. Further, the final findings notified by other Authorities (in the matters of final findings notified by the EC in the matter of expiry review of countervailing duty imposed on imports of certain organic coated steel from China PR (2019) and final determination of the US authority in the matter of the Countervailing Duty Order on Stainless Steel Sheet and Strip from the People's Republic of China (2022), have followed the same approach and have found this program to have continued. Neither the Government of China nor the Chinese exporting producers provided evidence suggesting that the stainless-steel industry stopped benefiting from this program.

85. In the original investigation, the domestic industry had quantified subsidy margin based on the details provided in the annual report of Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. for the year 2015, and accordingly the margin was quantified as 0.20%. Since the program confers a benefit of non-recurring in nature, and such benefited is allocated over the life of the asset, therefore, the benefit quantified earlier continue to benefit the Chinese producers in the present POI as well. The program in question is linked with purchase of fixed assets, the benefit under this should be (as was done in the original investigation) amortised over the life of the equipment. Thus, the Authority concludes that Chinese producers/exporters are still benefiting from this subsidy in the current review investigation period. As the present investigation is a sunset review where the Authority is required to determine whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of subsidization, and there is neither cooperation by the Chinese Government and producers, nor any evidence that the level of subsidisation has reduced or eliminated when compared to the original investigation, the Authority does not consider it necessary to re-quantify the subsidy margin.
86. Since Program No. 20 and 82 grants the benefit of the same nature as has been investigated under Program no. 46, the Authority, therefore, in the interests of judicial economy, has not separately examined these programs.
87. The Authority based on the above examination notes that this program continued to be in force during the POI and continued to confer countervailable benefits to the Chinese producers/exporters of the product under consideration.

Program No. 49: Tax credit concerning the purchase of special equipment

88. The Authority considered this program post-initiation and has been identified as Program No. 49. The Authority in the original investigation had examined this program as Program No. 39.
89. In the absence of cooperation and information from the Chinese Government and the producers/exporters from China, and considering that the present investigation is a sunset review of CVD earlier recommended, the Authority has relied on the previous investigation relating to the PUC, information contained in the petition, information provided by the interested parties, and information available on record of the present and previous investigation.
90. The Authority has already found this program to be countervailable in the original investigation and the relevant portion of the final findings is reproduced herein below:

Para 345. In the absence of cooperation and information from the Chinese Government and the producers/exporters from China the Authority has relied on the information contained in the petition and best information available with it.

346. The Authority notes that Government of China PR, maintains a program, under Article 100 of Regulations on Implementation of the PRC Law on Enterprise Income Tax, which allows the enterprises to offset 10 % of the purchase cost of special equipment used for environmental protection, energy and water saving and production safety, against the corporate income tax payable in the year of purchase. The remaining part of the 10 % of the amount invested can be carried forward to the succeeding 5 years.

347. The Authority notes that this program has been earlier examined by some other investigating Authorities in the past and existence and countervailability of this program has been established by EU, Organic coated steel. It is also noted that the existence of this program has been notified under various WTO notifications. Further, the Government of China has not provided any evidence to show that this program in any of its form does not exist or does not confer countervailable subsidy.

348. The Authority notes the said program provides financial contribution in form income tax reduction and confers benefit and limited to certain enterprises, and therefore, is specific within the meaning of ASCM and Rules. The Authority therefore, holds that the program constitutes countervailable subsidy.

349. The Applicants have claimed subsidy margin based on the details provided in the annual report of the Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. for the year 2015. Since Government of China has not filed

questionnaire response, the CVD margin could not be determined on the basis of questionnaire response of the Government of China and the responding exporters. In the absence of cooperation from the Government of China and the Chinese producers/exporters, the Authority has quantified the subsidy margin based on the best fact available. The Authority has computed the subsidy margin for this scheme as 0.25%.

91. As per information on record, the law in the original investigation i.e., Enterprise Income Tax Law remains the same. It has only gone an amendment in 2018 however, the provision governing this benefit i.e., Article 100 have remained the same. It is seen that the existence of this program has been notified by China to WTO in Notification No. G/SCM/N/372/CHN dated 27th August, 2021 disclosing China's new and full notification of information on programmes granted or maintained at the central and sub-central government level during the period from 2019 to 2020. Considering the disclosure before WTO in the latest available notification by Government of China, and other evidence on record, the Authority has not re-evaluated countervailability of this program, and relies on the examination and findings of the original investigation and other information and evidence on record. As the present investigation is a sunset review where the Authority is required to determine whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of subsidization, and there is neither cooperation by the Chinese Government and producers, nor any evidence that the level of subsidisation has reduced or eliminated when compared to the original investigation, the Authority does not consider it necessary to re-quantify the subsidy margin.
92. The Authority based on the above examination notes that this program continued to be in force during the POI and continued to confer countervailable benefits to the Chinese producers/exporters of the product under consideration.

Program No. 52 Preferential income tax policy for the enterprises in the Northeast region

93. The Authority initiated investigation and identified the program as program no. 52 in the notice of initiation. The Authority in the original investigation had examined this program as Program No. 44. Program no. 44 of the original investigation dealt also with accelerated depreciation and amortization of expenses on fixed assets for enterprises located in the north-eastern region.
94. In the absence of cooperation and information from the Chinese Government and the producers/exporters from China, and considering that the present investigation is a sunset review of CVD earlier recommended, the Authority has relied on the previous investigation relating to the PUC, information contained in the petition, information provided by the interested parties, and information available on record of the present and previous investigation.
95. The Authority has already found this program to be countervailable in the original investigation and the relevant portion of the final findings re reproduced herein below:

Under the program no. 44, The Authority notes that as per the following notifications of Government of China PR, the enterprises which are located in Northern region are eligible for accelerated depreciation and amortization of expenses upto 40% for purchase of fixed assets. 40%: The Authority notes that this program has been earlier examined by some other investigating Authorities in the past and existence and countervailability of this program has been established by EU, Organic coated steel, Solar Glass products and steel glass and (b) US in Non Oriented Steel and Certain Carbon & Steel Alloy from China PR and Stainless Steel - Sheets and strips. It is also noted that the existence of this program has been notified under WTO notification G/SCM/Q2/CHN/42. Further, the Government of China has not provided any evidence to show that this program in any of its form does not exist or does not confer countervailable subsidy.

The authority notes that the programs provides benefit to enterprises in the North Eastern region of the country in the form of tax savings making it a specific subsidy and therefore, countervailable. The authority therefore, holds that the program constitutes countervailable subsidy.

The petitioners have claimed subsidy margin based on the details provided in the annual report of the Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. for the year 2015. The evidence with regard to the amount of tax exemption availed by the company and the margin computed by the petitioners has been placed by the Authority in the public file for inspection of the interested parties.

Since Government of China has not filed questionnaire response, the CVD margin could not be determined on the basis of questionnaire response of the Government of China and the responding exporters. In the absence of cooperation from the Government of China and the Chinese producers/exporters, the Authority has quantified the subsidy margin based on the best fact available. The Authority has quantified the subsidy margin as 1.41%

96. It is seen that the existence of this program has been notified by China to WTO in Notification No. G/SCM/N/372/CHN dated 27th August, 2021 disclosing China's new and full notification of information on programmes granted or maintained at the central and sub-central government level during the period from

2019 to 2020 (China reports in calendar year). Considering the disclosure before WTO by Government of China in the most recent period that is relevant for the present investigation, and non-cooperation by the Government of China and Chinese producers/exporters, the Authority considers it unnecessary to examine its countervailability.

97. In the absence of cooperation from the Government of China and the Chinese exporting producers, the Authority has no company-specific information to calculate the amount of subsidy conferred during the POI. The applicant has submitted quantification based on an annual report of stainless-steel producer. As the present investigation is a sunset review where the Authority is required to determine whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of subsidization, and there is neither cooperation by the Chinese Government and producers, nor any evidence that the level of subsidisation has reduced or eliminated when compared to the original investigation, the Authority does not consider it necessary to re-quantify the subsidy margin.

C. PREFERENTIAL LOANS & LENDING

I. Views of the domestic industry

98. Following submissions have been made by domestic industry with regard to preferential loans and lending:

Program no. 21

- i. The domestic industry refers to subsidy program no. 21 in the present review investigation is the same as program no. 73 of the original investigation as well as Program no. 63, 72 and 75 of the present investigation. Therefore, the Authority need not examine program no. 63, 72 and 75 as it pertains to the same benefit.
- ii. The said program administered by Government of China, through state owned commercial banks SOEs are provided subsidized preferential loans. the steel producers are provided with subsidized loans at low interest rates through state-owned commercial banks and government banks.
- iii. In accordance with the State's policy, relevant departments may subsidized interests on loans, with a view to promoting the growth of certain industries and economic development in some areas. The implications of that for banks and the loans rates they set are uncertain in China as they are still bank- dominated financial system, wherein the state (at the central and local government levels) maintains and exercises effective control over the vast bulk of banking sector assets.
- iv. Chapter 5 of the Plan for the Steel Sector issues guidance to financial institutions and private capital to support the priority tasks of the Plan, and provides that as regards enterprises having a market and being profitable, banks will keep the demand for credit reasonable.

Program No. 22

- i. The Export-Import Bank of China (EIBC) and the China Export & Credit Insurance Corporation ("SINOSURE") provide export credit guarantees, which permit the banks to lower the rates charged for export financing. According to the EIBC, the \$16.055 billion in letters of guarantee issued in 2014 "played a key role in supporting Chinese companies to go global," and have promoted "the export of new- and high-tech products." According to SINOSURE's website, the export business must be supported by governmental policies to qualify for guarantees. As noted above, there are several government policies that support the SS industry in China and, as producers of high- tech products, Chinese producers of SS are eligible for export credit guarantees. The Authority has previously investigated and countervailed export credit guarantees to Chinese producers in the original Investigation. The 2020 annual reports of some of the major SOEs in the steel sector such as Baoshan Iron and Steel Co. Ltd. indicates significant Loan Guarantee provided by the Government to such enterprises. The effect of the Govt guarantee is to reduce the interest burden on the companies and therefore, confers a financial benefit on the companies. The said program is specific as the support is limited to large sized state-owned enterprises and state-holding enterprises involved in steel production and therefore, countervailable.

II. Views of the opposing interested parties

99. Following submissions have been made by other interested parties with regard to preferential lending:
- i. With regards to the subsidy programs under the sub-heading "Preferential Loans & Lending" any loans, guarantees, and credits obtained by Chinese producers/ exporters, which are ordinary commercial loans, ordinary commercial guarantees, and ordinary export credit are provided purely under commercial conditions.

III. Examination by the Authority

100. The Authority has examined below the schemes related to preferential loans and lending. However, as regards

scheme no. 22, the Authority has not examined this scheme as the petitioners have not submitted the complete information which could help the Authority in reaching to a fair and just conclusion of quantification of these above said schemes.

A.1 Program no. 21- Preferential lending

101. The Authority initiated investigation into preferential lending and identified the program as program no. 21 in the notice of initiation. The Authority in the original investigation had examined this program as Program No. 72. While the applicants in their submissions have stated that program no. 21 is same as program no. 73 of the original investigation, however, it is seen that the same is erroneous, and it was revealed during examination that it is actually same as program no. 72. Further, it is also seen that program no. 73 of the original investigation has actually been alleged by applicants as program no. 60 in the present investigation.
102. In the absence of cooperation and information from the Chinese Government and the producers/exporters from China, and considering that the present investigation is a sunset review of CVD earlier recommended, the Authority has relied on the previous investigation relating to the PUC, information contained in the petition, information provided by the interested parties, and information available on record of the present and previous investigation.
103. The Authority has already found this program to be countervailable in the original investigation and the relevant portion of the final findings re reproduced herein below:

Para 431. In the absence of cooperation and information from the Chinese Government and the producers/exporters from China the Authority has relied on the information contained in the petition and best information available with it.

432. Under Program No 71, the Authority notes that the program is administered by Economic and Trade Office of the Huangpu government, Zhongshan Municipal Government. The scheme provides financial assistance to small and medium sized enterprises in form of allowance to pay reduce interest payments to commercial bank. Small-and medium-sized producers/enterprises are eligible for the said funds for setting up global export. The program is implemented as per Law of China PR on promotion of SMEs and general office of State Council Circular Guo Ban Fa No. of 1999.

433. The Authority notes that the existence and countervailability of this scheme has been established by Canadian authorities in Certain Stainless Steel Sinks Originating in or Exported from China PR and by Australian authorities in Deep drawn stainless steel sinks from China PR.

434. Under Program No 72, the Authority notes that under this program the steel producers benefit from low (subsidized) interest rates from state-owned commercial banks and government banks in accordance with the Government of China policy to support and develop the expansion of the Chinese steel industry under the five-year plans. Order No 40 identifies steel sector as encouraged sector and provides policy loan facility for this sector as per Article 16 for the development of "key technology" and supporting "key steel projects" through various methods to encourage steel producers.

435. The program is implemented through the State owned banks. These banks are controlled by the government and exercise government authority in a manner that their actions can be attributed to the State. Government of China involvement in Chinese financial market is the role played by the People's Bank of China in setting the specific limits on the way interest rates are set and fluctuate as per rules set out in the PBOC's Circular on the Issues about the Adjusting Interest Rates on Deposits and LoansYinfa (2004) No 251 ("Circular 251").

436. As per Order No. 35 - Policies for the development of Iron and Steel Industry, in particular Articles 24 and 25 which limit the provision of loans only to those companies which comply with the national development policies for the Iron and steel industry, do not distinguish between state-owned and privately-owned commercial banks.

437. These programs are governed by the following notifications:

- *Decision No. 40 of the State Council on Promulgating and Implementing the 'Temporary Provisions on Promoting Industrial Structure Adjustment' ('Decision No. 40');*
- *Article 34 and Article 38 of the Commercial Banking Law; Articles 16, 24 and 25 of Order No. 35 - Policies for the development of Iron and Steel Industry;*
- *The Ministry of Industry and Information Technology's 2012 Industry Transfer Guidance Catalog supports key and advantaged industries, such as the steel industry, through preferential lending; Directory Catalogue on Readjustment of Industrial Structure ('Directory Catalogue')- 2005 & 2011;*

• *Guidelines for the Eleventh Five-Year Plan for National Economic and Social Development (2006- 2010) ('11th Five-year Plan')*; YinFa [2003] No. 50; Yinfa (2004) No 251; *A blueprint for implementing the adjustment and revitalisation program for the steel industry [2009] provides for "increasing the financial support for key backbone enterprises".*

438. *The Authority notes that this program has been earlier examined by some other investigating Authorities in the past and existence and countervailability of this program has been established (a) by EU authorities in certain organic coated steel products as well as in Coated fine paper and (b) US authorities in Melamine as well as in Steel Wheel. It is also noted that the existence of this program has been notified by China to WTO in WT/TPR/S/230, WT/TPR/S/264 and the scheme has been reported in the Guandong Development Plan and Web research: China's banking sector- ripe for the next stage (2006). Further, the Government of China has not provided any evidence to show that this program in any of its form does not exist or does not confer countervailable subsidy.*

439. *The program provides financial support to industries classified as encouraged industries, in the form of subsidized loans provided by Government of China through state owned commercial banks and government banks, which is in the nature of financial contribution by the public body conferring benefit on the recipients. The benefit is limited to certain types of business enterprises and therefore, are specific within the meaning of Rules.*

440. *Under Program No 73, the Authority has notes that in China PR major banks have the power to support development of state-owned enterprises and those banks also prefer to allocate their loans to state-owned enterprises in form preferential loans through state-owned commercial or policy banks, as Chinese financial sector is dominated by state owned banks which exclusively lend to state owned enterprises.*

441. *The Authority further notes that the existence and countervailability of this scheme has been established by US authorities in High Pressure Steel Cylinders; in Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod; in Non-oriented electrical steel; in Certain Steel Wheels; in Carbon and Alloys – Steel Plates, in Certain Biaxial Integral Geogrid Products, in Stainless Steel – Sheet and Strips and in Melamine. It is also noted that the existence of this program has been reported in Web research- The role of state-owned enterprises in the Chinese economy, Fan Gang and Nicholas C. Hope.*

442. *The program seeks to provide financial support to specific enterprises in the form of subsidized preferential loans provided by Government of China through State owned banks. This amounts to financial contribution to the enterprises by a public body conferring benefit on the recipients of the support. The authority therefore, holds that the program no 71, 72 and 73 constitute countervailable subsidy.*

443. *The amount of countervailable subsidy is calculated in terms of the benefit conferred on the recipients, which is found to exist during the period of investigation. The benefit conferred on the recipient is considered to be the difference between the amount that the company pays on the loan availed from banks and the amount that the company would pay for a comparable commercial loan obtainable on the market. Since the loans provided by Chinese banks reflect substantial government intervention in the banking sector and do not reflect rates that would be found in a functioning market.*

444. *The Applicants have claimed subsidy margin based on the details provided in the annual report of the Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. for the year 2015. The evidence with regard to the amount of benefit availed by the company and the margin computed by the Applicants has been placed by the Authority in the public file for inspection of the interested parties.*

445. *Since Government of China has not filed questionnaire response, the CVD margin could not be determined on the basis of questionnaire response of the Government of China and the responding exporters. In the absence of cooperation from the Government of China and the Chinese producers/exporters, the Authority has quantified the subsidy margin based on the best fact available. The subsidy margin thus quantified in the above mentioned program no. 71, 72 and 73 is 0.32%.*

104. It is seen that the law governing scheme no. 72 of the original investigation has not changed since the original investigation. Neither the Government of China nor the Chinese exporting producers provided evidence suggesting that stainless steel industry stopped getting benefited from preferential lending. The Authority has already examined the impact of Decision No. 40, 'The Blueprint for the Adjustment and Revitalisation of the Steel Industry' (2009) is an action plan for the steel industry, 13th five-year Plan, the Steel Plan and Order No. 35 in distorting the Chinese Steel sector hereinabove. The only change in law is to the extent of reference to the five-year plan.
105. The applicants have contended that this program is administered by State-owned banks, where the Chinese state-owned commercial & private banks provide loans at low interest rates.
106. The Government of China's General Rules on Loans under Article 15 provides that in accordance with the

State's policy, relevant departments may subsidise interests on loans, with a view to promoting the growth of certain industries and economic development in some areas. The applicant further contended that for the steel sector, "Opinions of the State Council on Resolving Overcapacity in the Iron and Steel Industry to gain Profits and Development (Guo Fa [2016] No. 6)" in the Iron and Steel Industry provide for the following framework of the preferential support:

"financial institutions must fully recognize the pillar role and strategic importance of steel and coal industries and continue to give credit support to the steel companies which comply with industrial policy and which adjust and regroup themselves without increasing their production capacity. This support shall extend to the setting of interest rates and the promotion of bonds and loans for mergers and acquisitions. Furthermore, debt restructuring and debt forgiveness is promoted"

107. Government of China and the State-owned commercial banks and private banks have undertaken preferential lending to Chinese producers/exporters as a means of advancing industrial policies that promote various steel industries. As has already been seen above by the Authority, the steel sector is an important and strategic sector for the Chinese Government, and therefore, Government of China formulates and further directs public bodies in various capacities, to work in pursuance of the policy objective.
108. In the CVD investigations conducted by the European Commission on imports of certain organic coated steel from China PR (2019), and by US Department of Commerce in case of Stainless-Steel Sheet and Strip from the People's Republic of China (2022), it has been found by both these Authorities that the preferential lending as countervailable subsidy continued. This Authority found that in the final findings notified in the matters of Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes from China, Government of China provides preferential loans to steel industry/sector.
109. Taking into account the above-listed documents and their provisions, the Authority reiterates its conclusion from the original investigation that the Chinese steel industry continues to receive financial support to specific enterprises in the form of subsidized preferential loans.
110. In the absence of cooperation from the Government of China and the Chinese exporting producers, the Authority has no company-specific information to calculate the amount of subsidy conferred during the POI. The applicant has submitted quantification based on an annual report of a stainless-steel producer.
111. As the present investigation is a sunset review where the Authority is required to determine whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of subsidization, and there is neither cooperation by the Chinese Government and producers, nor any evidence that the level of subsidisation has reduced or eliminated when compared to the original investigation, the Authority does not consider it necessary to re-quantify the subsidy margin.
112. The Authority based on the above examination notes that this program currently remains to be in force and continues to confer countervailable benefits in a similar manner as in the original investigation.
113. Since Program No. 63, 72 and 75 of the SSR list of programs, identified by the applicants relates to a scheme which grants same benefit as has been investigated by the Authority in Program No. 21, the Authority, in the interest of judicial economy has not separately examined these programs.

D. PROVISION OF GOODS AND SERVICES AT LESS THAN ADEQUATE REMUNERATION

I. Views of the domestic industry

114. Following submissions have been made by domestic industry with regard to provision of goods and services at less than adequate remuneration:

Program no. 31

- i The domestic industry refers to subsidy program no. 31 in the present review investigation is the same as program no. 60 of the original investigation as well as Program no. 57 and 59 of the present investigation. Therefore, the Authority need not examine program no. 57, 59 and 60 as it pertains to the same benefit.
- ii According to Land Administration Law of the PRC, all land belongs to the people and could not be bought by or sold to businesses unless by bidding, quotation or auction under the conditions specified in the law. Companies cannot purchase the land. The Government of China sets the price and company pays the set price.
- iii It has also been mentioned by the domestic industry that high and new technologically advanced enterprise and certain other categories of industries also receive exemption from administrative charges and land use rights for less than adequate remuneration.

- iv With subject to bidding process, prices are often set by the authorities and government are unclear and non-transparent.
- v Existence of this program has been notified by China to WTO in G/SCM/Q2/CHM/42.
- vi Land is completely state owned there is no benchmark within China that can be used to determine the amount of subsidy. The Authority and other country investigation have considered Taiwanese land lease rate as benchmark for calculations.

Program no. 32

- i The domestic industry refers to subsidy program no. 32 in the present review investigation is the same as program no. 58 of the original investigation, as well as Program no. 56 of the present investigation.
- ii Government of China, via the NDRC, uses preferential electricity rates as an industrial policy tool to support certain industries over others.
- iii NDRC sets and publishes the electricity prices based on procedures. These prices are for different provinces.
- iv An additional price differential exists for different industrial users to pursue the industrial policies set by the Government of China.
- v Users falling in the 'advantageous' enterprises according to the NDRC catalogue, pay the basic electricity rate, whereas users falling in the 'outdated' or 'prohibited' enterprises, pay a surcharge on top of the basic rate.
- vi Users not falling into any category listed in the catalogue fall in the default category of 'allowed' enterprises and also pay the basic rate without surcharges.
- vii Stainless steel producers would normally fall in the category of 'encouraged' enterprises according to Decision No. 40 of the NDRC.
- viii The electricity rates paid are preferential depending on the individual enterprise, sector, or their geographical location.
- ix The applicants are unable to extract specific rates at which stainless steel producers are procuring electricity.
- x In this case, it is requested to continue the duties originally determined.

Program no. 29

- i The domestic industry claims that program no. 29 in the present review investigation is the same as program no. 65 of the original investigation.
- ii Majority of the producers of inputs/raw material are SOEs. These SOEs are controlled by Government of China.
- iii Major raw material for production of stainless steel is stainless steel scarp that is largely controlled by Government of China through several policy interventions, including high export duty on scrap (40%), which keeps the price of the major raw material artificially low in the domestic market.
- iv The large State-Owned Steel enterprises such as Min Metal significantly controls trading and pricing of scrap in China.
- v Government of China maintains several export restraints on all materials such as Ferro-chrome, Nickel, Molybdenum, etc. which are used in Stainless steel production:
 - Export tariffs on ferrosilicon, ferrochrome, and high-purity pig iron have been raised to 25 percent, 20 percent, and 15 percent, respectively.
 - China applied a provisional zero import tax rate on pig iron, crude steel, recycled steel raw materials, and ferrochrome.
 - The US Authority has continued to countervail this program in their review investigation against import of stainless-steel sheets and strips from China.
 - 13th Five-year plan of China for the Steel Industry influences the business decisions of the steel companies and have impact on cost structure and prices.
 - The Steel Plan indicates there are significant export controls.

II. Views of the opposing interested parties

115. Following submissions have been made by other interested parties with regard to provision of goods and services at less than adequate remuneration:
- i. The program pertaining to availability of land at less than adequate remuneration is not a subsidy as it is not specific and, is available to any industry which wishes to use land. The specificity criteria become absent since all land in China PR is government owned, and any benefits arising out of the same are available to all business entities in China PR.
 - ii. According to the provisions on the Assignment of State-owned Construction Land Use Right through Bid Invitation Auction and Quotation, concerning the land for industry, commerce, tourism, entertainment, commercial housing or other business operations, or on which there are two or more intended land users, the assignment shall be conducted through bid invitation, auction or quotation.
 - iii. The only criterion governing the eligibility for this program is “the land for industry, commerce, tourism, entertainment, commercial housing or other business operations, or on which there are two or more intended land users”, which applies to almost all enterprises registered in China.
 - iv. Any foreign legal person or individual in China can also acquire and use the land through fair competition and public bidding process.
 - v. The rates at which electricity is supplied by the suppliers to the Chinese producers/ exporters are based on commercial, arms-length basis. Therefore, there is no subsidy in this regard. Electricity rates in China PR are determined as per market factors and there is no government intervention which results in supply at less than adequate remuneration.

III. Examination by the Authority**Program No. 29- Provision of raw materials at less than adequate remuneration**

116. The Authority initiated investigation into provision of inputs at less than adequate remuneration and identified the program as program no. 29 in the notice of initiation.
117. In the absence of cooperation and information from Government of China, and the producers/exporters from China, and considering that the present investigation is a sunset review of CVD earlier recommended, the Authority has relied on the previous investigation relating to the PUC, information contained in the petition, information provided by the interested parties, and information available on record of the present and previous investigation.
118. The Authority has already found this program to be countervailable in the original investigation and the relevant portion of the final findings are reproduced herein below:

Para 396. Under program 61, Stainless steel scrap is the major raw material for production of stainless steel. It has been submitted by the domestic industry that supply, trading and pricing policy of scrap is largely controlled by the Government of China, through several policy interventions, including high export duty on scrap, which keeps the price of the major raw material artificially low in the domestic market. It is also noted that the large State-Owned Steel enterprises such as Min Metal significantly controls trading and pricing of scrap in China.

397. The Authority notes that this program has been earlier examined by some other investigating Authorities in the past and existence and countervailability of this program has been established by EU authorities in Certain Organic Coated Steel. Further, the Government of China has not provided any evidence to show that this program in any of its form does not exist or does not confer countervailable subsidy.

398. Under program 63 and 64, Authority notes that the Government of China policies for the development of Iron and Steel Industry encourages the steel companies to act in certain ways, sets conditions on investments and makes investment subject to approval by the authorities, influence competition for resources and even provide for sanctions for non-complying companies. Further, 12th five-year plan of China for the Steel Industry influences the business decisions of the steel companies and have impact on cost structure and prices. Also, the Constitution of the Communist Party of China prescribes the primary role of the public ownership, e.g. preamble of the Constitution of CCP reads: "the Party must uphold and improve the basic economic system, with public ownership playing a dominant role.

400. Neither the Government of Government of China, nor the producers concerned have provided any information regarding the degree and extent of control of the Government of China on these SOEs and whether these SOEs are public bodies within the meaning of the term as per ASCM. The domestic industry has argued that these SOEs are largely Govt, controlled and function as per the guiding principles of the State Policy highlighted above. Therefore, they are considered as public bodies discharging the functions of the

Government Therefore, the provision of the goods at LTAR by these SOEs constitutes subsidy. In the absence of any specific information from Government of China and other interested parties the Authority holds these SOEs as public bodies, and supply of goods by them to further processors at less than adequate remuneration amounts to a subsidy as per ASCM. Since the program is limited to a specific sector and availed by limited number of enterprises the subsidy is specific and therefore, countervailable.

401. The Authority notes that under program 65, there is a significant control of the Government of China on production distribution and pricing of certain rare earth material such as nickel, chromium, molybdenum, which goes into production of stainless steel. These programs have been recently held countervailable by US Authorities. Accordingly, the Authority holds this program countervailable on facts available basis.

402. The Applicants have claimed subsidy margin based on the details provided in the annual report of the Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. for the year 2015. Since Government of China has not filed questionnaire response, the CVD margin could not be determined on the basis of questionnaire response of the Government of China and the responding exporters. In the absence of cooperation from the Government of China and the Chinese producers/exporters, the Authority has quantified the subsidy margin based on the best fact available. The subsidy margin thus quantified in the above mentioned program no. 61, 63, 64 and 65 is 13.04%.

119. In the program being examined herein, besides the economic and institutional framework of the Chinese steel sector as already examined above in detail that is effectively leading to the entire steel sector being distorted, Government of China has also taken specific measures which have resulted in raw materials used by the steel industry becoming available to the Chinese producers/exporters at prices lower than the prices prevailing in international market. Government of China has imposed export duty of 40% on scrap and ferrochrome, and 25% on ferrosilicon. These inputs constitute a major cost in production of the product. China issues notice every year which is known as the Tariff Adjustment Plan. This notice sets out specific export duty rates applicable to certain products during a given year. It is noted that export duties continued to be imposed on these products. Imposition of export restrictions or export duties especially on key input materials, lead to considerable price differences between the country imposing export tax and the international market. Export measures whether restrictions or duties, imposed by China are to ensure that the downstream industry gets access to cheaper raw materials. The economics behind such imposition is that increased supply in the domestic market, which is not necessarily linked with an increased demand, drives the domestic prices for those products downward. The cheaper raw materials mean lower cost of production and enable the downstream industry to undercut the international prices of the downstream products and expand their exports of the finished products. China by imposing export duty on the above-stated raw materials is providing countervailing subsidy by reducing the prices of inputs to the steel sector. It is also seen that SOEs in line with the 13th five-year plan continue to supply the raw materials at less than adequate remuneration to the producers in steel sector.

120. Explanation to Section 9(1) of the Act read with Article 1.1 of the Agreement on Subsidy and Countervailing Measures ("ASCM") provides that a "subsidy" is deemed to exist if there is "financial contribution" by the government or any public body in the exporting or producing country or territory, or when such government grants or maintains any form of "income or price support", and a benefit is thereby conferred. Financial contribution by a government or public body is said to exist where:

- i. Government practice involves a direct (or potential) transfer of funds,
- ii. Government revenue that is otherwise due is foregone or not collected,
- iii. Provision of goods or services, other than general infrastructure, or purchase of goods by Government, or
- iv. Government makes a payment to a funding mechanism, or entrusts or directs a private body to carry out one or more of the type of functions specified in clause (i) to (iii) above.

121. Financial contribution" by a government or public body is an essential component of a "subsidy" under the Section 9. A financial contribution, however, need not always be a direct contribution by the government but can also exist where a government indirectly, through its policy measures, entrusts or directs private parties to supply goods (raw material) at below world market prices. The Authority had in several past investigations, such as in anti-subsidy investigation concerning imports of "Continuous Cast Copper Wire Rods" interalia from Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam, and "Certain Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat Products" from China, held that a countervailable subsidy in the form of "financial contribution" exists where the object and intent behind imposition of export restraints on raw material is to ensure availability of such raw material to downstream industries at LTAR.

122. It is noted that in final findings notified by the Authority in the matter of Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes from China issued on 31st July 2019, also found that raw materials being used as input in production of stainless-steel pipes and tubes, is countervailable subsidy. Further, other Authorities in following cases also found steel sector to be distorted

- a. Expiry review of countervailing duty imposed on imports of certain organic coated steel from China on 2nd May 2019 and expiry review of anti-dumping duty imposed on imports of stainless-steel cold-rolled flat products from China on 15th September, 2021; investigated by European Commission. It is seen that in the aforementioned investigations, the European Commission relied on their staff working document on “Significant distortions in economy of People’s Republic of China”, to determine existence of subsidies and distortions.
 - b. First Sunset Review of the Countervailing Duty Order on Stainless Steel Sheet and Strip from the People’s Republic of China issued on 29th June 2022, investigated by US Department of Commerce.
123. On the basis of available information, the Authority concludes that raw materials continue to be provided to Chinese producers at less than adequate remuneration to the producers of the PUC.
 124. It is seen from the applicants’ submissions that the law governing this program has not changed since the original investigation. The applicants further contended and relied on findings of other investigating authorities that continue to conclude that Chinese producers/exporters continue to benefit from provision of inputs at less than adequate remuneration. Neither the Government of China nor the Chinese exporting producers provided evidence suggesting that the stainless-steel industry stopped benefiting from the provision of raw materials at less than adequate remuneration.
 125. The Authority based on the above examination notes that this program currently remains to be in force and continues to confer countervailable benefits in a similar manner as in the original investigation.
 126. In the absence of cooperation from the Government of China and the Chinese exporting producers, the Authority has no company-specific information to calculate the amount of subsidy conferred during the POI. Since, the present investigation is a sunset review where the Authority is required to determine whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of subsidization, and there is neither cooperation by the Chinese Government and producers, nor any evidence that the level of subsidisation has reduced or eliminated when compared to the original investigation, the Authority does not consider it necessary to re-quantify the subsidy margin.
 127. Since Program No. 65, 66, 67 and 68 identified by the applicants relates to a scheme which grants same benefit as has been investigated by the Authority as Program No. 29, the Authority, in the interest of judicial economy has not separately examined this program.
 128. The Authority based on the above examination notes that this program continued to be in force during the POI and continued to confer countervailable benefits to the Chinese producers/exporters of the product under consideration.

Program No. 31- Provision of land at less than adequate remuneration

129. The Authority initiated the investigation into provision of land at less than adequate remuneration and identified the program as program no. 31 in the notice of initiation. The Authority in the original investigation had examined this program as Program No. 60, 66 and 67.
130. In the absence of cooperation and information from the Chinese Government and the producers/exporters from China, and considering that the present investigation is a sunset review of CVD earlier recommended, the Authority has relied on the previous investigation relating to the PUC, information contained in the petition, information provided by the interested parties, and information available on record of the present and previous investigation.
131. The Authority has already found this program to be countervailable in the original investigation and the relevant portion of the final findings re reproduced herein below:

Para 387. The Authority notes that in accordance with the Land Administration Law of the PRC, land in urban districts are owned by the State, land in rural areas and suburban areas, except otherwise provided for by the State, shall be collectively owned by the local bodies. As per Article 137 of Real Right Law of the Peoples China, “land use rights in China are assigned through bidding, auction and competition. However, as per Land Administration Law of PRC, 2004 land is provided to certain industries at concessional rates. High and new technologically advanced enterprise and certain other categories of industries also receive exemption from administrative charges and provision of land use rights for less than adequate remuneration.

388. The program provides financial support in the form of reduced land use fees, rental rates, and purchase prices for the land provided by the government to certain specified types of industries. The program is limited to certain types of business enterprises and confers benefits on the recipients, Therefore, program is a specific subsidy within the meaning of Rules,

389. The Authority notes that this program has been earlier examined by other investigating Authorities and existence and countervailability of this program has been established by (a) EU authorities in Certain Coated

Organic Steel (b) US in Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod from the People's Republic of China; (c) Canada in Certain Stainless Steel Sinks. It is also noted that the existence of this program has been notified by China to WTO in G/SCM/Q2/CHM/42. Further, the Government of China has not provided any evidence to show that this program in any of its form does not exist or does not confer countervailable subsidy. The Authority therefore, holds that the aforesaid programmes constitute a countervailable subsidy.

132. Even though the Authority had held the program as countervailable, no benefit under the scheme was quantified in view of absence of relevant information and evidence on record. However, in the present investigation, the applicants have sought investigation into the program and have provided relevant information & evidence for quantification of the benefit. Therefore, the Authority has examined the scheme in detail.
133. Article 2 of the Land Administration Law provides that all land in China is government-owned. According to the Chinese constitution and relevant legal provisions, land belongs collectively to the people of China. No land can be sold but land-use rights may be assigned according to the law. The applicants contended that situation concerning use of land rights in China is non-transparent, and the prices are set by the authorities without any transparent publicised methodology and procedure. In the steel sector, use of industrial land is by law limited only to companies respecting the industrial policies set by the State.
134. The Authority notes that in the final findings notified in the matters of Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes from China, it has concluded that the land use rights being paid by Chinese exporters/producers are at less than adequate remuneration and therefore, is a countervailable subsidy. In the CVD investigation conducted by the European Commission on imports of certain organic coated steel from China PR (2019), and by US Department of Commerce in case of Stainless-Steel Sheet and Strip from the People's Republic of China (2022), it has been found by those Authorities that due to significant government intervention, Chinese land prices are distorted with no functioning market. Hence, both the EU and US authorities relied on external benchmarks to quantify the benefit being received by Chinese producers/exporters.
135. Considering the information available before the Authority in this investigation, the Authority holds that market conditions do not prevail in China, and therefore in order to determine the amount of benefit being received for use of land at less than adequate remuneration, the Authority finds it appropriate to rely on an external benchmark.
136. The Authority based on the above examination notes that this program continued to be in force during the POI and continued to confer countervailable benefits to the Chinese producers/exporters of the product under consideration.

COMPUTATION OF SUBSIDY MARGIN

137. In the absence of cooperation from the Government of China and the Chinese exporting producers, the Authority has no company-specific information to calculate the amount of subsidy conferred during the POI. The applicants have submitted quantification based on an annual report of stainless-steel producer. The Authority notes that in the original investigation in the absence of sufficient corroborative information, the subsidy margin was not computed. However, since the information has now been made available, the Authority is quantifying the subsidy amount. In this respect it is considered appropriate to use information from Taiwan as an appropriate benchmark. European Commission in case of certain organic coated steel products originating in the People's Republic of China, had also considered prices prevailing in Taiwan as benchmark. The subsidy margin has been computed by comparing the annual land rent paid by one of the Chinese stainless-steel producer with Taiwanese annual land rent payable, based on information provided by the applicants, in view of the non-cooperation by the parties involved. The Authority has thus, quantified the subsidy margin based on the facts available, as 0.96%.
138. Since Program No. 57 and 59 identified by the applicants in the present SSR investigation relates to a scheme which grants same benefit as has been investigated by the Authority as Program No. 31, the Authority, in the interest of judicial economy has not separately examined this program.

Program No. 32 Provision of electricity at less than adequate remuneration

139. The Authority initiated investigation into provision of electricity at less than adequate remuneration and identified the program as program no. 32 in the notice of initiation. The Authority in the original investigation had examined this program as Program No. 58.
140. In the absence of cooperation and information from Government of China, and the producers/exporters from China, and considering that the present investigation is a sunset review of CVD earlier recommended, the Authority has relied on the previous investigation relating to the PUC, information contained in the petition, information provided by the interested parties, and information available on record of the present and previous investigation.

141. The Authority has already found this program to be countervailable in the original investigation and the relevant portion of the final findings reproduced herein below:

Para 373. As per the information available, National Development Reforms Commission (NDRC), a public body in China, sets the prices of electricity applicable in various provinces in China. Local price bureaus in the provinces merely act as an executive arm of the decision taken at central level by the NDRC. NDRC issues Notices setting tariff for each of the provinces. These notices are formally transposed into local notices adopted by the local price bureaus and implemented at local level. Differential electricity rates applicable for certain sectors and/or at provincial and local level are set in accordance with certain factors including, notably the pursuit of the industrial policy goals set by the central and local governments in their 5-year plans and in the sectoral plans.

374. The said program is governed under:

- *Gua Fa 2004 No.20, Catalogue –Order No. 35 of the NDRC– Policies for development of Iron and Steel Industry -2005;*
- *Decision No. 40 (2005)-NDRC; Electricity Law- 1995,*
- *The Circular of State Council concerning several policies on Carrying out the Development of China's vast Western regions*

375. The Authority notes that this program has been earlier examined by the Designated Authority and some other investigating Authorities in the past and existence and countervailability of this program has been established (a) by the Designated Authority in the matter of countervailing duty investigations concerning castings for Wind Operated Electricity Generators; (b) by EU in organic coated steel, Solar panels, (c) US authorities in Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod, Non – Oriented electric steel. Further, the Government of China has not provided any evidence to show that this program in any of its form does not exist or does not confer countervailable subsidy.

376. Publicly available information of some of the producers of stainless steel indicate that there is a significant difference between the normal power tariff and actual tariff paid by the said producers and the difference amounts to subsidy provided by the State. The program provides financial support in the form of provision of electricity at subsidized rates, to enterprises, which are located in favoured regions or for the enterprises classified as encouraged industries. The benefits under this program are limited to certain types of business enterprises and therefore, the program is specific within the meaning of Rules. The authority therefore, holds that the program constitutes countervailable subsidy.

142. It is seen that Order No. 35, Decision no. 40 and Circular of State Council concerning several policies on Carrying out the Development of China's vast Western regions, as per information on record are still in force. The impact of Order no. 35 and Decision No. 40 has been examined in detail herein above.
143. In the present investigation, the applicants contended that the law governing this program has not changed since the original investigation. Further, the applicants have also provided evidence that the laws referred by the Authority in the original investigation, continue to exist. Neither the Government of China nor the Chinese producers/exporters provided evidence suggesting that the stainless-steel industry stopped benefiting from the provision of electricity for less than adequate remuneration.
144. The applicants have also relied on to the conclusions of the European Commission Staff Working Document on significant distortions in the economy of the PRC and the final findings notified by the EC in the matter of expiry review of countervailing duty imposed on imports of certain organic coated steel from China PR (2019); and expiry review of anti-dumping duty imposed on imports of stainless-steel cold-rolled flat products from China PR (2022). The applicants have also relied upon the final determination of the US authority in the matter of Stainless-Steel Sheet and Strip from the People's Republic of China. Further, the Authority has earlier examined same scheme in the matter of Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes from China PR and found that the Chinese producers are getting electricity at less than adequate remuneration. It is seen that stainless steel producers in China are getting electricity at less than adequate remuneration. Thus, in view of the information available on record, it is concluded that the stainless-steel producers continue to get benefit of electricity at less than adequate remuneration.
145. Accordingly, the Authority concludes that there is sufficient evidence showing that the provision of electricity for less than adequate remuneration as a countervailable subsidy continued during the POI.
146. In the absence of cooperation from the Government of China and the Chinese exporting producers, the Authority has no company-specific information to calculate the amount of subsidy conferred during the POI. The applicant has submitted quantification based on an annual report of one of the stainless-steel producer. As the present investigation is a sunset review and there is no cooperation by the Chinese producers, for the

finding of continued subsidisation, and there is no evidence that the level of subsidisation has reduced or eliminated when compared to the original investigation, therefore the Authority does not consider it necessary to re-quantify the subsidy margin.

147. The Authority based on the above examination notes that this program currently remains to be in force and continues to confer countervailable benefits in a similar manner as in the original investigation.
148. The applicants have identified schemes relating to coal or coking coal. However, coal or coking coal is used in production/generation of electricity. Considering the Authority's determination in the original investigation that benefit accruing from provision of coal or coking coal at less than adequate remuneration need not be quantified since electricity has already been countervailed, the Authority, in the interest of judicial economy, has not examined Program No. 30 and 58 for the purpose of present determination.
149. The Authority based on the above examination notes that this program continued to be in force during the POI and continued to confer countervailable benefits to the Chinese producers/exporters of the product under consideration.

Total Subsidy Margin Quantified by the Authority

150. Subsidy Margin with regard to the above 81 countervailed subsidy programs quantified by the Authority are as follows:

SL. No.	Sub-head wise Subsidy Programs	Subsidy Margin
1.	Grants	0.55%
2.	Export financing	0.00%
3.	Tax & VAT Incentives	2.30%
4.	Provision of Goods & Services	16.74%
5.	Preferential Loans & Lending	0.32%
6.	Equity	0.00%
	Total	19.91%

J. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

I. Views of the Domestic Industry

151. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:
- Imports have consistently increased in the Indian market since 2009 as a result of global surplus, despite sufficient capacity with the Indian industry. Additionally, unfairly priced imports have shifted from one country to other country.
 - The domestic industry has not received sufficient protection from subject imports for over 15 years. China's historical data of imports and exports show how in 2009, from 10,809 MT imports to a 4.2 lakh MT export in a period of 12 years shows huge subsidies provided by Chinese Government There are over 15 measures in place against China imposed by different countries around the globe.
 - The applicants have requested the Authority to examine the impact of dumped import on both the applicant domestic industry, i.e., JSL and JSHL, and for industry as a whole to the extent relevant information has been made available to the Authority.
 - Imports from China declined since imposition of duties in 2017. Imports from Indonesia started increasing. Following the imposition of CVD on Indonesian products in October, 2020, the imports from China increased. Imposed CVD was suspended in February, 2021 and imports from China intensified significantly in last quarter of POI, April-June 2021.
 - This increase in imports is despite decline in demand in the country. Major increase in imports is of 200 series, largely of grades that goes for utensils, which is in direct competition with Patta sector. Monthly imports now stand at 80,000 MT per month.
 - The combined capacity for the product under consideration in India is about 50 lacs MT as against the current demand of 30 lacs MT. The imports are causing injury to the Indian industry as a whole.

- vii. The domestic industry increased its capacity in 2019-20, which became fully operational in the POI. Production and sales increased till 2019-20 and have declined thereafter in POI. Even after decline in demand in the POI, imports from China have increased. Thus, the domestic industry haven't been able to contain some of the ill effects of loss or demand.
- viii. Profitability of the petitioners in 200 series shows improvement. However, further segregation of profitability within 200 series would show that the applicants are suffering losses in the grades that are sold in direct competition to China. Applicants are unable to compete with the low-priced imports from China.
- ix. In their submissions, the applicants have presented segment wise analysis of injury parameters. It was contended that the petitioners and other Indian producers are selling a wide basket of products (42 different variants of the product during the POI), whereas the imports from China are of only limited variants (26 variants of the product). It was claimed that the impact of the suspension of withdrawal of the duty is observable only on those products sold by the Indian producers which are in competition with the imports from China ("competing segment").
- x. It is the contention of the petitioners in its rejoinder submissions that 90% of imports from China are in the 200 series, and thus the impact of increase in imports is visible on this segment of the product. The petitioners further state that the 200 series is used for various applications such as utensils, fabrications, pipes and tubes, etc. The specific grades manufactured by the petitioners that goes in utensils production are J1S, J2S, J5, J6, J7, J8. The petitioners have allegedly identified the imports of the competing sector vs non-competing sector based on thickness of the product.
- xi. The petitioners have contended that almost 70% of imports of 200 series are for utensils and compete with the patta sector. The petitioners have provided the data regarding economic effects of the subject imports in competing and non-competing segments as follows:

(a) **Market Share in demand of 200 series**

Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI	POI(A)
China	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	59	59	145	145
Indonesia	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	307	1336	186	186
Other Countries	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	332	406	558	558
Total Import(a+b+c)	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	152	184	184
Petitioner Sales	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	82	80	80
Sales Others Indian Producers	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	104	100	100
MSME	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	103	95	95
Other Indian Producers	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	124	112	123	123
Domestic producers as a whole	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	95	92	92
Total Demand	%	100	100	100	100	100

(b) Comparison of sales by Indian producers as a whole, domestic industry and China in the competing segment

Competing Segment

Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI(A)
China	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	58	65	138
JSHL	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	68	36	36
Other Indian Producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	112	92

(c) Comparison of sales of Domestic industry and imports upto post POI in the competing segment

Competing Segment

Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI(A)	Jul22-Mar22	Apr22-Dec22
China	MT	79,231	45,703	51,105	1,09,152	2,43,031	3,68,704
JSHL	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	68	36	36	53	30

JSL+JSHL

Competing and Non-Competing

Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI(A)
Cost					
Competing	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	94	96
Non-Competing	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	98	104
Total	Rs/MT	***	***	***	***
Selling Price					
Competing	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	88	96
Non-Competing	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	96	105
Total	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	100	109
Profit/(Loss)					
Competing	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	182	164	88

Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI(A)
Non-Competing	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-2	72	121
Total	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-214	164	371

Competing (based on JSHL)

Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI(A)	Jul22-Mar22	Apr22-Dec22
Cost	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	94	96	132	135
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	88	96	135	133
Profit/(Loss)	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(182)	(164)	(88)	(99)	(158)

- xii. Market share of the domestic and Indian industry declined in 2019-20 owing to significant increase in imports from Indonesia. Imposition of CVD on China earlier led to decline in market share of China till 2019-20. However, imposition of CVD on Indonesia and suspension/revocation of CVD on China led to decline in market share of Indonesia and increased in market share of China.
- xiii. The level of inventories with the domestic industry declined till March 2019. Productivity declined in the POI, due to decline in production.
- xiv. Price undercutting and injury margin has significantly increased in the present CVD investigation.
- xv. Data of supporters' economic performance does not suggest fragility. Capacity of the MSME producers has increased over the period. Production and sales increased till 2019-20 and declined in POI. Production and sales declined 30% and 29% respectively, when the demand declined only by 14%.
- xvi. Profitability of the Indian Industry improved after imposition of duty. Indian industry however, started suffering losses in 2018-19 when imports from Indonesia and other countries increased at dumped and subsidised rates. Performance thereafter remained at low in 2019-20 with significant increase in dumped and subsidised imports. Profitability increased in POI with decline in imports from other countries and other market sources favouring the market sentiment. The ROI of the producers is significantly below reasonable level.
- xvii. The induction furnace industry, i.e., melting units, are dependent on sales to the patta sector. Since patta is not able to utilise its capacity and source goods from these melting units because of imports, even the induction furnace units are getting injured.
- xviii. The performance of the Indian industry as a whole shows the adverse impact of imports from China in the POI. The MSMEs which are producing only 200 series product are suffering losses on account of imports from China.
- xix. The CVD margin, price undercutting and injury margin are much higher than before. Imports have increased significantly at significantly low-price post suspension of duties.
- xx. The applicants have only referred to JSHL's performance for the competing segment as only JSHL sells those goods to patta and not JSL.
- xxi. Almost 90% of imports from China is 200 series which has adverse volume and price effects. In the POI, the applicants are selling wide basket of products (42 variants) and Chinese imports were only limited to 26 variants. Impact of suspension and withdrawal of CVD is most visible on product types being sold by Chinese producers. Petitioners for this reason analysed the performance of applicants and Indian industry in two segments against Chinese imports – competing and non-competing.

- xxii. The applicants identified imports that go into competing and non-competing sector based on thickness. Imports up to 0.55mm are meant for utensils, between 0.56 mm to 0.80 mm are used in both pipe/tube as well as utensils (assumed a ratio of 1:1 between both applications) and thickness greater than 0.8mm for pipe/tube and general application. 70% of the imports are utensils and compete with the patta-sector.
- xxiii. Volume of imports primarily consists of J3 and 201 grade. Besides the volume being significant, the landed price of the imports is also significantly lower as compared to that of imports in the non-competing sector. Losses in competing segment are enhanced in post-POI, which shows that losses in POI were contained by the duties.
- xxiv. Comparison of sales by Indian producers as a whole, domestic industry and China in the competing segment:
- xxv. From the base year of CVD (2012-13), as soon as CVD was imposed, imports from China started declining and started increasing from other countries. The domestic industry hence had to proceed with an ADD application for the subject goods. Import from other countries was not as significant as imports from China and now Indonesia, due to non-imposition of duty. Indian Industry is suffering due to dumped/subsidised imports in Indian market.
- xxvi. As provided above, trends from China and Indonesia post imposition of anti-subsidy show imports from Indonesia are de-facto pseudo-Chinese set ups. Since the current non-levy of anti-subsidy duties on the subject goods from China, the import volume has once again increased significantly from China.
- xxvii. The applicants contend that it is without any valid reasoning that the respondents have chosen to selectively comment only on the data of 4 producers i.e., Hisar Metals, Real Strips, Quality Foils and Veer Metals, whereas information was provided for various other producers. Absolute information with the Authority would show that profitability of these producers is not as reasonable as it has been presented. In the base year the Indian industry was suffering injury on account of dumped/subsidised imports. This adverse performance was due to low priced imports.
- xxviii. Improvement in performance is not a sole factor in determining if duties have served their purpose. The improvement of the applicants is due to temporary nature of other factors in that period.
- xxix. The respondent's argument that termination of duty is the norm and continuation is an exception is false. Countervailing duty is a redressal against unfair price by the foreign producers injurious to the Indian industry. It is not protection to the industry, but rather a tool to bring fair market competition in the country which was taken away by unfairly priced imports. The objective of continuation of anti-subsidy duty is to establish a level playing field, by removing any trade distortion by the producers in the subject country and allowing the Indian industry an opportunity for fair competition. Therefore, so long as distortion exists, measures in the form of countervailing duty would have to continue.

II. Views of other interested parties

152. Following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:
- i. The situation of the domestic industry is not fragile, the economic performance of the domestic industry is healthy.
 - ii. The revised format H submitted by the applicants shows increase in volume of subject imports, decline in price of subject imports and increase in domestic selling price of the domestic industry.
 - iii. However, inspite of these circumstances, the market share of the subject imports during the POI was only 7%, whereas the market share of the domestic industry was 47% and that of other domestic producers is 34%.
 - iv. The domestic industry's market share clubbed with the market share of other producers amounts to 81%.
 - v. During the POI, the market share of the domestic industry and domestic producers increased at a time when the import price declined by around 30% from the previous year and the volume of the subject imports nearly doubled.
 - vi. The domestic industry was not even able to command the same level of domestic selling prices throughout.
 - vii. The capacity of the Indian producers has increased from 16,00,000 MT in the first two years of the injury period to 16,75,00 MT in 2019-20 and further to 19,00,000 MT in the POI.
 - viii. Though there has been a decline in the domestic industry's production of the PUC, the quantum of decline in the POI is less than 5%.
 - ix. Although the capacity utilization has reduced in the POI, the same is to be attributed to the increase in

- installed capacity by nearly 15% from the previous year. This increase in capacity could not be absorbed in the POI – hence decline in capacity utilization.
- x. The volume of domestic sales has continuously increased throughout the injury period, except for the decline during the POI. The decline is only a small decline which may be attributable to COVID-19.
 - xi. Apart from a decline in 2019-20, the domestic industry's domestic selling price has increased in the injury period. In fact, in the POI (A), it was the highest. As a result, the domestic sales value has followed the same trend.
 - xii. Employment and productivity are not significant parameters for evaluating the domestic industry's economic parameters, they are relevant for examining whether the state of the domestic industry is fragile.
 - xiii. The domestic industry's employment levels have been constant throughout the injury period and the productivity has increased significantly during the POI.
 - xiv. Proforma IV-A shared by the applicants shows high financial growth over the injury period.
 - xv. The data demonstrates that except for 2018-19, profitability has significantly increased throughout the injury period. Profitability has increased by around 500 indexed points from 102 indexed points in 2019-20 to 671 indexed points in the POI (A) and cash profits increased from 116 indexed points in 2019-20 to 275 indexed points in the POI (A).
 - xvi. ROCE has increased by nearly 70 indexed points.
 - xvii. The data filed by other domestic producers also does not show any fragility.
 - xviii. The cash profits of Hisar Metals has gone up from 115 index points in 2019-20 to 321 index points in the POI. Profit before tax has gone up from 15 index points in 2019-20 to 302 index points in the POI. The ROCE has increased from 68 index points in 2019-20 to 110 index points in the POI.
 - xix. For Real Strips Ltd. The profits before depreciation, interest and tax per MT has increased from 94 index points to 109 index points in POI.
 - xx. The cash profits per MT of Quality Foils has increased from 108 index points in 2019-20 to 136 index points in the POI. The profits before depreciation, interest and tax has also increased from 129 index points to 160 index points in this period.
 - xxi. The net sales realization per MT of Veer Metals has increased from 100 index points in 2019 to 106 index points in the POI. The profit before depreciation, interest and tax has increased from 94 index points in 2019-20 to 109 index points in the POI.
 - xxii. The applicants' arguments that most of the injury is being caused by imports from the 200 series must be rejected since the applicants have segregated imports using secondary sources of data. However, the written submissions of the applicants do not clarify what this secondary source of data is and what the methodology for segregation has been.
 - xxiii. The Authority must verify the data and the grade-wise and the series-wise segregation of data made while analyzing the injury from imports of the 200 series products.
 - xxiv. The applicants have not provided any data regarding the prices of the series of the PUC complained about. In the absence of such data, the applicants' claims do not have any standing and deserve to be rejected.
 - xxv. The scope of the injury analysis under the Customs Tariff Act and the CVD Rules must be limited only to the domestic industry and not the domestic producers as a whole.
 - xxvi. The purpose of referring to the supporters' economic performance data is to examine whether injury to the domestic industry is due to the subject imports or any other factors.
 - xxvii. The supporters' economic performance data becomes relevant only when the domestic industry is facing injury, which in the present case, the domestic industry is not claiming, nor do the facts on record support the same.
 - xxviii. The data placed on record for the MSMEs is potentially marred with selective inputs. The applicants have not identified the MSMEs whose data is being assessed; further it is not clear as to whether only loss-making MSMEs have been covered under the MSME data filed.
 - xxix. The applicants have not revealed the source of the data for claiming that the imports of stainless steel have been circumvented. There is no proof on record of Indonesian production being pseudo-Chinese set ups as alleged by the applicants.

- xxx. Even if the applicants' allegations regarding the Indonesian production facilities being surrogates of Chinese producers of the PUC are correct, this is not a ground for the continued imposition of the CVD on the subject imports. There must be a separate anti-circumvention investigation for this purpose.
- xxxi. The domestic industry has been provided protection in some form or the other through anti-dumping duties imposed on different forms and subsets of PUC from different countries over the past 15 years.
- xxxii. The applicants have not provided any proof that China has been exporting only the "basic grades" of the subject goods which can be produced by the domestic industry and that there is no demand-supply gap.
- xxxiii. Chinese producers enjoy a competitive edge owing to the variety of products and the customizable quality they offer, which make them the preferred choice in the market. Chinese coils are preferred over the "Patta" steel flats produced by the domestic producers.
- xxxiv. with regards to the PCN-wise determination of injury, the law is clear that a duty can only be continued in a review if the discontinuation of the duty would lead to a likelihood of recurrence or continuation of subsidization and injury. Hence, instead of establishing the injury margin, it is necessary to establish the likelihood of recurrence or continuation of subsidization and injury.
- xxxv. A mere increase in imports does not demonstrate the likelihood of injury to the domestic industry as the domestic industry's performance has been stellar in the absence of countervailing duty since February 2021.
- xxxvi. In the present case, the Authority has a rare occasion of ascertaining the "future" performance i.e., post-POI since the CVD has not been in force for a period of two years since February 2021. Therefore, the Authority must consider the post-POI performance of the domestic industry.
- xxxvii. CVD cannot be recommended/continued merely on the basis of past trends, which is a hypothesis and conjecture and based on assumption. Instead, they must be based only and only on the parameter of likelihood of continuation or recurrence of dumping/subsidization and injury.
- xxxviii. If the domestic industry is aggrieved by any future dumping/subsidization, it has the liberty to approach the Authority with an application requesting initiation of an anti-dumping or countervailing duty investigation.
- xxxix. The market share of the subject imports in the POI (A) was only 7% whereas the market share of the domestic industry in the POI (A) was 47%. Imports from the subject country could not pose a threat to the applicant's economic performance even when the domestic industry was not accorded any protection.
- xl. The applicants claim in the written submission that injury is due to the subject imports is contrary to their submissions made during the oral hearing that they are not claiming injury due to the subject imports.
- xli. Though there are huge imports of the 200 series (utensils grade) of the PUC, the same must be analysed in the context that the utensil manufacturers in India prefer steel coils over "Patta" steel for multiple reasons such as inventory management, finishing etc.
- xlii. In spite of alleged increased price undercutting, the applicants, in the POI(A), have been able to increase their domestic selling price.
- xliii. The applicant's installed capacity has increased from 16,00,000 MT in the first two years of the injury period to 16,75,000 MT in 2019-20, and further increased to 19,00,000 MT in the POI.
- xliv. The applicants, while alleging a likelihood of recurrence or continuation of subsidization and injury, have themselves been investing in such a high quantum towards capacity expansion – this indicates that the applicants have been expecting future growth in addition to the already healthy performance.
- xlv. Profitability has increased by around 500 index points from 102 index points in 2019-20 to 671 index points in the POI (A) and cash profits increased from 116 index points in 2019-20 to 275 index points in the POI (A). Even the return on capital employed has increased by nearly 70 index points during this period.
- xlvi. The % of PBIT in revenue from operations ranges approximately between 5-9% for the applicants when the duty was not in place, while such percentage has gone up to 12-13% in the time when CVD was either suspended or revoked, as can be seen from their annual reports of the applicant companies.
- xlvii. With regard to the domestic industry's claims concerning employment levels and productivity, the respondents submit that they have been constant through the injury period, whereas productivity has significantly increased in the POI(A).

- xlvi. With regard to the domestic industry's claims concerning inventory levels in the injury period, the respondent submits that the inventory levels have increased because of an increase in sales volume in the corresponding period.
- xlix. The data pertaining to the performance of the MSMEs must not be relied upon before deeper examination. It must be examined whether only data of the low-performing MSMEs has been taken to give doctored and negative results.
- i. The decline in performance of the domestic producers can be solely attributed to a combination of multiple factors such as inter-se competition, quantity constraints by for the small producers, the role of the applicants in determining the raw material price for many domestic producers. etc.
 - ii. Even then, the decline is to be attributed to the onset of COVID-19 in the first quarter of POI.
 - iii. Even if it is assumed that the state of the domestic industry is fragile, this is due to factors other than subject imports.
- liii. As per Articles 15.4 and 15.5 of the SCM Agreement, the investigating authority while examining the impact of the subsidies, must analyse multiple factors having an impact on the performance of the domestic industry.
- liv. The DGTR's Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations states that *inter se* competition between producers in the country resulting in injury to all the applicants should be seen carefully.
- iv. The two applicants (i.e., JSL and JSWL) are the biggest players in the Indian market and have captured a significantly high percentage of the market as compared to other smaller producers.
 - vi. The applicants have been able to earn increasingly high profits. The domestic producers may have been adversely impacted and any alleged decline in their performance is attributable to the *inter se* competition.
 - vii. The other domestic producers are forced to compete with the industry giants. The Authority must analyse the impact of such competition on the performance of the supporting domestic producers.
 - viii. Significant number of domestic producers are mere cold rollers of the hot-rolled products. These producers procure the subject goods as raw materials from the applicants and further process the same. Hence the profits of the applicants have increased substantially. This is the reason for the lower market share of the upstream hot-rolled product segment.
 - lix. If the applicants are in a position to determine a substantial part of the price of raw materials for many of the supporting domestic producers, the alleged fragility of the other domestic producers cannot be attributed to the subject imports.
 - ix. Only the data of the applicants must be taken into consideration while determining the likelihood of continuation or recurrence of subsidization and injury as the domestic producers' performance is highly based on the internal dynamics between them and the applicants.
 - xi. The applicants have not provided any data in the said paragraphs that establishes a correlation between the volume of the imports complained about and the economic performance of the MSME producers which they claim has been injured by such imports.
 - xii. The factors which have caused injury to the domestic producers may be lack of variety of products produced, non-availability of high quantities, and inter-se competition from the biggest players in the market such as the domestic industry itself.
 - xiii. The domestic producers have not taken necessary steps for upgrading their production facilities to meet the specific demands of the domestic user industry, particularly the utensils manufacturing industry.
 - xiv. The investments made by the applicants are exponentially higher than that of the other domestic producers. This indicates that the *inter-se* competition and the influence of the applicants are the reasons for the injury to the domestic industry.
 - xv. Even though there has been an increase in the raw material price during the POI, the applicants have not reduced their prices. On the contrary, they increased their domestic selling price and did not lose their market share.
 - xvi. The MSMEs lack the manufacturing facilities to produce steel coils and in the absence of the same, there is a demand-supply gap in the market. This gap is being catered to by the imports from China.
 - xvii. The reason for decline in performance of the MSMEs cannot in simpliciter be rising quantum of imports from China but the inability of the MSMEs to cater to a market and compete effectively.

- lxviii. Currently dominant steel producer introduced a new grade which is getting adopted in market and sending ripples to the processors, who have come to support this petition.
- lxix. Processors views submitted in the meeting are not independent but doctored views.
- lxx. Coil is better than patta for utensil manufacturing with regard to finishing and better for inventory management.
- lxxi. Till transformation of changing patta mills to coil mills takes place, good quality of steel (coil) is in short supply, therefore gap needs to be filled by imports.
- lxxii. Imports should take place as it keeps the prices in check.
- lxxiii. When duty was in place, frequent times when international prices were stable, domestic prices were increased.
- lxxiv. Many grades and sizes are not available with domestic manufacturing.
- lxxv. Rightly pointed out that if balance is not right (sink example) there will be a time in future when utensils will be imported and 50,000 industries will be affected, bringing unemployment to lakhs of workers.
- lxxvi. About 15 years were given to the domestic players to shape up and match competition, primary players are green now.
- lxxvii. Various products of stainless-steel may be processed to obtain a different product altogether which is classifiable u/ Chapter 73, not Chapter 72. Even such products are being covered under the CVD. Appropriate exception should be done to ensure unintended products are not covered under CVD.
- lxxviii. Various subsidies have been suspended or watered down. There is no subsidized import taking place into India from China (which is not at par w/ exports to India from other countries). Tax rebate- withdrawn. Extracts from Chinese govt sites have been provided.
- lxxix. Price of the domestic industry considered during final findings not genuine and heavily influenced by one of the domestic suppliers with highly inflated prices.
- lxxx. Monopolistic control over price by domestic producer. CVD levy was misused by the domestic industry, price wasn't brought down. A debt-ridden entity became debt free and make huge profits by overcharging and over-reporting price.
- lxxxi. Import quantum remained healthy for imports from China indicates CVD had no role to play in this. Market share of China increased as domestic industry was not able to meet the demand. Imports from all countries increased. No adverse inference can be drawn based on quantum of imports from China.
- lxxxii. Ministry of Finance itself suspended CVD ever since February 2021.
- lxxxiii. Likelihood factor- increase in capacity in China and presumption of depression/ suppression - proven to be unfounded. Export to India- purely commercial.
- lxxxiv. MSME, SME suffering due to lack of supply. While domestic producers earned huge profits.
- lxxxv. Data submitted by petitioners fails to demonstrate injury/ causal link.
- lxxxvi. DG Safeguards attributed higher fixed cost, abnormal high depreciation and finance charges as main cause of injury and not imports
- lxxxvii. Abnormal increase in salary and wages may be one reason of losses
- lxxxviii. One of the petitioners made huge loss in speculation business in 2008 and guarantor SBI had to pay. Since then, there has been major profits made by them by misusing ADD and CVD. Losses portrayed by the domestic industry need to be considered in light of real reasons.

III. Examination by the Authority

153. Rule 13 of the Countervailing Duty Rules, 1995 read with Annexure I provides that an injury determination involves examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of subsidised imports, their effect on prices in the domestic market for like article and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles.
154. Rule 24 of the Rules provides that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22 and 23 shall apply *mutatis mutandis* in case of a sunset review. The Authority has evaluated the injury parameters which are required under Rules and Annexure I of the Rules and has also examined as to whether the expiry of said duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury.
155. The Authority has considered submissions made by various interested parties and relevant legal provisions. The Authority has examined injury information of the domestic industry having regard to these legal

provisions. The examination hereinbelow *ipso facto* deals with the submissions made by the domestic industry and interested parties concerning injury to the domestic industry.

156. The applicants contended that to evaluate the impact of imports after suspension and then cessation of CVD, analysis of the market should be undertaken separately where imports are significant (described as “competing sector” by the applicants) and where imports are not happening in significant volume (described as “non-competing sector” by the applicants). The applicants have contended that about 90% of imports of the subject goods from China PR are in the “competing sector”. The applicants have also contended that the imports from the “competing sector” are largely competing in the utensil sector and adversely impacting MSME producers, and other producers that are largely in the unorganised patta sector. It was alleged that producers are dependent practically on these products for their operations.
157. In order to examine the claims made by the applicants more carefully, the Authority has conducted a segmented injury analysis by categorising the product under consideration into two segments based on the grades of the product – products in the “200 series” and products in “other grades”. The “200 series” category comprises of products of grades 201, J1, J2 and J3, whereas product in the “other grades” category comprise of products in the 300 and 400 series, and any other grades. Products in the 200 series are those products that are majorly manufactured by MSME and producers in the unorganised sector. While the applicants also produce certain quantities of products in the 200 series, most of the products manufactured by the applicants belong to the “other grades” category. The following table gives an overview of the classification of product categories:

Series	Grade
200	201
	J1
	J2
	J3
Other Grades	304
	316
	409
	410
	430
	441
	Any other grade

158. The Authority notes that a segment-wise injury analysis is permissible under the CVD Rules as well as the WTO SCM Agreement. The Appellate Body in *US – Hot-Rolled Steel [DS 184]* has observed that: “[I]t seems to us perfectly compatible with Article 3.4 for investigating authorities to undertake, or for a Member to require its investigating authorities to undertake, an evaluation of particular parts, sectors or segments within a domestic industry. Such a sectoral analysis may be highly pertinent, from an economic perspective, in assessing the state of an industry as a whole.” (Paragraph 195)
159. Similarly, in the recent WTO dispute of *US – Ripe Olives [DS577]*, the USDOC had conducted a segmented injury analysis, by dividing the domestic industry into three “consumer groups” and conducted an injury analysis for each of the three consumer segments separately. In the Injury Determination, the USITC determined that ripe olives were generally sold to purchasers categorized as retailers, distributors, and institutional/food processors. The USITC described these customer groups as “channels of distribution”. The USITC prepared data concerning sales and market share of domestic, Spanish, and other imported ripe olives based on sectors defined by each customer group. The USITC then examined trends relating to these customer groups, particularly retailers, in its injury analysis. The WTO Panel observed that such a methodology of injury analysis is permissible:

“7.223. ... We find no support, however, for the different proposition espoused by the European Union, which is that an investigating authority may only consider sections of a market while undertaking an injury analysis when it has explicitly identified these sections in the definition of the domestic industry.

There is no reason that an investigating authority's analysis of market segments would necessarily imply that the final injury determination was not made with respect to the domestic industry as defined by the investigating authority. We therefore disagree that the USITC's analysis of market segments posed a risk of distortion. In particular, in this case the three customer groups collectively represented the whole market. Their analysis by the USITC would thus not necessarily leave parts of the domestic industry unexamined. We therefore do not see any material risk of distortion arising from the fact that the USITC did not incorporate into its definition of the domestic industry reference to the various market segments it later analysed."

160. The Authority has conducted its injury analysis by examining the volume of imports in the 200 series and the other grades – separately and cumulatively. The Authority has also examined the sales, production, etc. of the applicants the 200 series and the other grades category. The Authority has received injury related information from 19 other Indian producers belonging to the MSME sector who have come forward and voluntarily provided data for the present investigation. The Authority notes that the 19 companies that have voluntarily provided information to the Authority would constitute a representative sample of MSME companies, through which the Authority may be able to gauge the impact of the revocation of the duty on the all MSME producers in the country. The Authority has conducted a segment-wise analysis for the 19 MSME companies that have provided their injury information. Through this segmented methodology, the Authority has attempted to determine the likelihood of recurrence or continuation of injury for the applicants as well as the 19 other Indian producers in relation to the 200 series as well as the other grades category. Wherever data has been made available, and wherever the Authority has deemed it necessary, the post-POI data has also been examined.
161. The Authority has conducted the injury analysis in terms of Rule 13 of the CVD Rules, read with Annexure-I to the Rules, based on the data pertaining to the domestic industry, and with respect to the product under consideration as a whole.

K. VOLUME EFFECT OF SUBSIDIZED IMPORTS AND IMPACT ON DOMESTIC INDUSTRY

Assessment of Demand

162. For the purpose of the present investigation, the Authority has defined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. It is noted that the product under consideration is being imported into India both in cold and hot rolled conditions. Further, the product under consideration is being produced by the companies such as petitioners who are producing both hot and cold rolled product. Some producers of cold rolled product buy hot rolled either from the domestic market or imports. Therefore, production and sales of these producers of cold rolled products has not been counted to determine consumption of the product under consideration in India in order to avoid double accounting of one production. The demand so assessed is as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI(A)
Imports from China PR	MT	1,77,837	91,755	90,573	1,74,741
Imports from All other countries	MT	2,66,386	3,76,987	5,52,658	3,21,130
Total Imports	MT	4,44,223	4,68,742	6,43,231	4,95,871
Petitioner sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	102	98
Sales Others Indian Producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	108	91
Sales Indian Producers (3+4)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	105	95
Indian Demand/ consumption	MT	***	***	***	***

163. It is seen that demand for the subject goods increased till 2019-20 and declined in the POI. However, despite the decline in demand, the imports of the subject goods have almost doubled during the POI as compared to the previous years. The decline in demand during the POI may be a result of the COVID pandemic. However, it is to be noted that imports from other countries and sales of Indian producers (petitioners and other producers) have declined as a result of the decline in demand, whereas the imports from China PR have increased significantly. If the import pattern is seen in the different segments, it is noted that almost 85% of total

imports from China PR are in the 200 series:

Grade	Volume	%
200 series- J3	1,17,962	54%
200 series-201	66,738	31%
Other grades	33,726	15%
Total	2,18,426	100%

164. The Authority has examined post POI data in the present case for the reason that the CVD was not in force during the post POI period and therefore the volume and pattern of imports post POI was pertinent for making an assessment of likelihood in the event of cessation of ADD. The table below shows the import volume for the POI and post POI upto December 2022.

Grade	Volume		%		Volume		%	
	POI		Post POI		Post POI			
	(April 20- June 21)		Jul21-Mar22		Apr22-Dec22			
200 series- J3	1,47,453	54%	2,08,073	68%	3,31,517	65%		
200 series-201	83,423	31%	39,933	13%	38,509	8%		
Other grades	42,158	15%	56,628	19%	1,38,935	27%		
Total	2,73,033	100%	3,04,635	100%	5,08,960	100%		

165. During the POI, 85% of the total imports from China PR were in the 200 series segment whereas only 15% of the total imports from China PR are in the other grades. It is thus seen that there was high concentration of Chinese imports in the 200 series which largely caters to a specific segment of the market, i.e., utensil segment. It is pertinent to note that the interested parties have submitted that the 200 series of products are mainly produced by manufacturers belonging to the MSME and unorganised sectors in India. Jindal Steel Limited and Jindal Steel Hisar Limited are mainly involved in the production of the products in the 'other grades' segment. It is seen that the majority of the applicants' sales are in the 'other grades' category in which the import volumes from China PR are low. On the other hand, a vast majority of the sales of the other Indian producers are in the 200 series, which are in direct competition with imports from China PR. Only a miniscule ratio of sales of the other Indian producers are in the 'other grades' category. It is therefore seen that other Indian producers are primarily concerned the 200 series only. The producers in the MSME and unorganised sectors are almost entirely reliant on sales in the 200 series for their business. Any revocation and suspension of the duty against China PR would mainly impact the MSME and unorganised sectors in India.

L. IMPORTS IN ABSOLUTE TERMS

166. With regard to volume of the subject imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in subsidized imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The import volumes from the subject country for the injury period are given above. It is seen that imports from the subject country declined till 2019-20 and then increased in the POI. The increase in imports in the POI is despite decline in demand in this period. Whereas the demand declined by 13% in POI as compared to preceding year, imports increased by 89% in the same period and with rescission of CVD.

167. The Authority also notes that the countervailing duties which were in force on the subject goods from China PR were suspended on 1st February 2021, and were later withdrawn on 1st February 2022. In other words, no countervailing duties have been in force on the subject goods for over two years since 1st February 2021. This has led to an immediate increase in imports of the subject goods from China as seen from the table below:

Years	Chinese imports	Import from other countries	Total imports
Before CVD was imposed	MT	MT	MT
2012-13	87,408	2,12,136	2,99,544

Years	Chinese imports	Import from other countries	Total imports
2013-14	1,06,030	1,94,838	3,00,868
2014-15	2,30,629	2,24,422	4,55,051
Jan15-Dec15	2,57,063	2,27,928	4,84,991
2015-16	2,76,457	2,29,099	5,05,556
2016-17	2,60,889	2,19,192	4,80,081
Part of 2017-18 with no duties (A)	2,68,353	2,24,181	4,92,533
When CVD was in force			
Part of 2017-18 with duties (A)	1,13,182	2,96,534	4,09,716
2018-19	91,755	3,76,987	4,68,742
2019-20	90,573	5,52,658	6,43,231
Part POI (April 20-Jan 21)	1,32,706	3,21,108	4,53,814
When CVD was suspended or withdrawn			
Part POI (Feb21-Jun 21)	2,58,810	3,21,175	5,79,985
Jul'21-Mar'22	3,04,634	5,84,968	8,89,602
Apr'22-Dec22	5,08,961	5,38,563	10,47,524

*** All Figures above are on annualized basis

168. A closer scrutiny of the import data during the POI would show that when the duties were in force for 10 months of the POI (i.e., April 2020 to January 2021), the imports of the subject goods from China PR was 1,10,545 MT, whereas in the 5 months of the POI when the duty was suspended (i.e., February 2021 to June 2021), the imports were 1,07,815 MT. The import volumes of 5 months when the duty was not in force were almost the as the import volumes of 10 months when the duty was in force.

Import in relation to production and consumption-

169. The Authority considered whether the imports of the product have shown an increase in relation to production or consumption in India. Table below shows factual position:

Subject imports in relation to:

		2017-18	2018-19	2019-20	POI
Production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	52	49	104
Consumption	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	51	46	100
Total Imports	%	40.03%	19.57%	14.08%	35.24%

170. It is seen that the subject subsidised imports declined significantly till 2019-20, in relation to the total imports in India and production & consumption of the product in India. The same however increased significantly in the present POI. It is also seen that whereas total imports of the product into India declined in the POI, imports from China increased. The subject imports holds largest share in imports in the POI.

M. PRICE EFFECT OF SUBJECT IMPORTS AND IMPACT ON DOMESTIC INDUSTRY

171. With regard to the effect of subsidized imports on prices, the Authority has considered whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such subsidized imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

N. PRICE UNDERCUTTING

172. Price undercutting has been worked out by comparing the landed price of imports with the selling price of the domestic industry for the investigation period. While computing the net selling price of the domestic industry all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realization at ex works level has been determined for comparison with the landed value of the subsidised imports.

Particulars	Unit	POI
Net sales realization	Rs./MT	***
Landed price of imports	Rs./MT	***
Price undercutting	Rs./MT	***
Price undercutting	%	***%
Price undercutting	Range	30-40%

O. PRICE SUPPRESSION AND DEPRESSION

173. In order to determine whether the subsidised imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position on the basis of the cost of sales and selling price furnished by the domestic industry is shown as per the table below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
<i>Applicants (JSL & JSHL)</i>					
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	103	109
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	102	116
Landed price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	98	90

174. It is seen that:

- Both cost of sales and selling price increased in 2018-19. However, the increase in cost of sales was higher than increase in selling price.
- Both cost of sales and selling price declined in 2019-20, and the decline in cost of sales was higher than decline in selling price.
- Both cost of sales and selling price increased in POI. However, the increase in selling price was higher than increase in cost of sales.

175. With respect to the other Indian (MSME) producers that are primarily involved in the production of the 200 series, it is seen that the selling price during the POI is lower than the cost of sales. It is the contention of the interested parties that the landed price of imports in the 200 series are lower than the selling price of the other Indian producers. The cost of sales of the other Indian producers has increased in the year 2018-19 and has reduced in the year 2019-20, but has once again increased in the POI. It has been contended that the imports being made in the utensil segment is cold rolled whereas the grades being sold by applicant domestic industry and MSME industry is hot rolled flat product which undergoes two stages of rolling. Thus, value addition from hot rolled flat to cold rolled patta needs to be added while making appropriate comparison. In view of the value addition required from Hot rolled to cold rolled patta product, it is noted that landed price of imported cold rolled product should be significantly above the cost and selling price of the Indian industry's hot rolled product. The Indian industry has claimed that the value addition would be in the range of Rs. 25,000- 30,000/ MT.

Particulars (POI)	UOM	Domestic industry (JSL +JSHL)	MSME Industry (19 producers)
Selling Price	Rs/MT	***	***
Cost	Rs/MT	***	***
Landed Value of imports in the 200 series	Rs/MT	***	

176. Authority notes that M/s Quality Foils, which is a re roller and is involved in converting hot rolled flat products to cold rolled product, had filed injury information vide submission dated 29th December 2022. It is seen from the information filed that value addition based on this data is also around Rs 28000/MT. Accordingly, the landed price of imported cold rolled product would be below the cost of the cold rolled product produced by the Indian industry after converting from hot rolled stage considering such value addition. Resultantly, the selling price of the hot rolled flat product produced by the Indian industry is seen to be lower than the respective cost of production. Thus, imports in this segment are causing price depression in the domestic market.

177. Domestic industry had provided information on cost, selling price and landed price of imports for post POI. Table below demonstrates:

	Post POI		
	UOM	Jul21- Mar22	Apr22- Dec22
Cost	Rs/MT	***	***
Trend	Indexed	132	135
Selling Price	Rs/MT	***	***
Trend	Indexed	135	133
Landed price of imports of grades going in utensil segment (200 series)	Rs/MT	***	***
Trend	Indexed	100	103

178. It is seen that the landed value of cold rolled product continues to remain significantly below the cost of the cold rolled product converted from the hot rolled product produced by domestic industry after considering the value addition required as noted earlier.

P. ECONOMIC PARAMETERS RELATING TO THE DOMESTIC INDUSTRY

179. The Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the subsidized imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

a. Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

180. Position of the domestic industry over the injury period with regard to Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales was as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI-A
<i>Petitioners (JSL & JSHL)</i>					
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	105	119

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI-A
Petitioners (JSL & JSHL)					
Production (PUC and NPUC)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	103	98
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	98	83
Sales Volume					
a. Domestic	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	102	98
b. Exports	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	79	84	74
c. Total Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	98	94

181. The Authority notes that since the duties have been in force, the petitioners have been able to improve their sales up till 2019-20 and have even enhanced their capacity in the POI. Due to the increase in capacity during the POI, the capacity utilization has declined. The petitioners have also managed to improve their sales in both the domestic and export markets till 2019-20 on account of the level playing field which was created by the countervailing duties in force. Subsequently, during the POI, when the duty was revoked, the sales and production of the applicants have declined.

182. With respect to the other Indian (MSME) producers that are primarily engaged in the production of 200 series, it is seen that while the duty was in force (upto 2019-20), the other Indian producers have been able to improve their installed capacity, production quantity, capacity utilization and domestic sales. When the duty was revoked during the POI, the capacity utilization of the other Indian producers has declined to the lowest level. Further there has been a decline in production and sales during the POI as compared to 2019-20.

Particulars	Units	2017-18	2018-19	2019-20	POI Annualized
Other Indian Producers (19 MSME)					
Installed Capacity*	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	128	168	177
Total Production Qty (PUC+NPUC)*	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	152	203	169
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	122	96
Production Qty of PUC	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	145	188	159
Domestic Sales (Total)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	145	185	155

b. Profitability, return on investment and cash profits

183. Position of the domestic industry (JSHL and JSL) over the injury period with regard to profitability, ROI and cash profit are as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI-A
Profit /(Loss) Domestic					
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
		100	113	103	109
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	102	116
Profit/(Loss) per unit	Rs./MT	***	(***)	***	***
Trend	Indexed	100	(182)	102	676
Profit/(Loss)	Rs. crores	***	(***)	***	***
Trend	Indexed	100	(185)	104	667
Profit/loss % of price	%	***%	(***)%	***%	***%
Trend	Indexed	100	(165)	99	585
Profit /(Loss) Exports					
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	121	122
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	127	126
Profit/(Loss) per unit	Rs./MT	(***)	(***)	***	***
Trend	Indexed	100	120	60	6
Profit/(Loss)	Rs. crores	(***)	(***)	***	***
Trend	Indexed	(100)	(94)	51	6
Profit/loss % of price	%	(***)	(***)	***	***
Trend	Indexed	(100)	(103)	47	5
Total profits	%	(***)	(***)	***	***
Trend	Indexed	100	-557	309	1558
Cash Profit total	Rs. crores	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	18	115	270
Cash Profit per unit	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	18	114	274
Interest cost	Rs. crores	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	94	74
Profit before Interest	Rs. crores	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	45	96	198
Capital Employed (domestic)	Rs. crores	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	101	121
ROCE	%	***%	***%	***%	***%
Trend	Indexed	100	49	95	164

184. It is seen that the profitability of the applicants have improved during the POI despite the revocation of the duty during the POI. The Authority notes that 85% of all imports are in the 200 series, whereas the applicants are primarily engaged in production and sales of the “other grades”. The return on capital employed of the applicants during the POI was at a very high level. The improvement in profitability is not due to the export sales of the applicants since the profit per unit earned through export sales is lower than profit per unit earned through domestic sales. It appears that the applicants, which are mainly producing and selling the ‘other grades’ category of the product under consideration have not suffered any injury after the revocation of duty.
185. The Authority notes that the performance of the other Indian producers (19 MSME) has declined. In the year 2019-20, the other Indian producers (19 MSMEs) have recorded losses, which have intensified during the POI. The profit before tax, PBIT, PBDIT and cash profits are at the lowest levels during the POI owing to the imports from the subject country – which are mainly in the 200 series.

Particulars	Units	2017-18	2018-19	2019-20	POI Annualized
Other Indian Producers (19MSMEs)					
Cost of Sales (ex-factory)	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	97	101
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	95	99
Profit/Loss (per unit)	Rs./MT	***	***	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	68	-10	-57
Net Sales Realisation	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	155	177	154
PBT (Profit before Tax)	Rs. Lacs	***	***	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	98	-18	-88
PBIT (Profit before Interest & Tax)	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	124	85	43
PBDIT (Profit before Depreciation, Interest & Tax)	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	124	110	75
Cash Profit (PBT+ Depreciation)	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	61	13
Interest Cost	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	153	198	185
PBIT as % of Average Capital Employed (ROI)	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	87	47	20

c. Market share in demand

186. Position of the domestic industry over the injury period with regard to market share in demand was as follows:

SN	Particulars	2017-18	2018-19	2019-20	POI(A)
1	Import				
A	China	6.92%	3.52%	3.16%	6.94%
B	Other Countries	10.37%	14.44%	19.28%	12.76%
2	Total Imports	17.30%	17.97%	22.44%	19.70%
3	Petitioner sales	***	***	***	***

SN	Particulars	2017-18	2018-19	2019-20	POI(A)
	Trend (Indexed)	100	100	91	100
4	Sales Others Indian Producers	***	***	***	***
	Trend (Indexed)	100	98	97	93
5	Sales Indian Producers (3+4)	***	***	***	***
	Trend (Indexed)	100	99	94	97
6	Indian Demand/ consumption	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

187. It is seen that market share of both the domestic industry and other producers, declined in 2019-20. The market share of domestic industry has increased in the POI. The market share of China declined upto 2019-20 and increased in the POI, whereas the market share of imports from other countries have declined. Market share of subject imports increased in the POI when the demand declined.

d. Employment, Wages and Productivity

188. Position of the petitioners over the injury period with regard to employment and wages are as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Petitioners (JSL & JSHL)					
No of Employees	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Salaries & Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	111	91
Salaries & Wages per Unit	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	110	94
Productivity per Day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	101	97
Productivity per Employee	MT/No	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	100	96

189. Employment have remained almost constant during the injury period and POI. However, salaries and wages have decreased in the POI. The productivity per day and the productivity per employee have declined during the POI.

190. The Authority notes that the other Indian producers (19 MSMEs) that are mainly involved in the production and sales of the 200 series, have managed to increase the number of employees and salary and wages of employees.

Particulars	Units	2017-18	2018-19	2019-20	POI Annualized
Other Indian Producers (19MSMEs)					
No of employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	127	114	146
Salaries & Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	142	189	186
Productivity Per day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	145	188	159
Productivity Per employee	MT/Nos	***	***	***	***

Particulars	Units	2017-18	2018-19	2019-20	POI Annualized
Other Indian Producers (19MSMEs)					
Trend	Indexed	100	114	165	109
Productivity Per day per employee	MT/Day/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	200	100

e. Inventories

191. Position of the domestic industry over the injury period with regard to inventories is shown in the table below:

Stock (Volume)	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Opening	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	76	75	91
Closing	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	119	171
Average	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	86	94	126

192. It is seen that the inventories with the domestic industry declined till 2018-19, and increased thereafter.

193. With respect to the other Indian producers that are in the 200 series, it is seen that the level of inventories has increased steadily. This indicates accumulation of stock of the other Indian producers.

Particulars	Units	2017-18	2018-19	2019-20	POI Annualized
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	122	155
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	132	282
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	127	224

f. Growth

194. Overall growth of the domestic industry was positive in respect of price parameters. The growth in terms of volume parameters, however, became adverse in the POI as production and sales have not increased in the POI.

Q. CONCLUSION ON INJURY

195. The Authority notes that the duty was imposed on 07th September 2017 and was suspended on 1st February 2021. The duty was subsequently withdrawn on 1st February 2022. No duty has been in force for more than two years. It is noticed that during injury period from 2017-18 to 2019-20, the petitioners as well as the other Indian producers (19 MSMEs) have shown an improvement in performance since the duty was serving its purpose of protecting the domestic industry from unfairly traded goods from China PR. The duty was suspended during the POI; there is a noticeable and immediate increase in imports as soon as the duty was suspended and throughout the post-POI period when no duties were in force. Further, it was also seen that 85% of all imports were in the 200 series.

196. It has been contended by the domestic industry that the domestic producers produce hot rolled product through the induction furnace route and the same is processed further by re-rollers in patta sector for making it suitable for eventual end use. Both, the induction furnace units and the patta sector re rollers are exclusively producing goods of 200 series meant for utensil segment. It has been contended that the induction furnace industry is entirely dependent on sales to the patta re-roller sector. These parties contended that the Chinese imports have very adversely impacted them, as the patta re-rollers have reduced their purchase of HR flat either because of direct Chinese imports or because of loss of their own business. These units claimed that they are already suffering injury due to Chinese imports. The Authority has noticed that the MSME and patta sector producers, have been the most vulnerable to the adverse impacts of the imports from China PR since during the POI over

92% of the products manufactured by these MSME producers are in the 200 series. These MSME producers are therefore in direct competition with 85% of Chinese subsidized imports. The injury parameters examined above clearly demonstrates that the MSME producers are disproportionately affected by the imports from China PR post the suspension of the duty. The consequences of the suspension of the CVD are evidently visible from the clear deterioration in the performance of the Indian MSME producers. The Indian MSME producers were very prosperous and profitable when the duty was in force, but has suffered significant losses during the POI when the duty was suspended and eventually withdrawn.

197. On the other hand, it is noticed that the petitioners have been profitable despite the suspension of the duty. It is to be noted that the petitioners (JSL and JSHL) are producing goods in the 'other grades' category in addition to the 200 series. Majority of the goods produced by the petitioners are in the 'other grades' category, which were competing with only 15% of the imports from China PR. The petitioners were profitable during the POI. It is thus concluded that the imports of the subject goods from China PR are mainly causing injury in the 200 series.

R. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

198. The Authority has determined non-injurious price (NIP) for the domestic industry. The non-injurious price of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified for the period of investigation by practicing accountant. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price.
199. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating the injury margin. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is provided in the table below:

Particular	Amount
Non-injurious price	Rs. ***
Landed Value	Rs. ***
Injury margin amount	Rs. ***
Injury margin %	***%
Injury margin range	20-30%

S. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS (NON-ATTRIBUTION ANALYSIS)

200. The Authority examined whether other factors listed under the CVD Rules could have caused injury to the domestic industry.

PATTERN OF IMPORTS

201. The Authority notes that during the POI, 85% of imports from China PR are from the 200 series, whereas the rest of the 15% of imports are from the 'other grades'. Due to the low volume of imports in the 'other grades' category, there appears to be insufficient causal link between the alleged injury and the subsidized imports. Further, the petitioners (JSL and JSHL) are mainly producing and selling products belonging to the 'other grades' category. Majority of the goods produced by the petitioners are in the 'other grades' category, which were competing with only 15% of the imports from China PR. The petitioners were profitable during the POI, and were not suffering from injury. This is a clear demonstration that imports from the 'other grades' category have not had an adverse impact on the performance of the petitioners. For the reasons examined above, there appears to be insufficient causal link with respect to the injury caused due to the imports of the 'other grades' from China PR.
202. On the other hand, the other Indian producers that are in the MSME and patta sectors, primarily produce 200 series and are in direct competition with 85% of imports from China PR. The Authority has noticed that the MSME and patta sector producers, have been the most vulnerable to the adverse impacts of the imports from China PR since during the POI over 92% of the products manufactured by these MSME producers are in the 200 series. These MSME producers are therefore in direct competition with 85% of Chinese subsidized imports. The injury parameters examined above clearly demonstrates that the MSME producers are disproportionately affected by the imports from China PR post the suspension of the duty. The consequences

of the suspension of the CVD are evidently visible from the clear deterioration in the performance of the Indian the MSME producers only. The Indian MSME producers were very prosperous when the duty was in force, but have suffered significant losses during the POI when the duty was suspended and eventually withdrawn. Hence the profitability parameters of these other Indian producers have significantly declined during the POI. It is therefore noticed that there exists a strong causal link with respect to the injury caused due to the imports of the 200 series of the product under consideration.

VOLUME AND VALUE OF IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES

203. Imports from other countries are either below *de-minimus* limits or their prices are higher than China PR except Malaysia and Hong Kong. As regards Malaysia, applicants referred to CRU report and contended that the report publishes worldwide melting capacity. As per the report, petitioners contended that Malaysia has been shown as having no melting capacities, and therefore the product exported by it is produced from hot rolled product imported, re-rolled and exported to India. With regard to Hong Kong, applicants contended that it does not even identify as either a country having melting or re-roller facilities. Hong Kong, applicants contended, is a mere trading country.

CONTRACTION IN DEMAND OR CHANGES IN THE PATTERN OF CONSUMPTION

204. Demand for the product under consideration has registered a decline in the POI. This was due to Covid pandemic. However, it is noted that demand continues to remain significant. It is seen that the demand for the product has increased significantly in the post POI period. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change.

TRADE RESTRICTIVE PRACTICES OF AND COMPETITION BETWEEN THE FOREIGN AND DOMESTIC PRODUCERS

205. The Authority notes that there is no evidence of possible adverse trade restrictive practices.

DEVELOPMENTS IN TECHNOLOGY

206. There is no evidence on record showing possible change in technology for production of the product or any likely changes in the foreseeable future.

EXPORT PERFORMANCE

207. The applicant companies export the like article and the volume of exports are quite significant. Injury information has however been segregated as regards sales volumes, profits, cash profits and investments; and, therefore, possible deterioration in export performance could not be a factor responsible for injury claimed by the domestic industry.

T. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF SUBSIDIZED IMPORTS AND INJURY

I. VIEWS OF DOMESTIC INDUSTRY


208. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to likelihood of continuation or recurrence of subsidized imports and injury:

- i. Imports increased significantly during the POI, and given significant price undercutting, significant surplus capacities already existing with Chinese producers, and further expansions planned, it is evident that the imports will increase further in the event of cessation of CVD.
- ii. After June 2021 till date, when there was no CVD in place, imports surged from 87,408 MT in base year of original investigation to 1,75,048 MT in POI and to 80,000 MT in December, 2022 alone.
- iii. China is the largest producer in the world, with total existing capacity of 41 million MT which is 16 times the Indian demand of 25 lacs MT. Despite having surplus capacities, Chinese producers kept adding new capacities with plans of capacity additions.
- iv. As per CRU Stainless-steel-flat-products-market-outlook-november-2022-statistical-review, capacities built by Chinese producers exceed their domestic demand. With almost 51% capacity being unutilised, being sufficient to take away entire Indian demand. China's share in world capacity is 58%.
- v. As per CRU published reports, in terms of melting capacity, following producers Jiangsu Dongfeng Shipbuilding Co., Jiangsu Huiran Industry, Linyi Steel Investment Co, Shandong Shengyang Group and Shandong Lingang Special Steel, Inner Mongolia Jing'an, Mintal group are increasing their capacity.
- vi. The level of trade distortion in stainless steel globally can be gauged from the number of trade remedial measures imposed or ongoing. Countries are riddled with stagnant demand and excess production and surplus capacity which leaves very little space for absorbing additional volumes. US and EU imposed measures restricting import of Stainless Steel. Therefore, exports from China to various destinations fell


sharply. China has no other option but to look for markets which are price attractive, has positive demand and has no trade remedial measure in place against China.

- vii. Imports were undercutting the prices of DI to a significant extent. Margin of undercutting is high in 200 series leading to a significant increase in imports of 200 series. Imports are likely to increase further if anti-subsidy measures are not continued.
- viii. Landed value of imports is much lower than the selling price and cost of sale of the domestic industry. Producers from the subject country find the Indian market quite attractive in terms of prices. Imports are having a significant suppressing effect on domestic prices, would likely increase demand for further imports.
- ix. Chinese producers are heavily export oriented, have turned from a net importer in 2009 to a net exporter from 2010 onwards with record high in 2022. China has mammoth capacities, and freely disposable production capacities, same can be used to target export market.
- x. India’s consumption of stainless-steel is growing at a CAGR of 9-10% per annum. Global per-capita stainless-steel consumption is 6 kgs, for India it is 2kgs, indicating the growth is expected to continue. This makes India a very obvious target for stainless-steel capacities in China as well as Indonesia.
- xi. The domestic industry improved profitability in POI on account of market forces. Raw material and stainless-steel prices are inter-linked. POI period saw significant increase in raw material prices leading to significant increase in profitability of stainless-steel.
- xii. Prices of stainless-steel has improved, highest increase registered by USA by around 71%. Price increase is not a unique occurrence to the applicant, but rather a global phenomenon. Despite high material prices, Chinese prices have not increased as much, indicating the highly subsidised and injurious prices.
- xiii. Producers globally are reporting higher profitability rates than applicant companies, despite their performance their authorities have continued to levy measures on China, including EU’s safeguard.

Graph showing raw material prices



Graph showing stainless steel prices



- xiv. The actual exports made by China to other countries can also be diverted into the Indian market if the prices to the Indian market are more attractive. Due to non-cooperation of the exporters, this capacity is not determined and may be understated.
- xv. China has more than 51% unutilised capacity. The petitioners' maximum capacity utilisation during the injury period was 100%. It would thus be seen that the producers can produce to its complete capacity. This excess capacity is 564% of Indian demand. In addition to the excess capacity, major countries have imposed measures on China and thus these markets are restricted. Thus, Indian market with growing demand is lucrative for all the exporters in China who wants to utilise their unutilised capacities.

II. VIEWS OF OTHER INTERESTED PARTIES

209. The other interested parties have filed the following comment or submissions with regard to likelihood of continuation or recurrence of subsidization and injury.
 - i. Termination of the duty is the norm whereas continuation is an exception.
 - ii. Rule 24 of the Customs Tariff (CVD) Rules and Section 9(6) of the Customs Tariff Act states that the life of CVD must ordinarily be 5 years. Only in exceptional circumstances can the duty be continued.
 - iii. The word used in Section 9(6) and Rule 24 is "likely/likelihood" and not "possible/possibility". The applicants must establish that termination of the duty 'will' result in dumping and injury and not merely the possibility.
 - iv. As per the Judgement of the General Court (First Chamber) in Case T-422/13, it was observed that the mere possibility that injury might continue or recur is insufficient to justify retaining a measure. Retention is dependent on likelihood of continuation or recurrence of injury being established.
 - v. The continuation of the CVD is mentioned in the proviso to Section 9(6) of the Act. As per the rules of statutory interpretation, provisos are added to create an exception to the general rule laid down in the main provision.
 - vi. Reliance is placed on Ram Narain Sons Ltd. V. Asstt. CST, AIR 1995 SC 765 and Shah Bhojraj Kuverji Oil Mills and Ginning Factory v. Subbash Chandra Yograaj Sinha, AIR 1961 SC 1596.
 - vii. The language of Article 21 of the SCM Agreement states that the measure shall remain in force only as long as and to the extent necessary to counteract subsidization which is causing injury.
 - viii. In the Panel Report in *US – Carbon Steel (India) (DS436)*, it is stated that Article 21.3 reflects the application of the general rule set out in Article 21.1 – that a CVD shall remain in place only as long as necessary – in the specific instance where five years have elapsed since the imposition of a CVD.
 - ix. To make a case of continuation of CVD, the applicants will have to demonstrate that discontinuation of the duty would lead to likelihood of recurrence or continuation of both subsidy and injury.
 - x. In the instant case, CVD was imposed on 7th September 2017 and the financial situation of the domestic industry has improved substantially since then.
 - xi. CVD was suspended from 1st February 2021 and thereafter rescinded from 1st February 2022. In this unprotected period, the domestic industry's financial performance has exponentially improved.
 - xii. It is therefore seen that the CVD on the subject goods has served its purpose and is no longer required.

- xiii. The present investigation is a rare situation where the Authority can evaluate the actual state of the domestic industry in the absence of CVD and determine whether the likelihood of continuation of injury to the domestic industry upon the cessation of CVD would have proven true.
- xiv. The annual financial statements of the applicants show a massive growth in profits and other performance parameters after the CVD was rescinded.
- xv. The revenue of the applicant companies as per the annual reports has increased in the injury period and has suddenly increased post-POI.
- xvi. The revenue from operations for JSL jumped from Rs. 11,679 Crore in 2020-21 to Rs. 20,312 Crore in 2021-2022. Similarly, for JSHL, such revenues increased from Rs. 8,400 Crore in 2020-21 to Rs. 13,549 Crore in 2021-22.
- xvii. The sudden spike in revenues and profits during the year 2021-22 coincides with the period where the domestic industry was not given any protection via the CVD. This demonstrates that the applicants have performed unprecedentedly well despite the absence of CVD on the subject imports.
- xviii. The percentage of PBIT in revenue from operations ranges approximately between 5-9% for the applicants when duty was not in place, while such percentage has gone up to 12-13% in the time when CVD was either suspended or revoked.
- xix. The applicants have presented in their investor presentation, that there has been a substantial increment in the stainless-steel production capacity from 1.1MTPA to 2.1MTPA. Phase- 1 of the precision strip capacity expansion of 26ktpa has been commissioned. This has doubled the applicants' total capacity to 48 ktpa.
- xx. The applicants, while alleging a likelihood of recurrence or continuation of subsidization and injury, have themselves been investing in such high quantum towards capacity expansion. This shows that the applicants have been expecting future growth.
- xxi. JSL has stated in its annual report that the stainless-steel industry is likely to benefit further from demand improvement in segments like infrastructure, railways, automotive, process industry, etc. It has also been stated that there is healthy cash flow generation by the company.
- xxii. The applicants' reliance on the CRU, "*Stainless Steel Flat Products Market Outlook, November 2020*" to show idle capacity is misplaced. The applicants have failed to establish the reliability of the report.
- xxiii. The applicants do not mention any basis that was taken by the report to calculate the capacity utilization.
- xxiv. In *All India Laminated Fabrics Manufacturers Association v. Designated Authority*, the CESTAT observed that when the source material was not disclosed nor the authenticity established, it was not proper for the designated authority to have placed reliance upon the report.
- xxv. The latest version of the report was published in November 2022; however, the applicants have not filed the latest version of the report.
- xxvi. Excess capacity does not refer to any capacity over and above the domestic demand in a particular country. Rather, it refers to idle capacities that may be engaged, in the future, for production and sale of the subject goods to India.
- xxvii. Merely because 24% capacity is unutilized does not mean this will be utilized to export the subject goods to India.
- xxviii. The average capacity utilisation of producers in China PR has been over 75% in the injury period; the capacity utilisation in 2020 was 83% while in 2021 was 88%. Even in 2022, where such capacity utilisation had reduced, it was at 77%.
- xxix. As per the OECD's Steel Market Development Report for the 4th Quarter of 2022, the average global rate of capacity utilization can be estimated to be around 80%. Against this benchmark, the average capacity utilization of stainless-steel producers in China PR, does not suggest any idle capacity.
- xxx. In *Indian Spinners Association v. Designated Authority*, the CESTAT held that existence of surplus production capacity cannot be taken as posing a clearly foreseen and imminent threat of injury.
- xxxi. In the sunset review investigation on Aniline from USA and Japan, the Authority observed that the mere availability of surplus capacity does not itself justify a finding that dumping from a subject country may continue or recur.
- xxxii. Mere increase in imports would not demonstrate likelihood of continuation or recurrence of subsidization and injury, especially when economic parameters of the domestic industry show high growth even when the imports of China have been going up.

- xxxiii. There is a significant difference in the data cited by them in the written submissions and the data cited in the petition, where they have relied on the same source.
- xxxiv. While the capacity utilization of the producers in China PR as reported in the petition (on the basis of CRU data published in November 2020) for the years 2017, 2018 and 2019 was 76%, 76% and 84%, respectively, the capacity utilization of the producers in China PR as reported in the written submissions (on the basis of CRU data published in November 2022) for the years 2017, 2018 and 2019 was 55%, 57% and 64%, respectively.
- xxxv. The reports cited by the applicants to claim that there is excess capacity must be rejected since it is not reliable.
- xxxvi. Chinese government has already initiated plans to reduce their stainless-steel production.
- xxxvii. Trade remedial measures by multiple other countries cited by the applicants are not new or measures that would lead to a sudden diversion of exports from those markets to India.
- xxxviii. The market price of the PUC in India is much lesser than that of other countries, the Indian market is not attractive compared to that of other countries.
- xxxix. The applicants have not provided the source of the data from where they have made the claim that there is export orientation of Chinese producers.
- xl. Even if there is export orientation, it does not establish that Chinese producers will immediately flood the Indian market.
- xli. Post cessation of the CVD since February 2021, there has been no substantial increase in the volume of subject imports. Any such imports have been made to meet the shortfall in supply in India.
- xlii. Union Steel Minister of India has stated that the cheap imports from China are very minimal and that the Indian steel market has been growing tremendously. It was also stated that the threat to India, if any, has been from its “FTA countries” and not China.
- xliii. The allegation of the applicants that despite increase in cost of raw materials, Chinese producers have not increased their price is not supported by any evidence or data.
- xliv. Even though the global prices of the raw materials of the PUC have increased. The applicants have not established that the raw material prices of the Chinese producers in particular have increased.
- xlvi. It is possible that the Chinese producers may be sourcing their raw materials locally, whose prices may follow a different price trend due to market factors in China PR.

III. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

210. The present investigation is a sunset review of anti-subsidy duty on the imports of subject goods from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of subsidized imports and injury to the domestic industry.
211. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, clause 3 of Annexure-I of the CVD Rules provides, *inter alia*, factors which are relevant for threat of injury and the same factors may be used for likelihood analysis in a sunset review as well. These are non-exhaustive list of factors. Further, these factors are required to be considered and applied having regard to the requirements of a sunset review where the Authority is required to determine whether injury to the domestic industry is likely to continue or recur in the event of cessation of CVD. Further, since there were no CVD in place or not collected w.e.f. 1st February, 2021, the Authority has analysed imports of the product for the most recent period (i.e., April 2022 to December, 2022). The Authority notes that whereas consideration of post POI period may not have been appropriate in a review where ADD was in place in the POI and the post POI period, in a case where CVD was withdrawn or not collected for significant period after the post POI, it would be appropriate to consider the information for the said period. The non-exhaustive factors analysed by the authority to determine the likelihood of continuation of subsidised imports of subject goods from China are:
- i. Nature of the subsidy or subsidies in question and the trade effects likely to arise therefrom;
 - ii. a significant rate of increase of subsidized imports into the domestic market indicating the likelihood of substantially increased importation;
 - iii. sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased subsidized exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
 - iv. whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and

v. inventories of the product being investigated.

212. In the absence of cooperation and information from the Government of China and the producers/exporters from China, the Authority has relied on the data/information submitted by the domestic industry and the information available with the Authority for conducting the likelihood analysis. The Authority notes that the applicants have relied on the CRU report which is claimed to be a globally accepted trade journal for information with respect to capacities, production, and demand of the subject goods both in the subject country and globally.

CONTINUED IMPORTS IN SUBSTANTIAL QUANTITIES

213. The volume of imports during the injury investigation period and the post POI is as follows:

Particulars	2017-18	2018-19	2019-20	POI(A)	2021-22 (A)	2022-23(A)
China	1,77,630	93,928	92,441	1,75,048	3,04,634	5,08,961

214. It is seen that the volume of subsidized imports of the product under consideration from the subject country declined in absolute terms between 2017-18 and 2019-20. The imports have however been increasing since POI, the volume of which has significantly increased in post POI period.
215. The Authority further notes that even though volume of subsidized imports of product under consideration from China declined in 2018-19 and 2019-20, in the POI, they were comparable to the volume in the base-year level. The volume of the subsidized imports is significant despite the anti-subsidy duty in place during the initial years, during the POI and in the post-POI period the imports surged higher, however the duty was suspended during the POI period.
216. The Authority notes that during the POI, 85% of imports from China PR are from the 200 series, whereas the rest of the 15% of imports are from the 'other grades'. Further, the petitioners (JSL and JSHL) are mainly producing and selling products belonging to the 'other grades' segment, whereas the other Indian producers belonging to the MSME and patta sector do not manufacture significant quantities of 'other grades'. Majority of the goods produced by the petitioners are in the 'other grades' category, which were competing with only 15% of the imports from China PR. The petitioners were profitable during the POI, and were not suffering from injury. The effect of the imports from the 'other grades' are not significant on the Indian MSME producers since they are not manufacturing significant quantities of products belonging to the 'other grades' category. Due to the low volume of imports in the 'other grades' category, and due to the fact that the petitioners have been profitable during the POI when the duties were not in force, there appears to be insufficient likelihood of recurrence or continuation of injury in case the countervailing duty in respect of the 'other grades' of the product under consideration is revoked/withdrawn.
217. On the other hand, the other Indian producers that are in the MSME and patta sectors, primarily produce the 200 series and are in direct competition with 85% of imports from China PR. The Authority has noticed that the MSME and patta sector producers, have been the most vulnerable to the adverse impacts of the imports from China PR since during the POI over 92% of the products manufactured by these MSME producers are in the 200 series. These MSME producers are therefore in direct competition with 85% of Chinese subsidized imports. The injury parameters examined above clearly demonstrates that the MSME producers are disproportionately affected by the imports from China PR post the suspension of the duty. The consequences of the suspension of the CVD are evidently visible from the clear deterioration in the performance of the Indian the MSME producers only. The Indian MSME producers were very prosperous when the duty was in force, but have suffered significant losses during the POI when the duty was suspended and eventually withdrawn. Hence the profitability parameters of these other Indian producers have significantly declined during the POI. It is therefore noticed that there exists a strong likelihood of recurrence and continuation of injury in case the duty in respect of the 200 series of the product under consideration is revoked/withdrawn.

SURPLUS CAPACITY IN CHINA

218. It is noted that neither the producer/exporter from China PR nor the Government of China has participated in the subject sunset review investigation. Therefore, no information is available with the Authority based on questionnaire response of producers/exporters from China PR or the Government of China. As per information made available by the applicants i.e., from the CRU Report (November 2022) it is noted that the capacities available with the producers in China are way more than their domestic demand.

China						
(Quantity in kt)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Capacity	29,000	30,470	30,750	31,300	31,000	40,940

Consumption	16,064	17,305	19,619	20,412	21,325	20,779
Capacity utilisation	55%	57%	64%	65%	69%	51%
Global capacity	53,704	56,426	58,019	60,192	60,784	70,586
China's share in world capacity	54%	54%	53%	52%	51%	58%

219. It is seen that the Chinese producers hold mammoth capacity far beyond their own domestic demand and current exports, leading to significant under-utilisation of production capacities. Additionally, no elements have been brought on record by any interested party that could indicate that the Chinese domestic demand or other third country markets could absorb the available surplus capacity.

220. The Authority further notes despite significantly underutilised capacities, the Chinese producers have been adding capacities, practically every year. None of the interested parties have brought any evidence that these capacity additions were made to fill in some gap in some market segments, despite existing overall surpluses. It was seen during plant visit of the petitioners that capacities are fungible and hence, can be utilised to produce different product types within the PUC. However, there is no such verifiable claim made by any interested party. Further, the evidence provided by the applicants shows plans of Chinese producers to further expand capacities with significant investments.

A.1.1 Historical analysis of market share and imports

221. The Authority notes that the historical analysis of market share and imports from the subject country into India shows that imports from China have been significant throughout. The imports fell for a short period of time during the imposition of duty in the years 2018-19 and 2019-20 but have increased significantly in the POI and post-POI period and have remained significant throughout. Similar is the case with market share. In the base year, the market share of imports of the PUC from subject country was very high, it decreased for two years, but remained significant. In the POI the market share has caught up to the level of base year and stood at 6.94%. However, the market share of imports of 200 series declined from the base year till 2019-20 but increased to 11% during the POI.

222. The Authority also notes the argument of the domestic industry and finds that whereas China was a net importer of the product during the periods 2002-2009, the China became a significant volume exporter of the product from about 2010. The China has exported about 5,15,843 MT of stainless-steel flat rolled product in 2022.

PERSISTENT PRESENCE OF EXPORTERS IN THE MARKET AND VULNERABILITY OF THE DOMESTIC INDUSTRY

223. The Authority notes that the Indian market even after the imposition of the anti-subsidy duty has witnessed the consistent presence of imports from the subject country. The Authority notes that Indian Industry has sufficient capacity to meet the Indian demand. The installed capacities with the MSME sector alone is 15,00,000 MT in these grades, as against gross Chinese imports of 3,81,720 MT in most recent period of Apr-December, 2022.

SWITCHING OF IMPORT SOURCES AND PRODUCT PROFILE

224. The Authority notes that, from the analysis of previous investigations on stainless steel flat products, Chinese imports have almost consistently increased in the Indian market since 2009. Additionally, it is seen that the pattern of imports kept shifting from one product form to another form, depending on the products that were subject to anti-dumping measures.

Trade Measures imposed by other countries

225. As per the information on record, there have been a number of trade remedial measures imposed and in-force against Chinese exports by a number of countries, including India. Table below shows various measures invoked by various investigating authorities globally.

Country	Investigated Country	Unit	Range of duty	Date of original imposition
Brazil	China	US\$/MT	175.62 - 629.44	04.10.2013
EU	China	%	24.4 - 25.30	27.08.2015
Malaysia	China	%	2.68 - 23.95	08.02.2018
Mexico	China	%	63.00%	02.10.2020

South Korea	China	%	23.69 - 25.82	15.09.2021
Taiwan	China	%	38.11-38.11	15.08.2013
Thailand	China	%	8.5 - 33.32	10.12.2013
USA	China	%	63.86 - 76.64 (ADD) 75.60-190.71	03.04.2017
Vietnam	China	%	17.94 - 31.85	04.10.2014

226. The Authority notes that the level of trade distortion in stainless steel globally is reflected from the number of trade remedial measures imposed or ongoing. Countries like China, EU, Japan, Korea and USA are the major consumers of the PUC, these countries have stagnant demand & excess production and surplus capacity which leaves very little space for absorbing additional volumes.

227. The US has imposed various trade protection measures like Section 232 tariffs, as a result of which, access to these markets is automatically blocked. The EU has imposed definitive safeguard measures, which impose country-specific quotas. China itself has imposed anti-dumping duties on imports of stainless-steel slabs and hot-rolled stainless steel from the EU, Japan, South Korea and Indonesia. It is seen that China has a historical and persistent practice of dumping and exporting subsidised subject goods in other countries as well.

Third country injurious exports

228. The Authority has examined third country injurious exports by comparing landed price of the subject goods (to third countries) with the NIP of the domestic industry Information with respect to the third country injurious exports is given below:

Export to third countries at injurious price	MT	14,08,406
Total exports to third countries	MT	32,69,701
Exports to other countries at injurious price	%	42%
	Range	40-50%
Exports at injurious prices as % of Indian demand	%	55%
	Range	50-60%

229. It is seen that a significant share of exports to third countries are at injurious prices. The volume of exports from the subject country to third countries at injurious price and is almost 56% of Indian demand.

PRICE ATTRACTIVENESS OF THE INDIAN MARKET

230. Information with respect to price attractiveness is given below:

Export to other countries below price to India	MT	20,42,536
Total exports to third countries	MT	32,69,701
Exports to other countries below price to India	%	62%
	Range	60-70%
Exports to other countries below price to India as % of Indian demand	%	82%
Range	%	80-90%

231. It is seen that volume of exports from subject country to third countries at prices below their export price to India.

U. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

I. VIEWS OF OTHER INTERESTED PARTIES

232. It has been claimed by the other interested parties that imposition of countervailing duty, if any, on the subject

goods would not be in public interest for the following reasons:

- i. PUC forms such high percentage of the total cost of raw material costs of the users that any addition to the cost of the PUC will have a direct adverse impact on the user industry.
- ii. The importer-traders and end-users will not be able to absorb the increased price hike and will be forced to pass the increase in costs due to continuation of countervailing duty to the end-consumer.
- iii. The domestic consumers would rather prefer to import the finished products (such as kitchen sinks) directly from China PR or any other country. This would lead to shutting down of the user industry of the subject goods in India, which would prove detrimental to the Indian economy and the domestic market.
- iv. The applicants have not been able to meet the demand for the PUC in India; as a result, the user industry is constrained to import the PUC from China.
- v. Supporting producers produce "Patta" Steel. However, steel coils are much better source to make utensils than the flat or "Patta" steel.
- vi. There is a higher demand of steel coil and since the domestic producers cannot cater to this demand, the same is catered to by the imports from China.

II. VIEWS OF DOMESTIC INDUSTRY

233. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to public interest:

- i. Continuation of the duty would be in the interest of the downstream industries, consumers as well as the public at large.
- ii. The effect of countervailing duty should be examined from perspective of different stakeholders.
- iii. Imports of the subject goods imported into India are rapidly increasing and gaining significant share of the market. Further, they are made at subsidised prices that is even below the cost of sales of the domestic industry.
- iv. The purpose of continuation of countervailing duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices and restore fair competition in the Indian market.
- v. Competitive domestic industry is in favour of consumers. Supplying the product to consumers in competition with fair priced imports.
- vi. If consumers become import reliant, they will be forced to keep higher degree of inventory. However, in case of procurement from the domestic industry, the consumers have the option of maintaining lower inventory levels.
- vii. It is in the interest of the public at large to have a strong, competitive domestic production of the product.
- viii. Encouraging domestic manufacturing activities is essential to make India the manufacturing powerhouse.
- ix. Encouraging domestic production will boost employment and increase the GDP of the country.
- x. With no demand-supply gap and no reliance on the imports, the Indian Steel industry is a totally Atmanirbhar Industry.
- xi. Indian Industry has surplus capacities. Further, they are capable to produce all the grades and qualities that are being imported from China.
- xii. If the imports from the subject country are to cease as a result of the proposed duty, it would not lead to the applicants monopolising the Indian market since the applicants already face competition from other Indian producers
- xiii. Majority of the producers of like article in India belong to MSME sector and thus we need to protect MSME. Also, there are several other producers in the Indian market in the MSME sector that may be unable to put forward such resistance.
- xiv. Stainless steel uses in Infrastructure industry are just 12% as compared to 62% in carbon steel industry. Table below shows consumption profile of the product

Particular	Steel	Stainless
Construction & Infra	62%	12%
Auto, Railways & Transport	12%	13%

Capital Goods/ Process	15%	30%
Durables/ Household	5%	44%
Others	6%	1%
	100%	100%

- xv. The eventual impact on the cost of the end products is insignificant. While immediate consumers pass on the cost increase/reduction to their consumers, and do not bear the cost increase, the impact on the eventual end product will not be unbearable.

Segment	Range %
Automobile, Railways, Transportation	0.10-0.15
Metro	0.55-0.65
Railways	0.05-0.10
Architecture, Building, Construction	0.01-0.05
Process Industry	0.05-0.10
Thermal Power	0.05-0.10
Nuclear Power	0.01-0.05
Petrochemical industry	0.01-0.05
Fertilizer industry	0.25-0.30
Paper plant	0.10-0.15
Kitchenware	0.60-0.70
Domestic kitchen	0.60-0.70
Commercial kitchen	0.80-0.90
total impact of SS as whole	0.05-0.10

- xvi. The impact of duties, if the same is fully passed into product prices, is hardly in the range of 0.05%-0.10%, which is insignificant and inconsequential to the ultimate end-consumers.
- xvii. The manufacturing industry is a labour-intensive, capital intensive and provides large-scale employment.
- xviii. Significant investment is involved in the establishment of capacities by the domestic producers as a whole which is to the tune of 30,000 Crores. Thus, not protecting the interest of domestic producer would directly jeopardise the huge investments made and will lead to large scale unemployment.
- xix. The actual benefit of duties would be immeasurable in the present case, as about 500 MSME companies in the Patta segment and 80 companies in the melting segment, which employ more than 4 Lakh workmen, are directly impacted by the increasing Chinese imports.
- xx. The producers in the subject country will only operate with the objective of maximization of their revenue and have no stake and interest in long term development of the Indian market or consumers. In the event another market offers better prices, the producers in the subject country are bound to switch their sale targets. On the contrary, the Indian industry being established in the same national territory as the consumers, will keep the consumer's interest in mind.
- xxi. Indian market is not only self-sufficient but also has the potential to be a global supplier; thereby contributing towards the forex reserves of India.
- xxii. Countervailing duty is a redressal of unfair price discrimination by the producers in other countries, which is injurious to the industry in India. It is not a protection to the industry, rather a tool to bring fair market competition in the country.

- xxiii. The objective of continuation of anti-subsidy duty is to establish a level playing field, by removing any trade distortion by the producers in the subject country and allowing the Indian industry an opportunity for fair competition.
- xxiv. The melting units in the MSME sector (induction furnace sector) sell goods to the patta industry which then rolls the product and sells goods to the utensil manufacturers. Since imports are coming in this sector, this segment is directly impacted. The information on capacity, production and sales have been provided by 60 companies from these sectors.
- xxv. The production with domestic producers increased till 2019-20 and considering the growth in production and sale, the industry also enhanced its capacity in POI. The production and sales, however, declined in the POI with increases in imports from the subject country.
- xxvi. In the present investigation as many as 78 consumers have communicated their support. Had there been an adverse impact of duties, the Authority would not have had such an overwhelming support from the consumers.
- xxvii. The benefit of duties is much larger for the stainless-steel industry in comparison to the possible “adverse impact” on the consumers.

III. EXAMINATION BY AUTHORITY

- 234. The Authority issued initiation notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide relevant information with regard to present investigation, including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. The Authority considered whether continued imposition of duty will have any adverse impact on the public interest. During the course of the investigation, steps were taken to examine whether continuation of anti-subsidy duties will be against public interest. For this, the Authority has considered information on record and interests of various parties, including applicant, importers, and users of the product.
- 235. The Authority notes that the purpose of anti-subsidy duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market. which is in the general interest of the country. Extension of anti-subsidy measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
- 236. It is recognized that the imposition of anti-subsidy duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-subsidy measure, particularly if the levy of the anti-subsidy duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, extension of anti-subsidy measure would remove the unfair advantages gained by subsidisation, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
- 237. It has been contended that anti-subsidy duty is a significant cost to the end users. The Authority notes that Suncity Sheets Pvt. Ltd., and Shah Foils Ltd. filed user questionnaire responses. Additionally, Honest Enterprise Pvt. Ltd. submitted Importer questionnaire response, and All India Stainless Steel Industries Association (AISSIA) made submissions as an association of importers and users of subject goods. The submissions made by the consumers during the course of the investigation have been taken into account. The Authority notes that these interested parties have not shown with verifiable information that the imposition of the anti-subsidy duties shall have significant adverse effect either on these consumers or the public at large. On the contrary, applicants have provided quantified information of the impact of duty on various products used in different sectors such as in automobile industry, railways, transportations, architecture, building, construction, process industry, utensils and kitchenware. It is seen that the impact of the duty is not significant. It is also seen that in construction and infrastructure, stainless steel has only 12% utilisation as opposed to carbon steel which has 62% usage. Further, in case of utensils and kitchenware, since stainless steel is highly durable and long-lasting, its impact becomes inconsequential on the ultimate end-consumer.
- 238. During the course of the investigation, it had been contended that there is a demand and supply gap which necessitates the imports. From the information on record, it was seen that there exists no demand and supply gap and the interested party were asked to provide the basis of the claim. It is therefore seen that there exists no demand and supply gap and the imposition of duty will not impact the availability of the products to the end users. Nonetheless, imposition of duties is not to block imports from entering the Indian market, rather address the unfair pricing of imports.
- 239. It is noted that the purpose of continuation of anti-subsidy duty is to protect the Indian industry from unfair and subsidised imports and thereby provide a level playing field for the domestic producers. Continuation of duty

will protect the interests of the producers, including those belonging to the MSME sector and consumers. As has been noted above, the Indian industry has a unique composition as besides the conventional producers of stainless steel, there also exists patta producers, re-rollers and induction furnace producers. The patta producers are over 500 in number and induction furnace over 60. Together these two types of producers provide employment to more than 4 lakh people.

240. It is recognized that a presence of healthy domestic industry is ultimately in the interest of the users. The recent experience in the Covid-19 period has also shown that the public at large is likely to suffer, if the products are not sufficiently available in the domestic market. There are several producers of the like article in India apart from the applicants. Hence, even if the imports from the subject country are to reduce as a result of the anti-subsidy duty, it would not lead to the applicants monopolising the Indian market, since the applicants already face significant competition from other Indian producers. It is seen that in the POI, the share of domestic industry is only 10.94% in these segment where the Chinese imports were predominantly present. Further, MSME sector was the dominant supplier in that segment. Addressing the injury being suffered by the Indian industry through the continuation of anti-subsidy duty would only make this competition even more vibrant.
241. The Authority also notes that the domestic producers as a whole have made investments to the tune of Rs. 30,000 crores to enhance capacity, enabling them to independently cater to Indian demand. It is in the interest of domestic producers to utilise this enhanced capacity. Continued imposition of duty on unfairly priced Chinese imports will enable utilisation of existing capacities and will reduce reliance on imports.

V. POST DISCLOSURE COMMENTS

I. Views of the Domestic Industry

242. Following post disclosure submissions have been made by the domestic industry:
- a. Induction furnace units and patta re rollers are entirely co-dependent as the entire production of induction furnace units goes for patta re rollers consumption.
 - b. Imports are largely coming under product types J3 and 201 grade which is the product type produced by patta re rollers and is directly impacting them. This in turn is largely impacting the utensil application steel and threatening the survival of the MSME units in induction furnace units and patta re rollers.
 - c. The petitioners request the Authority to consider the total MSME volume data which would show impact on volume parameters and also consider volume information provided for the 61 producers in the patta re roller segment to corroborate the impact of imports.
 - d. The Authority is required to assess whether the subsidy quantified is “measurable” or “not negligible” to have an impact.
 - e. Program No. 45 of original investigation was found countervailable but not quantified by the Authority, however, the petitioners quantified the same and submitted it as Program No. 14 in the present investigation. Program No. 14 and 19 are *de-facto* the same and the Authority could consider examination of either of these two programs as the benefit under these two would also remain the same.
 - f. Program No. 36 and 51 of the original investigation have been inadvertently compared with Program No. 20 in the previous submissions made. Program No. 36 in the original investigation is the same as Program No. 46 identified in the present investigation and needs to be seen as continuation of the program from the POI of the original investigation. Further, there is no claim from other interested parties on any changes to this program since the original investigation.
 - g. Submissions on injury and Indian industry in utensil segment was made and shared with all interested parties and the same was noted and rebutted by the interested parties. Hence, no new information/argument was made in the rejoinder submissions.
 - h. All information at the PCN level had been submitted in the application and PCN wise cost information was also provided in Format I. The Authority has also used the PCN wise sales and cost for price undercutting and NIP calculation respectively. Hence, it cannot be said that PCN wise profit information was not part of records.
 - i. Rejoinder submissions provide an opportunity to the interested parties to make relevant submission to rebut the submissions made by other parties and the same was utilized by the domestic industry to establish the adverse impact of increase in imports on its performance.
 - j. No prejudice is caused to the other interested parties on the non-circulation of NCV of rejoinder submissions and the same was justified by the DGTR before the courts. All facts to the extent considered relevant by the Authority are disclosed through the disclosure statement and the interested parties have an opportunity to comment on these claims made by the domestic industry.

- k. Imports from the subject country declined after the imposition of measures (and with increase in imports from Indonesia). Since the suspension of duties in February 2021 there was a significant surge in imports which doubled in the part of the POI where duties were non-existent compared to the other part. The increase in imports happened when there was a decline in demand and imports intensified further post POI.
- l. The plant in Indonesia Tsingshan, was set up with Chinese investment and imports from Indonesia is pseudo-Chinese investment as imports from China declined while imports from Indonesia increased significantly. With the imposition of provisional duties on Indonesia imports declined, however, it has started to increase once again.
- m. Malaysia and Vietnam have no melting capacities as per CRU data and hence, the product exported by them are produced from hot rolled product imported, re-rolled, and exported to India.
- n. UAE and Hong Kong do not have any melting or re-roller facilities and are merely trading countries. Imports from UAE and Hong Kong has intensified significantly, and these are indeed Chinese origin goods. Further, imports from China and Hong Kong combined have increased almost 4 times over the injury period.
- o. Imports of J3 and 201 constitutes almost 85% of total imports in the POI. The share of imports of utensil application products has increased over the injury period both in absolute and relative terms.
- p. Pattern of imports post POI show that the 200 series imports have further increased significantly and the absolute level of imports in 300 and 400 series increased significantly post POI and some of these imports are even more than the entire non-utensil sector imports.
- q. The MSME segment can be divided into induction furnace units and patta sector. The induction furnace industry has melting units are dependent on the sales to the patta sector which produces the direct input required for utensil manufacture. Imports pose a direct competition to the products produced by the patta industry. Consequently, Patta is unable to utilize its capacity which has affected its sourcing of goods from the induction furnace industry which are in turn getting injured. Hence, it is necessary to consider the performance of both segments to evaluate the impact of imports.
- r. Information provided by 19 MSME producers is representative of the information for the entire induction furnace industry. Of the total 80 induction furnace units, several units have shut down their plant as was claimed by the induction furnace associations. Further, some companies included in the data showed improvement while some showed deterioration and the claims of any selective approach taken to include the companies is baseless.
- s. Information on other induction furnace units who have not provided the data can be determined by considering the information for induction furnace producers as a whole and 19 companies. It can be seen that the performance of other induction furnace units in terms of production, sales, and capacity utilization have been far adverse compared to the 19 companies.
- t. Induction furnace producers sell only flat produced after melting stage, however, the imports entering the market is the further processed cold rolled product. Thus, imported cold rolled steel cannot be compared with hot rolled flat sold by induction furnace units without adding the processing cost of Rs. 28,000/MT.
- u. The petitioners have provided information in respect of all companies who came forward. There are practical difficulties faced by the MSME segment to provide information in the limited time that was available. There is no contrary evidence to demonstrate that performance of the companies which was not included is much different from the performance of the companies whose information is on record.
- v. In so far as market share is concerned, Chinese share increased after imposition of CVD on Indonesia and consequent decline in import volumes from Indonesia. Thus, the Indian industry was not able to fully benefit from the volumes earlier lost to Indonesia. Since the Indian industry had lost volumes to Indonesia because of subsidised imports from Indonesia, the industry was legitimately expecting to recover these volumes after imposition of CVD. However, the industry was not able to fully regain these volumes. Significant portion of the same has been taken away by subsidised imports from China.
- w. In so far as price parameters are concerned, (a) firstly, between volume and price injury, while both may exist, it is possible that only one exists, (b) the domestic industry decided to hold the price and improve its profitability in view of the past adverse effect. However, adverse effect of this was left on volumes. The industry had hoped to improve its profitability after imposition of CVD measures on Indonesia.
- x. Further, the Government of India had introduced QCO on a number of products falling under 300 and 400 series. Resultantly, the Indian industry was aware that Chinese producers would not be able to immediately start resorting to low priced exports.

- y. The petitioners have been adversely impacted in the utensil segment compared. The domestic sales of the petitioners in this segment very significantly declined over the injury period inflicting significant financial losses. Consequently, the petitioners reduced their domestic sales and consequent production in this segment due to significant imports in this segment.
- z. The injury to the industry in respect of utensil application products is reflected in the overall operation of the domestic and Indian industry. Chinese imports surged even when the demand for the product declined which affected the stakeholders performance in this period. The Indian industry was not able to gain the volumes released by Indonesia after duties were imposed on it and was faced with decline in sales more than the decline in demand because of increase in imports from China.
- aa. Imports increased in the POI compared to the preceding year affecting the performance of the petitioners which declined in terms of production, sales, capacity utilization, and inventories. The production declined even when capacities increased and hence, Jindal suffered volume injury during the period.
- bb. Market share of China increased after imposition of duties on Indonesia. The domestic industry maintained its prices to improve its profitability due to past adverse effects which had a critical impact on the volumes.
- cc. The present duties need to be extended as the applicants have not sought modification of the quantum and initiation of the present review was based on a duly documented application and hence, scope of review should be restricted to the grounds for review sought in the application.
- dd. Duties should not be modified in a sunset review according to the WTO ASCM and the Rules. The same quantum of duties needs to be extended even in situation where injury margin is negative and any variation in duty will be contrary to the Act, the Rules, and WTO Agreement. The practice of extending same quantum of duties is done by several WTO member countries such as EU, USA, China, Argentina etc.

Views of association for domestic producers, namely, Stainless Steel Re-rolling Association, Delhi; Stainless Steel Induction Furnace Association, Gujarat; Kala Amb Stainless Steel Furnace Association; Delhi Stainless Steel Trade Association

- a. The members who primarily are MSMEs situated in and around Delhi are adversely affected by the huge unfair imports of CR 200 series from China as it directly competes with the products used for utensil manufacture and have caused critical financial stress to the MSME units.
- b. Several units have already closed down and many more are on the verge of closure due to these unfair imports.
- c. MSMEs are the backbone of Indian economy and stainless-steel sector is an important contributor to the growth and development of India. The association members provide direct and indirect employment to almost 2 lakh individuals and is making significant tax contribution to the government.
- d. Revocation of CVD on Chinese stainless-steel producers led to low-priced imports into India which led to the decline in demand for domestically produced stainless steel particularly in the induction furnace and re-rolling industries. These imports have also led to reduction or negative margins as Indian producers are forced to reduce their prices as well, resulting in heavy losses.
- e. Since, the removal of CVD on China, imports of Chinese origin 201 grade has surged in India resulting in significant increase in the share of imported stainless steel in the Indian market. Consequently, these foreign payments made to China is increasing the trade deficit and decreasing the purchasing power of the common man.
- f. Around 15 units of induction furnace have closed down due to the losses they incurred since the revocation of CVD of China. The other units which survived are operating on 40 to 50% capacity only.
 - a. Surana Metacast (India) Pvt Ltd
 - b. Veer Ispat
 - c. Nami Steel Pvt Ltd
 - d. Able steel
 - e. Peacock Iron Steel India Pvt Ltd
 - f. Marica Alloys Pvt Ltd
 - g. Karambhumi Metal Industries Pvt Ltd
 - h. BD Industries

- i. Prema Alloys Pvt Ltd
 - j. Concept Steels
 - k. Gyscol Alloys Ltd
 - l. GS Iron and Steel Corporation
 - m. KPT Metal Pvt Ltd
 - n. Dharmik Industries
 - o. Laxmi Alloys & Casting
- g. Duties on China should be reinstated to achieve higher production and to curb trading of cheap Chinese imports.
- h. Due to the high imports of 200 series from China at subsidized prices, many units have closed down leading to huge loss of employment of more than 1000 employees.
- i. The low-priced imports from China has led to huge financial distress and the association members are struggling with their loan repayment to banks. The current huge financial losses and distress could lead to the entire industry being wiped out from India.
- j. The association members are mostly MSMEs producing/trading stainless steel sheets which are used for utensil making and other household applications.
- k. The members are adversely hit by huge rising subsidized imports of 200 series imports from China and as a result their sales are badly affected. The member companies cannot match the prices of the Chinese imports and are hence un-competitive in the domestic market.
- l. Financial losses are being suffered by the members and some units have already closed down due to rising imports from China which has led to significant job losses.

II. Views of the other Interested parties

243. Following post disclosure submissions have been made by the other interested parties:

- a. The time of only 5 working days given for submission of comments is inadequate. Interested party reserves right to file any additional comments on the disclosure statement. In *Nirma Ltd. v. UOI Gujarat High Court* said that a time of 6 days for submission of comments on disclosure statement was inadequate.
- b. Chinese government revoked export tax rebates on Iron and Steel products on 26th April 2021. The same may be removed from the calculations of subsidy margin provided in the final findings, if included.
- c. There is no material injury to the domestic industry. All economic parameters show positive improvement. Performance has been tremendous even though there has been high quantum of exports from China. In a case where Thai authorities determined injury in spite of positive movement in economic parameters, WTO panel held it would require a thorough and persuasive explanation as to whether and how such positive movements were outweighed by any other factors and indices which might be moving in a negative direction during the injury period.
- d. While imports have increased, the demand for the subject goods has been significant. Demand declined by only 3% in the POI, but it has been increasing through the injury period.
- e. Volume of imports in the POI are merely 7.74% of the Indian production. It is not even 8% of the total consumption in the POI. Quantum is not significant enough to cause injury.
- f. The Authority has recorded price undercutting data only for the POI and not for the previous years. In the absence of the same, comments cannot be made. The Authority is requested to share this data so that respondent may comment.
- g. While the landed price has decreased from 2019-20 to POI and the cost of sales have increased, the domestic industry has had the flexibility to increase their selling price by 14 Index points in the POI. Hence, no price suppression or depression has occurred due to the imports from China.
- h. From an interview response of the Joint MD, Jindal South West Steel it emerges that domestic steel producers have reduced their prices because of influx of imports from countries with whom India has FTAs and not because of imports from China.
- i. Data extracted at Para 172, records consolidated data for both PUC & NPUC. It is important to examine the performance parameters for the PUC separately. The Authority is requested to do a fresh analysis.
- j. Capacity through the injury period increased. Decline in production and sales is a miniscule and does not demonstrate any significant injury.

- k. Decline in volume of the PUC exported by domestic industry must be factored to account for the decline in production. Decline in domestic sales in the POI is also miniscule. In case of injury, it would've reduced significantly.
- l. Decline in capacity utilisation is due to increase in capacity in the last 2 years of the injury period. Newly added capacity takes some time to get utilized.
- m. Profitability, cash profits & ROI improved through the injury period and has further increased in the POI.
- n. Domestic Industry continues to hold around 80% of the total market in India. An increase of around 3% in the market share of imports from China is insignificant and insufficient to conclude any injury. Market share of the subject imports is not more than 10% in the post POI. With such a limited market share, the domestic industry cannot be said to face any injury upon cessation of CVD.
- o. Domestic industries' employment levels have been constant through the injury period, whereas productivity significantly increased in the POI(A).
- p. Performance of 19 MSME producers:
 - Capacity of MSME increased. Production quantity increased in the injury period, reduced during the POI due to decline in demand and still remains significantly higher than the base year.
 - Reduction in capacity utilisation is due to increase in the installed capacity.
 - Increase in productivity, salaries and wages and employees shows a healthy state of the MSMEs.
 - Inventories increased but is not a conclusive factor to determine injury.
 - Financial performance of the other domestic producers is because of factors other than imports. While their profits have decreased in the POI, the domestic industry's profits increased and were the highest in POI.
 - The applicants are the biggest players in the Indian market, have captured a significantly high percentage of the market and have been able to earn increasingly high profits. decline in other domestic producer's performance is attributable to the inter-se competition which the Authority has not deliberated the possibility of.
- q. Scope of enquiry in SSR is only limited to likelihood. The Authority did not have to analyse the causal link (Appellate Body in US — Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Good referred to).
- r. Volume of subject imports and its increase is because of the high demand for the PUC in India, and even then, it is insignificant in comparison to the domestic producers' high market share.
- s. "Surplus capacity" is not just any capacity over and above the domestic demand, but idle capacities left over after meeting domestic and global demand. Mere existence of surplus capacities is not sufficient to establish likelihood and mere expansion of capacity would not demonstrate a threat. (Indian Spinners Association vs. DA)
- t. The Authority has done a historical analysis of the increasing trends of the imports from China but has not quantified the trends. Quantum of exports from China is not more than 10% of the market demand. Mere increase in quantum of imports would not lead to injury or likelihood.
- u. Since the market price of the PUC in India is much lesser than that of other countries, the Indian market is not attractive compared to that of other. Price of goods exported to India is much lesser than the price in rest of the world, there is no incentive for them to increase exports to India.
- v. Detailed submissions is made in written submissions, rejoinder and user industry questionnaire response by the respondent with regard to the cost impact on the user in case duty is imposed. PUC forms a majority share in the total cost incurred by users of the PUC.
- w. It is incorrect for the Authority to state that information submitted by the user industry is not verifiable. Respondent is willing to fully cooperate for verification. The Authority has not sought any clarification or further information or issued deficiency letter.
- x. The final end consumer is significant and must be taken into consideration while deciding to continue the duty. The PUC forms a high percentage of the total cost of raw material used by the users, any addition to the cost of the PUC will have a direct adverse impact on the user.
- y. End-users are lower and middle-income group households. Any increase in costs of sinks and utensils as a result of continued imposition of CVD would be severe and immediate.

- z. The Authority notes that domestic producers have made major investment to enhance capacity and it is in the interests of domestic producers to utilise this enhanced capacity. Protection not protectionism is the purpose of trade remedial measures. Authority must discourage attempts of domestic industry to seek protection of its capital investments.

III. Examination by the Authority

244. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry, and the other interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below:
- a. It has been claimed by the other interested parties that the domestic industry has not suffered injury and thus there is no likelihood of injury. The Authority notes in this regard that the performance of induction furnace MSME producers shows significantly low-capacity utilisation, decline in capacity utilisation in the POI, and industry is suffering from financial losses from a situation of profits earned earlier. The domestic industry produces and supplies much larger basket of products as compared to limited basket of MSME producers. Imports have also largely occurred in those categories of products where MSME is also selling. Therefore, comparison of overall performance of the domestic industry either with the MSME or with the imports would not be appropriate. The domestic industry provided segregated information with regard to the products comparable to MSME products and reported consistent financial losses and steep decline in domestic sales volumes. Further, it has been observed that the domestic industry has not suffered injury in those products where MSME is not at currently present and import volumes were low. Analysis of imports during the injury period shows that imports have predominantly been in 200 series, and these increased both in absolute and relative terms. This trend continued in the post POI period.
 - b. The Authority notes that there are a large number of producers which are MSME and are operating exclusively in a particular segment of the product. These producers cannot produce and sell entire range of products because of nature of production facilities created. The analysis of information provided by the 19 MSME producers clearly shows that their capacity utilisation has remained low throughout the injury period. Their production and sales declined in the POI with increase in imports. The profitability was also low during the injury period and started incurring losses since 2019-20 as a result of imports and the losses intensified significantly thereafter in the POI with increase of imports from China.
 - c. The interested parties have contended that the performance of the domestic producers has not shown material decline in the POI as compared to preceding year. The Authority however considers that performance in POI should be considered and compared with the previous year, after due consideration to the facts that demand in POI declined, Central government had earlier imposed CVD on imports from Indonesia, imports from China are not uniformly spread through the product range of the product under consideration, the Central Government has invoked quality control order (QCO) on a large number of products falling within product under consideration (which products fall in 300 and 400 series category of products), 200 series products are out of the purview of QCO at present. Under these circumstances, domestic sales and consequently production and capacity utilisation of applicant domestic industry and participating MSME induction furnace producers have shown decline. The domestic industry and the induction furnace producers have reported significant financial losses in the POI in the product segment where imports are concentrated which falls under 200 series. The Authority notes that the domestic industry's performance has improved on overall basis even absorbing the losses in the segment where imports are concentrated. Thus, domestic industry is not adversely impacted in respect of 300 and 400 series products. The applicant domestic industry submitted that import volumes remained low in 300 and 400 series products and have started showing increase after the POI as more and more Chinese producers are being subjected to QCO. While appreciating that the volume and price effect of imports might have remained contained in the POI due to QCO, the Authority considers that the same does not justify extension of CVD on 300 and 400 series products. As regards increase in imports in post POI period, the Authority considers that information cannot be selectively considered only in respect of imports and there is no information available with regard to effect of these increase in imports of 300 and 400 series products in post POI. The Authority therefore considers that no justification is established for extension of CVD in so far as 300 and 400 series products are concerned.
 - d. The Authority examined whether the information provided for induction furnace producers is selective and is not representative of MSME sector. It is seen that the information provided represents about 38% of production by induction furnace producers. Analysis of data provided by MSME producers also does not show a possibility of selective presentation of data. Indeed, some companies have shown decline, while

some have some improvement. The average performance has shown decline. The Authority thus concludes that the MSME information on record is representative of the performance of this sector.

- e. As regards the argument that it is the *inter se* competition that led to decline in their performance, the Authority notes that conditions of competition *inter-se* domestic producers has not undergone any change over the period. If the demand for the product has declined, imports of the subject products would not have increased, had the domestic product been available at lower prices. Since the product is imported in cold rolled form, if the landed price of the subject products is compared with the selling price of the MSME induction furnace industry, after appropriate adjustments for the processing involved upto cold rolled stage, the MSME producers have contended that in fact that the product is imported at a price materially below the cost of production in India. Further, whereas demand declined, subject imports increased. Thus, it is the import which were causing price depression in the market. The Association of induction furnace sector have submitted a list of producers who have shut down their production in the recent period as production has become unviable because of presence of low-priced product.
- f. As regards the argument that increase in imports in the post POI is only around 10% of demand and cannot be treated as significant enough to cause injury, it is noted that the imports from China has shown significant surge in the POI, Chinese imports increased both in absolute and relative term in the POI when the demand had infact declined. Further this admitted increase of market share to 10% in post POI cannot be considered insignificant, particularly when majority of this is restricted to 200 series products. The imports have increased to 3,43,893 (annualised) MT in April-September, 2022, and 4,42,058 MT (annualised) in October-December, 2022 thus showing continuous increase. Further, considering the demand of the products in 200 series category during the POI, and nearly four times increase in imports in April-December, 2022 period, these imports are now holding more than 30% of the demand in this segment. This is a significant increase in imports after suspension of duties and cannot be termed as immaterial.
- g. The interested parties have submitted that no conclusion as to existence of likelihood can be reached merely on grounds of surplus capacities. In this regard, it is noted that the Authority has analysed the existence of likelihood parameters as laid down in para vii of Annexure – II to the Rules. Accordingly, the Authority has analysed present and historical volume of imports, export orientation of the producers, the volume and value of exports to third countries to examine the injurious, price attractive volume, trade remedial measures imposed on China by various countries globally. The interested parties have not provided any evidence that the Chinese producers have dedicated part of their capacities to some global markets and these are now not available for export to India. The interested parties have contended that the export price from China to other destinations is rather higher than India. However, facts on record have shown that the imports into India have increased by almost 4 times in the most recent period, i.e., April 22- Dec 22. If the Chinese producers did not have unutilised capacities or their export price to other countries were materially higher than India, exports to India would not have shown this quantum increase. The determination of existence of likelihood has been reached after analysing the above stated factors.
- h. As regards the argument that Chinese Government revoked export tax rebates on Iron and Steel products on 26th April 2021, the Authority notes that it has not countervailed or quantified schemes on export tax rebates.

W. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

245. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein, and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- a. The product under consideration in the present investigation is flat rolled products of stainless steel, which comprises mainly of 200, 300 and 400 series products. While the applicants and Chinese producers can interchangeably produce different products falling within product under consideration using the common facilities, the MSME producers are restricted only to 200 series products. The eventual end consumers require a specific type of steel and cannot interchange it with some other product. Thus, the inter-se substitutability of the products falling within the scope of the product under consideration is limited only from producers point of view, and is absent from end consumers point of view.
 - b. The petitioners constitutes domestic industry and the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 6 (3) of the Rules.
 - c. The product supplied by the Indian industry is like article to the product under consideration imported from the subject country.
 - d. Even though the Central Government had first suspended and then removed CVD on imports from China, the behaviour of Chinese imports is not uniform throughout the product range of the product under

consideration. The Indian industry has admitted that imports of the product under consideration have increased largely in 200 category. It is however seen that the imports of 300 and 400 series have shown some increase in the post POI.

- e. Information of the 19 producers from the MSME segment has also been examined to assess the impact of imports from the subject country as the imports were largely concentrated in the segment where these producers operate.
- f. Both Government of China and Chinese producers have preferred non-cooperation in the present investigations, and the present determination is based on facts on record.
- g. The Chinese producers continue to benefit from countervailable subsidies. Neither the Chinese producers nor the Chinese Government gave any evidence of possible reduction in CVD margins. The domestic industry gave evidence of subsidies in the land program where the Authority did not quantify benefit in the original investigation.
- h. Imports from China increased in the POI and increased significantly thereafter in post POI, after suspension of duties.
- i. MSME producers are primarily engaged in producing and selling 200 series product. Their performance remained adverse during the injury period and deteriorated in the POI. This sector is having low-capacity utilisation throughout the injury period and has shown deterioration in the POI in respect of production, sales, market share, profits and ROI. The MSME producers have suffered significant financial losses in the POI.
- j. The Chinese imports are undercutting the domestic prices. The extent of price undercutting is significant and material whether determined considering domestic industry prices or MSME sector prices (after due adjustments for processing from hot rolled flat to cold rolled plate).
- k. The demand for the product under consideration declined in the POI as compared to the preceding year. However, whereas the demand declined and all other suppliers to the market lost sales, the Chinese imports increased in this period.
- l. The domestic industry's performance declined in respect of production, capacity utilisation and sales in the POI. However, the market share of the domestic industry increased in the POI, as the market share of Indonesian imports declined. Performance of the domestic industry however improved in respect of profits, cash profits and return on investment in respect of all products barring product falling under 200 series.
- m. Performance of the domestic industry in the segment where MSME and Chinese imports were concentrated has been adverse. The sales have declined very significantly throughout the injury period and in post POI, and the domestic industry is incurring significant financial losses in this segment.
- n. There exists a likelihood of continuation of subsidisation in the event of non-continuation of countervailing duty in light of the surplus capacities maintained by the Chinese producers, high export orientation of the Chinese producers, trade remedial measures imposed by other countries (leading to such market getting restricted), third country dumped and injurious exports, attractiveness of the Indian market, increase in imports in the post POI period and the export orientation of the Chinese producers. While industry is already suffering injury in respect of 200 series products, and injury to the domestic industry is likely to intensify in the event of non-continuation of CVD in view of these factors, there is no evidence that the Indian industry suffered injury as a result of suspension and thereafter withdrawal of CVD in so far as 300 and 400 series products are concerned. The Authority therefore concludes that whereas suspension and thereafter withdrawal of CVD led to injury to the Indian industry in respect of 200 series products, it did not lead to injury to the Indian industry in respect of 300 and 400 series products. Nor there is sufficient evidence that injury to the Indian industry is likely in respect of 300 and 400 series products.
- o. Despite providing all formats for users/ importers to quantify the impact of CVD and elaborate on how extension of CVD will adversely impact them, the interested parties have not established possible adverse impact of CVD on the user industry with verifiable information. The domestic industry has however provided information and evidence to substantiate that there was no adverse impact of the ADD and CVD imposed in the past, imports of downstream products remained contained (barring pipes & tubes, where the Government has invoked CVD and the same has restricted Chinese imports), and user industry has remained viable irrespective of prevailing prices of the product for the reason that either they pass on the price increase to their consumers (for instance, pipes & tubes, utensils), or, the impact of the product in downstream product selling price is minimal (for instance, railway metro coaches etc).

- p. There is healthy competition in the Indian market and continuation of the duties would not deprive the user industry of any requirements. There is no demand supply gap in the country. The Indian industry for the product are significantly underutilised and there are a large number of domestic producers.
- q. The impact of duties on the eventual end consumers is insignificant.
246. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of likelihood of continuation/recurrence of subsidisation and injury.
247. Having concluded that there is likelihood of continuation/recurrence of subsidisation and injury if the existing countervailing duties are not continued, the Authority is of the view that continuation of duty is required on the imports of the PUC from the subject country.
248. Under the aforesaid circumstances, the Authority considers it appropriate to recommend continuation of the existing quantum of duties on the imports of the subject goods from China which would address and mitigate the likelihood of injury from the subject country. However, the relief is required to be restricted only in respect of 200 series products falling under the product under consideration. The Authority, thus, considers it necessary to recommend the continuation of existing definitive countervailing duty imposed vide notification No. 01/2017 dated 07th September, 2017 on all product types falling under 200 series of stainless-steel flat products.
249. The Authority, thus, considers it appropriate and necessary to recommend continuation of definitive duty equal to the figure indicated in Col. 7 of the duty table below for a period of five (5) years on all imports of the subject goods from the subject country. The subsidy margin determined in the present review is 19.91%; however, the present investigation, being a sunset review, the Authority deems it appropriate to extend the existing duties as per the Original Investigation. Therefore, considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, countervailing duty equal to the amount indicated in Col 7 of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all product types falling under 200 series of stainless-steel flat products for a further period of five (5) years.

Duty Table

Sl. No.	Heading/ subheading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Duty amount as % of landed value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	7219 ,7220	Flat-rolled products of stainless steel- 200 series (note below)	China PR	China PR	Any	18.95%
2.	-do	-do-	China PR	Any Country	Any	18.95%
3.	-do	-do-	Any Country	China PR	Any	18.95%

Note:

1. *The product under consideration is defined as*

Flat rolled products of stainless steel, whether hot rolled or cold rolled of all grades/series; whether or not in plates, sheets, or in coil form or in any shape, of any width, of thickness 1.2mm to 10.5mm in case of hot rolled coils; 3mm to 105 mm in case of hot rolled plates & sheets; and up to 6.75 mm in case of cold rolled flat products. Product scope specifically excludes razor blade grade steel."

2. *The duty is recommended only on imports of products belonging to the 200 series.*

X. FURTHER PROCEDURE

250. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority

ANNEXURE - 1

LIST OF EXPORTERS

Exporter Name	Exporter Name
Elite Optels (H.K.) Limited	Nantong Jindi Fastener Co. Ltd.
Foshan Chuangshengdian Importand Export Co Ltd	Ningbo Polairs Metal Products Co. Ltd
Excelvantage Global Ltd	Ningbo Tierslia Imp & Exp Co Ltd
Five Star Intl Group Ltd	Ningbo Yinzhou Gaudhi Metal Products Co Ltd
Metal China Industrial Co Ltd	Oak Steel Limited
Foshan Gog Stainless Steel Co Ltd	Perfect Metal Fabrication Co. Limited
Foshan Hinato Ceramics Co. Ltd	Shandong Mengyin Huarun Imp & Exp Co Ltd
Foshan International Trade Co Ltd	Shandong Mengyin Huarun Imp And Exp. Co. Ltd
Foshan Realtime Import & Export Co. Ltd.	Shenzhen Onetouch Business Service Ltd
Foshan Shunhengli Import & Export Co Ltd	Sinosteel Shenzhen Co.Ltd.
Foshan Teehoo Stainless Steel Co. Ltd	Topbing International Industrial Limited
Wuxi Baoya Metal Co Ltd	Wuxi Zhongzhixin Stainless Steel Co Ltd
Foshan Yingfa Stainless Steel Co. Ltd	Zhejiang Zhongda Yuantong Industrial Corporation
Guangzhou Eversunny Trading Co. Ltd	Jieyang Baowei Stainless Steel Co Ltd
Guizhou Zhongruixianghe Supply Chain Co. Ltd	Jieyang De Bao Ming Stainless Steel Co Ltd
Hongkong Winner Steel Co Ltd	Karl Steel International Company Limited
Jiangsu New Qiuqing Stainless Steel Co. Ltd	Xiamen Tancheng Import And Export Co Ltd

ANNEXURE -2

LIST OF IMPORTERS/USERS

Importer Name	Importer Name
Accurate Steel	Moonlight Tube Industries
Amanat Steels Pvt. Ltd.	Naman Steel
Aminox International	National Peroxide Limited
Ankur Export	Navgrah Fastners Pvt Ltd
Anupam Impex	Navgrah Fastners Pvt. Ltd.
Montex Stainless And Alloys	Navpad Steel Centre
Ashok Metal Corporation	Navyug Metal
Ashwin Impex	Nenava Metal Corporation
B.V.S. Overseas	Neptune Steel Impex
Balaji Impex	Ng Industries
Balaji Niryaat Private Limited	Nickel Impex Llp
Bhalaria Metal Craft Pvt Ltd	Numax Steels
Bharat Exports	Ohsung Electronics India Private Lintied
Bhavyadeep Impex	Om Gurudev Metal

Chanchal Metal & Tube	P.P. Impex (India)
Chirag Udyog	Pacific Metal Trading
Devdeep Steel Alloys	Param Industries
Dhanera Impex.	Paras Impex
Dhanera Metal Supply Corporation	Phoenix Foils Pvt. Ltd.
Minox Metal Private Limited	Posco-India Pune Processing Center Pvt.Ltd.
Divine Overseas Private Limited	Rajesh Steel
Flange Forge India	Rajguru Enterprises Pvt. Ltd
Forte Impex Pvt. Ltd.	Ramani Steel
Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.	Randen Engineering Pvt.Ltd.
Goodluck Metal Corporation	Riddhi Siddhiimpex
Goodluck Steels	Welkin Infotech Private Limited
H. K. Impex Pvt. Ltd.	S S Impex
Him Enterprises	Saneet Steel
Hindustan Inox Limited Block	Saraswati Steel India
Hindustan Syringes and Medical Devices Ltd	Seth Iron & Steel Pvt. Ltd
Home Zone Metals Private Limited	Shah Foils Limited
Home Zone Stainless Private Limited	Shakti Pumps India Limited
Horizon Chutes Pvt Ltd	Shree Ashapura Steel Centre
Hypro Engineers Pvt Ltd.	Shree Mahavir Steel Mart
Igp Engineers Private Limited	Shree Ramdev Metal Mart
Inco Steel	Shree Ramdev Steels Pvt.Ltd.
Inox Stainless	Shree Swangiya Metal Industries
J.Y. International Gala	Shree Tube Mfg.Co.Pvt.Ltd.
Jagdamba Cutlery Private Limited	Shree Vallabh Metals
Jaiman Metalloys Llp	Shriram Handle
Jainex Steel & Metal	Siddhant Steel
Jay Laxmi Metal Corporation	Siddhivinayak Steel
Jayna Steel India	Silver Steels
Jewel Impex Pvt Ltd	Stainox Alloys Pvt Ltd
Jfe Shoji Trade India Private Limited	Steel International Mahavir Darshan
Kamal Metal Corporation	Steel Line (India)
Kesho Ram Industries	Steel Yard Overseas
Keyur Kitchenware	Stride Industries Llp
Kitchen Essentials	Suchi Fasteners Pvt Ltd
Kraftwares (India) Private Limited	Suman Metal
Kunal Housewares Pvt. Ltd.	Suncity Sheets Pvt Ltd
Larsen & Toubro Limited	Suncity Strips & Tubes Private Limited

Lubi Industries Llp.	Sunder Impex Pvt Ltd
M. P. Steel Centre	Super Impex
Magppie International Ltd.	Swastik Industries
Mahaveer Stainless Steel	Trident Steel
Mars Housewares	Uttam Steel Alloys Pvt. Ltd.
Maruti Suzuki India Limited	Vishal Steels
Maxim Tubes Company Pvt Ltd	Veena Steel Industries
Mayfair International	Victoria Auto Pvt. Ltd
Metal One Corporation India Private Limited	Vikram Metal [India]
Milan Steel	

LIST OF USERS ASSOCIATION

Name Of Associations	Name Of Associations
Jagadhri Stainless Steel Re- Rollers Association	The Rajasthan Stainless Steel Re-Rollers Association
Stainless Steel Rollers Association	Wazirpur Industrial Estate Welfare Society
All India Stainless Steel Cold Rollers Associations	Association Of Indian Medical Equipment Device
All India Stainless Steel Industry Association	Metal And Stainless Steel Merchants Association
Process Plant And Machinery Association Of India	Delhi Stainless Steel Trade Association
Steel Furnace Association Of India	

ANNEXURE -3

LIST OF INTERESTED PARTIES

Petitioners

1. Jindal Stainless Limited and
2. Jindal Stainless (Hisar) Limited

List of parties that supported the application

S. No.	Name of the Party	Nature of the Party
1.	Janki Metals	Domestic producer
2.	Shree Yug Ispat	Domestic producer
3.	Shyam Sundar Alloys	Domestic producer
4.	Vasco Ispat Pvt Limited	Domestic producer
5.	N-Steel	Domestic producer
6.	Maruti Inox	Domestic producer
7.	MI Alloys	Domestic producer
8.	SNB Metal	Domestic producer

S. No.	Name of the Party	Nature of the Party
9.	Shivpriya Ispat	Domestic producer
10.	Western	Domestic producer
11.	Hi-Ganesh	Domestic producer
12.	Ambica Alloys	Domestic producer
13.	Savitri Alloys	Domestic producer
14.	Avdesh Steel Works	Domestic producer
15.	Amba Industrial	Domestic producer
16.	Jaiswal Metal	Domestic producer
17.	Vashisht Alloys	Domestic producer
18.	Bajrang Alloys	Domestic producer
19.	Chandan Pani	Domestic producer
20.	Shah Alloys Limited	Domestic producer
21.	Frontier Strips Private Limited	Producer
22.	Snb Enterprises Pvt Ltd	Producer
23.	Mettech Steels	Producer
24.	Quality Foil (India) Pvt. Ltd.	Producer
25.	Aligarh Tubes and Shutter Pvt. Ltd.	Producer
26.	Star Stainless Industries	Producer
27.	Sri Ram Products	User Industry
28.	JCM Stainless	User Industry
29.	Bag Tubes	Producer
30.	Suraj Steel Pipes	User Industry
31.	Aditya Steels Industries	User Industry
32.	HR Inox	User Industry
33.	Surana Metacast (India) Pvt. Ltd.	Producer
34.	Focus Tubes (India)	User Industry
35.	Midas Touch Stainless	Producer
36.	Sunlight Steel Industries	User Industry
37.	M/S Ap Steel Industry	User Industry
38.	IUP Jindal Metals & Alloys Ltd.	User Industry
39.	Ombre Stainless	User Industry
40.	Blue Star Industries	User Industry
41.	Bright Refractories	User Industry
42.	Accurate Metals	Producer
43.	Aditya Steels	User Industry
44.	Aggarwal Sons	Producer

S. No.	Name of the Party	Nature of the Party
45.	Amba Industrial Corporation	Producer
46.	Anmol Stainless Pvt. Ltd.	User Industry
47.	Arihant Steel	Producer
48.	Ashutosh Metal Pvt. Ltd.	Producer
49.	Avdesh Steel Works Pvt. Ltd.	Producer
50.	B.P.B India	Producer
51.	Chandanpani Pvt. Ltd.	Producer
52.	City Steel Industries	User Industry
53.	D.M. Metalloys Pvt. Ltd.	Producer
54.	G.R. Mills	Producer
55.	Hans Raj Tubes Pvt. Ltd.	Producer
56.	Hisar Properties Pvt. Ltd.	Producer
57.	Jaiswal Metals Pvt. Ltd.	User Industry
58.	Janki Metal Strips Pvt. Ltd.	Producer
59.	K.L. Stainless India	Producer
60.	Khemani Metal Industries Pvt. Ltd.	Producer
61.	Maheshwari Stainless	User Industry
62.	MetTech Steels	Producer
63.	Nami Steel Pvt. Ltd.	Producer
64.	National Metals	Producer
65.	National Steel Industries	Producer
66.	Navkar Metasteels Pvt. Ltd.	Producer
67.	Om Stainless India	Producer
68.	Panchami Pipes Pvt. Ltd.	User Industry
69.	Pooja Steel	Producer
70.	Pratik Metals Pvt. Ltd.	Producer
71.	Prem Paradise Alloys	Producer
72.	Prem Paradise Steel Pvt. Ltd.	Producer
73.	Radha Krishna S.S. Pipe Industries	User Industry
74.	Raj Metal Industries	Producer
75.	Rajasthan Stainless Steel Re-Rollers Association	Association of producers
76.	Ramdev Steel	User Industry
77.	Ramsons Stainless	Producer
78.	Reliable Steels	Producer
79.	Rishi Steels & Tubes	Producer
80.	Roshan Metal Industries Pvt. Ltd.	Producer

S. No.	Name of the Party	Nature of the Party
81.	S.A. Steel (India)	Producer
82.	S.S. Pipe Industries	Producer
83.	Shinemax Roofing (India) Pvt. Ltd.	User Industry
84.	Shiv Ganga Stainless	Producer
85.	Shri Shankeshwar Metal and Warehouse Pvt. Ltd.	Producer
86.	Sidhi Vinayak Industries	Producer
87.	SNP Steels	Producer
88.	Sri Varenyam Associates	Producer
89.	Shrinathji Tube Industry	Producer
90.	Stainless Steel Induction Furnace association (SIFA) Gujarat	Association of producers
91.	Stainless Steel Re Rolling Association	Association of producers
92.	Steel Authority of India Ltd (SAIL) – SALEM	Producer
93.	Sudama Stainless Steel Industries	User Industry
94.	Sunrise Steel Industries	User Industry
95.	Suraj Steel Pipes	User Industry
96.	Surana Metals	Producer
97.	TR OX Tubes and Pipes	Producer
98.	True Metals	Producer
99.	Uni - Impex	Producer
100.	Vikas Stainless Pvt. Ltd.	Producer
101.	Vinayak Industries	Producer
102.	Vishnu Steels	Producer
103.	Trinox Tubes and Pipes	User Industry
104.	All India Stainless Steel Cold Rollers Association	Association of Producers
105.	Bhalaria Metal Craft Pvt. Ltd.	User Industry
106.	Shri Laxmi Metal	Producer
107.	Jagadhri Stainless Steel Re-Roller Association	Association of producers
108.	Indian Stainless Steel Development Association	Association of producers
109.	SNB Metals & Alloys	Producer
110.	N. Steels Pvt. Ltd.	Producer
111.	Vikram Industries	Producer
112.	Mangaldeep Metal	Producer
113.	Garden Kitchenware Pvt. Ltd.	Producer
114.	Kad Udyog	Producer
115.	Monika Steel	Producer
116.	Kad Steel Rolling Mills	Producer

S. No.	Name of the Party	Nature of the Party
117.	Smart Stainless Tubes Pvt. Ltd.	User Industry
118.	Wazirpur Industrial Estate Welfare Society	Association
119.	Delhi Stainless Steel Trade Association	Association
120.	Stainless Steel Rollers Association	Association
121.	Shri Kanha Stainless Pvt. Ltd.	User Industry
122.	Bengal Pipe Mfg. Co.	User Industry
123.	Agraawal Steel and Pipe Depot LLP	User Industry
124.	Laxmi Steel	User Industry
125.	Khambhlay Tubes	User Industry
126.	My Steel	User Industry
127.	Falcon Steels	User Industry
128.	Puro Steel	User Industry
129.	JT Steel Tube Pvt. Ltd.	User Industry
130.	R.G. Stainless Engineers Ltd	User Industry
131.	Shrinathji Tube Industry	User Industry
132.	Indicorp India Private Limited	User Industry
133.	Chirag Pipes industries	User Industry
134.	Anmol Metal Industries	Producer
135.	Anu Udyog	User Industry
136.	Abro	User Industry
137.	Dwarka Steel Industries Pvt. Ltd.	User Industry
138.	Gujarat Metal Industries	User Industry
139.	Hem Rolling Mills Pvt. Ltd.	User Industry
140.	Hindustan Rolling Mill	User Industry
141.	Hisar Metal Industries Limited	User Industry
142.	Ishwar Metals Private Ltd.	User Industry
143.	J. Premchand Industries	User Industry
144.	Jahaan Steels Limited	User Industry
145.	Kala Amb Stainless Steel Furnace Association	User Industry
146.	M. A. Enterprises	User Industry
147.	Maa Bhanbhoori Steel & Alloys	Producer
148.	Mahalaxmi Steels	User Industry
149.	Manglam Steel	User Industry
150.	Manidhari Industries	User Industry
151.	Marvel Metal Industries	User Industry
152.	Maya Udyog	User Industry
153.	Mehta Alloys Ltd.	User Industry

S. No.	Name of the Party	Nature of the Party
154.	MMV Steel Industries	User Industry
155.	Monika Udyog	User Industry
156.	Mukesh Udyog	User Industry
157.	Shri Raju Enterprises	User Industry
158.	Rathod Industries	User Industry
159.	Ratnadeep Industries	User Industry
160.	Rolmetal Industries	User Industry
161.	S.M. Industries	User Industry
162.	Shree Devkinandan Metals Pvt. Ltd	User Industry
163.	Sethi Metal Industries	User Industry
164.	Shayona Enterprise	User Industry
165.	Shri Bhumika Strips Pvt. Ltd.	User Industry
166.	Shree Nandkishor Metals Pvt. Ltd.	User Industry
167.	S.M. Enterprise	User Industry
168.	Sweta Industries	User Industry
169.	Virat Alloys (P) Ltd.	User Industry
170.	Vanguard	User Industry

List of interested parties that have opposed continued imposition of duties:

1. Embassy of China
2. Shah Foils Ltd.
3. Honest Enterprise Pvt. Ltd.
4. Suncity Sheets Pvt. Ltd.
5. Avon Appliances Pvt. Ltd.
6. All India Stainless Steel Association